

खण्ड-06 सत्र -04 (भाग-06)  
अंक-43

बुधवार

18 जनवरी, 2017  
28 पौष, 1938 (शक)

# दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही



सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-04 (भाग-06) में अंक 42 एवं 43 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय  
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

**सम्पादक वर्ग**  
**EDITORIAL BOARD**

**प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा**  
सचिव  
**PRASANNA KUMAR SURYADEVARA**  
Secretary

**एम.एस. रावत**  
उप-सचिव (सम्पादन)  
**M.S. RAWAT**  
Deputy Secretary (Editing)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

---

सत्र-4 भाग ( 6 ) बुधवार, 18 जनवरी, 2017/28 पौष, 1938 ( शक ) अंक-43

---

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची:

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1 श्री शरद कुमार        | 11 श्री जितेंद्र सिंह तोमर    |
| 2 श्री संजीव झा         | 12 श्री राजेश गुप्ता          |
| 3 श्री पंकज पुष्कर      | 13 सुश्री अलका लाम्बा         |
| 4 श्री पवन कुमार शर्मा  | 14 श्री आसिम अहमद खान         |
| 5 श्री अजेश यादव        | 15 श्री विशेष रवि             |
| 6 श्री महेंद्र गोयल     | 16 श्री हजारी लाल चौहान       |
| 7 श्री वेद प्रकाश       | 17 श्री शिव चरण गोयल          |
| 8 श्री सुखवीर सिंह दलाल | 18 श्री गिरीश सोनी            |
| 9 श्री ऋतुराज गोविंद    | 19 श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) |
| 10 श्रीमती बंदना कुमारी | 20 श्री राजेश ऋषि             |

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 21 श्री महेंद्र यादव    | 34 श्री सौरभ भारद्वाज       |
| 22 श्री आदर्श शास्त्री  | 35 सरदार अवतार सिंह कालकाजी |
| 23 श्री कैलाश गहलोत     | 36 श्री सही राम             |
| 24 सुश्री भावना गौड़    | 37 श्री नारायण दत्त शर्मा   |
| 25 श्री विजेंद्र गर्ग   | 38 श्री राजू धिंगान         |
| 26 श्री प्रवीण कुमार    | 39 श्री मनोज कुमार          |
| 27 श्री मदन लाल         | 40 श्री नितिन त्यागी        |
| 28 श्री सोमनाथ भारती    | 41 श्री एस. के. बग्गा       |
| 29 श्री नरेश यादव       | 42 श्री अनिल कुमार बाजपेयी  |
| 30 श्री करतार सिंह तंवर | 43 श्री राजेंद्र पाल गौतम   |
| 31 श्री प्रकाश          | 44 मो. इशराक                |
| 32 श्री अजय दत्त        | 45 श्री श्रीदत्त शर्मा      |
| 33 श्री दिनेश मोहनिया   | 46 श्री जगदीश प्रधान        |
-

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

---

सत्र-4 भाग ( 6 ) मंगलवार, 17 जनवरी, 2017/27 पौष, 1938 ( शक ) अंक-43

---

सदन अपराह्न 2.07 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

**माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था**

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, कल जो है दिल्ली के अंदर एक बर्बरता पूर्ण कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा...

अध्यक्ष महोदय : प्लीज...सोमनाथ जी प्लीज, ...

श्री सोमनाथ भारती : सर, ये बहुत इंपोर्टेंट मामला है। चूंकि...

अध्यक्ष महोदय : देखिए मैंने आपका...

श्री सोमनाथ भारती : सर, इस तरह की कार्रवाई पुलिस के द्वारा जिसमें कि महिलाओं को भी खींच-खींच कर बाहर निकाला गया...

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, आपका विषय सूची में आया हुआ है...सोमनाथ जी आपका नोटिस आया हुआ है और वो सूचीबद्ध हो चुका है,....वो आज की कार्यवाही में है। प्लीज बैठिए।

सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत।

मुझे श्री विजेंद्र गर्ग, माननीय सदस्य से सूचना प्राप्त हुई है कि उन्हें कल दिनांक 17 जनवरी, 2017 को सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या-4 का लिखित उत्तर समय पर प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त विधान सभा सचिवालय ने भी सूचित किया है कि कल सूचीबद्ध अतारांकित प्रश्न संख्या-2, 3 तथा 4 के उत्तर स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए। प्रश्नकाल अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और सरकार के सभी विभागों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सभी माननीय सदस्यों को समय पर प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करवाना विभागों का प्राथमिक कर्तव्य है। मैं इस संबंध में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश देता हूँ कि वे यह सुनिश्चित करें कि सदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर सदस्यों को निर्धारित समय पर उपलब्ध करवाए जाएं और इस संबंध में विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश जारी करें।

**अध्यक्ष महोदय :** वो आप लिखकर दीजिएगा। गलत जवाब आया है तो लिखकर दीजिए।

मुझे श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के अन्य सदस्यों से नियम-59 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव, नियम-54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम-55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा की विभिन्न सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि आज सदन में केवल उसी प्रस्ताव को विचारार्थ लिया जाएगा जो कार्य सूची में सूचीबद्ध है। अन्य किसी की भी सूचना पर विचार नहीं हो पाएगा।

माननीय सदस्यगण! मुझे माननीय उपज्यपाल महोदय से दिनांक 11 जनवरी, 2017 का संदेश प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत उन्होंने यह सूचित किया है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय ने दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

विधेयक, 2015 (वर्ष 2015 का विधेयक सं. 05) को विधानसभा में पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है।

### तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आज भी कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रश्न संख्या-21... अमानतुल्लाह जी। उपस्थित नहीं। प्रश्न संख्या-22 श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या-22 प्रस्तुत है।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-22 प्रस्तुत है :

क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण समिति दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को नियंत्रित करने में नाकाम रही है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि प्रदूषण मानको का उल्लंघन करने वाले को वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण फैलाने के विरुद्ध कोई चेतावनी नहीं दी गई है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में दिये गये निर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाये गये;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में स्टाफ की भारी कमी के कारण इसके काम में बाधा आ रही है; और

(च) यदि हां तो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में रिक्त पदों को भरने एवं इसे और अधिक प्रभावकारी बनाने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी।

**पर्यावरण एवं वन मंत्री (श्री इमरान हुसैन) :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 22 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) कभी-कभी बढ़ा है लेकिन ज्यादा नहीं;

(ख) जी नहीं;

(ग) जी नहीं;

(घ) जी नहीं;

(ङ) जी नहीं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के कार्य में बाधा नहीं आ रही है; और

(च) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। अतिरिक्त पदों के अनुमोदन हेतु प्रयास किया जा रहा है।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** मेरे पास आज भी अखबारों में वायु प्रदूषण को लेकर की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और जो पर्यावरणविद हैं, उनके द्वारा कही गई बातें और ये तमाम परिस्थितियां जो दिल्ली में बार-बार उत्पन्न होती हैं, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की जो स्थिति है, वो हम सब जानते हैं, दिल्ली में वो पॉल्यूशन रोकने के लिए पूरी तरह नाकाम सिद्ध हुई है।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न पूछो ना विजेन्द्र जी। सप्लीमेंटरी पूछिये प्लीज।



**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ये बताये कि जो हैड ऑफ एकाउंट है प्लान एक्सपीडिचर एनुअल प्लान, उसमें साईस टेक्नोलोजी एंड एन्वायरमेंट पर अभी कुल कितना खर्च किया है, तारीख के आधार पर बतायें। क्योंकि 7900 लाख रूपया लगभग, 79 करोड़ उसमें रखा गया था।

**अध्यक्ष महोदय :** विजेन्द्र जी एक सैकेंड। ये आपने जो प्रश्न पूछा है, इसमें से किसी से ये सप्लीमेंटरी बनता नहीं है।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** बनता है ना जी।

**अध्यक्ष महोदय :** कौन से हिस्से में।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** जो प्रश्न है कि इनसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, प्रदूषण नियंत्रण में नाकाम रही है तो आपने कहा जी नहीं, तो उसमें जो प्रदूषण नियंत्रण का बजट रखा गया है, उसमें से कितना खर्च हुआ है। इसमें मेरा और इनका क्या विरोधाभास है, सामने आ जायेगा।

**पर्यावरण एवं वन मंत्री :** मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूँ कि वो जो हिसाब मांग रहे हैं, वो फंड का हिसाब मांग रहे हैं, प्रदूषण का हिसाब नहीं मांग रहे हैं कि प्रदूषण के लिए डीपीसीसी ने क्या कदम उठाए या दिल्ली सरकार ने क्या किया। दिल्ली सरकार ने बर्निंग ऑफ लीव, बर्निंग ऑफ गॉरबेज पे हम लोग हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, उसकी कापी आपको दे देंगे और मैं आपको एक बात और बता दूँ जनरेटर्स के ऊपर 31 जनवरी ... (व्यवधान)

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** सरकार ने उसके ऊपर क्या खर्चा किया है। प्रदूषण के सुधार के लिए कितना खर्च हुआ है, इस बार बजट जो रखा गया था, उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर आ जा एगा।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री जी।

**पर्यावरण एवं वन मंत्री :** इसकी हम विभाग से जानकारी लेकर इसका उत्तर हम आपको दे देंगे लेकिन मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने जितनी मीटिंग्स की हैं, उसके अंदर जितने इस बार नोटिफिकेशन्स किए हैं डीजल, कैरोसिन से चलने वाले इलैक्ट्रीसिटी जनरेटर को 31 जनवरी, 2017 तक के लिये बंद कर दिया है, निर्माण एवं तोड़-फोड़ संबंधी गतिविधियों पर 14/11/2016 तक रोक लगाई थी। सभी पटाखों पर धार्मिक अवसरों को छोड़कर, उन पर बैन लगा दिया गया। बदरपुर थर्मल पावर प्लांट की सभी ईकाइयों को 31/01/2000 तक से बंद कर दिया गया है। फ्लाई ऐश के किसी भी तरह के उपयोग/उठाने पर रोक लगा दी गई है और इसके अलावा बर्निंग ऑफ लीव, बर्निंग ऑफ गॉर्बेज और जितने ट्रक दिल्ली में बाहर से आते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। खुद मैं रात को गया, मैंने इन्सपैक्शन किया। डिप्टी सीएम साहब ने जो के खुद रात को निरीक्षण किया और मैं एन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को भी यहां बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जितना काम इस सरकार ने एन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में किया है, पहले आप लोगों की भी कभी सरकार रही होगी दिल्ली के अंदर तो आप ये जानकारी जरूर दीजियेगा कि उस वक्त उन्होंने कितना काम किया था, शुक्रिया धन्यवाद।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** अध्यक्ष जी, मेरा जो पूरक सवाल है, उसका रिप्लाई नहीं आया। एक ओर मैं इनसे दूसरे तरीके से सवाल पूछता हूँ। आपने जो

पाल्यूशन रूल्स का वॉयलेशन कर रहे हैं पूरे वर्ष में, वर्ष 2015-16 और 2016-17 में अब तक कितने पाल्यूशन वॉयलेशन के अंतर्गत कार्रवाई की है, कितने लोगों को पनिश किया है, उनका नम्बर बता दीजिये?

**पर्यावरण एवं वन मंत्री :** नम्बर की कॉपी आपको...

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** कितना बजट खर्च किया है और वॉयलेशन पर कितना एक्शन हुआ है, पूरी जानकारी सदन को दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। डीपीसीसी के पास इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, फंड ही नहीं है वो डीपीसीसी सिर्फ एक दफ्तर में बैठे कुछ लोग हैं, वहां से दिल्ली का पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे कर रहे हो आप, हमारी समझ से के बाहर है। वायु प्रदूषण/जल प्रदूषण पर कितने चालान किये हैं, पनिश किया है या जेल भेजा है, वो बता दीजिये।

**अध्यक्ष महोदय :** वो बता तो रहे हैं कितने चालान किये हैं।

**पर्यावरण एवं वन मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को ये बताना चाहता हूं और इनसे ये कहना चाहता हूं कि ये यहां पर जो राजनीति होती है...

**अध्यक्ष महोदय :** आप सीधा उत्तर, कितने चालान किये हैं।

**पर्यावरण एवं वन मंत्री :** चालान की कॉपी इनको दे दी जायेगी, कितने चालान किये हैं। मैं एक बात ओर कहना चाहता हूं सदन के अंदर डीडीए में ओ जोन के अंदर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि हम लोग हर 15वें दिन मीटिंग करते हैं। उसके अंदर डीडीए से कोई नहीं आता है। डीडीए के अंदर इसकी खुलके धज्जियां उड़ाई जाती

हैं, ओ जोन के अंदर खूब कूड़ा जलता है, वहां पर खूब बर्निंग लीव्स की शिकायतें होती है और कोई आता नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** इमरान जी, जो उनका सप्लीमेंटरी है; उनके दो सप्लीमेंटरी हैं कि जितना पॉल्यूशन कंट्रोल के लिये बजट रखा गया था, उसमें से कितना खर्च हुआ है, अधिकारी इस वक्त दे सकते हैं तो उनसे मांगिये और सदन को जानकारी दे दीजिये। नहीं तो थोड़ी देर बाद दे दीजिये। और दूसरा उन्होंने जानकारी मांगी कि कितने चालान हमने किये हैं, वर्ष 2016-16 और 16-17 में, अगर ये उपलब्ध है, तो उनको दें।

**पर्यावरण एवं वन मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, हमने चालान किये हैं 11585 ट्रक्स के, 6962 पॉल्यूशन कंट्रोल में वैहिकल्स के और 1220 चालान ओवर लोडिंग के।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** फ़ैक्ट्रीज के कितने चालान किये हैं, मैं उस तरह के चालान पूछ रहा हूँ आपसे। आप बता रहे हो ट्रैफिक पुलिस वाले चालान्स का जो अथोरिटी ने कर दिये।

**अध्यक्ष महोदय :** विजेन्द्र जी, मेरी बात समझ लीजिए एक बार। एक तो ये इनसे किसी से सप्लीमेंटरी नहीं निकलता, देखिये, कहीं फ़ैक्ट्री का जिक्र नहीं है। हर सप्लीमेंटरी निकालने का एक तरीका भी रहता है, आप तो नेता विपक्ष है।

**परिवहन मंत्री ( श्री सत्येंद्र जैन ) :** कंट्रोल बोर्ड सभी विभागों को आदेश दे के ही चालान कराता है। वो पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए से भी कराता है और जो फिगर दी जा रही है आदरणीय मंत्री जी द्वारा वो सब की कम्पाईल

फिगर है। उसको बोलने देना चाहिये। उन्होंने अपनी पॉवर्स को डायवर्ट किया है और पॉवर्स सबको दी है। उसी को वो बता रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या-23 गिरीश सोनी जी।

**श्री गिरीश सोनी :** धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न संख्या-23 प्रस्तुत है :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले दो वर्षों से नए राशन कार्ड जारी करने एवं पुराने कार्डों में संशोधन का काम रूका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं तो, मादीपुर विधानसभा में यह कार्य न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) मादीपुर विधानसभा में कितने कार्ड धारक राशन ले रहे हैं;

(ङ) वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में विभाग द्वारा कितने नये राशन कार्ड जारी किये गये; और

(च) मादीपुर विधानसभा में, इस अवधि में कुल कितने राशन कार्ड जारी किये गये हैं?

**अध्यक्ष महोदय :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 23 का उत्तर प्रस्तुत है:

(क) जी नहीं;

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता;

(ग) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में राशन कार्ड में संशोधन एवं परिवर्तन का

कार्य सतत् जारी है। भारत सरकार ने दिल्ली के लिए 72.78 लाख लाभार्थियों अनुमन्य किये हैं अतः जब भी लाभार्थी की सूची रिक्त होती है, तो नए कार्ड बनाये जाते हैं;

(घ) जनवरी माह तक 23948 कार्ड धारक राशन ले रहे हैं;

(ङ) विभाग द्वारा जारी राशन कार्डों की संख्या निम्न है;

वर्ष 2015-16	295718
--------------	--------

वर्ष 2016-17	1608
--------------	------

(च) मादीपुर विधानसभा में जारी राशन कार्डों की संख्या निम्न है :

वर्ष 2015-16	3684
--------------	------

वर्ष 2016-17	0
--------------	---

**अध्यक्ष महोदय :** गिरीश सोनी जी। सप्लीमेंटरी पूछिये।

**श्री गिरीश सोनी :** अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने संख्या दी है; 23948 जो राशन कार्ड धारी है, मादीपुर विधान सभा क्षेत्र में। पहले मंत्री साहब से इस विषय में बात हुई थी, वहां 38 दुकानें हैं, तो राशन की दुकान पर 400 से लेकर 700 के बीच में कार्डधारी हैं और जब मैंने उनसे मीटिंग की तो वो भी अपना रोना रोते हैं कि हमें इतने कम कार्ड मिले हैं, इससे हमारा कमीशन इतना कम बनता है। तो मैंने एक रिक्वेस्ट की थी मंत्री महोदय से कि इसको कम से कम 1200 कार्ड प्रति दुकान के हिसाब से किया जाए जिससे कि उनका कमीशन भी ठीक प्रकार

से बन सके और वो सुचारू रूप से अपनी दुकान चला सकें। तो मंत्री महोदय जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ ये कार्य कब तक हो जाएगा?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि विभाग के अंदर प्वाइंट ऑफ सेल लगाने का काम चल रहा है। जैसे ही वो सब दुकानों पर लग जाएगा उसके बाद में एक तो जो दुकानदार हैं, उनका मार्जिन मनी भी बढ़ाया जाएगा और उसके बाद जो भी संशोधन होगा, वो जल्द से जल्द कर दिया जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय :** एनी सप्लीमेंटरी?... नहीं। प्रश्न संख्या 24 पुष्कर जी। आप प्रश्न पूछें। हां गौतम जी, पूछिये-पूछिये।

**श्री राजेंद्र पाल गौतम :** अध्यक्ष महोदय, जहां तक उनका कमिशन बढ़ाने वाली बात है, ये पिछले तकरीबन डेढ़ साल से बात चल रही है। चूंकि पहले राशन वाले बहुत गुंडा गर्दी करते थे, राशन बेच खाते थे। अब उनका एक ही तर्क रहता है कि हमें 8-10 हजार रूपये मिलता है पूरे महने में। उसमें दुकान का किराया, एक वो रखते हैं एम्पलाई, उसका खर्चा निकल पा रहा है। तो इस लिए हालात खराब हैं। तो डेढ़ साल से करीब पेंडिंग है। कृपया मंत्री जी कोई टाईम तो निश्चित बताएं कि आखिर कितना टाईम उनका कमिशन बढ़ाने में और लगेगा?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी बताया कि जैसे ही प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस मशीन हमारी सब दुकानों पर लग जाएगी, उसी के साथ-साथ ही मार्जिन मनी बढ़ा दिया जाएगा दुकानदारों का।

**अध्यक्ष महोदय :** उस पर कितना समय लग जाएगा?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, दो बार हम इसका टेंडर कर चुके हैं। उसके अंदर वो कौंसिल हो चुका है। दोबारा हम टेंडर करने जा रहे हैं, जल्द से जल्द हो जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय :** धन्यवाद। पुष्कर जी आप अपना प्रश्न रखें।

मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि कल आपने मीडिया को इंटरव्यू दिया और ये कहा कि मेरा क्वेश्चन आने से पहले स्टार्ड क्वेश्चन रोक दिये गए, ये उचित नहीं है। आठवाँ क्वेश्चन भी रूका। एक घंटे का समय स्टार्ड क्वेश्चन का होता है। मेरा प्रयास रहता है 12 आ जाएं, 1 3 आ जाएं, 20 तक लेने होते हैं। ये इम्पार्शियली या पार्शियली मेरे पास नहीं होगा। आगे थोड़ा इसका ध्यान रखें, धन्यवाद।

आप रखिए अपना प्रश्न।

**श्री पंकज पुष्कर:** आपने पूछा है तो मैं बता दूँ।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, आप आकर बात कर लीजिएगा। कमरे में आकर बात कर लीजिएगा।

**श्री पंकज पुष्कर :** नहीं, आपने सदन में बात कही है। मुझको सदन में अपनी बात...

**अध्यक्ष महोदय :** आपने मीडिया को कहा, मैंने सदन में ही कहा है। मैंने मीडिया को तो उत्तर नहीं दिया। आपने मीडिया को कहा।

**श्री पंकज पुष्कर :** आप सदन में कह रहे हैं, सदन में।

**अध्यक्ष महोदय :** हां, मैं सदन में बात कर रहा हूँ। आठ नंबर भी रह गया था। अब अपना प्रश्न रखिए।



**श्री पंकज पुष्कर :** मैंने ये कहा है कि प्रश्नकाल 20 मिनट का हुआ है। ये मैंने मीडिया को कहा है जो कि तथ्यात्मक रूप से सही बात है।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, बीच में बीच में कौन सा? एक घंटे का समय होता है प्रश्नकाल का।

**श्री पंकज पुष्कर :** नहीं, एक घंटे का समय होता होता है जिसको कि बढ़ाया जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय :** एक घंटे का समय होता है प्रश्न काल। तीन बजे तक प्रश्नकाल चलेगा। अगर हम उसमें कितना समय खराब कर लें, वो अलग विषय है। मैंने सोमनाथ जी को रोका न जी। मैं बहुत सख्त हूँ इस मामले में कि दो बजे प्रश्नकाल सही शुरू हो। चलिए अब आप प्रश्न रखिए, समय न खराब करें। प्लीज। आप प्रश्न रखिए।

**श्री पंकज पुष्कर :** मुझ से कोई पार्शियलटी या इम्पार्शियलटी का सवाल नहीं है। इस बात को गंभीरता से लेने का सवाल है, उसको मैंने रेखांकित किया है।

**अध्यक्ष महोदय :** आप प्रश्न रखिए जरा।

**श्री पंकज पुष्कर :** माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रश्न संख्या 24 का उत्तर देने की कृपा करें :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा स्टेट फूड कमीशन गठित न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार

एफपीएस राशन ले जाने हेतु केवल उन्हीं वाहनों को लगाया जाना था जिनमें जीपीएस लगा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रावधानों को सख्ती से लागू न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि इस प्रावधान को लागू न किये जाने के कारण कालाबाजारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है;

(ङ) इस प्रावधान को ना मानने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि कैबिनेट के दिनांक 1.10.2013 के निर्णय के अनुसार संपूर्ण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एवं उचित दर दुकानों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना था;

(छ) यदि हां, तो इस निर्णय को लागू न किये जाने के क्या कारण हैं, इस चूक के लिए कौन जिम्मेदार हैं एवं उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ज) क्या यह भी सत्य है कि खाद्य अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार उचित दर दुकानों के निर्गम रस्टर सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले किये जाने थे; और

(झ) यदि हां, तो प्रावधान को लागू न किये जाने के क्या कारण हैं इस चूक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी।

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 24 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) दिल्ली में जन शिकायत आयोग (पीजीसी) को स्टेट फूड कमीशन अधिसूचित किया गया है;

(ख) इस तरह का विशिष्ट निर्देश इस अधिनियम में उपलब्ध नहीं है;

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता;

(घ) सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से कालाबाजारी पर नकारात्मक असर पड़ा है;

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता;

(च) सार्वजनिक विवरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित निम्न गतिविधियों को विभाग द्वारा कम्पोनेंट-1 में पहले ही कम्प्यूट्रीकृत कर दिया गया है—

1. लाभार्थी संबंधी आंकड़े
2. खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
3. पारदर्शिता पटल (Transparency Portal)
4. एस.एम.एस मोड्यूल
5. शिकायतों के निवारण के लिए 1967 टेलीफोन हेल्प लाईन

42 उचित दर दुकानों पर प्रयोगिक रूप से POS मशीनें लगायी गयी हैं शेष उचित दर की दुकानों का ASutomation किया जाना बाकी है। इस विषय में विभाग द्वारा तीन बार ई-टेंडर किया जा चुका है। पर्याप्त निविदाएं न मिलने

के कारण ये कार्य अभी पूरा नहीं हो पा सका है। संशोधित टेंडर फिरसे जारी करने की प्रक्रिया चल रही है तथा पूरा होते ही इसे लगा दिया जाएगा।

(छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ज) जी हां, यह प्रावधान लागू है।

**अध्यक्ष महोदय :** सप्लीमेंटरी।

**श्री पंकज पुष्कर :** महोदय, मेरा निवेदन यह है कि फूड एंड सप्लाई के मामले पर एक विशेष सत्र का यहां आयोजन किया था जिसमें कि एक मामले पर इन्वारी कमिशन एस्टेब्लिस किया गया था। मेरा अनुरोध यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने इसी सदन में मई 2016 का डेड लाईन घोषित किया था कि जब ये प्वाइंट ऑफ सेल मतलब पूरी तरह से कम्प्यूटराईज्ड करने का काम हो जाएगा, मई के बाद ये अगले वर्ष का जनवरी चल रहा है कि इतनी देरी की कि स्पष्टीकरण आना चाहिए कि क्यों हो रहा है। मेरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन यह है कि 2013 का केबिनेट का डिसेजन है जिसको incumbent government आज की सरकार जो है जिसके प्रति प्रतिबद्ध है वो आज...

**अध्यक्ष महोदय :** पुष्कर जी, सप्लीमेंटरी क्वेश्चन डालिए ना।

**श्री पंकज पुष्कर :** अध्यक्ष महोदय, 2013 का निर्णय जो कि वर्तमान सरकार के वर्तमान मंत्री महोदय का सदन में दिया गया वादा है, वो पूरा न होने का कारण क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है।

**अध्यक्ष महोदय :** बता दीजिए। वैसे उत्तर दे चुके हैं इसका वो, बताइए।

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, पर्याप्त निविदाएं न मिलने के कारण ये कार्य अभी पूरा नहीं हो सका। विभाग तीन बार टेंडर इसका कर

चुका है, चौथी बार करने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसे पूरा कर दिया जाएगा।

**श्री पंकज पुष्कर :** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मेरी बात ये है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर अधूरा मिला है, अस्पष्ट मिलता है तो उसका प्रावधान क्या है, वो बता दीजिएगा। जैसे कि भाग-ख का उत्तर है, मंत्री महोदय ने कहा कि इस तरह का विशिष्ट निर्देश इस अधिनियम में उपलब्ध नहीं है। इस मामले में और अन्य कई मामले में मेरा सामान्य तौर पर कहना यह है कि प्रश्नों के उत्तर पर्याप्त स्पष्टता और पर्याप्त विस्तार में नहीं मिल रहे हैं तो उसकी विधायी प्रक्रिया क्या है, वो आप बता दीजिएगा कि किस तरह से वो प्रश्नों के उत्तर पूरे हों।

**अध्यक्ष महोदय :** जिसका आपको नहीं मिला है, मुझे लिखकर दे दीजिएगा, मैं देखता हूँ उसको।

प्रश्न संख्या 25। तोमर जी।

**श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 25 प्रस्तुत है :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधानसभा में सितंबर 2015 के पश्चात अनेक राशन कार्ड बिना जांच किये रद्द कर दिए गए हैं

(ख) यदि हां, तो बिना जांच किये रद्द किये गये कार्डों क सूची एवं इन कार्डों को बिना जांच किये रद्द किये जाने के क्या का कारण हैं;

(ग) यदि उक्त कार्ड जांच के पश्चात् रद्द किये गये हैं तो निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई जाए;

(घ) त्रिनगर विधानसभा में विभिन्न योजनाओं जैसे अंत्योदय, बीपीएल (पीआर-एस) और पीआर राशनकार्ड के अंतर्गत जारी किये गये कार्डों का विवरण क्या है;

(ङ) रद्द किये जाने के पश्चात् कितने राशनकार्ड पुनः जारी किये गये हैं; और

(च) बचे हुए कार्ड कब तक पुनः जारी कर दिये जाएंगे?

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी।

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 25 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ग) निरीक्षण रिपोर्ट विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। यदि माननीय सदस्य 642 रद्द किये गये कार्डों में से किसी एक, एकाधिक या सभी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वह सीडी में सदन के पटल पर उपलब्ध हैं।

(घ) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में जारी किये गये कार्डों का विवरण निम्न है :

ए.ए.वाई	पीआर-एस	पीआर
1095	2871	17761

(ड) शून्य; और

(च) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत निरस्त किये कार्डों के लिए अपील का प्रावधान है। जिस पर निर्णय के पश्चात कार्रवाई की जाती है। यह अपील संबंधित एडीएमके यहां की जा सकती है। यदि वादी एडी/ADM के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह राज्य खाद्य आयोग में द्वितीय अपील कर सकता है।

**अध्यक्ष महोदय :** सप्लीमेंटरी?

**श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** मंत्री महोदय, बाकी मेरे साथी बहुत शिकायत कर रहे थे कि बहुत सारे जवाब गलत आते हैं और मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल हैं उसमें दो सवाल के जवाब बहुत बढ़िया दिये हैं आपने, वो तो सच है। एक तो वो सच है कि रद्द किये जाने के पश्चात कितने राशन कार्ड पुनः जारी किये, ये मैंने नहीं पूछा था कितने दोबारा चालू किये गए, नए जारी करने की बात नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल ठीक किया आपने कि शून्य नहीं किया। लेकिन उसमें ये बताऊंगा मैं आपको कि एक सवाल का आपने विवरण सही दिया कि कितने पीआर-एस, कितने एपीएल है, कितने...

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं तोमर जी, एक बात जो सप्लीमेंटरी कोई निकल रहा है वो पूछो ना आप।

**श्री जितेंद्र सिंह :** मेरा सवाल था कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में सितंबर 2015 के पश्चात कितने राशन कार्ड जांच के बिना रद्द किये गए, आपने कहा कि जी, नहीं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सम्मानित मंत्री

जी है, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे यहां 1100 राशन कार्ड कॅंसल किये गये जो आपने लिखा कि जी नहीं। तीसरे सवाल में आप मान रहे हैं कि 642 कॅंसल किये गए...सुन लीजिए। दूसरे सवाल में आप कहते हैं मुझे कि तीसरे सवाल में जांच के पश्चात जो रद्द किये निरीक्षण की रिपोर्ट है एक सीडी आपने सदन में दे, दी एक आप हमको भी दे देते मैं भी आगे देख लेता। सर मुझे नहीं दी मेरे पास आई नहीं है। दूसरा ये जो आपने कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट हो ही नहीं सकती क्योंकि राशन बैठ कर काटे गए थे। मेरे प्रार्थना है आपसे आप सुन लीजिए जो डिपार्टमेंट है ये बहुत ठीठ डिपार्टमेंट है मैं आपको कहना चाहता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय :** तोमर जी, मेरा सिम्पली यह कहना है कि सप्लीमेंटरी एक बार पूछिए।

**श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** सर सप्लीमेंट्री ही पूछ रहा हूँ। इन्होंने मुझे जो जवाब दिया है कि निरीक्षण की जो रिपोर्ट है, वो सीडी में सदन को दे दी गई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि झुगियों के कार्ड का क्या निरीक्षण किया, झुगियों में किस के पास तीन किलो वाट का सैक्शड लोड है, किस के पास कार है, किस के पास ऐसी चीज है जिससे आप उस राशन कार्ड को काट रहे हैं, क्या वे काट दिए गए? मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे, वो भी बदल दिए गए। मैंने क्वेश्चन पूरा था कि कौन जिम्मेदार है, इसके लिए अधिकारी जिसने ये बैठ के कर दिया, कोई इंस्पेक्टर है, एफएसओ है, जिसने वहीं बैठ के...जो रईस लोग थे, उनके राशन कार्ड चल रहे हैं। जो झुगगी के लोग हैं, मैं झेलता हूँ...उनको बहुत लोग झेलते होंगे। जब बार बार कोई आदमी आता है, राशन कार्ड लेके हर दो महीने बाद तो हम कहते हैं उसको कि



दो महीने बाद चालू कर देंगे, दो महीने में हो जाएगा इस बात को डेढ़ साल हो गया। अब मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो पाता। बहुत गरीब लोग आते हैं, रोते हुए आते हैं जिनके 200 रूपये में राशन चलता है पूरे महीने का, वो दो हजार रूपये का राशन लेता है। सर, एक ज्वलंत सवाल है। ये सब के लिए है।

**अध्यक्ष महोदय :** तोमर जी, ये तो पूरा समय इसी में निकल जाएगा। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ सप्लीमेंट्री पूछो ना इसमें।

**श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** सर, एक ज्वलंत सवाल है। ये सब के लिए है। अब सप्लीमेंट्री...सर ये ही सप्लीमेंट्री है। मुझे आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मंत्री महोदय जी से इतना पूछना चाहता हूँ कि एक बार कमिश्नर को और एफएसओ को बुला लीजिए। सर, मुझे कहा गया कि एक भी राशन कार्ड चालू नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि 129 चालू हुए हैं। मेरे पास लिस्ट है उसकी जो राशन कार्ड रद्द हुए। उसमें 129 राशन कार्ड चालू हुए। उसकी लिस्ट मेरे पास है। मैंने बुलाया, इसी को बुलाया, एफ एसओ को बुलाया और उनसे रिपोर्ट ली। उन्होंने मुझे, जो मैंने अपने यहां से 521 राशन कार्ड की लिस्ट जो मेरे पास आई थी, वो भेजी थी। उसमें 129 राशन कार्ड चालू हो गये। मंत्री महोदय आपका डिपार्टमेंट लिखता है कि शून्य कोई चालू नहीं हुआ। प्रार्थना है आपसे इनसे बात कर थोड़ा टाईम करें, धन्यवाद बहुत-बहुत।

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** जिसने गलत जानकारी अगर दी है उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे सख्त से सख्त और अगर किसी का गलत राशन कार्ड कटा है और उसने अपील नहीं की तो वो अपील कर सकता है। आप उसकी अपील करवाए। इस पर एक्शन होगा।

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी, तोमर जी ने कहा है क मेरे यहां 1100 कार्ड रद्द हुए हैं और आपने दिया है 642 एक तो ये जानकारी एक बार ले लीजिए।

**श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** 129 चालू हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** बस हो गया, मैंने इशारा कर दिया है। पूरी जानकारी ले के दें।

**श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** अध्यक्ष जी, एक बात और, ये तो एडीएम की बात है। क्या एक झुग्गी वाला एडीएम के पास अपील कर पाएगा? क्या फिर वो राष्ट्रीय खाद्य आयोग में जा के अपील कर पाएगा कि मेरा राशन कार्ड रद्द हो गया है?

**अध्यक्ष महोदय :** हो गया, हो गया, तोमर जी, प्लीज। प्रश्न संख्या 26 श्री नरेश यादव जी।

**श्री सौरभ भारद्वाज :** नरेश जी तो नहीं है बट ये जो सवाल है काफी इम्पोर्टेंट है।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं उसी को पूछने का अधिकार है प्लीज।

**श्री सौरभ भारद्वाज :** अध्यक्ष जी, इसका जवाब सदन के पटल पर रखा भी नहीं गया। कम से कम सदन को जानने का तो ये पूरा का पूरा राइट है कि इसक जवाब क्या है और यह एसडीएमसी के सारे विधायकों से संबंधित सवाल है। इसका जवाब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न सं. 26 का जवाब आया है क्या? इमरान जी, 26 का जवाब नहीं आया। प्रश्न संख्या 26 का देखिए उत्तर नहीं आया है

शायद, मेरे पास भी नहीं है। 27 का भी जवाब नहीं है मेरे पास।  
...(व्यवधान) भई देखिए, सब बात करेंगे तो ठीक नहीं है ये प्लीज।

**श्री सोमनाथ भारती :** किसी का जवाब नहीं आया। जितने भी सवाल अर्बन डवलपमेंट से पूछे गए थे, किसी का जवाब नहीं आया है चूंकि हमने जितने भी सवाल...

**अध्यक्ष महोदय :** सोमनाथ जी, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि सब का जवाब नहीं आया। अभी उत्तर दे रहे हैं ना मंत्री महोदय। मंत्री महोदय ने उत्तर दिए हैं न जी।

**श्री सोमनाथ भारती :** अर्बन डवलपमेंट के एसडीएमसी से रिलेटिड जो भी सवाल पूछे गए थे, कुछ नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठिए दो मिनट। प्रश्न संख्या 26 प्लीज।

**श्री नरेश यादव :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 26 प्रस्तुत है :

**क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सत्य है कि शहरी विकास विभाग के दिनांक 30.07.201 के आदेश के द्वारा आयुक्त दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराई जाए;

(ग) क्या आयुक्त दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अपनी बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों का प्रयोग न करने हेतु अपने स्व-विवेक से निर्णय कर सकते हैं;

(घ) क्या आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपनी बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों का प्रयोग न करने के अपने निर्णय एवं इसके कारणों के विषय में कभी सरकार को सूचित किया है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि आयुक्त दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के इस निर्णय के कारण विधायक फंड से होने वाले कार्यों में अनावश्यक देरी हुई है;

(च) आयुक्त दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा अपनी बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों का प्रयोग न करके जानबूझकर सरकार के निर्देशों को चुनौती देने एवं अपनी जिम्मेदारी से बचने के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जानी प्रस्तावित है;

(छ) विधायक फंड की संस्तुति के 60 दिनों के भीतर कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा क्या कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है; और

(ज) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है?

**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर आया है क्या?

**शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येंद्र जैन) :** हां जी, मेरे पसा आया हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय :** आ गया है ठीक है। उत्तर आ गया है।

**शहरी विकास मंत्री :** अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 26 का जवाब प्रस्तुत है :

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी।

**शहरी विकास मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 26 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) से (घ) दक्षिणी नगर निगम।

यह सत्य है कि शहरी विकास विभाग के दिनांक 30.07.2014 के आदेश के द्वारा आयुक्त दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की वित्तीय शक्तियां बढ़ा दी गयी है, उक्त आदेश की प्रति संलग्न है;

नगर निगम के सदन के द्वारा प्रस्ताव सं. 162 दिनांक 17.09.2013 से आयुक्त एवं वार्ड कमेटी की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया था। इसमें आयुक्त की वित्तीय शक्तियों को 3 करोड़ रूपये तक एवं वार्ड कमेटी की 4 करोड़ तक करने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया था। दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत धारा 52(1) (15 शैड्यूल) में वार्ड कमेटी की वित्तीय शक्ति को नहीं बढ़ाया गया। यदि यह आदेश लागू किया जाता है तो बोर्ड कमेटियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और यह निगम द्वारा लिये गये निर्णय से भिन्न होगा;

यह बिंदु निगम के वित्त विभाग एवं विधि विभाग द्वारा विवेचित किया गया। दोनों विभागों का विचार था कि वार्ड कमेटी की वित्तीय शक्तियों को भी बढ़ाया जाए। यह मामला इस कारण से विचाराधीन है;

15.07.2016 को उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली सरकार के

30.07.2014 के आदेश अनुपालन में एमपीएलएडी और एमएलएएएलएडी के लिए आयुक्त के वित्तीय शक्तियों को 5 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है;

(ड) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सभी विभागाध्यक्षों ने यह सूचित किया गया है कि इस आदेश के न लागू होने के कारण कोई भी कार्य विलंबित नहीं हुआ है;

(च) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :

आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सरकार के निर्देशों को चुनौती नहीं दी है और न ही अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयत्न किया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में भी एम. पी. एल. ए. डी और एम. एल. ए. एल. डी. के लिए आयुक्त की वित्तीय शक्तियों को पांच करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। अन्य कार्यों के लिए जैसा कि स्पष्ट किया गया है, चूकी सरकार के आदेश एवं निगम के प्रस्ताव में विरोधाभास था, जिससे वार्ड कमेटियों का अस्तित्व खत्म होता था; अतः लागू नहीं किया जा सकता। इन्होंने बताया है डिपार्टमेंट ने कमिश्नर की पॉवर 5 करोड़ कर दी गई है परंतु वार्ड की वजह से इनको करा नहीं जा सकता है, उनका कहना है; और

(छ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम—

अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार इस विषय में संबंधित अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर चुका है। थैंक्यू;

**NOTE FOR PAD**

**WITH REGARD TO VIDHAN SABHA STARRED/UNSTARRED  
QUESTION NO.26 DATED 18.01.2017**

Section 202 of Delhi Municipal Corporation Act, 1957 provides the procedure for making contracts; and sub-clause (c) of this Section provides the quantum of financial powers of the Commissioner. This section is reproduced below:-

***"202 Procedure for making contracts***

With respect to the making of contracts, the following provisions shall have effect, namely-

- (a) every such contract shall be made on behalf of the corporation by the Commissioner;
- (b) no such contract, for any purpose which in accordance with any provision of this Act the Commissioner may not carry out without the approval or sanction of the corporation or some other municipal authority shall be made by him until and unless such approval or sanction has been duly obtained;
- (c) no contract which will involve an expenditure exceeding ten lakh rupees or such higher amount as the (Government) may from time to time fix, shall be made by the Commissioner unless the same is previously approved by the Standing Committee;
- (d) every contract made by the Commissioner involving an expenditure exceeding one lakh rupees but not exceeding ten lakh rupees or such higher amount as may be fixed under clause (c) shall be reported

by him, within one month after the same has been made to the Standing Committee."

A copy of Section 202 of DMC Act is at **Flag 'A'**

2. Corporation vide Resolution no. 102 dated 15.05.2000 resolved that financial powers of the Commissioner under Section 202(c) may be enhanced from Rs.10 lakh to Rs.25 lakh. A copy of this Resolution is at **flag 'B'**.

3. Accordingly, the Government of India, Ministry of Home Affairs, vide letter dated 10.03.2003 enhanced the powers of the Commissioner under Section 202(c) from Rs.10 lakh to Rs.25 lakh, a copy of which is at **flag 'C'**

4. Section 52(1) of the DMC Act enumerates the powers and functions of the Ward Committee as under:-

***"52. Powers and functions of the Ward Committee***

1. Subject to the provision of the Act, every Ward Committee shall exercise the powers and perform the functions as specified in the Fifteenth Schedule on behalf of (a Corporation) in relation to that Zone.
2. (The Government may) by notification in the official Gazette amend the Fifteenth Schedule.
3. xxxxxxxx."

***"Fifteenth Schedule***

*Sanction estimates and plan for municipal works to be carried*



*out within the Zone upto Rupees one Crore, other than works taken up and executed for Delhi as a whole or those covering more than one zone, provided that specific provision exists therefore in the budget sanctioned by (a Corporation)."*

A copy of this Section is at flag 'A'

5. Thus, the following powers for administrative approval/expenditure sanction and making/entering into contract were provided in the DMC Act, taking into consideration the above orders:-

Sl. No.	Description	Existing power	Section of the DMC Act, 1957
---------	-------------	----------------	------------------------------

**Administrative Approval/Expenditure Sanction**

1.	Commissioner	Upto Rs. 25 lacs	
2.	Ward Committee	Upto Rs. 100 lacs	Section 52(1)-Fifteenth Schedule
3.	Corporation	Beyond Rs. 100 lacs	Section 52(1) - Fifteenth schedule

**Making/entering into contract**

4.	Commissioner	Upto Rs. 25 lacs*	Section 202(c)
5.	Wards Committee	Beyond RS. 25 lacs	Section 202 (c)

\*Ministry of Home Affairs, Govt.of India, on 10.03.2003 enhanced the powers of the Commissioner under Section 202(c) from Rs.10 lakh to Rs.25 lakh.

6. South Delhi Municipal Corporation vide its resolution No. 162 dated 17.09.2013 has passed a proposal for enhancement of Financial Powers of Ward Committee and Commissioner, SDMC. It had been proposed to enhance the power of Ward Committee and Commissioner for administrative approval/expenditure sanction and to enter into a contract through an amendment to the relevant section of MCD Act, as under:-

Sl. No.	Description	Existing power	Proposed power	Section of the DMC Act, 1957
<b>Administrative Approval/Expenditure Sanction</b>				
1.	Commissioner	Upto Rs. 25 lacs	Upto Rs. 300 lacs	
2.	Ward Committee	Upto Rs. 100 lacs	Utp Rs. 400 lacs	Section 52(1) – Fifteenth Schedule
3.	Corporation	Beyond Rs. 100 lacs	Beyond Rs. 400 lacs	Section 52(1) – Fifteenth Schedule
<b>Making/entering into contract</b>				
4.	Commissioner	Upto Rs. 25 lacs	upto Rs.300 Lacs	Section 202(c)
5.	Wards Committee	Beyond Rs. 25 lacs	Beyond Rs. 300 Lacs	Section 202 (c)

A copy of Resolution No. 162 is at **flag 'D'**

As the power to make above modification as per the DMC Act lies with Government of NCT of Delhi, the matter had been referred to GNCTD for its approval.

7. The Office of Director Local Bodies vide letter No.13(19)/UD/MB/ 2013/3277-83 dated 30.7.2014 issued orders as under:

*"In exercise of the powers conferred w/s 202 (c) of the DMC Act, 1957, the Lt.Governor Delhi hereby enhances the financial power of the Commissioner North, South & East Municipal Corporation of Delhi, from 25 Lakhs to Rs. 05(five) crore in the matter of entering into a contract subject to the condition that the Commissioners shall in the exercise of this enhanced power, ensure that relevant codal formalities are strictly adhered to and a appropriate mechanism of seeking advice of the Finance Unit of the Corporation is put in place."*

8. Though the resolution for enhancement of financial power of the Commissioner as well as Ward Committee has been passed by the Corporation vide its Resolution No. 162 dated 17.09.2013, no references has been made in regard to enhancement of Financial powers of Ward Committee in the letter of Dy. Director Local Bodies bearing No. 13(19)/UB/MB/2013/3277-83 dated 30.07.2014, a copy of which is at **flag 'E'**.

9. In view of the above anomaly, a situation has arisen that the powers of the Commissioner to give administrative approval and expenditure sanction without corresponding increment in the financial powers of the Ward Committee which Rs. 1 crore, the Ward Committee becomes irrelevant for this purpose.

10. This issue was raised by the Finance Department and Law Department of SDMC, subsequent to the issue of the letter No. 13(119)UD/MB/2013/3277-83 dated 30.07.2014. A copy of the observations of Finance & Law Departments of SDMC is at **flag 'F'**. The matter has been under active consideration and deliberation since then.

11. The North Delhi Municipal Corporation vide order dated 15.07.2016 increased the powers of the Commissioner under Section 202(c) of DMC Act for entering into the contracts for execution of works proposed under MPLAD and MLALAD Head of Accounts upto a limit of Rs.5 crore, in compliance of the order dated 30.07.2014. On knowing this development, SDMC has also increased the powers of the Commissioner under Section 202(c) of DMC Act for entering into the contracts for execution of works proposed under MPLAD and MLALAD Head of Accounts upto a limit of Rs.5 crore, vide order dated 12.01.2017, a copy of which is at **flag 'G'**.

202. Procedure for making contracts.—With respect to the making of contracts, the following provisions shall have effect, namely:—

- (a) every such contract shall be made on behalf of the Corporation by the Commissioner;
- (b) no such contract, for any purpose which in accordance with any provision of this Act the Commissioner may not carry out without the approval or sanction of the Corporation or some other municipal authority shall be made by him until and unless such approval or sanction has been duly obtained;
- 1[(c) no contract which will involve an expenditure exceeding ten lakh rupees or such higher amount as the Central Government

may from time to time, fix, shall be made by the Commissioner unless the same is previously approved by the Standing Committee; and

- (d) every contract made by the Commissioner involving an expenditure exceeding one lakh rupees but not exceeding ten lakh rupees or such higher amount as may be fixed under clause (c) shall be reported by him, within one month after the same has been made to the Standing Committee.]

<sup>2</sup>[52. **Powers and functions of the Wards Committee.**—(1) Subject to the provisions of this Act, every Wards Committee shall exercise the powers and perform the functions as specified in the Fifteenth Schedule on behalf of the Corporation in relation to that Zone.

(2) The Central Government may, after consultation with the Government of the State in the Official Gazette amend the Fifteenth Schedule.

(3) When any question arises as to whether any matter falls within the purview of a Wards Committee or the Corporation, it shall be referred to the Government, and the decision of that Government thereon shall be final.]

Sch. 15] *The Delhi Municipal Corporation Act, 1957* 215

<sup>1</sup>[THE FIFTEENTH SCHEDULE

(See section 52)

**POWERS AND FUNCTIONS OF THE WARD COMMITTEE**

(1) Sanction estimates and plans for municipal works to be carried out within the Zone costing up to rupees one crore, other than works taken up and executed for Delhi as a whole or those covering more than

one Zone, provided that specific provision exists therefor in the budget sanctioned by the Corporation.

(2) Call for any report, return, plan, estimate, statement, account or statistics from the Commissioner, connected with matter pertaining to the municipal administration in the Zone.

(3) Scrutinize monthly statements of receipts and disbursements and of the progress reports in the collection of revenue in the Zone.

(4) Consider and make recommendations on the proposals regarding estimates of revenue and expenditure pertaining to the Zone under different heads of account of the budget before being forwarded to the Commissioner.

(5) Report on advice upon any matter which the Corporation may refer to it under the Act.

(6) Deal with such other matters as may be delegated by the Corporation to the Wards Committee.

(7) In general, exercise all such municipal powers and functions of the Corporation as are to be performed exclusively in the Zone concerned other than those relating to Delhi as a whole or involving two or more Zones.]

दिल्ली नगर निगम

दि. 15.5.2000 को हुई नगर निगम समिति की स्थागित फरवरी ( 2000 ) सभा के प्रस्ताव सं. 102 की प्रतिलिपि।

Item No. 15 :— Enhancement of Financial Powers of Commissioner in respect of Contracts,

(i) Commissioner's letter No. F. 33/Engg./104d/C & C dated 9-12-99.

Section 202 of the DMC Act reads as under:—

Procedure for making contracts:— With respect to the making of contracts, the following provisions shall have effect, namely :—

- (a) Every such contract shall be made on behalf of the Corporation by the Commissioner;
- (b) No such contract, for any purpose which in accordance with any provision of this Act, the Commissioner may not carry out without the approval or sanction of the Corporation or some other Municipal Authority shall be made by him until and unless such approval or sanction has been duly obtained;
- (c) No contract, which will involve an expenditure exceeding ten lakh rupees or such higher amount as the Central Government may from time to time fix, shall be made by the Commissioner unless the same is previously approved by the Standing Committee; and
- (d) Every contract made by the Commissioner involving an expenditure exceeding one lakh rupees but not exceeding ten lakh rupees or such higher amount as may be fixed under clause (c) shall be reported by him, within one month after the same has been made to the Standing Committee.

In accordance with the provision of above mentioned Section 202

(c) of DMC Act, the Commissioner cannot enter into a contract which will involve an expenditure exceeding Rs. 10 lakhs.

The limit was enhanced to Rs. 10 lakhs in the year 1993 when certain amendments were made in the Act by the Government of India. During the last 6 years there has been substantial increase in the cost index and as such the financial power of the Commissioner has become highly inadequate. All cases of award of works of value above Rs. 10 lakhs are required to be placed before the Standing Committee for their approval which takes a long time. In case of emergency it becomes very difficult to obtain approval of the Standing Committee, in time.

In view of above, it is proposed that the financial power of the Commissioner may be enhanced from Rs. 10 lakhs to Rs. 50 lakhs.

On approval of the Standing Committee, the case will be referred to the Government of N.C.T. of Delhi/Central Government for its approval.

The case may be placed before the Standing Committee for its approval, as above.

**(ii) Resolution No. 374 of the Standing Committee dated 24-1-2000.**

Having considered the proposal of the Commissioner as contained in his letter No. F. 33/Engg./ 1046/C&C dated 9-12-99, resolved that it be recommended to the Corporation that the financial powers of the Commissioner in respect of contracts be enhanced from Rs. 10 lakhs to Rs. 25 lakhs.

Resolution No. 102

Having considered the proposal of the Commissioner contained in this letter No. F3. 33/Eng./1046/C&C dated the 12-99 and the recommendations made by the Standing Committee vide its Resolution No. 374 dated 24-01-2000, resolve that the financial powers of the Commissioner in respect of the contracts be enhanced from Rs. 10 lakhs to Rs. 25 lakhs.



**No. U14011/177/2001-Delhi-II**  
**Government of India**  
**Ministry of Home Affairs**

North Block New Delhi.

Dated - March, 2003.

To

**Shri O P. Kelkar**  
**Principal Secretary (UD),**  
**Government of NCT of Delhi,**  
**Delhi Secretariat, I.P. Estate,**  
**New Delhi**

**Sub: Enhancement of financial powers of the Commissioner, MCD.**

Sir,

I am directed to refer to the Principal Secretary (UD) Govt. of NCTof Delhi's D. O. letter No. F. 13/38/2000-UD/87 dated 5.12.2001 on the subject mentioned above and to say that the Central Government have, in exercise of powers conferred by provisions of Section 202 (C) of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, decided to enhance the financial power of the Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, in the matter of entering into a contract from Rs. 10 lakhs to Rs. 25 lakhs subject to the condition that he shall in the exercise of this enhanced power ensure that the relevant Codal formalities are strictly adhered to and an appropriate mechanism of seeking advice of the Finance Unit of the Corporation is put in place.

2. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their I. D. Note No: 45/E.II(A)/2003 dated the 28 January, 2003.

**Yours faithfully,**

**(AMITABH KUMAR)  
DIRECTOR (DELHI)  
TELE: 23092696**

Copy to:

1. Ministry of Finance, Deptt. of Expenditure, E-II (A)/ Branch.w.r.t their I.D. No. - quoted above.
2. Fin-I, MHA

**(AMITABH KUMAR)  
DIRECTOR (DELHI)  
TELE: 23092696**

**Item No.55** Enhancement of Financial Powers of Ward Committee and Commissioner, SDMC

Shri Subhash Arya moved and Shri Anil Kumar Sharma seconded the following motion:-

**Resolution No.162** Resolved that as recommended by the Standing Committee vide its Resolution No. 233 dated 27-8-2013, the proposal of the Commissioner as contained in his letter No. F.33/Engg/SDMC/1289/C&C dated 16-8-2013 regarding Enhancement of Financial Powers of Ward Committee and Commissioner, SDMC as detailed in the aforesaid letter, be approved.

The motion was carried.

**Fifteen Schedule :**

Sanction estimates and plans for municipal works to be carried out within the Zone costing up to Rupees one crore, other than works taken up and executed for Delhi as a whole or those covering more than one Zone, provided that specific provision exists therefore in the budget sanctioned by [a Corporation].

The power to sanction estimates beyond one crore vests with the Corporation.

Further, the Section 202C of the DMC Act enumerates the power of Commissioner in respect of making of contracts which is as under:

*"no contract which will involve an expenditure exceeding ten lacs rupees or such higher amount as the [Government] may from time*

*to time fix, shall he made by the Commissioner unless the same is previously approved by the Standing Committee."*

The power of Commissioner in respect of making of contracts of ten lacs has already been enhanced to rupees twenty five lacs vide notification of Ministry of Home Affairs, Govt, of India vide No.U.14011/177/2001/Delhi-II dated 11-3-2003 (Annexure 'A'). Further, the power beyond twenty five lacs in respect of making contracts vests with Standing Committee.

During the last few years there has been substantial increase in the cost index and it is felt that the power delegated to Wards Committee and Commissioner in regard to administrative approval/ expenditure sanction and for making contracts is inadequate. This has often resulted in delay in awarding of contracts as seeking approval from the Standing Committee/Corporation is time consuming. Further, the power delegated to head of the departments in Delhi Govt., DJB, NDMC, CPWD is much higher than the present delegation of power to Wards Committee and Commissioner in South Delhi Municipal Corporation. Recently, CPWD has enhanced the power of Director General to Rupees 500 lacs and the financial powers of CEO, DJB has also been enhanced to Rupees 300 lacs.

In view of above and for smooth functioning and improving efficiency, it is proposed to enhance the power of Wards Committee and Commissioner for administrative approval/expenditure sanction and to enter into a contract through an amendment in the relevant section of MCD Act. as under:—

Sl. No.	Description	Existing power	Proposed power	Section of the DMC Act, 1957
<b>Administrative approval/expenditure sanction :</b>				
1.	Commissioner	Upto Rs. 25 lacs	Upto Rs. 300 lacs	
2.	Wards Committee	Upto Rs. 100 lacs	Upto Rs. 400 lacs	Section 52(1)–Fifteenth schedule
3.	Corporation	Beyond Rs. 100 lacs	Beyond Rs. 400 lacs	Section 52(1)–Fifteenth schedule
<b>Making/entering into contract</b>				
4.	Commissioner	Upto Rs. 25 lacs	Upto Rs. 300 lacs	Section 202(c)
5.	Standing Committee	Upto Rs. 25 lacs	Upto Rs. 300 lacs	Section 202(c)

Powers to make above modifications as per DMC Act lies with Government of NCT of Delhi.

After enhancement of the power of Commissioner the same shall be delegated to various officials as per the requirement. On approval of the Standing Committee, the esse will be referred to the Govt, of NCT of Delhi for its approval.

The case may be placed before the Corporation through Standing Committee for its approval as above and referring the same to Govt. of NCT of Delhi under Section 52(2) of the DMC Act, 1957 for notification.

*ANNEXURE 'A'*

**NO. U.14011/7177/2001 -DELHI-II  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

North Block, New Delhi

Dated : March, 2003

To

Shri O.P. Kelkar  
Principal Secretary (UD),  
Government of NCT of Delhi,  
Delhi Secretariat, I.P Estate,  
New Delhi.

**Subject:**— Enhancement of financial powers of the Commissioner,  
MCD.

Sir,

I am directed to refer to the Principal Secretary (UD) Govt. of NCT of Delhi's D.O. letter No. F.13/38/2000-UD/87 dated 5-12-2001 on the subject mentioned above and to say that the Centra Government have in exercise of powers conferred by provisions of Section 202 (C) of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, decided to enhance the financial power of the Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, in the matter of entering into a contract from Rs. 10 lacs to Rs. 25 lacs subject to the condition that he shall in the exercise of this enhanced power ensure that the relevant Codal formalities are strictly adhered to

and an appropriate mechanism of seeking advice of the Finance Unit of the Corporation is put in place.

2. This issues with the concurrence of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their I.D. Note No. 45/E.II(A)/2003 dated the 28 January, 2003.

Yours faithfully,  
Sd/-

**(AMITABH KUMAR)**

*Director (Delhi)*

Tele: 23092696

Copy to:—

1. Ministry of Finance, Dept.. of Expenditure, E-II(A)/Branch, w.r.t. their I.D. No. - quoted above
2. Fin-I, MHA.

*Sd/- 10-3-2003*

**(AMITABH KUMAR)**

*Director (Delhi)*

Tele: 23092696

**(ii) Resolution No. 233 of the Standing Committee dated 27-8-2013.**

Resolved that it be recommended to the Corporation that the proposal of the Commissioner as contained in his letter No. F. 33/Engg./SDMC/1289/C&C dated 16-8-2013 regarding Enhancement of Financial Powers of Ward Committee and Commissioner, SDMC as detailed in the aforesaid letter, be approved.

**OFFICE OF THE DIRECTOR OF LOCAL BODIES  
GOVT. OF NCT OF DELHI  
9TH LEVEL, C-WING, DELHI SACHIVALAYA  
I.P. ESTATE, NEW DELHI - 110002**

No. 13(119)/UD/MB/2013/3277-83

Dated:30/7/1

To

The Commissioner,  
North Delhi Municipal Corporation,  
Dr. SPM Civic Centre  
J.L. Nehru Marg, New Delhi-110002.

The Commissioner,  
South Delhi Municipal Corporation,  
Dr. SPM Civic Centre  
J.L. Nehru Marg, New Delhi-110002.

The Commissioner,  
East Delhi Municipal Corporation,  
419, Udyog Sadan Patparganj Ind. Area Delhi 92

**Subject: Enhancement of financial powers of the Commissioner,  
MCD.**

Sir,

In exercise of the powers conferred u/s 202 (c) of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, the Lt. Governor Delhi hereby enhances the financial power of the Commissioner of North, South & East Municipal Corporation of Delhi, from Rs. 25 lakhs to Rs. 05 (five)



Core in the matter of entering into a contract subject to the condition that the Commissioners shall in the exercise of this enhanced power, ensure that the relevant Codal formalities are strictly adhered to and a appropriate mechanism of seeking advice of the Finance Unit of the Corporation is put in place.

This issues with the concurrence of the Finance Department of Government of NCT of Delhi vide UO No 67/exp4 dated 24/07/2014.

Yours faithfully,

**(Anand Prakash Sharma)**  
**DY. DIRECTOR (LOCAL BODIES)**

### दिल्ली नगर निगम

Notes from 1/N may kindly be seen please. The following facts are submitted for perusal.

(1) Financial power has two aspects. One is to give Administrative Approval & Expenditure Sanction (AA&ES) and second is to enter into contract i.e. Rate & Agency Approval.

#### **Administrative Approval & Expenditure Sanction (AA&ES)**

- **(a) Power to Commissioner:** DMC Act, 1957 does not contain specific section/clause which gives power to Commissioner for AA&ES.
- **(b) Power to Ward Committee:** Section 52(1) provides power to Ward Committee as specified in the Fifteenth Schedule. Clause (1) of the Fifteenth Schedule gives power to Ward Committee to sanction estimates and plans for municipal works to be carried out within the Zone costing up (C) to Rupee one (1) crore.
- **(D) Beyond Rs one (1) crore:** Power of the Corporation.

#### **Enter into Contract i.e. Rate and Agency Approval (R&A)**

- **(E) Power to Commissioner:** Section 202 (c) provides power to commissioner to enter into contract up to expenditure of Rupee ten (10) lakh (subsequently enhanced by Government

of India up to Rupee 25 lakh vide No. U.14011/177/2001-Delhi-11 dated March 2003).

- **(F) Power to Standing Committee:** Beyond Rs 10 lakh (subsequently automatically enhanced to beyond Rs 25 lakh vide aforesaid notification).

(2) Power delegated to Commissioner vide above referred notification no. U.14011/177/2001-Delhi-II dated March 2003 has been construed as the financial power of Commissioner to give Administrative Approval and Expenditure Sanction (AA&ES) up to Rs 25 lakhs. This needs to be legally examined.

(3) The proposal of South DMC, duly approved by the house vide resolution no 162 (placed opposite), specifically desired enhancement of power of Commissioner, Ward Committee and Standing Committee under both heads i.e. Administrative Approval & Expenditure Sanction (AA&ES) and to enter into -contract i.e. Rate & Agency Approval.

(4) Specific attention is invited to the column under section of DMC Act; 1957 for Administrative Approval & Expenditure Sanction (AA&ES) of Commissioner which was left blank. It was because of the aforesaid fact that specific section does not exist under the Act.

(5) The Government vide its recent notification no. 13(119)/UD/MB/2013 dated 30/07/2014 enhanced the financial power of

Commissioner as mentioned above (Point no E) from the present Rs 25 lakhs to Rs. 05 Crore.

Now the following question arises.

"If we still construed, subject to clearance from legal scrutiny, that this delegation also means power of Commissioner to give Administrative Approval & Expenditure Sanction (AA&ES) then without corresponding ' increase in financial power of ward committee, which is Rs.1 Crore only at present, ward committee becomes irrelevant for this purpose. Does it mean that upto Rs 1 Crore, ward committee will give AA&ES and beyond Rs.1 Crore and up to Rs 5 Crore the Commissioner will give AA&ES? If it is so then virtually Ward Committee, which is a statutory committee under the act, will be subservient to the Commissioner".

In view of above it is suggested that the entire matter needs to be re-examine afresh.

If agreed then the legal opinion from the law department to be obtained on the point no 2 above before processing further.

Submitted Please

In the meeting of Corporation dt.17.9.13, Item No.55 was placed for consideration, which was regarding enhancement of Financial Powers of Ward Committee and Commissioner, SDMC. The proposal was

forwarded vide Commissioner's letter No.F.33/Engg./SDMC/1289/C&C dated 16.8.2013.

The Corporation vide Resolution No. 162 resolved that as recommended by the Standing Committee vide its Resolution No.233 dated 27.8.2013, the proposal of the Commissioner as contained in his letter No. F.33/Engg./SDMC/1289/C&C dated 16.8.2013 regarding Enhancement of Financial Powers of Ward Committee and Commissioner, SDMC as detailed in the aforesaid letter, be approved.

Vide notification dt.30.7.2014, the financial power of Commissioners of North, South and East Municipal Corporations have been enhanced from Rs.25 lacs to Rs.5 crores in the matter of entering into a contract subject to condition that relevant codal formalities shall be strictly followed.

The CA-cum-FA has raised certain queries regarding the power of administrative approval of Commissioner, SDMC and the legal opinion sought from Law Deptt.(HQ), SDMC is as under:-

"If we still construed, subject to clearance from legal scrutiny, that this delegation also means power of Commissioner to give Administrative Approval & Expenditure Sanction (AA&ES) then without corresponding increase in financial power of ward committee, which is Rs.1 Crore only at present, ward committee becomes irrelevant for this purpose. Does it mean that upto Rs 1 crore, ward committee will give AA&ES and beyond Rs.1 crore and

upto Rs. 5 crore the Commissioner will give AA&ES? If it is so then virtually Ward Committee, which is a statutory Committee under the act, will be subservient to the Commissioner."

The Law Deptt., SDMC is of the view that notification in question merely deals with the enhancement of the power of Commissioner and it has neither laid down any fresh conditions nor curtailed the power of Commissioner or any other authority in whatsoever manner. There is no ambiguity in the notification and the Deptt. should read it only in reference to enhancement of the power of Commissioner from Rs.25 lacs, to Rs.5 crores. There is also no change in the manner of exercising this power after the said notification.

The notification has become enforceable w.e.f. 30.07.2014 and all Departments should take necessary action in accordance with the notification n, issued with the approval of the Hon'ble L.G., Delhi.

It is, however, to say that the powers of Ward Committees under - Schedule Fifteen should have been enhanced simultaneously but the same has to be done through an amendment in DMC Act. It would be appropriate to enhance the power of Ward Committee also, that too beyond Rs.5 crores to a limit proposed by the Corporation for amendment in the Fifteenth Schedule by the Government. The proposal can thereafter be referred to the Government of NCT of Delhi for suitable amendment in the Fifteenth Schedule of DMC Act.

This is with the prior approval of CLO/SDMC.

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 53

28 पौष, 1938 (शक)

SOUTH DELHI MUNICIPAL  
CORPORATION

(Office of CA-cum-FA)

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम  
(कार्यालय मुख्य लेखापाल एवम वित्तीय  
सलाहकार)

23rd Floor, Dr. Shyama Prasad  
Mukhrjee Civic Centre, Jawahar

Lal Nehru Marg, New Delhi-110 002.

डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नागरिक सेवा केन्द्र  
23वां तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,  
नई दिल्ली-110002.

No:- CA/F&G/SDMC/2017/234

Dated : 12.01.2017

**OFFICE ORDER**

Refer GNCTD setter no. 13(119)UD\MD\2013\3277-83 dated 30.7.2014.

The sanction under section 202(C) of DMC Act. for entering into contract for execution of works proposed under MPLAD and MLA LAD Head of Accounts shall henceforth be exercised at the level of Commissioner upto the limit of Rs.5 crores (against the existing limit of Rs. 25 lakhs). All subsequent and ongoing proposals be put up for approval accordingly.

**Addl. Commissioner (FA & P)**

**All Concerned**

**श्री नरेश यादव :** सर, हमारे कुछ एस्टिमेट हैं जो 5 करोड़ से तो काफी कम हैं लेकिन उसके बावजूद भी कमिश्नर ने वो एक्जिक्यूट नहीं किए हैं और बल्कि जो हमारे ओपन जिम के जितने भी एस्टिमेट हैं, उनको उन्होंने क्लब करके सारे के सारे क्लब कर दिए हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि वो हाउस में और स्टैंडिंग कमेटी में जायेंगे तो इसके ऊपर सरकार कुछ संज्ञान लें और कोई न कोई उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।

**शहरी विकास मंत्री :** जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी के अनुसार ये इस तरह का एक्ट इल्लिगल एक्ट है और किस को भी अधिकार नहीं है कि उसका पालन न करे। कमिश्नर की पावर अगर 5 करोड़ की है तो वो बहुत सारे एमएलएज के कामों को इकट्ठा करके उसको सफल काम न करने के लिए इसका मतलब जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, राजनीति के तहत हो रहा है, ऐसी शिकायतें हैं, तो दीजिएगा, उसकी जांच जरूर कराई जाएगी और मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को कहूंगा इसके खिलाफ एक्शन के लिए, इस तरह की कार्रवाई की जाए रही है तो...

**श्री सौरभ भारद्वाज :** अध्यक्ष जी, ये जो पावर्स का विषय है, इसके लिए कमिश्नर एसडीएमसी को क्वेश्चन एंड रेफरेंस कमेटी में बुलाया गया था और उन्होंने वहां पर ऐज अ विटनेस डिपोज किया है कि उनकी पावर्स वो आज भी 25 लाख मानते हैं। इस विषय के अंदर डायरेक्टर लोकल बॉर्डिज वहां पर मौजूद थे, उनको भी कहा गया था कमेटी की तरफ से डायरेक्टर लोकल बॉर्डिज को लिखित सूचना दी की थी कि इस तरीके से आपके आदेशों की अवमानना की जा रही है। इसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या एडमिस्ट्रेटिव एक्शन या एक्शन प्लान आपके पास है, कृपया उसको बताएं।



कमेटी को भी उसका जवाब पिछले एक महीने से नहीं दिया गया और इसके अंदर भी साफ साफ ये पूछा गया था कि अगर कमिश्नर एसडीएमसी आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और इस कारण एमएलए फंडस डिले हो रहे हैं तो सरकार कमिश्नर एसडीएमसी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है तो इसका जवाब हमें नहीं मिला है कि What action has been taken or proposed to be taken against the Commissioner SDMC for shirking his responsibility and willfully defying the directions of the Government of the Government by not exercising the enhanced financial powers.

**शहरी विकास मंत्री :** अध्यक्ष महोदय 30 जुलाई 2014, लगभग ढाई साल पहले आदेश दिया गया था कि कमिश्नर की पावर्स को 3 करोड़ किया गया था और 15 जुलाई 2016 लगभग 6 महीने पहले इसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया था। अगर कमिश्नर, एमसीडी ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पावर को सिर्फ 25 लाख समझता हूँ तो या तो गलत बयानी कर रहे हैं या जानबूझ के अपनी रिस्पॉन्सबिलिटी से बचना चाह रहे हैं और ऐसा उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके लिए मैं पता करूंगा और उसके खिलाफ जो भी रिक्मंडेशन्स होंगी, सरकारी को दी जाएगी।

**अध्यक्ष महोदय :** भई, आपका हो गया न?

**श्री नरेश यादव :** सर, एक सजेशन है, अभी निकल के आया है बीच में। सर, जो हमारा एमएलए लेड फंड है, उसमें कमिश्नर की पावर आपने कहा 5 करोड़ हो गई है तो क्या ऐसा संभव है कि हमारे डायरेक्टर यूडी की तरफ से जो लोकल बॉडिज हैं कि उसमें उनको किसी भी तरह से हाउस में या स्टैंडिंग कमेटी में जो प्रपोजल न भेजने पड़ें, ऐसा हम सरकार की तरफ से एक आदेश पारित करें।

**शहरी विकास मंत्री :** देखिएगा बात तो तब आती जब भेजने की जरूरत हो 5 करोड़ की उनकी पॉवर नहीं, उन्हें भेजना ही नहीं चाहिए। अगर मेरी पॉवर है किसी चीज की, मैं अपने पास न करके मैं किसी और को भेज देता हूँ, ये रिस्पॉसिबिल्टी शिफ्ट करने की बात है। इसमें राजनीति भी हो सकती है। आफिसर्स के ऊपर दबाव भी हो सकता है, पॉलिटिकल दबाव हो सकता है कि वहां के लोग...जैसा आपको काउंसलर के बारे में पता ही होगा कि वो लोग शोर बहुत मचाते हैं, तंग करते हैं अफसरों को, तो ये भी हो सकता है कि वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हों, काम न करने दिया जा रहा हो तो वो पॉसिबिल्टीज हमेशा रहती है। परंतु फिर भी किसी ऑफिसर ने अगर हाउस की कमेटी के सामने गलत बयानी की है, बहुत सीरियस मैटर है और उसके खिलाफ इस बारे में देखा जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय :** सोमनाथ जी, अब सप्लीमेंटरी होगा। अजय जी।

**श्री सोमनाथ भारती :** सर, चीफ सेक्रेटरी यहां बैठे हुए हैं, जो लोकल बॉडीज है वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? मामला, चूंकि हम सारे विधायक सफर कर रहे हैं, हमारे स्ट्रीट लाइट नहीं लग रहे हैं, हमारे ओपन जिम नहीं लग रहे और इस पर कुछ नहीं हो रहा। सारा का सारा मामला एक ही है, इस तरह से उलझा करके जनता का काम न करना और फिर एक्शन भी नहीं ले रहे वो तो इस पर कुछ तो होना चाहिए somebody has to held up.

**अध्यक्ष महोदय :** क्वेश्चन?

**श्री सोमनाथ भारती :** My question to you Hon'ble Speaker mahoday, Director local bodies ने क्या एक्शन लिया है अभी तक?

**अध्यक्ष महोदय :** डायरेक्टर लोकल बॉडीज ने कोई एक्शन लिया अभी तक?

**शहरी विकास मंत्री :** मेरी जानकारी में अभी तक डायरेक्टर लोकल बॉडीज ने किसी भी कमिश्नर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है और जो भी रूल्स के तहत एक्शन वाजिब होगा, मैं उनको डायरेक्शन दूंगा कि जल्द से जल्द उस पर एक्शन लें।

**अध्यक्ष महोदय :** अंतिम अजय जी बस। इस क्वेश्चन पर अंतिम।

**श्री अजय दत्त :** धन्यवाद, अध्यक्ष जी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि सभी माननीय सदस्यों से रिलेटिड है। अभी डूडा से हमारे फंड की बात चल रही थी कि हमने 2016-17 का फंड खर्च कर दिया है और 2015-16 का फंड जो बचा हुआ था, वो हमारा डूडा कह रहा है कि हमारे पास नहीं है तो लोकल बॉडी जो हमारा यूडी डिपार्टमेंट है, इनसे मैं तीन बार मिला और इनसे कहा कि आप एक ऐसा लेटर उनको जारी कर दीजिए जिससे कि वो फंड दे दें। तो 3-4 बार मीटिंग हुई हमारे मंत्री महोदय को भी मैंने इसके बारे में अवगत कराया और करीबन दो-ढाई महीने से ये चीजें चल रही हैं और लोक बॉडीज पर कोई एक्शन नहीं ले रही है हो सकता है ये जानबूझ के इस काम को किया जाए तो मंत्री महोदय के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूँ कि जो 2015-16 का फंड है, उसे रिलीज कराने के लिए लोकल बॉडी को आदेश दिए जाए, धन्यवाद।

**शहरी विकास मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे सामने ये बात लाए थे और संबंधित डिपार्टमेंट ने सारे पिछले 5-6 सालों के फंड को कंपाइल

किया है, कंपाइल करने के बाद पता लगा कि ऐसा नहीं है, जैसा मेरे दिमाग में जैसा था कि बहुत सारा फंड बचा हुआ है, पुराना। उन्होंने बताया है कि पूरी 70 असेम्बली में पुराना सारा मिला कर 10-12 करोड़ रूपये फंड बचता है। उसको अलग-अलग असेम्बली के हिसाब से कर दिया गया है और जल्द ही जिसका बनता होगा, सब रिलीज कर दिया जाएगा। ज्यादा अमाउंट नहीं है। कई जगह 2 लाख या 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस तरह का अमाउंट है। ज्यादा नहीं है। करा देंगे लेकिन उसका कंपाइल, आपके यहां भी नहीं आया है। आपके यहां भी नहीं बचा, तो ज्यादातर में नहीं बचा है तो उसको जो बचा हुआ है, थोड़ा 10-12 करोड़ पहले मुझे लगता है 100-200 या 500 करोड़ का, हां, ऐसा हो सकता है कि फंड एमसीडी ने वापिस न किया हो। वो फंड हो सकता है। हां, वो एमसीडी के पास हो सकता है। बिल्कुल इतने पांच सालों में भी ना जमा कराये हो वापिस।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** डूडा तो अभी बनी है, पहले पैसा ट्रांसफर हो जाता था तो डेफिनेटली। वहां बेलेंस पड़ा होगा।

**शहरी विकास मंत्री :** सर, मैं कह रहा हूं उन्होंने चेक करके बताया है एमसीडी का भी वापसी दिखाया है। पर मुझे अभी भी लग रहा है एमसीडी ने हो सकता है गलत दिया हो।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** वहां पर हेड ऑफ एकाउंट है, आप चेक करा लीजिए।

**शहरी विकास मंत्री :** उन्होंने चेक करके बताया है, एमसीडी का पैसा...

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** मुझे ये जानकारी थी। मेरी ही असेम्बली का एक करोड़ रूपया है।

**शहरी विकास मंत्री :** मुझे ये जानकारी थी कि मेरे यहां तीन करोड़ है, जीरो निकला है।

**अध्यक्ष महोदय :** चलिए, अब ये हो गया। प्रश्न संख्या-27 अलका लाम्बा जी।

**सुश्री अलका लाम्बा :** अध्यक्ष जी, प्रश्न नं. 27 प्रस्तुत है :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट बिल्डरों को लाभ पहुंचाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक शौचालयों को ढहाने के दृष्टांत सामने आये हैं;

(ख) क्या चांदनी चौक विधानसभा में इस प्रकार के मामलों में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो फवारा चौक के निकट अर्गशा नामक क्षेत्र में 8 सीटों वाले शौचालय एवं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 के बाहर 2 सीटों वाले पेशाबघर के मामले में की गई कार्रवाई का क्या विवरण है?

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी।

**शहरी विकास मंत्री ( श्री सत्येंद्र जैन ) :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 27 का उत्तर प्रस्तुत है :

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** क्षेत्रीय कार्यालय सिटी जोन से प्राप्त सूचनानुसार सूचित किया जाता है कि यह प्रश्न स्लम विभाग (Delhi Urban Shelter Imporvement Board) से संबंधित है।

(ख) जी हां।

(ग) फव्वारा चौक के निकट अर्गशा नामक क्षेत्र का 8 सीट का शौचालय स्लम विभाग (Delhi Urban Shelter Imporvement Board) का है। मैट्रो स्टेशन गेट नं.-5 चांदनी चौक के दो सीट वाले पेशाब घर को निरीक्षण के दौरान किन्ही अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तोड़ा हुआ पाया जिसकी तुरंत सूचना शहरी क्षेत्र के नियंत्रण कक्ष को दी गयी। जो कि 782 नं. दिनांक 05.09.2016 पर दर्ज की गई। इसकी FIR थाना कोतवाली में ऑनलाइन दर्ज करा दी गयी है। जिसका नं. ND-KD-00484 दिनांक 05.09.2016 है। उक्त सभी की फोटोकॉपी साथ संलग्न की जा रही है।<sup>1</sup>

**अध्यक्ष महोदय :** चलिए, अलका जी सप्लीमेंटरी।

**सुश्री अलका लाम्बा :** अध्यक्ष जी, ये दो शौचालयों का जिक्र मैंने किया जहां आठ शीटर्स शौचालयों को खत्म करके जिसने बिल्डिंग बनाई है, उसी ने कब्जा किया। इसलिए अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर मेरी समझ से बाहर है। वो ही चांदनी चौक गेट नंबर मैट्रो स्टेशन गेट के बाहर भी दो शीटों को जिसने तोड़ा, उसने उसमें दुकान बना ली है। इसलिए अज्ञात के खिलाफ अगर कार्रवाई करते हैं तो मुझे लगता है कि ये खानापूति के अलावा कुछ भी नहीं है और फिर ये कहना कि ये शौचालय डूसिब के हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। डूसिब ने आरटीआई के तहत और लिखित में हमें जवाब दिया कि बिल्कुल भी इन शौचालयों को डूसिब से कोई भी लेना-देना नहीं है, ये दिल्ली नगर निगम के हैं उसकी सूचना आरटीआई के तहत जवाब मेरे पास भी है धन्यवाद।

---

1 पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर 16942 पर उपलब्ध।

**अध्यक्ष महोदय :** 26-27 के जवाब आए नहीं, किसी के पास नहीं आए।

**शहरी विकास मंत्री :** जवाब तो एमसीडी ने देने थे। एमसीडी वाले तो ब्रीफ करने के लिए भी नहीं आते, बाकी तो छोड़ दो। जवाब देने की बात, वो मैं इनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये ही कुछ करेंगे। वो कहते हैं, “हमें क्या फर्क पड़ता है?” आधे-आधूरे जवाब देते हैं। जवाब के अंदर लिख देते हैं कि इंफोर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये जवाब देने लयक नहीं होता कि मैं...क्योंकि इंफोर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा ही सदन बैठा है। सदन का समय वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा बताना चाहूंगा कि अगर ये जवाब गलत दिए हैं, गलत बयानी की गई है तो इन आफिसर्स के खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सरकार के द्वारा की जाएगी।

**अध्यक्ष महोदय :** अलका जी, आपको लगता है एक सेकेंड...आपको अगर लगता है।

**शहरी विकास मंत्री :** सर जी, मेरे पास भी अभी आया, 5 मिनट पहले।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** हां, ये कहिए बाद में दे देंगे आप।

**अध्यक्ष महोदय :** अलका जी, आपको लगता है कि ये गलत जवाब आए हैं?

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** जो भी है, वो दो आप।

**शहरी विकास मंत्री :** दे दिया।

**अध्यक्ष महोदय :** इसको दीजिएगा लिख के। मैं देखता हूँ, क्या कर सकता हूँ।

**सुश्री अलका लाम्बा :** अध्यक्ष जी, गलब, बस यही है कि एमसीडी जो पल्ला झाड़ रही है और ये कह रही है कि ये शौचालय डूसिब के हैं, ये जवाब गलत है, ये एमसीडी के हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, आप दीजिएगा।

**सुश्री अलका लाम्बा :** एमसीडी की जानकारी में ही ये बिल्डर, जिसको दिया गया है और ये हमारी शिकायत और एफआईआर रियल है लेकिन खानापूति है क्योंकि अज्ञात लोगों के खिलाफ कहा गया।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या-28 विजेन्द्र गर्ग जी, अनुपस्थित...प्रश्न संख्या 29 श्री महेंद्र गोयल जी।

**श्री महेंद्र गोयल :** धन्यवाद, अध्यक्ष जी। प्रश्न सं. 29 प्रस्तुत है :

(क) क्या यह सत्य है कि विधवा स्त्रियों की पुत्रियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो आवेदन प्राप्त होने के कितने समय के पश्चात् यह सहायता राशि वितरित कर दी जाती है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस सहायता राशि के वितरण में देरी होती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जानी प्रस्तावित है; और



(च) रिठाला विधानसभा क्षेत्र में इस विभाग का काम देख रहे अधिकारियों का संपर्क विवरण क्या है?

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी।

**उप मुख्यमंत्री :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 29 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी हां।

(ख) 60 नि (क्रमांक संख्या 334 अधिसूचना F6(100)/IT/2014/7319-7353 दिनांक 13 अगस्त 2014 के अधिसूचना के अनुसार)।

(ग) एवं (घ) सामान्य रूप से सहायता राशि के वितरण में देरी नहीं होती फिर भी कुछ अपरिहार्य कारणों से देरी हो सकती है जैसे कि निरीक्षण के दौरान लाभार्थी का अपने दिये गये पते पर ना मिलना और/या लाभार्थी द्वारा पूर्ण दस्तावेजों/सूचनाओं का न दिया जाना; और

(ङ) यदि देरी होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

(च) रिठाला विधानसभा में इस विभाग का काम देख रहे अधिकारियों का विवरण।

जिला कार्यालय उत्तर पश्चिम-1

महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार

महिला सिलाई केंद्र एफ ब्लॉक, मंगोलपुरी दिल्ली-11083

दूरभाष नं. : 01127911360

जिला अधिकारी-श्रीमती मधु भाटिया

अधीक्षक-श्रीमती इंद्रप्रीत पाठक; और

कल्याण अधिकारी-श्रीमती नीति।

**अध्यक्ष महोदय :** सप्लीमेंट्री?

**श्री महेंद्र गोयल :** सर, इसमें सी सहायता राशि ऐसी होती है कि क्योंकि गरीब व्यक्ति ही सहायता राशि के लिए एप्लाई करता है और मेरी विधानसभा में बहुत से केसेज ऐसे हैं कि एप्लाई करने के कई-कई सालों के बाद भी, उन लोगों को वो सहायता राशि नहीं मिल पायी है। इसके लिए बड़ा ही खेद है और जैसे ये क्वेश्चन लगा तो उच्चाधिकारियों का भी इसके लिए मेरे पास फोन आया कि साहब, मैं उस समय पंजाब में था और मैंने कहा आने के बाद मैं आपको बता दूँ। तो वो करते क्या हैं?

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, महेंद्र जी। सप्लीमेंट्री कीजिए।

**श्री महेंद्र गोयल :** इसी का कन्क्लूड कर रहा हूँ सर। इसी के अंदर वो चिट्ठी बहुत लेट भेजते हैं और जिसके ऊपर वो एक तय सीमा देते हैं कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक आप जवाब दे सकते हैं। जब वो चिट्ठी जाती है, वो दिन निकल चुके होते हैं तो इसलिए आप अधिकारियों को ऐसा निर्देश दें कि वो चाहे जाकर साईन करवा के या एक्नॉलेजमेंट पर साईन करवा के उस चिट्ठी को लेके आयें ताकि उसको पता लग, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय उपमुख्यमंत्री जी।

**उप मुख्यमंत्री ( श्री मनीष सिसौदिया ) :** अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार जो जानकारी मुझे विभाग द्वारा दी गयी है, उसके अनुसार सिर्फ एक मामले में मैंने, उसकी सूची मेरे पास में है, उसको छोड़कर बाकी सभी

जगह समय के रहते राशि उपलब्ध करायी गयी है लेकिन मैं फिर से बता दूँ कि ये जानकारी मुझे उपलब्ध करायी गयी है। अगर माननीय विधायक की नजर में कोई ऐसा केस है या ऐसे केसेज हैं, जहां किसी विधवा महिला को अपनी बेटी की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 60 दिन से ऊपर, एप्लीकेशन के साठ दिन से ऊपर हो गये हैं तो मैं निश्चित रूप से ऐसी कम्प्लेंट को खुद रिसीव करना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि किन कारणों से डिले हो रहे हैं और अगर किसी अधिकारी की जिम्मेदारी ये पायी जाती है कि उसने जानबूझकर ये देरी की और उससे लापरवाही हुई तो इसके खिलाफ हम सख्त-से-सख्त एक्शन लेंगे और इस सदन को सूचित करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री महेंद्र गोयल जी।

**श्री महेंद्र गोयल :** धन्यवाद सर।

**अध्यक्ष महोदय :** सप्लीमेंट्री एनी बॉडी? हां बोलिए विशेष जी।

**श्री विशेष रवि :** अध्यक्ष महोदय, सहायता के लिए जो समय है, वो साठ दिन का है। साठ दिन इस तरह से हैं कि तीन महीने पहले और तीन महीने बाद में।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, तीन महीने पहले, दो महीने पहले और दो महीने बाद में।

**श्री विशेष रवि :** सर, एकचुअली मुझे लगता है कि समय जो है, बहुत कम है क्योंकि जो सहायता लेने वाला व्यक्ति है, वो गरीब भी है, कम पढ़ा-लिखा भी है और फामैलिटी इतनी होती हैं कि उनको पूरा करने से पहले ही समय निकल जाता है। एक बार एप्लाई करने के बाद में अगर कमी निकल

जाती है तो वो समय कम पड़ जाता है और उसको फिर वो सहायता नहीं मिल पाती है। तो इसकी अगर अवधि बढ़ जायेगी; पहले और बाद की दोनों तो उससे लाभ होगा।

**उप मुख्यमंत्री :** अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो ये स्कीम है, ये मूलतः गरीब महिलाओं की मदद के लिए, विधवा महिलाओं की मदद के लिए, जो अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए आर्थिक रूप से...

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** भई विशेष जी, आपस में बातचीत नहीं, प्लीज।

**उप मुख्यमंत्री :** आर्थिक रूप से असमर्थ महसूस करती हैं, उनके लिए है और एज पर पॉलिसी, ये शादी के साठ दिन पहले या शादी के डेट के साठ दिन बाद, एक मिनट सुन लीजिए। शादी के डेट से साठ दिन पहले या शादी के डेट के साठ दिन बाद तक, किसी भी समय एप्लीकेशन दाखिल की जा सकती है कि मुझे अपनी बेटे की शादी करनी है या की थी। शादी के बाद भी साठ दिन के बाद तक भी कोई महिला एप्लीकेशन दे सकती है और उस एप्लीकेशन के प्रावधान ये हैं कि उस एप्लीकेशन के फाईल होने के बाद साठ दिन के अंदर सरकार उसको पेमेंट कर देगी। राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। तीस हजार रूपये की एकमुश्त राशि दी जाती है पर फिर भी गरीबी को देखते हुए आर्थिक सहायता के रूप से देखते हुए ये सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। मैं फिर से यही कहूंगा कि अगर इसके किसी प्रोविजन में कुछ अनक्लेरिटी है जिसकी वजह से सदस्यों को भी कोई कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, उसको भी मेरे संज्ञान में लायें। इसको भी दूर करा देंगे। लेकिन अगर ये संभावना है, मैं खुद कह रहा हूँ कि नीचे के स्तर पर अगर किसी

को करपशन करना होता है तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि उसकी एप्लीकेशन को लिंगर ऑन करते रहिये। उसको चार चक्कर लगवा दीजिए। तीस हजार रूपये के लिए किसी को चार चक्कर लगवा दीजिए। गरीब विधवा महिला है, तीसर हजार रूपये के लिए किसी को चार चक्कर लगवा दीजिए। गरीब विधवा महिला है, जिसके बारे में सरकार यहां बैठ के सोचती है कि उसको तीसर हजार रूपये की आगे बढ़के मदद देनी चाहिए, उसको अगर हम तीस बार दफ्तर बुला लेंगे तो फिर तो फायदा ही नहीं है इसका। दिस इज अगेन्स्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ द स्कीम। तो मैं माननीय सभी सदस्यों को कहना चाहूंगा कि यदि आपको कही माननीय महेंद्र जी और विशेष जी, यदि आपको पूरे दिल्ली में कहीं भी इस तरह का मामला सामने आता है कि जानबूझकर देरी की गई थी, हम उस अधिकारी को दोड़ेंगे नहीं। उस को जो भी सख्त से सख्त सजा होगी, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे।

**श्री विशेष रवि :** लेकिन इसमें मेरा ये कहना है कि अगर किसी महिला ने टाईम पर अप्लाई कर दिया और उसके कागजों में जो कमी है उसके चलते उसको दो-तीन बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और इतने में तीन महीने निकल जाते हैं तब भी उसका केस कन्सीडर नहीं किया जाता है। उसको फिर वो सहायता नहीं मिलती, ऐसा केस मैं लाकर दिखा दूंगा।

**उप मुख्यमंत्री :** ऐसा अगर हुआ है तो ये तो पालिसी के ही खिलाफ हुआ है। क्योंकि साठ दिन में एप्लाई करने के बाद मान लीजिए कोई मैं तो हाईपोथिटकली पूछूं कि 59वें या 60वें दिन भी अप्लाई करें। उसके बाद भी विभाग के पास विन्डो है, साठ दिन बाद तक पेमेंट करने के। तो ऐसा नहीं है कि साठ दिन पूरे हो गये और अब पेमेंट भी नहीं हो सकता है और अगर

ऐसा किसी मामले में किया गया, तो बिल्कुल ऐसी सूचना दीजिए मुझे। हम इसके खिलाफ जांच करवायेंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** हां दलाल जी।

**श्री सुखबीर सिंह दलाल :** अध्यक्ष महोदय, ये विधवा के लिए तो है। भई, विधवा की लड़की की शादी, ठीक है लेकिन मेरे पास कई केस ऐसे भी हैं जिनके मां-बाप नहीं हैं, उनको आर्थिक सहायता मिल जाती तो पूछ लेते।

**उप मुख्यमंत्री :** माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है। सरकार इसको कन्सीडर करके इस पर अपनी राय बता देगी।

**अध्यक्ष महोदय :** सप्लीमेंट्री, कोई और सप्लीमेंट्री तो नहीं है इस पर, आगे बढ़ें? प्रश्न संख्या 30 श्री अखिलेशपति त्रिपाठी जी। (अनुपस्थित)

### तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

21. **श्री अमानतुल्लाह खान :** क्या **उप मुख्यमंत्री/मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम एवं उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा विधायक फंड के अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किये गये कार्यों का विवरण क्या है;

(ख) उन कार्यों की सूची जिनके लिए विधायकों से संतोष प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये;

(ग) इन कार्यों की पूर्ति के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन कार्यों में की गयी बचत एवं जिस एजेंसी के पास बचत का यह पैसा है, उसका पूर्ण विवरण दें?

**उप मुख्यमंत्री :** (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम**—पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा विधायक फंड के अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किए गए कार्यों का विवरण संलग्न है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** प्रमुख अभियंता, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार फंड के अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किए गए कार्यों का विस्तृत सूची संलग्न है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा विधायक फंड के अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किये गये कार्यों की विस्तृत सूची संलग्न है। (अनुलग्नक 'क')

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** उपरोक्त वर्षों में इस प्रकार का कोई भी दिशा निर्देशों में प्रावधान नहीं था।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** संतोषजनक प्रमाण पत्र क्षेत्रीय अधिशाषी अभियंता द्वारा कार्य समाप्त होने के बाद संबंधित विधायक से प्राप्त किए जाते हैं तथा ये संतोष प्रमाण पत्र शहरी विकास विभाग को क्षेत्रीय अधिशाषी अभियंता द्वारा भेज दिये जाते हैं।

(ग) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्त (क) के अनुसार।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्त 'क' के अनुसार।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्त 'क' के अनुसार

(घ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : कार्य पूर्ण होने के बाद अगर कोई बचत होती है तो वह प्रत्येक विधायक के खाते में उपलब्ध है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : 1. प्रमुख अभियंता, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10.07.2015 को रूपये 2,66,32,000/- तथा रूपये 5,81,06,000/- तथा रूपये 11,95,97,000/- मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग को वापिस कर दिया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने दिनांक 13.12.2016 को भी रूपये 66,98,62,153/- मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग को वापिस किया है। इसी प्रकार से आगे भी बचत की राशि शहरी विकास विभाग को सौंप दी जा एगी। पूर्ण विवरण संलग्न है।

2. मुख्य लेखापाल एवं वित्त परामर्शदाता दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार इन कार्यों में जो बचत दी थी (अभियांत्रिक विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के आधार रू. 1 195.97 लाख (Disc. Fund) रू. 266.32 लाख (Mandatory Fund) एवं 6698.62 लाख (तीसरी विधान सभा) दिल्ली सरकार को वापस कर दी गई है।

वापसी की गई राशि	दिनांक
रू. 1195.97 लाख	10.07.2015
रू. 266.32 लाख	10.07.2015
रू. 6698.62 लाख	13.12.2016
(पूर्ण विवरण संलग्न है)	



तथा वर्तमान या भविष्य में जो भी राशि 'बचत' के रूप में अभियांत्रिक विभाग द्वारा घोषित की जाएगी उसको सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पश्चात् दिल्ली सरकार को वापस कर दिया जाएगा।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** किए गए कार्यों में हुई बचत का पैसा DCA (Plan) द्वारा दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को वापिस किया जा चुका है जिसकी सूची संलग्न है। शेष राशि सभी कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वापिस की जायेगी। सूची अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।'

**28. श्री विजेन्द्र गर्ग :** क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नये राशनकार्ड जारी करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी;

(ख) राशन कार्ड में नाम जोड़ने एवं हटाने की प्रक्रिया कब शुरू होगी;  
और

(ग) बिना उचित कारण रद्द किये गये राशनकार्ड कब तक पुनः जारी कर दिये जाएंगे?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। भारत सरकार ने दिल्ली के लिए 72.78 लाख लाभार्थी अनुमन्य किये हैं अतः जब भी लाभार्थियों की सूची में रिक्तियां होती है तो नये कार्ड बनाये जाते हैं।

(ख) राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम किसी भी समय कटवाया जा सकता है लेकिन भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक ही नाम जोड़े जा सकते हैं।

(ग) यदि कोई कार्ड निरस्त किया जाता है तो उसकी अपील राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संबंधित ए.डी.एम. के समक्ष की जा सकती है। अपील कर दिये गये आदेश पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

**30. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी :** क्या उप मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेक्टर बोर्न डिजीज संक्रामक रोग को रोकने हेतु वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में सरकार द्वारा तीनों नगर निगमों को जारी किये गये फंड का विवरण क्या है;

(ख) इन नगर निगमों द्वारा वास्तव में प्रयोग किये गये फंड का उनके युटीलाइजेशन सर्टिफिकेट्स की प्रतियों सहित विवरण क्या है;

(ग) वेक्टर बोर्न डिजीज संक्रामक रोग के नियंत्रण एवं रोक हेतु तीनों नगर निगमों द्वारा इस अवधि के दौरान लगाये गये स्टाफ की संख्या सहित उन्हें लगाये जाने की अवधि एवं उन्हें दिये गये वेतन का विवरण क्या है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि उक्त स्टाफ को उस अवधि में भी लगाया गया जब वेक्टर बोर्न डिजीज संक्रामक रोग को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी; और

(ङ) यदि हां, तो जिस कार्य के लिये उक्त स्टाफ को लगाया गया था उसका विवरण क्या है?

**उपमुख्य मंत्री :** (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम:** वेक्टर बोर्न डिजीज (संक्रामक रोक) को रोकने हेतु सरकार द्वारा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को जारी किये गये फंड का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	जारी किया गया फंड (मोराटोरियम सहित)
2014-15	3285.65 लाख
2015-16	3515.48 लाख
2016-17	3160 लाख

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** वेक्टर बोर्न डिजीज (संक्रामक रोग) की रोकने हेतु वर्ष 2014-15 में 1804 लाख रूपये, वर्ष 2015-16 में 1 573 लाख रूपये एवं 2016-17 में 1 595 लाख रूपये सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग पूर्वी दिल्ली नगर निगम को जारी किया गया।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम को वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 में दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये प्लान हैड फंड का विवरण निम्न प्रकार से है—

वित्त वर्ष	2014-15		2015-16		2016-17 (31.12.16)	
	आवंटित	खर्च			आवंटित	खर्च
डेंगू						
मलेरिया	3722	3722	वेतन	1800	1768	1908
प्रोग्राम	लाख	लाख	(डीबीसी)	लाख	लाख	लाख
			वेतन के	1919	1919	1460
			अतिरिक्त	लाख	लाख	लाख
योग	3722	3722		3719	3687	3368
	लाख	लाख		लाख	लाख	लाख
						1177436
						लाख

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रयोग किये गये फंड का विवरण इस प्रकार है—

वर्ष	प्रयोग किये गये फंड
2014-15	2926.17 लाख
2015-16	3316.5 लाख
2016-17	2615.48 लाख (अभी तक)

वर्ष 2014-15 व 2015-16 यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट्स संलग्न किया।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्त वर्णित फंड में से वर्ष 2014-15 में 1709.70 लाख रूपये 2015-16 में 1319.39 लाख रूपये एवं 2016-17 में 900 लाख रूपये (आज तक) वेक्टर बोर्न डीजीज (संक्रामक रोग) की रोकथाम हेतु यूटीलाइज्ड किये गये।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्त 'क' अनुसार।

यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट्स संलग्न है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : वेक्टर बोर्न डीजीज (संक्रामकरोग) के नियंत्रण एवं रोक हेतु दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा इस अवधि में स्थायी कर्मचारियों के अलावा डामेसटिक ब्रिडिंग चैकर्स (डी.वी.सी.) एवं फील्ड वर्कर्स प्रतिवर्ष लगाए गए हैं। जो कि निम्न प्रकार से हैं :

		2014-15	2015-16	2016-17
डी.वी.सी.	संख्या	1185	1185	1185
	अवधि	12 महीने	12 महीने	12 महीने
	वेतन	1357	1424	1528
		लाख	लाख	लाख
फील्ड वर्कर्स	संख्या	986	986	986
	अवधि	6 महीने	6 महीने	6 महीने
	वेतन	479	510	1086
		लाख	लाख	लाख

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** जन स्वास्थ्य विभाग, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में वैक्टर बोर्न डीजी (संक्रामक रोग) नियंत्रण हेतु मलेरिया विभाग के स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों जिनकी लिस्ट संलग्न है। (अनुलग्नक ए पर) के अलावा 710 डी. बी. सी. तथा 2015 में 127 नाला बेलदार एवं 2016 में 118 नाला बेलदारों को कार्य पर लगाया गया था।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** प्लान हैड के अंतर्गत उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 1 500 डीबीसी हर वर्ष (2010 से) पूर्व वर्ष के लिये लगाये जाते हैं इनका वेतन 'ख' अनुसार है।

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** वेक्टर बोत्र डिजीज (संक्रामक रोग) के नियंत्रण एवं रोक का कार्य पूरे वर्ष चलता रहता है।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** 710 डी. बी. सी. को मानीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के आदेशानुसार पूरे वर्ष कार्य पर वर्ष 2013 से लगाया गया। 12 नवम्बर, 2012 की बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि संलग्न है। (अनुलग्नक बी पर)

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** नहीं, इनकी जरूरत पूरे वर्ष के लिये रहती है।

(ड) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** वेक्टर बोर्न डिजीज (संक्रामक रोक) के नियंत्रण एवं रोक का कार्य जैसे डी. बी. सी. एंटी लार्वा स्प्रे. फागिंग, स्वास्थ्य शिक्षा आदि हेतु लगाए जाते हैं।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** इन डी. बी. सी. को घरेलू मच्छर की प्रजनन की उत्पत्ति की जांच का कार्य करने तथा कीटनाशक दवाईयां के इस्तेमाल कर लार्वा को खत्म करने हेतु लगाया जाता है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** नहीं, इनकी जरूरत पूरे वर्ष के लिए रहती है।

**SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION**  
**Finance, Accounts & Planning Department**  
**23rd Floor, Civic Centre New Delhi**

No.D-59/CA-cum-FA/SDMC/2016

Dated: 2206.2016

To

The Joint Secretary (Health)  
Govt of NCT of Delhi,  
Dept. of Health & Family Welfare  
9th Level, Delhi Sachivalaya.  
Delhi

**Subject: Utilization Certificates for the Financial Year 2015-16.**

Sir,

Please find enclosed herewith the Utilization Certificates for the year 2015-16 in respect of the following Plan Schemes (Medical Sector) being implemented by South D.M.C., for further necessary action at your end.

- 1 Medical (Health Purpose) GENERAL
- 2 Medical (Health Purpose) CAPITAL
- 3 Medical (Health Purpose) SALARY
- 4 ISM Dispensaries/Hospitals GENERAL

- 5 ISM Dispensaries/Hospitals CAPITAL
- 6 ISM Dispensaries/Hospitals SALARY
- 7 Medical (Power Imp)
- 8 Setting up HRD/Training Cell
- 9 Public Health (Malaria) GENERAL
- 10 Public Health (Malaria) CAPITAL
- 11 Public Health (Malaria) SALARY
- 12 Public Health (Stg. & Upgradation of Regist. of Birth & Death)
- 13 Development & Improvement of Creamtion Grounds - GENERAL
- 14 Development & Improvement of Cremation Grounds - CAPITAL

Incl - As above

Yours faithfully  
CA-cum-FA  
South DMC



**FORM GFR-19 A**  
**UTILIZATION CERTIFICATE**  
**SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION**

M.H: 2210. A 1(3) - PUBLIC HEALTH (MALARIA) (GENERAL)

Sl. No.	Letter No.	Date	Unspent Balance Credited to Major Head	Amount Received during the year
	Moratorium Granted Vide No. 1400(262)/ 2013 H&FW/GIA/Plg./ js3hfw/CD#112225374/ 2884.92	17.09.15	28138000.00	
1	No 1 400(262)/2013 H&FW/GIA/Plg./ js3hfw/CD#112225374/ 2884.92	17.09.2015		6,18,50,000.00
2	No 1 400(262)/2012 H&FW/GIA/Plg./js3hfw/ CD#112347387/4014.26	22.09.2015		12,37,00,000.00
3	No 1 400(262)/2013 H&FW/GIA/Plg./js3hfw/ CD#112225374/1734.42	03.11.2015		6,18,50,000.00
<b>Total</b>			<b>2,81,38,000.00</b>	<b>24,74,00,000.00</b>

Certified that out of Rs 24,74,00,000.00 sanctioned during the year 2015-16 in favour of SDMC and Rs. 2,81,38,000.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 26,86,70,000.00 has been utilized for the purpose of scheme "PUBLIC HEALTH (MALARIA) (GENERAL)" for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 68,68,000.00 remaining unutilized at the end of the year which will be utilized during the year 2016-17.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the required checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

(Ram Mohan Singh)  
CA-cum-FA SDMC

(B K Hazarika)  
Municipal Health Officer  
SDMC

(Dr. Puneet Kumar Goel)  
Commissioner SDMC

**FORM GFR-19 A**  
**UTILIZATION CERTIFICATE**  
**SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION**

M.H. 2210. A 1 (3) - PUBLIC HEALTH (MALARIA) (SALARIED)

Sl. No.	Letter No.	Date	Unspent Balance Credited to Major Head	Amount Received during the year
1	No 1 400(262)/2013 H&FW/GIA/Plg./js3hfw/ CD#112225374/2884.92	17.09.2015		77,50,000.00
2	No 1 400(262)/2012 H&FW/GIA/Plg./js3hfw/ CD#112347387/3014.26	22.09.2015		1,55,00,000.00
3	No 1 400(262)/2013- H&FW/GIA/Plg./js3hfw/ CD#112225374/3734.42	03.11.2015		77,50,000.00
4	DH&FW/6/2015-Operation Management Secy (H&FW)/718.729	14.03.2016		3,14,00,000.00
Total				6,24,00,000.00

Certified that out of Rs 6,24,00,000.00 sanctioned during the year 2015-16 in favour of SDMC and Rs. NIL on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs.6,24,00,000.00 has been utilized for

the purpose of scheme "PUBLIC HEALTH (MALARIA) (SALARIES)" for which it was sanctioned and that the balance of Rs. NIL remaining unutilized at the end of the year.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the required checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

(Ram Mohan Singh)  
CA-cum-FA SDMC

(B K Hazarika)  
Municipal Health Officer  
SDMC

(Dr. Puneet Kumar Goel)  
Commissioner SDMC

**FORM GFR-19 A**  
**UTILIZATION CERTIFICATE**  
**SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION**

M.H. 2210. A 1 (3) - Public Health (Stg. & Upgradation of Regist. of Birth & Death)

Sl. No.	Letter No.	Date	Unspent Balance Credited to Major Head	Amount Received during the year
	Moratorium Granted Vide No. 1 400(262)/ 2013 H&FW/GIA/Plg./ js3hfw/CD#112225374/ 2884.92	17.09.15	26,60,000.00	
1	No 1 400(262)/2013 H&FW/GIA/Plg./js3hfw/ CD#112225374/374.92	03.11.2015		7,00,000.00
2	DH&FW/6/2015-Operation Management Secy (H&FW)/718.729	14.03.2016		7,00,000.00
Total			26,60,00,000.00	14,00,000.00

Certified that out of Rs. 14,00,000.00 sanctioned during the year 2015-16 in favour SDMC and Rs 26.60,000.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 100.00 has been utilized for the purpose of scheme "PUBLIC HEALTH (Stg. & Upgradation of Regist. of Birth & Death)" for which it was sanctioned and that the

balance of Rs. 39,20,000,00 remaining unutilized at the end of the year which will be utilized during the year 2016-17.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the required check to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

(Ram Mohan Singh)  
CA-cum-FA SDMC

(B K Hazarika)  
Municipal Health Officer  
SDMC

(Dr. Puneet Kumar Goel)  
Commissioner SDMC

**FORM GFR-19 A**  
**UTILIZATION CERTIFICATE**  
**SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION**

M.H. 2210. A 1 (3) - Public Health (Malaria) (Capital)

Sl. No.	Letter No.	Date	Unspent Balance Credited to Major Head	Amount Received during the year
	Moratorium Granted Vide No. 1 400(262)/2013 H&FW/GIA/Plg./js3hfw/ CD#112225374/2884.92	17.09.15	78,10,000.00	
1.	H&FW/GIA/Plg./js3hfw/ CD#112225374/2884.92	17.09.2015		14,50,000.00
2	No 1 400(262)/2012 H&FW/GIA/Plg./js3hfw/ CD#112347387/3014.26	22.09.2015		29,00,000.00
3	No 1 400(262)/2013- H&FW/GIA/Plg./js3hfw/ CD#112225374/3734.42	03.11.2015		14,50,000.00
Total			78,10,000.00	58,00,000.00

Certified that out of Rs 58,00,000.00 sanctioned during the year 2015-16 in favour of SDMC and Rs. 78,10,000.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 58,00,000.00 has

been utilized for the purpose of scheme "PUBLIC HEALTH (MALARIA) (CAPITAL)" for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 1,30,30,000.00 remaining unutilized at the end of the year which will be utilized during the year 2016-17.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the required checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

(Ram Mohan Singh)  
CA-cum-FA SDMC

(B K Hazarika)  
Municipal Health Officer  
SDMC

(Dr. Puneet Kumar Goel)  
Commissioner SDMC



SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION  
OFFICE OF THE CA-CUM-FA  
23rd Floor Civic Centre, New Delhi

No.117/DCA(Plan)/2015

Dated: 03.08.2015

To

The Dy. Secretary (Health)  
Govt. of NCT of Delhi,  
Deptt. of Health & Family Welfare,  
9th Level, Delhi Sachivalaya  
Delhi,

**Subject: Utilization Certificates for the Financial Year 2014-15.**

Sir,

Please find enclosed herewith the Utilization Certificates for the year 2014-15 in respect of the following Plan Schemes (Medical Sector) being implemented by South D.M.C., for further necessary action at your end

1. Medical (Health Purpose)-GENERAL
2. Medical (Health Purpose) CAPITAL.
3. Medical (Health Purpose) SALARY
4. ISM Dispensaries /Hospitals GENERAL
5. ISM Dispensaries /Hospitals CAPITAL
6. ISM Dispensaries /Hospitals SALARY

7. Medical (Power Imp.)
8. Setting up HRD/Training Cell.
9. Public Health (Malaria) GENERAL
10. Public Health (Malaria) CAPITAL
11. Public Health (Malaria) SALARY
12. Public Health (Stg. & Upgradation of Regist. of Birth & Death)
13. Development & Improvement of Cremation Grounds-GENERAL
14. Development & Improvement of Cremation Grounds-CAPITAL

Enl:- As above.

Yours faithfully,

Dy. Controller of Accounts  
Plan Section-South DMC

Copy to:

1. DHA/SDMC
2. MHO/SDMC
3. Director AYUSH
4. Office Copy

Dy. Controller of Accounts  
Plan Section-South DMC

**FORM GFR-19 A**  
**UTILIZATION CERTIFICATE**  
**SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION**

M.H. : 2210 A 1 (3) - Public Health (Malaria) (General)

Sl. No.	Letter No.	Date	Unspent Balance Credited to Major Head	Amount Received during the year
1	F. 400 (262)/2013- H&FW/GIA/PLG/ js3hfw/CDS112225374/ 1094-1102	13-05-2014	42065000.00	62550000.00
2	F. 400 (2621/2013- H&FW/GIA/PLG/ js3hfw/CD#112225374/ 2610-2618	22-09-2014		123700000.00
3	F. 400 (2621/2013- H&FW/GIA/Plg./ js3hfw/CDIU12225374/ 899-907	31-03-2015		61150000.00
Total			4,20,65,000.00	24,74,00,000.00

Certified that out of Rs. 24,74,00,000.00 sanctioned during the year 2014-15 in favour of SDMC as detailed above vide Govt. of NCT of Delhi letter numbers given above and Rs 4,20.65,000.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 26,13,27,000.00 has

been utilized for the purpose of scheme "PUBLIC HEALTH (MALARIA) (GENERAL)" for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 2,81,38,000.00 remaining unutilized at the end of the year will be utilized during the year 2015-16.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the required checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

(Rajesh Kr. Pathak)  
CA-cum-FA SDMC

(Ravi Dass)  
Engineer-in-Chief  
SDMC

(Puneet Kumar Goel)  
Commissioner SDMC

**FORM GFR-19 A**  
**UTILIZATION CERTIFICATE**  
**SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION**

M.H. : 2210 A 1 (3) - Public Health (Malaria) (Capital)

Sl. No.	Letter No.	Date	Unspent Balance Credited to Major Head	Amount Received during the year
1	F. 400 (262)/2013- H&FW/GIA/PLG/ js3hfw/CD#112225374/ 1094-1102	13-05-2014	2300000.00	1450000.00
2	F. 400(262)/2013- H&FW/GIA/PLG/ js3hfw/CD#112225374/ 2610-2618	22-09-2014		2900000.00
3	F. 400 (262)/2013- H&FW/GIA/Plg./ js3hfw/CD#112225374/ 899-907	31-03-2015		1450000.00
Total			23,00,000.00	58,00,000.00

Certified that out of Rs. 58,00,000.00 sanctioned during the year 2014-15 in favour of SDMC as detailed above vide Govt, of NCT of Delhi letter numbers given above and Rs 23,00,000.00 on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 2,90,000.00 has been

utilized for the purpose of scheme "PUBLIC HEALTH (MALARIA) (CAPITAL)" for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 78,10,000.00 remaining unutilized at the end of the year will be utilized during the year 2015-16.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the required checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

(Rajesh Kr. Pathak)  
CA-cum-FA SDMC

(Ravi Dass)  
Engineer-in-Chief  
SDMC

(Puneet Kumar Goel)  
Commissioner SDMC

**FORM GFR-19 A**  
**UTILIZATION CERTIFICATE**  
**SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION**

M.H. : 2210 A 1 (3) - Public Health (Malaria) (Salary)

Sl. No.	Letter No.	Date	Unspent Balance Credited to Major Head	Amount Received during the year
1	F.400(262)/2013- H&FW/GIA/PLG/ js3hfw/CD#112225374/ 1094-1102	13-05-2014		7750000.00
2	F. 400 (2621)/2013- H&FW/GIA/PIG/ js3hfw/CD#112225374/ 2610-2618	22-09-2014		15500000.00
3	F. 400 (262)/2013- H&FW/GIA/Plg./ js3hfw/CD#11222S374/ 899-907	31-03-2015		7750000.00
Total			Nil	3,10,00,000.00

Certified that out of Rs. 3,10,00,000.00 sanctioned during the year 2014-15 in favour of SDMC as detailed above vide Govt. of NCT of Delhi letter numbers given above and Rs NIL on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs. 3,10,00,000.00 has been

utilized for the purpose of scheme "PUBLIC HEALTH (MALARIA) (SALARY)" for which it was sanctioned and that the balance of Rs. NIL remaining unutilized at the end of the year.

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the required checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

(Rajesh Kr. Pathak)  
CA-cum-FA SDMC

(Ravi Dass)  
Engineer-in-Chief  
SDMC

(Puneet Kumar Goel)  
Commissioner SDMC



**EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION**  
**Public Health Department**  
**419, Udyog Sadan, Patparganj**  
**Industrial Area, Delhi-110092**

No. Addl.MHO/EDMC/2016/D-938

Dated- 19/12/2016

**Sub:- Status report of Staff Position in Public Health Department  
as on 19.12.2016**

Sl. No.	Name of Post	Sanction post Shah (South)	Sanctioned Post Shah (North)	HQ	Total Sanction Post	Filled	Vacant
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MHO	0	0	1	1	0	1
2	Addl.MHO	0	0	1	1	1	0
3	DHO	1	1	2	4	4	0
4	Epidemiologist	1	1	0	2	2	0
5	Entomologist	1	1	0	2	2 Cont.	0
6	AMO	1	1	0	2	0	2
7	SMI	3	3	1	7	0	7
8	MI	30	34	1	65	13 Regular 06 Cont.	46
9	AMI	73	77	3	153	43 Regular 23 Cont.	87

1	2	3	4	5	6	7	8
10	SFW	30	34	0	64	44	20
11	FW	203	215	2	420	254 Regular 62 Cont.	104
12	DBC	350	360	0	710	683	27
13	Supt. (PH)	0	0	1	1	0	1
14	PHI	13	3	1	17	14 Regular 2 Cont.	1
15	APHI	4	12	0	16	11 Cont.	5
16	FHB	6	6	4	16	7	9
17	WSB	5	5	0	10	8	2
18	Funeral Van Attendent	0	0	1	1	1	0
19	Wood Cutter	1	5	0	6	3	3

*ANNEXURE-B*

**DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES  
PUBLIC HEALTH CELL IV  
F-17, KARKARDOOMA, DELHI-110032  
Tel: 22305657, email: idspdelhi@gmail.com**

**Minutes of meeting dated on 12th November, 2012**

An urgent meeting was convened under the Chairmanship of Dr. A.K. Walia, the Hon'ble Minister of Health & Family Welfare Govt. of NCT of Delhi in his chamber at 6th floor, Delhi Secretariat, on 12th November, 2012 at 12:00 noon to review the status of dengue and remedial measures taken to control the spread of vector borne diseases especially Dengue. All stakeholders from MCD, NDMC, Delhi Cantonment Board, NIMR, NCDC, NVBDCP, MSs of LNJPH, GTBH, BSAH, DDUH, Rotary Club, Red Cross Society and Lion's Club Officials attended the meeting. List of participants is enclosed in the end.

At the outset, the Hon'ble Health Minister welcomed all the participants and asked the MHO-MCD (South) about the number of cases till date who replied that total number of cases till 11.11.2012 were 1376 cases and on Monday 37 new cases had been reported alongwith 4 confirmed deaths. He also reported that this year Dengue-I are more. Out of these 1376 South contributed to 537, north 484 and east had contributed 355 cases.

Mohan Garden has more cases. Dr. Bharat Singh revealed that there was no shortage of Platelets, even their utilization had decreased to 25% in the last week and requested to close down the night shift of the staff for which the Hon'ble Minister refused. Dr. Raj Pal, MS, GTB hospital

reported 128 total cases were received so far this year and 24 new cases were admitted on 11.11.2012 the results of which are awaited.

Roughly 6000-7000 cases were expected this year yet the number this year is quite low. Dr. Richa Dewan, MS from Lok Nayak Hospital, mentioned that 17 new cases were admitted on 11.11.2012 the test results were awaited. It was mentioned that all hospitals were not reporting the cases daily on MCD portal. MS from Lal Bahadur Shasrti Hospital reported 12 new cases on 11.11.2012 and mentioned that on an average 4 units of platelets were required. 50-60 percent don't require platelets. BJRM reported fewer cases.

New Seema Puri - Shahdara had reported increases number of dengue cases. Najafgarh had reported more cases from Nagri Shakrawati and more action was instructed by the Hon'ble Health Minister to the DHO-NGZ. MHOs from MCD were directed to make a comprehensive action plan in consultation with the other stakeholders. Dr. N.K. Yadav, MHO-South mentioned that there were 240 cases of malaria were reported from Delhi so far.

On the request of SPO-NVBDCP, the Hon'ble Health Minister directed the MHO-South to provide Utilization Certificate to DHS and 500 lakh were to be released to 3 MCDs at the earliest as they had to release the bonus to their staff. Dr. BN Nagpal from National Institute of Maleria Research stressed to pay more attention on the Mother Focll i.e. Indoor Tanks, Over Head Tanks and Under Ground tanks where 2-5% breeding was reported.

Mr. Yadav, MHO mentioned that the courts, often reduce the challan amount to Rs..... against Rs.500/- (usual amount) which becomes

meager for the defaulters. Representative from NCDC stressed for training of all the Domestic Breeding Checkers for which Hon'ble Health Minister agreed to and directed the NCDC and NIMR to jointly provide one week training to all the DBCs and NCDC to develop modules for them. Principal Secretary added for more skill based training needed to be provided.

The MS of LNH requested for Telephonic messaging for awareness creation among the community for which the Hon'ble Health Minister agreed to as a new strategy of awareness generation and stressed for a comprehensive IEC and called for a review meeting after 10 days. The Hon'ble Health Minister directed the MHO-MCD that DBCs will continue to work throughout the year rather than 8 months (April to November) as it was reported by the experts from NIMR & NCDC that the breeding continues throughout the year but low during winter months.

It was reported that within 5 days NS I Ag shows positivity whereas after 5 days dengue has to be confirmed by Mac Elisa. In North DMC, a case of Dr Arun was discussed and Hon'ble Health Minister pointed out that if the administration of MCD is given to Delhi Govt. the situation will change drastically as the staff was not taking fogging very effectively and seriously. According to Dr. BN Nagpal, the DBCs were not allowed to enter in the premises, there must be fine of such households. The Principal Secretary mentioned that non-entry of the DBCs is an offence in DMC Act. It should be enforced. Role of AWWs was also mentioned to be included.

In case of Aedes Albopictus breeding what should be sprayed in the streets? Breeding in Moti Bagh and SJ Enclave was seen. According Dr. N.K. Yaduv, Bind Bresems leads to decreased breeding. For Shahdara zone operation like war should be done and legislation should be amended. Representative from NCDC stressed upon the Health Education and review of domestic areas where breeding was more. According to MHO-South DMC 3400 DBGs were working. Hon'ble Health Minister had stressed upon the cleaning of drains regularly as mosquitoes could breed in the stagnant water.

It was reported that heavy breeding was seen in the house Secretary and because of ignorance his wife developed dengue and was admitted in the hospitals of Delhi. The Hon'ble Health Minister asked the DHO-Mahrauli area about the situation after his action taken on the Corporators, he mentioned that after action from the Delhi Govt. their cooperation has increased and they also accompanied to the area and participated active in awareness creation and IEC.

In the end the Hon'ble Health Minister wished Happy Diwali to all the participants who also reciprocated and the meeting was over.

Dr. Charan Singh

**2014-15**

**NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION  
UTILIZATION CERTIFICATE  
Annual Plan 2014-15**

M.H. 2210, A 1 (3) (2) (11) (1) 0 Intensification of Programme for Control of Vector Born Diseases like Malaria, Dengue, anti larva Measures and including Rabies Control Programme

Sl. No.	Letter No.	Date	Sanctioned Amount Rs.	Unspent Balance Credited/ Adjusted to Major Head	Actual Receipt Rs.
1.	Unspent Balance 2013-14		3,96,65,600.00	3,96,65,600.00	
2.	F 400(260)2013-H&FW/ GIA/Plg/js3hfw/CD# 112275371/1069-78	07.05.14	8,12,50,000.00	-	8,12,50,000.00
3.	F 400(260)2013-H&FW/ GIA/Plg/js3hfw/CD# 112275371/2598-2606	18.09.14	18,61,00,000.00	-	18,61,00,000.00
4.	F 400(260)2013-H&FW/ GIA/Plg/js3hfw/CD# 112275371/288-296	13.02.15	10,48,50,000.00	-	10,48,50,000.00
Total			41,18,65,600.00	3,96,65,600.00	37,72,00,000.00

Certified that out of Rs. 41,18,65.600.00 sanctioned during year 2014-15 in favour of North DMC as detailed above vide Govt. of NCT

of Delhi letter No. given as above including Rs. 3.96.65,600.00 on account of unspent balance of the previous years, a sum of Rs. 33,98,83,635.00 has been utilized for the purpose of scheme "Intensification of Programme for Control of Vector Born Diseases, like Malaria, Dengue, anti larva Measures and including Rabies Control Program-Grant" for which it was sanctioned and that the balance of Rs.7,20,11,965.00 remaining unutilized at the end of the year 2014-15 will be adjusted towards the Grant-in-aid/loan during the next year 2015-16.

Certified that the conditions on which the grant was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that the concerned officer as per CPWD/MCD procedure has exercised the required checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

(Pankaj Kumar Singh)  
Addl. Comm. (Fin.)  
North Delhi Municipal  
Corporation

(Dr. A.K. Bansal)  
Municipal Health Officer  
North Delhi Municipal  
Corporation

P.K. Gupta  
Commissioner  
North Delhi Municipal  
Corporation



**2015-16**

**NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION  
OFFICE OF DCA (HEALTH) NDMC  
PLAN EXPENDITURE REPORT UPTO 31/03/2016**

Sl. No.	Name of Deptt./ Institutions	Total Allocation in Lakhs (Revised)	Total Exp. upto 31/03/2016	Plan Head	
1	2	3	4	5	6
1	Unani	12.33+14=26.33	2086063	XI-IV H-b-I	Salary
2	Unani Medicine Contingency	33.33	2739975	XL-IV-H-b-III	Medicine Purchase & Equipment Contingency
3	M&TB	215	20925249	XL-IV-I-CI	Salary
4	M&TB Contigent	5	105676	XL-IV-I-C-II	Contingency
5	M&TB Medicine	615 but now 495	41981783	XL-IV-C-III	Medicine Purchase & Equipments
6	M&TB Chest Clinic Shahbad Dairy	100	2753718	XL-IV-G-a-I	Salary
7	M&TB Chest Clinic Shahbad Dairy	5	52583	XL-IV-G-a-II	Contingency

1	2	3	4	5	6
8	M&TB Chest Clinic Shahbad Dairy	155	4210081	XL-IV-G-a-III	Medicine Purchase & Equipments
9	Homoeopathic	20	1504605	XL-IV-H-d-I	Salary
10	Homoeopathic	40	9930	XL-IV-H-(d)-III	Contingency + Other than Medicine
11	M&CW	100	7469235	XL-IV-L-a-III	Salary
12	M&CW Medicine	495	10545929	XL-IV-L-a-III	Medicine Purchase Equipments
13	M&CW & SHS (Education)	7	183939	XL-II-G-IV	Misc. (For Spec. issued in school)
14	Ayurved	63.33	5572599	XL-IV-H-a-I	Salary
15	Ayurved	166.67	1406592	XL-IV-H-a-III	Medicine Purchase Equipment + Contingency
16	KH	765	32017720	XL-IV-C-b-III	Medicine Purchase Equipments
17	HRH	1200	107284731	XL-IV-A-a-III	Medicine Purchase Equipments

1	2	3	4	5	6
18	Medical College	37.5	1286519	XL-IV-F-II	Medical College
19	RBTB	1000	40208348	XL-IV-E-a-III	Medicine Purchase Equipments
20	MVIDH	150	4866548	XL-IV-F-a-III	Medicine Purchase Equipments
21	GLMH	255	7622149	XL-VI-D-b-III	Medicine Purchase Equipments
22	HIS	70	1044784	XL-IV-M-e-II	Medicine Purchase Equipments
23	Malaria	1800	186800378	XL-III-A-a-II	Salary & Contingency
24	Malaria Medicine	191856278	191855981	XL-III-A-a-II	Medicine Purchase Equipments
25	Cremetion Ground	1	Nil	XL-III-A-c-II	Contingency
26	Rabies	69 but now 149	14538450	XL-III-A-h-II	Contingency
27	EPID	137	10951962	XL-III-A-e-II	Contingency
28	Birth & Death	28	1202900	XL-III-A-e-III	Medicine Purchase Equipments
	CMO (Plan)	DCA(H)	AO (H&P)	AAO	DA

2016-17

**NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION  
OFFICE OF DCA (HEALTH) NDMC  
PLAN EXPENDITURE REPORT UPTO 31/12/2016**

Sl. No.	Name of Department	Total Allocation (In Lacs)	Total Expenditure upto 31/12/2016	Head of A/c	Nomenclature
1	2	3	4	5	6
1	Unani	30	1341209	XI-IV H-b-I	Salary
2	Unani Medicine Contingency	25	12350	XL-IV-H-b-III	Medicine Purchase & Equipment Contingency
3	M&TB	240	18738686	XL-IV-I-CI	Salary
4	M&TB Contigent	5	241083	XL-IV-I-C-II	Contingency
5	M&TB Medicine	615	14075118	XL-IV-C-III	Medicine Purchase & Equipments
6	M&TB Chest Clinic Shahbad Dairy	100	6224874	XL-IV-G-a-I	Salary
7	M&TB Chest Clinic Shahbad Dairy	5	30907	XL-IV-G-a-II	Contingency
8	M&TB Chest Clinic Shahbad Dairy	150	1103999	XL-IV-G-a-III	Medicine Purchase & Equipments

1	2	3	4	5	6
9	Homoeopathic	21	676319	XL-IV-H-d-I	Salary
10	Homoeopathic	40	7355	XL-IV-H-(d)-III	Contingency + Other than Medicine
11	M&CW	120	13179103	XL-IV-L-a-III	Salary
12	M&CW Medicine	150	8455586	XL-IV-L-a-III	Medicine Purchase Equipments
13	M&CW & SHS (Education)	15	Nil	XL-II-G-IV	Misc. (For Spec. issued in school)
14	Ayurved	74	10344904	XL-IV-H-a-I	Salary
15	Ayurved	160	9847592	XL-IV-H-a-III	Medicine Purchase Equipment+ Contingency
16	Kasturba Hospital	770	35843225	XL-IV-C-b-III	Medicine Purchase Equipments
17	HRH	1350	52670220	XL-IV-A-a-III	Medicine Purchase Equipments
18	Medical College	825	367240	XL-IV-F-II	Medical College
19	RBTB	1130	30981868	XL-IV-E-a-III	Medicine Purchase Equipments

1	2	3	4	5	6
20	MVIDH	100	1953972	XL-IV-F-a-III	Medicine Purchase Equipments
21	GLMH	130	2049410	XL-VI-D-b-III	Medicine Purchase Equipments
22	Balak Ram Hospital	10	889807	XL-IV-F-II	Medicine Purchase Equipments
23	HIS	15	720208	XL-IV-M-e-II	Salary & Contingency
24	IHS	10	177450	XL-IV-M-e-II	Medicine Purchase Equipments
25	Malaria	1908	130820654	XL-III-A-a-II	Medicine Purchase Equipments
26	Malaria Medicine	1460	46616324	XL-III-A-a-II	Medicine Purchase Equipments
27	Rabies	129	3752400	XL-III-A-h-II	Contingency
27	EPID	137	9288661	XL-III-A-e-II	Contingency
29	Birth & Death	5	236667	XL-III-A-e-III	Medicine Purchase Equipments
CMO (Plan)		DCA(H)	AO (H&P)	AAO	DA

**31. श्री सोमनाथ भारती :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014 से विधायक फंड के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को विधायकों से मिले अनुरोध पत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा विधायक फंड से सीसीटीवी कैमरे लाने सहित कोई भी काम न करने के संबंध में संकल्प पारित किया गया है;

(ग) क्या दक्षिणी दिल्ली नगर निगम सरकार की नीति के विरुद्ध इस प्रकार का संकल्प पारित करने में सक्षम है तथा क्या यह संकल्प सभी अधि कारियों पर कानूनी रूप से बाध्य है; और

(घ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को इस प्रकार का असंवैधानिक कदम उठाने से रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जानी प्रस्तावित है?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

प्रमुख अभियंता दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार अभियांत्रिक विभाग को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए विधायकों से कोई भी अनुरोध पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति द्वारा सीसीटीवी कैमरे न लगाने के बारे में कोई संकल्प पारित नहीं किया।

हालांकि निम्नलिखित कार्यों के बारे में विधायक फंड को इस्तेमाल न करने के लिए स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए हैं—

1. वर्तमान स्ट्रीट लाईट की जगह एलईडी लगाने के बारे में।
2. बच्चों के खेल उपकरण की आपूर्ति और लगाने के बारे में।
3. ओपन जिम की आपूर्ति और लगाने के बारे में। इसके अलावा, और किसी भी काम के लिए विधायक फंड प्रयोग न करने के लिए प्रस्ताव नहीं पारित किया गया है।

(ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम डीएमसी एक्ट के अनुरूप कोई भी प्रस्ताव पारित कर सकती है और ऐसा प्रस्ताव अधिकारियों पर बाध्य है।

(घ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने इस प्रकार का कोई असंवैधानिक कदम नहीं उठाया है, इसलिए इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

**32. श्री सौरभ भारद्वाज :** क्या उप मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेटर कैलाश विधान सभा में 01.01.2014 से शहरी विकास विभाग द्वारा जारी किए गए विधायक फंड अथवा शहरीकृत गांव फंड इस्तेमाल करते हुए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी किए गए सभी वर्क आर्डर्स का विवरण क्या है;

(ख) कृपया उपरोक्त कार्यों का साईट प्लान/पैप एवं एस्टिमेट, कार्यों के पूर्ण होने की संभावित एवं वास्तविक तिथि तथा कार्यों के वर्तमान स्थिति सहित अनुबंध का पूर्ण विवरण प्रदान करें;



(ग) क्या संबंधित विधायकों से संतोष पत्र प्राप्त किए गए थे, यदि हां, तो उनकी प्रति उपलब्ध कराई जाए;

(घ) जो कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो सके उनके निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने के कारणों सहित उन कार्यों का विवरण प्रदान किया जाए; और

(ङ) इस देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदारों/वेंडर्स के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**उपमुख्य मंत्री :** (क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से मांगी गई सूचना का विवरण संबंधित विभागाध्यक्षों से सकत्रित किया जा रहा है।

(ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार

(ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार

**33. श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत :** क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु प्रदूषण हटाने हेतु केंद्र सरकार के 42 सूत्रीय एक्शन प्लान को कार्यान्वित करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं?

**पर्यावरण मंत्री ( श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत ) :** (क) जी हां, इस संदर्भ में कार्यान्वित स्थिति जानने हेतु 19.08.2016 एवं 30.11.2016 को सभी

संबंधित विभागों के साथ दो बैठक की गयी और इन बैठकों के परिणाम स्वरूप कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की गई है।

(ख) लागू नहीं।

**34. श्री एस. के. बग्गा :** क्या उप मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान विधायक फंड से किए जाने वाले कार्यों पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा लिए गए सर्विस चार्ज का विवरण क्या है;

(ख) कृपया इन कार्यों की सूची प्रदान की जाए;

(ग) वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान सांसद फंड से किए जाने वाले कार्यों पर पूर्व दिल्ली नगर निगम द्वारा लिए गए सर्विस चार्ज का विवरण क्या है; और

(घ) कृपया इन कार्यों की सूची प्रदान की जाए?

**उपमुख्यमंत्री ( श्री एस. के. बग्गा ) :** (क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान विधायक फंड से स्वीकृत किये गये कार्यों पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा 5 प्रतिशत विभागीय प्रभार के रूप में लिया जाता है।

(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : अपेक्षित सूची संलग्न है।

(ग) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान सांसद फंड से स्वीकृत किये गये कार्यों पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा 2 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में लिया जाता है।

(घ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : अपेक्षित सूची संलग्न है।

**Status of works under MPLADS Funds of Sh. Mahesh Girri, Hon'ble MP  
(Lok Sabha) for the year 2015-16**

Sl. No.	Date of Consent	Recommended Amount (Rs.)	Deptt./ Division	Name of Work	Date of Booking in Planning Deptt	Booked Amount (Rs.)	Amount released	Status	Expenditure Incurred (Rs.)	Expenditure to be incurred (Rs. in lacs)
1	06.05.15	3000000	Sr Divi. Engineer-III/Railway	Construction of Toilet Block at Anand Vihar Railway Station	04.09.15	2999970	2249977	In Prog	2249977	7.50
2	27.05.15	225000	EE (E)/SHS	Installation of High mast light at Raseed market main road Scooter Market near Baba Kaam Singh Gurudwara patparganj Road, Delhi-110051	15.07.15	185109	138263	Completed	138263	0.00
3	11.06.15	4900000	Sr Divi. Engineer-III/Railway	Providing & fixing 100 nos. SS benches and 100 nos. SS dustbins at Anand Vihar Terminal Railway Station	04.09.15	4890963	3668222	In Prog	3668222	12.23
4	11.06.15	2450000	Sr Divi. Engineer-IV/Railway	Providing & fixing 50 nos. SS benches and 50 nos. SS dustbins at Nizamuddin Railway Station	24.09.15	2445482	1834112	In Prog	1834112	6.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	12.06.15	500000	CPWD	Const. of open air gym at J P Park Daryaganj w.no. 153	11.12.15	466523	349892	In Prog	349892	1.17
6	20.07.15	548000	EE (E)/SHS	Installation of 2High Mast Lights at City Park, Near city market Vansundhra Enclave Delhi-110096	01.10.15	521305	368792	Completed	368792	0.00
7	28.07.15	3300000	Sr Divi. Engineer-II/ Railway	P/F of 20 nos. SS Benches, 20 nos. SS Dustbins, 10 nos. SS Small Platform Shelter & 10 nos. RCC Benches at Delhi Shahdra Railway Station.	20.10.15	3199903	2399927	In Prog	2399927	8.00
8	20.07.15	1145000	EE(E)/SHS	Installation of 4 nos road Light at Newly constructed road, Shastri Park, Near LPG Godown, in W.No. 233	03.12.15	1028411	742862	Completed	742862	0.00
9	20.07.15	1150000	EE(E)/SHS	Installation of 26 Nos. Fancy LED Light at Block-18, Geeta Colony, W.No. 230, Delhi.	13.01.16	992095		In Prog	0	9.92
10	19.08.15	15000000	EE,M-IV/ SH(S)/EDMC	Construction of Recreation Centre, Library and GYM at Smaspur Village, W.No. 224, AC-58	12.08.15	13243398	1570406	in Prog	1570406	116.73
11	19.08.15	320000	EE (E)/SHS	nstallation of High Mast Light at CSC Market Mayur Vihar Phase-I, Pkt-4 Delhi.	01.10.15	254637	180044	Completed	180044	0.00

12	24.08.15	825000	EE(E)/SHS	Installation of 03 Nos. High mast Light at Ambedkar Park Kondli near New Ashok Nagar Police Station, in front of Janta Flat Mayur Vihar Phase - III Pocket-C2 and MCD park Mayu Vihar Phase-III Pocket-A2.	20.10.15	783317	544093	Completed	544093	0.00
13	18.09.15	170000	EE(E)/SHS	Installation of 4 LED street lights on road to Central Park Vasundhara Enclave	08.10.15	169407	106553	Completed	106553	0.00
14	18.09.15	4923000	EE(E)/SHS	Installation of 100 Nos. Fancy Lights in 10 parks at Mayur Vihar Phase-1, Pocket 2 Parks.	29.12.15	4922623	0	in Prog	0	49.23
15	18.09.15	500000	EE,(M-III) SH(S)	Construction of Public Toilet in Chilla Village	16.10.15	475705	292772	In Prog	292772	1.83
16	22.09.15	312000	EE(E)/SHS	Installation of LED High Mast Light in park Opposite 16B, A 10 Arjun Naqar, Vishwas Nagar.	03.12.15	296247	222055	Completed	222055	0.00
17	01.10.15	1100000	EE(E)/SHS	Installation of 4 High Mast Lights near 12-A,54,86-B &126 in Mayur Vihar Phase-III.	07.12.15	1026916	720850	Completed	720850	0.00
18	08.10.15	275000	EE(E)/SHS	Installation of 1 High Mast light at Main road Block 23and 24 Trilokpuri.	20.10.15	248082	183078	Completed	183078	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	18.10.15	140000	EE(E)/SHS & FC	Installation of 3 nos. Street lights at Opposite House no. A1/11, Opposite House no. A2/30, Opposite House no.A2/35 in Krishna Nagar.	07.12.15	137565	In Prog	0	1.38	
20	11.09.15	970000	EE,CD-III & FC	Construction of General Chaupal at village Chilla Saroda in Trilokhpuri AC.55.	08.07.16	9700000	7275000	In Prog	7275000	24.25
21	31.10.15	750000	EE (E)/SHS	Installation of 03 Nos. Street Lights pocket E, Dilshad Garden, Gate No. 04 Gate no. 05 & Gate no.06.	08.12.15	719725	506301	Completed	506301	0.00
22	31.10.15	1570000	Delhi Police	installation of CCTV cameras with supportive equipment at 1. Delhi UP Border Area under Vivek Vihar Police Station, 2. Delhi UP Border area under Mayur Vihar Police Station.	31.03.16	15654360	11740770	In Prog	11740770	39.14
23	25.11.15	2200000	EE,M-IV/ SH(S)/EDMC	Construction of Shed for Sr. Citizen Besides mayor Vihar Phase -II, Pkt. F Sr, Citizen Home Ward No. 219, Delhi.	18.01.16	2200000	1981108	In Prog	1981108	2.19
24	25.11.15	550000	EE(E)/SHS	Installation of Semi High Mass pole with LED features opposite	07.12.15	516902	359659	Completed	359659	0.00

25	26.11.15	100000	Sr Divi. Engineer-V/ Railway	H. No. 45, back side of H. No. 98 & defence enclave market (front site)	09.06.16	999969	749977	In Prog	749977	2.50
				Installation of 3000 ltr/hr RO Plant at Nizamuddin Railway Station.						
26	01.11.15	120000	EE(E)/SHS	Installation of Fancy Lights pocket E, Dilshad Garden, 1 park b/w flat no. 153 -A to 170-A, (Fountain Park) 2. Park b/w flat no. 128-A to 114-A, (Tanki wala park).	13.01.16	991321	0	In Prog	0	9.91
27	01.11.15	50000	EE(M)-II/SHS	Construction of 2 Toilets, (One Urinals and One WC each) outside of karkardome Court, adjoining BSES office from gate no. 1 to 5.	05.07.16	437420	0	In Prog	0	4.37
28	04.12.15	200000	EE,M-IV/SH (S)/EDMC	P7F of RCC Benches in parks in ward no. 219, Mayur Viha phase-II Delhi.	18.01.16	1957300	1494548	In Prog	1494548	4.63
29	19.12.15	150000	EE(E)/SHS	Installation of 3 Streets Light of gali No. 6 Rasheed Market & Street of 13/357 and 13/361 Geeta Colony.	13.07.16	137565	0	In Prog	0	1.38
30	22.12.15	275000	EE (E)/SHS	Installation of 1 High Mass Light at Kheda Devta, mandir road Dattu pura Village, Delhi	29.01.16	259914	187018	Completed	187018	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	28.12.15	250000	EE (E)/SHS	Installation of 5 Street lights at 29.01.16 Street between Govt. Sr. Sec School & mansara appitt., Vasundra End.	15.02.16	250000	188970	132596	Completed	132596	0.00
32	19.12.15	250000	EE (E)/SHS	Installation of 1 street Light of Gali No. 3 Rani Garden Near Ambedkar Park Shastrri Nagar.	15.02.16	250000			In Prog	0	2.50
33	24.12.15	1200000	MHO/EDMC	Providing One Hears Ambulance Van (Tempo traveller) for Ram Both Ghat (Cremation Ground) Jwala nagar (Shahdara)	18.03.16	1096812			yet to start	0	10.97
34	24.12.15	300000	EE(M)-IIISHS	Providing and fixing of RRC Benches and Dustbins in parks at Vasundra Enclave. 1. City park -10B+10D 2. park Near Shiv mandir-10B+10D 3. park adjeccent Vishal Appt. 5B+5D	30.11.16	284626			yet to start	0	2.85
35	02.11.15	275000	EE (E)/SHS	Installation of High Mast Light at Mayur Vihar Phase-II, Pocket-A market Delhi.	13.01.16	274902	197228	197228	Completed	197228	0.00
36	09.11.15	1346000	EE(E)/SHS	Installation of 05 High Mast Lights in ward no. 231	26.02.16	1279583			In Prog	0	12.80



37	19.01.16	275000	EE (E)/SHS	Installation of 01 High Mast Light at Cavanter's Market, Surajmal Vihar Delhi (Opp. Penguins)	19.02.16	275000	In Prog	0	2.75
38	04.02.16	1000000	CMO/EDMC	Distribution of Artificial limbs, Motorized/wheelchair and Aids/ Assistive Devices etc. to people with disabilities	22.04.16	1000000	In Prog	1000000	0.00
39	15.03.16	47300000	EE, M-IWSH (S)/EDMC	Regarding works in Open Air Gym in different parks of EDMC	06.09.16	45300513	In Prog	0	453.01
						121812540	41196103	41196103	787.32

**Status of works under MPLADS Funds of Sh. Maheish Girri, Hon'ble MP (Lok Sabha) for the year 2016-17.**

Sl. No.	Date of Consent	Recommended Amount (Rs.)	Deptt./ Division	Name of Work	Date of Booking in Planning Deptt	Booked Amount (Rs.)	Amount released	Status	Expenditure Incurred (Rs.)	Expenditure to be Incurred (Rs. in lacs)
1	13.04.16	6000000	NGO	Providing & maintain Mobile Library				under process	0	0.00
2	24.05.16	2000000	SDMC	General Toilets with 3 urinals, 1 toilet sheet for female, 1 toilet				under process	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				sheat for male and 02 bathrooms for male and female apposite sarita vihar police Station mathura road out side appolio Hospital, Delhi						
3	28.05.16	1000000	EE(E)-I SHS	Installation of 4 no. high mast lights in pocket -3 Mayur Vihar, ph-I.	01.08.16	919171		In Prog	0	9.19
4	17.06.16	1700000	EE(E)-I SHS	Installation of High Mast lights in khureji Khas Ward no. 231 near kabhstan	19.08.16	1419773		In Prog	0	14.20
5	18.05.16	1154000	CE(Elect)	Installation of 3 high mast lights at Central Park & 1 high mast lights at park near H.No. 186A DDA Flat Ghazipur, Ward no 214.	05.08.16	1095498		In Prog	0	10.95
6	18.05.16	300000	EE(E) SHS	Instation of IHML at Ram Nagarand 1 street light at gali no.- 1 raghubarupra w no. 236	19.09.16	287511		yet to start	0	2.88
7	10.09.16	2000000	CMO/EDMC	Distribution of Artificial limbs, tricycle, Motorized tneycles etc. to people with disabilities.	07.10.16	1232000	1232000	In Prog	1232000	0.00
8	28.09.16	600000	Dir. CSD	providing & fixing of equipments / Miscellenious item for Gym at	26.12.16	596813		yet to start	0	5.97

9	27.09.16	25000000	Delhi Police	Fursh Bazar, Anaj Mandi, Kajji House, Ward No. 237 Shahdara South Zone Installation of CCTV cameras with supportive equipment at Mayur War Ph-I Pkt-1,11 & P-block Pandav Nagar	under process	0	0.00
10	01.11.16	240000	EEM-IV SHS	Provision of false ceiling at newly constructed shed for Sr. Citizen through MPLADS Fund besides Mayur Vihar Phase-II, Pocket -F Library, ward no 219..	yet to start	0	2.31
11	28.10.16	216000	EE(E) SHS	Provision of EI and Fans in newly constructed shed for Senior Citizen through MPLADS Funds besides Mayur Vihar Phase-II Pocket F Library Ward No.219	yet to start	0	2.06
12	25.10.16	594000	EE(E) SHS	Installation of 1 High Mast Light and 3 street lights at pocket-C SFS Flat Mayur Vihar Ph- Delhi-91	yet to start	0	5.66
13	16.12.16	650000	CE(Elect)	retaliation of 3nos HMLat A&B Block Priadarshni Vihar W.No 222	yet to start	0	6.28

**Status of works under MPLADS Funds Sh. Manoj Kumar Tiwari, Hon'ble MP (Lok Sabha) for the year 2015-16.)**

Sl. No.	Date of Consent	Recommended Amount (Rs.)	Deptt./ Division	Name of Work	Date of Booking in Planning Deptt	Booked Amount (Rs.)	Amount released	Status	Expenditure Incurred (Rs.)	Expenditure to be Incurred (Rs. in lacs)
1	04.08.15	5055000	EECD-IV (I&FC)	Construction of Turning point for D.T.C. Buses in front of Chauhan Patti Sabhapur Village at R.D.5230m of L.F. Bund	21.10.15	4956000	3717000	In Progress	3717000	12390000
2	25.07.15	1900000	CE SH N	Setting up of Sainless Steel Toilet Blocks at Chauhan Patti Sabhapur village.				Closed	0	
3	10.09.15	1000000		Setting up of Digital Library at Gwyer Hall, University of Delhi (North Campus).				Closed	0	
4	07.11.15	1000000	North DMC	Installation of CCTV Cameras in ward No. 8 Jharoda.				Under Process	0	
5	17.12.15	10000000	DD(H)/EDMC	Supplying /Installation of Play Equipments in EDMC Park in SH (North) Zone	31.03.16	9894225		In Progress	0	9894225
						18955000	14850225		3717000	11133225

Status of works under MPLADS Funds Sh. Manoj Kumar Tiwari, Hon'ble MP (Lok Sabha) for the year 2016-17.

Sl. No.	Date of Consent	Recommended Amount (Rs.)	Deptt./ Division	Name of Work	Date of Booking in Planning Deptt	Booked Amount (Rs.)	Amount released	Status	Expenditure Incurred (Rs.)	Expenditure to be Incurred (Rs. in lacs)
1	17.12.15	600000	Dir. (Edu)	Providing books for EDMC schools in Shahdara north Zone.	28.06.16	600000		In Progress	0	600000
2	28.04.15	5500000	DHA. EDMC	पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्वामी स्वामी दयानंद अस्पताल में ICU बेड्स & Ventilators लगाने के लिए	21.12.16	5500000		yet to be start	0	5500000
3	16.05.16	1500000	DU	दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्वायर हॉल में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने के लिए	16.09.16	1500000	1125000	In Progress	1125000	375000
4	11.07.16	1000000	NGO	Installation of computer & furniture of computer centre electric equipment cutting & tailoring equipment & beauty centre by Purachin Shiksha Samiti (NGO)				Cosed	0	0



**Details of WILA Fund of Sh. Raju Dhingana AC No. 55 (Discretionary Fund) for the year 2016-17**

Sl. No.	Name of MLA & A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sh. Raju Dhingana	09.03.16	DUD A/EAST/527533	21.520	Imp.Dev. of Sanjay Drain by pdg. B/W from and reconstruction of wall of Sanjay drain from H.No. 9A/10 to 9A/100 Trilokpuri in ward no. 210/55 SSZ in Dallupura	09.05.16	2044400
2	Sh. Raju Dhingana	09.03.16	DUDA/EAST/11518-26	6.350	Const. of urinal in DDA mkt. B1-22 Trilokpuri by pdg. B/W from in ward no. 209/55 SSZ in mayur Vihar Ph-1 SJ: Const. of urinal near No. 209/55 SSZ in mayur Vihar Ph-1	09.05.16	603250
3	Sh. Raju Dhingana	09.03.16	DUDA/EAST/11509-17	12.100	Imp. Dev. of lane from H.NO. 18/391 to 18/410 Trilokpuri by pdg. RMC from in Ward No. 210/55 SSZ in Dallupura SH:1 Imp. Dev. of chowk opp. H.NO 18/430 Trilokpuri b y pdg. RMC from in Ward No. 210/55 SSZ in Dallupura SH:2 Imp. Dev. of Lane from H.No.	09.05.16	1149500

1	2	3	4	5	6	7	8
					18/141 to 18/160 Trilokpuri by pdg. RMC from in Ward No. 210/55 SSZ in Dallupura		
4	Sh. Raju Dhingan	17.03.16	DUDA/ EAST/ 1614-22. 17.03.16	7.870	I/D of lanes in Chilla Janta Flats by pdg. rMC H.NO. 41/C to 55/D and 45/D and P-71 in Ward No. 211/AC55	08.06.16	645947
5	Sh. Raju Dhingan	17.03.16	DUDA/ EAST/ 1641-49, 17.03.16	5.700	I/D of lanes in Trilokpuri 27 Block by pdg. RMC Nr. H.NO. 27/1 to 27/110 in w.no. 211/AC-55 SSZ	08.06.16	462758
6	Sh. Raju Dhingan	17.03.16	DUDA/ EAST/ 1596-1604, 17.03.16	13.320	I/D of B/W of Chilla Janta Flat Nr. H.NO. 74D, 11A and H.NO. 7B, w.no. 212/AC-55 SSZ	08.06.16	1071278
7	Sh. Raju Dhingan	17.03.16	DUDA/ EAST/ 1605-13, 17.03.16	4.550	I/D of park by pdg. Bricks works RMC opp. H.No. A-4 block 31 fromw.No. 211 AC-55 SSZ	08.06.16	367647
8	Sh. Raju Dhingan	17.03.16	DUDA/ EAST/ 1623-31, 17.03.16	9.250	Raising of B/W of park Central park & small park Nr. H.No. 31/110 in Block 31 w.no. 211 AC-55 in SSZ	08.06.16	722776



9	Sn. Raju Dhangar	17.03.16	DUDA/ EAST/ 1650-58, 17.03.16	5.170	I/D of park by pdg. Bricks work RMC pavement Nr Old H.N. 30/164 inw. no. 211/AC-55 SSZ	08.06.16	378470
Total							7447026

**Details of MLA Fund of Sh. Manoj Kumar AC No. 56 (Discretionary Fund) for the year 2016-17**

Sl. No.	Name of MLA & A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sh. Manoj Kumar	26.02.16	DUDA/ EAST/ 1285-93	14.960	I/D of B/W of pkt. A-3 Mayur Vihar III In w.no. 216 SSZ by pdg. B/W from No. 167A to 154 A and 154 A to 148A in Pkt A-3 and I/D of B/W from 119A Pkt. A to 125A Pkt. A-2 in Gharoli.	09.05.16	1421200
2	Sh. Manoj Kumar	18.02.16	DUDA/ EAST/	12.027	C/o Footpath in park nr. H.No. 53-54) footpath in park Nr. H.NO. (SO and 31) footpath in Park Nr. H.No. (09-10) in pkt. 6 MIG Flat in w.no. 215/SSZ	09.05.16	897875
Total							2319075

**Details of MLA Fund of Sh. Manish Sisodia AC No. 57 (Discretionary Fund) for the year 2016-17**

Sl. No.	Name of MLA &A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sh. Manish Sisodia	26.02.16	3UDA/ EAST/ 1366-74, 26.02.16	16,008	Improvement Development of Gol Chakkur at Supershine chowk by Pdg. From in Mayur Vihar Phase-II in Ward No 19 Shahdara (South).	28.04.16	1625225
2	Sh. Manish Sisodia	26.03.16	DUDA/ EAST/ 1357-65, 26.03.16	21,660	I/D of main road of Block C&F from H.No.. C-151 to Nalanda Chowk in West Vinod Nagar by pdg. RMC from in w.no. 217 AC-57 SSZ	30.05.16	2057700
3	Sh. Manish Sisodia	18.04.16	DUDA/ EAST/ 23-31, 18.04.16	4,372	C/o Kacha footpath in park and I/D of Road and drain rom H.No. -22 to 64 in Pkt. F Mayur Vihar II in w.no. 219	15.06.16	365130
4	Sh. Manish Sisodia	21.04.16	DUDA/ EAST/ 88-96, 21.04.16	9,281	I/D of back lane from H.No. 181 to 212 Pkt. A Mayur vihar II in w.no. 219	15.06.16	813370

5	Sh. Manish Sisodia	15.06.16	DUDA/ EAST/ 32-40, 18.04.16	7.208	I/D of road and drain from H.NO. 49 to 63 in Pkt. F Mayur Vihar II in w.no. 219	15.06.16	623032
6	Sh. Manish Sisodia	18.04.16	DUDA/ EAST/ 14-22, 18.04.16	16.166	I/D of patparganj main road by pdg. RMC from Chesl Hospital to H.NO. 28-B. Nr. Mandir and H.NO. B-96 in C-220 AC-57 in patparganj	17.06.16	1290619
7	Sh. Manish Sisodia	18.02.16	DUDA/ EAST/ 1064-72	6.200	I/D of park (Mohan Chand Sharma) by pdg. 0 from B/W in West Vinod Nagarw. no. 217/SSZ	27.06.16	589285
8	Sh. Manish Sisodia	18.04.16	DUDA/ EAST/ 05-13, 18.04.16	3.742	I/D of road side berm from H.No. 01 to 29 in Pkt. F Mayur Vihar Ph II in w.no. 219	21.07.16	303986
9	Sh. Manish Sisodia	08.09.2016 22.12.2016	DUDA/ EAST/ 1038-1048, 2005-2014	6.180	I/D of lane No. 09 of D Block from H.No. 381 to 372 in West Vinod Nagar by pdg. RMC in w.no. 217	21.11.16	587110
10	Sh. Manish Sisodia	08.09.16	DUDA/ EAST/ 1047-1059	4.009	I/D of lane No. 01 in Block B from H.No. B-86 to B-161 in West vinod nagar by pdg. RMC in W.No. 217/ AC-57	21.11.16	380855

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Sh. Manish Sisodia	08.08.16 22.12.16	DUDA/ EAST/ 1016-1026 1983-1993	9,235	I/D of lane No. 9A from H.No. A-44 to C-92B by pdg. RMC in Block C in West Vinod Nagar in w.no. 217 AC-57	21.11.16	877301
12	Sh. Manish Sisodia	08.09.16 22.12.16	DUDA/ EAST/ 1060-1069 1962-72	10,290	I/D of lane No. 8 Block C From H.No. C-290 to C-71B in West Vinod Nagar by pdg. RMC in w.no. 217 SSZ	28.11.16	977563
13	Sh. Manish Sisodia	08.09.16	DUDA/ EAST/ 1605-1614	23,360	I/D of Patparganj Village by pdg. RMC in lane opp. MCPS in-C-220 AC-57 SSZ	19.12.16	2137310
14	Sh. Manish Sisodia	05.10.16	DUDA/ EAST/ 1412-1421	14,820	I/D of Acharya Niketan lanes by pdg. Drain in lane from road to H.No. 28B and RMC and drainage in lane opp. Mandir and its links in C-220 AC57	19.12.16	1408185
15	Sh. Manish Sisodia	04.11.16	DUDA/ EAST/ 1625-1634	12,680	I/D of road from patparganj road chowk to Ahlcon International school by pdg. RMC in C-220/AC-57 SSZ	19 12.16	1204885
16	Sh. Manish Sisodia	04.11.16	DUDA/ EAST/ 1635-1644	21,410	I/D of Shashi Garden lane from H.No. B-3 to B-21/09 C-860 C-18 C-51 to 49 by pdg. RMC in C-220 AC-57 patparganj	19.12 16	2033475

17	Sh. Manish Sisodia	05.10.16	DUDA/ EAST/ 1532-1549	9.450	I/D of lanes of Patparganj Village by pdg. RMC from H.No. 204 to 222207 to 219 and link Nr. H.No. 210 in C-220 AC-57 SSZ	20.12.16	897275	
18	Sh. Manish Sisodia	05.10.16	DUDA/ EAST/ 1471-1481	15.090	I/D of road patparganj village by RMC from main Patparganj road to H.No. 156 and links near 170/1 and 171 C-220/AC-57 SSZ	20.12.16	1433170	
19	Sh. Manish Sisodia	05.10.16	DUDA/ EAST/ 1459-1470 1973-1982, 22.12.16	23.470	I/D of road from Shanti marg to Subhash Chowk by pdg. RMC and drain in Surpandwara Mandawali w.no. 218 SSZ	02.01.17	2169318	
20	Sh. Manish Sisodia	05.10.16	DUDA/ EAST/ 1502-1511, 1994-2004, 22.12.16	13.610	I/D of gal No. 6&7 in Sarpanchwara by pdg. RMC in w.No. 218 AC-57. SSZ	02.01.17	1293216	
21	Sh. Manish Sisodia	05.10.16	DUDA/ EAST 1492-501. 2035-2044. 22.12.12	11.970	I/D of lucky block gali no. 4B and gali No. 5 in Sarpanchwara by pdg. RMC in w.no. 218 AC-57 SSZ	02.01.17	1137048	
Total							260.211	24205058

**Details of MLA Fund of Sh. Nitin Tyagi AC No 58 (Discretionary Fund) for the year 2016-17**

Sl. No.	Name of MLA &A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nitin Tyagi	29.04.16	DUDA/ EAST/ 392-400, 29.04.16	1.954	I/D of lane from H.No. A-6 to A-8 Nr. Sanjay park A 3lock Shakarpur and H.No. U-60 to U-64 in Jpadhayay Block shakarpur in w.no. 223 AC-58 AC-55	02.06.16	185630
2	Nitin Tyagi	29.04.16	DUDA/ EAST/ 410-418, 29.04.16	4.348	3/F precest RCC slat) on the drain on main mandawali road in w.no. 223/ AC-58 SSZ	10.06.16	408804
3	Nitin Tyagi	29.04.16	DUDA/ EAST/ 401-409, 29.04.16	11.416	I/D of lane from H.NO. DA-18 to D-45 and D-83/A in D. Block Shakarpur in w.no. 223/AC-58 SSZ	10.06.16	913187
4	Nitin Tyagi	21.04.16	DUDA/ EAST/ 242-250, 21.04.16	8.545	I/D of lane of F Block Laxmi Nagar by pdg. CC from ane Nr. H.NO. F-180. F-259 and F-266 in C-222 AC-58 in Laxmi Nagar	17.06.16	725877

5	Nitin Tyagi	21.04.16	DUDA/ EAST/ 97-105, 21.04.16	6.339	I/D of lane of guru ram dass nagar by pdg. From lane adjoining of h.no. 237, 333 and 223 in C-222/AC58 in Laxmi nao,ar	17.06.16	538555
6	Nitin Tyagi	21.04.16	DUDA/ EAST/ 233-241, 21.04.16	8.020	I/D of I Block Nr. Subhash Chowk by pg. CC from lanes adjoining to H.NO. I 33 in C-222 AC-58 in Laxmi Nagar.	17.06.16	681320
7	Nitin Tyagi	21.04.16	DUDA/ EAST/ 251-259	7.673	I/D of Guru Ram Dass Nagar colony by pdg. From pdg. Drain in lane adjoining to H.No. 629 & pdg. CC in lane adjoining to H.No. 624 and B-10 in. Garu Ram Dass Nagar in c-222 AC-58	17.06.16	651851
8	Nitin Tyagi	21.04.16	DUDA/ EAST/ 70-78, 21.04.16	4.250	Imp.Dev. of lanes of J&K Block Laxmi Nagar by pdg. CC from H.No. 37 to 32 in C-221 in ishan Kunj	20.06.16	403370
9	Nitin Tyagi	21.04.16	DUDA/ EAST/ 52-60, 21.04.16	4.090	I/D of lanes of Kundan Nagar by pdg. CC from Road along disuse canal in C-221 AC-58 in Kishan Kunj	20.06.16	352086
10	Nitin Tyagi	21.04.16	DUDA/ 4.190	4.190	I/D of lanes of Lalita Park by pdg.	20.06.16	361165

1	2	3	4	5	6	7	8
			EAST/ 61-69, 21.04.16		CC from Lane adjoining to H.No. 11/431 in C-221 AC-58 in Kishan Kunj		
11	Nitin Tyagi	21.04.16	DUDA/ EAST/ 79-87, 21.04.16	2.170	I/D of lanes of B Block Priyadarshini Viohar by pdg. CC from Main market road to Lovely Public School in C-222 AC-58 in Laxmi Nagar.	20.06.16	188277
12	Nitin Tyagi	12.08.16	DUDA/ EAST/ 957-965	10.710	Imp. Dev. of lane of J-Extn. Laxmi Nagar by pdg RMC from H.No. J-3/145 to Kishan Kunj Road in C-221/AC-58 In Kishan Kunj.	07.11.16	1017450
13	Nitin Tyagi	20.09.16	DUDA/ EAST/ 1307-1317, 2065-2074, 22.12.16	23.553	Imp.Dev. of lane from H.No. MB-61/A to MB-81/C in Master Block Shakarpur/ in Ward No. 223 AC-58 SSZ	11.11.16	1287489
14	Nitin Tyagi	20.09.16	DUPA/ EAST/ 1307-1317	12.690	Const. of drain from House NO. D-55 to D-63 in D Block Pandav Nagar in Ward No. 224 AC-58 SSZ	23.11.16	334495
15	Nitin Tyagi	20.09.16	DUDA/ EAST/ 1318-1328	3.760	Imp. Dev. of lane near House No. H-45 in Saket Block Mandawali in No. 223 AC-58 SSZ	23.11.16	357200



16	Nitin Tyagi	20.09.16	DUDA/ EAST/ 1276-1286	6.470	Imp. Dev. of lane near House No. S-511 and link in School Block Shakarpur in Ward No. 223 AC-58 SSZ	23.11.16	6141.55
17	Nitin Tyagi	12.08.16	DUDA/ EAST 939-947	100.280	I/D of F and FF block by pdg. RMC of opp. MCPS to Maharaja Banquet hall in C-222 AC-58 SSZ	16.12.18	9526600
16	Nitin Tyagi	12.08.16	DUDA/ EAST 948-956	56.280	I/D of Gurudwara road wesl guru angad nagar by pdg. from pdg. RMC and drainage in C-222 AC-58	26.12.16	5346980
Total							23894891

**Details of MLA Fund of Sh. Om Prakash Sharma AC No. 59 (Discretionary Fund) for the year 2016-17**

Sl. No.	Name of MLA & A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sh. Om Prakash Sharma	18.03.16	3DM/ DUDA/2 675-2686	9.8311	I/D of service lane from H.No. 33 to 45 in Kiran Vihar by pdg. BMC from in Anand Vihar SH: I I/D of Service ane from H.No. 71 to 79 in Kiran Vihar [71-79) by pdg. RMC from in	11.04.16	933945

1	2	3	4	5	6	7	8
					Anand Vihar SH:2 I/D of service lane adjacent to H.No. 64 in Kiran Vihar by pdg. RMC rom in Anand Vihar SH: 3 I/D of service lane adjacent to H.No72 in Kiran Vihar by pdg. RMC from in ward No. 225 of AC-59 SSZ		
2	Sh. Om Prakash Sharma	18.0316	SDM/ DUDA/2 675-2686	2.611	Strengthening of B/W adjacent to h.No. 1 in Kiran Vihar by pdg. From Washed marble chips plaster in n.no. 225 of AC-59 SSZ	11.04.16	248045
3	Sh. Om Prakash Sharma	04.05.16	SDM/ DUDA/1 31-142. 04.05.16	3.670	I/D of service lane from H.No. 25 to 32 in Kiran Vihar by pdg. RMC from in Anand Vihar SH: I/D of B/W opp Of H.No. A-55 in Surajmal vihar by pdg. Concertina coil fencing from in ward no. 225 of AC-59 SSZ	02.06.16	348650
4	Sh. Om Prakash Sharma	11.07.16	SDM/ DUDA/4 62-473	12.680	Imp.Dev. of Ashoka Niketan by pdg. Precast RCC slabs on drain in W.No. 225/AC-59 SSZ	07.10.16	1268274
5	Sh. Om Prakash Sharma	11.07.16	SDM/ DUDA/4 62-473	2.890	Imp.Dev. of park adjacent to H.No. C-148 Anand Vihar by pdg. Interlocking tiles in W.No. 225/AC-59 SSZ	07.10.16	274493

6	Sh. Om Prakash Sharma	11.07.16	SDM/ DUDA/2 54-265	4.220	Imp.Dev. of service lane from H. No. A-172 to H.No. A-186 in Surajmal Vihar by providing RMC in w.no 225 of AC-59 SSZ	07.10.16	401185
7	Sh. Om Prakash Sharma	28.07.16	SDM/ DUDA/4 93-504	8.910	Imp.Dev. of gali no. 13 from H.NO. 25/16 to H.No. 26/1 by pdg. RMC from in Vishwas Nagar w.no. 226 AC50 SSZ	17.10.16	846700
8	Sh. Om Prakash Sharma	15.07.16	SDM/ DUDA/3 52-363	9.120	Imp.Dev. of gali no. 11 from H.No. 32/49 to H.No. 32/64 by pdg. RMC from in Bhikam Singh colony in Ward No. 226 AC-59 Vishwas Nagar SSZ	17.10.16	866614
9	Sh. Om Prakash Sharma	15.07.16	SDM/ DUDA/3 52-363	8.800	Imp.Dev. of gali no. 13 from H.NO, 31/8 to 31/16 by pdg. RMC from in Bhikam Singh Colony in Ward No. 226 of AC-59 Vishwas Nagar SSZ	17.10.16	836319
10	Sh. Om Prakash Sharma	15.07.16	SDM/ DUDA/ 756-766	7.110	Imp.Dev. of Ravluas Gali from (H.No. 618/2 to H.No. 617/F/511) by pdg. RMC from in Vishwas Nagar Ward No. 22	17.10.16	675267
11	Sh. Om Prakash Sharma	15.07.16	SDM/ DUDA/3 46-351	9.450	Imp.Devt of Gali No. 5 by pdg. RMC from in Bhikam Singh Colony in Ward No. 226 of AC-59 Vishwas Nagar SSZ	17.10.16	898187

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Sh. Om Prakash Sharma	15.07.16	SDM/ DUDA/ 881-892	19,400	Imp.Dev. of lane (flat No. 21A to 40A) Flat No 44A, Flat No. 74A to 76A. Flat No. 65A to 72A, Flat No. 1A to 10A, Flat No. 72A. to 53A. by pdg. RMC from in Shivam Enclave in Ward No. 226 SSZ	17.10.16	1843198
13	Sh. Om Prakash Sharma	15.07.16	SDM/ DUDA/3 64-375	8,460	Imp.Dev. of gali no. 7 from H.No. 30/44 to H.No. 30/85 by pdg. RMC from in Vishwas Nagar Ward No. 226 of AC-59.SSZ	17.10.16	803348
14	Sh. Om Prakash Sharma	11.07.16	SDM/ DUDA/4 62-473	23,610	I/D of sevice lane from H.No. 12 to 28, 29 to 46. 95 to 101, 135 to 138. 138 to 146. 147 to 160 in Surya Niketan by pdg. RMC in w.no. 225 AC-59 SSZ	24.10.16	2242970
15	Sh. Om Prakash Sharma	15.07.16	SDM/ DUDA/3 38-399	3,900	Imp. Dev. of Gali No. 15 from H. No. 25/49 to H.No. 25/64 [—] by pdg. RMC from in Vishwas Nagar ward no. 226 of AC-59 SSZ	02.11.16	370390
16	Sh. Om Prakash Sharma	10.08.16	SDM/ DUDA/	4,230	Imp. Dev. of Kasturba Drain [—] by pdg. Slabs from in Vishwas Nagar in	02.11.16	402181

17	Sh. Om Prakash Sharma	09.09.2016 08.11.16	SDM/ DUDA/ 681-892 1539-1550	23.000	21.11.16	2185894
						Ward No. 226, Shahdara Slouth in Vishwas Nagar, AC-59
						Imp. Dev. of lane (Flat No. 60 to 74). (Flat No. 57 to 100) [—] by pdg. RMC from in Shivam Enclave in Wart NO. 226. SSZ in Vishwas Nagar AC-59
18	Sh. Om Prakash Sharma	10.10.16	SDM/ DUDA/ 1240-1251	20.850	21.11.16	1980465
						Imp. Dev. of Sidharth Gali from H.No. 27/1 to H No 27/19) and Bhisam road (6/62 to 30/96) by pdg RMC from in Vishwas Nagar ward No. 226 Shahdara South Zone in Vishwas Nagar AC-59
19	Sh. Om Prakash Sharma	15.07.16	SDM/ DUDA/C 76-387	4.079	121.11.16	387571
						Imp. Dev. of Khajoor Wali Gali Prop. No. (885-829) [—by pdg. RMC from in Jwala Nagar Ward No. 238/AC-62 under SSZ
20	Sh. Om Prakash Sharma	18.08.16 08.11.16	SDM/ DUDAT 56-766 1490-1500	11.920	21.11.16	1132791
						Imp. Dev. of Nehru gali (From H.No. 59/127 to H.No. 3/93 (-) Ely pdg. RMC from in Vishwas Nagar ward No. 226 SSZ in Vishwas Nagar
21	Sh. Om Prakash Sharma	15.07.16 08.11.16	SDM/ DUDA/ 338-399 1502-1513	7.730	21.11.16	734077
						mp. Dev. of road portion from H.No. 6/64 to 6/85) [—] by pdg. RMC from in Vishwas Nagar Ward No 226 to AC-59 SSZ

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Sh. Om Prakash Sharma	15.07.16 08.11.16	SDM/ DUDA/ 346-351 1526-1538	10.410	mp. Dev. of gali no. 10 from (H. No 29/28 to H.No. 29/29) [—] by pdg. RMC from in Vishwas Nagar. Ward No. 226 to AC-59 SSZ	21.11.16	989005
23	Sh. Om Prakash Sharma	15.10.16	SDM/ DUDA/ 1353-1358	4.640	Imp. Dev. of park near H.No. e-105 by pdg. Chartered paver block from in Ward No. 228 E Block Preet Vihar SSZ in Preet Vihar	28.11.16	383800
24	Sh Om Prakash Sharma	15.10.16	SDM/ DUDA/ 1353-1358	8.760	Imp. Dev. of back lanes from H.No. A-72 to A-79 from A-134 to A-142 and from 7A-168 to A-173 by pdg. CC from In Ward No. 228 A Block Preet Vihar SSZ in Preet vihar	28.11.16	832200
25	Sh. Om Prakash Sharma	15.10.16	SDM/DUDA/ 1353-1358	4.630	Imp. Dev. of back lanes from H.No. D-67 to D-78 by pdg. CC from in Ward No. 228 D Block Preet Vihar SSZ In Preet Vihar.	28.11.16	439850
26	Sh. Om Prakash Sharma	15.10.16	SDM/ DUDA/ 1353-1358	9.100	Imp. Dev. of parks near H.No. D-77 and near Durga Mandir by pdg. Tile etc. from in Ward No. 228 D Block Preet Vihar SSZ zone in Preet Vihar	28.11.16	864500

27	Sh. Om Prakash Sharma	26.09.16	SDM/ DUDA/ 1353-1358	16.270	Imp. Dev. of service lanes from H.No. C-479 to C-500, C-408 to C-411 in Yojna Vihar and from H No. C-258 to C-269 in Surajmal Vihar by pdg. RMC in Ward No. 225/AC-59 SSZ	28.11.16	1545840	
28	Sh. Om Prakash Sharma	26.09.16	SDM/ DUDA/ 1353-1358	3.590	Imp. Dev. of service lane from H.No. C-422 to C-437 in Yojna Vihar by pdg. RMC in Ward No. 225 of AC-59 SSZ	28.11.16	341525	
29	Sh. Om Prakash Sharma	26.09.16	SDM/ DUDA/ 1353-1358	3.011	Imp. Dev. of gali no. 9 adjacent to H.No. 322 in Karkardooma Village by pdg. RMC in Ward No. 225/AC-5S SSZ	28.11.16	286045	
30	Sh Om Prakash Sharma	18.08.16	SDM/ DUDA/ 756-766, 1490-1501. 08.11.16	16.410	Imp. Dev. of gali No. 15 (From H.No. 31/128 to H.No. 33/1) and ane (31/65 —31/65) by pdg. RMC from in Bhikam Singh colony in Ward No. 226 Shah. South in Vishwas Kagar.	06 12.16	1559172	
31	Sh Om Prakash Sharma	10.08.16	SDM/ DUDA/ 7683-694, 28.12.16	35.910	Imp. Dev. of LSC in D Block Vivek vihar by pdg. K/S flooring in Plaza area and I/T in parking area in Ward No. 225/AC-59 SSZ	28.12.16	3411324	
Total							319.202	30333825

**Details of MLA Fund of Sh. S.K. Bagga AC No. 60 (Discretionary Fund) for the year 2016-17**

Sl. No.	Name of MLA &A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sh. S.K. Bagga	39.05.16	DUDA/ EAST/ 489-497, 09.05.16	2.234	I/D of lane from H.No. C-25 to C-11 in old Govindpura Extn. By pdg. RMC in w.no. 231/AC-60	15.06.16	197674
2	Sh. S.K. Bagga	09.05.16	DUDA/ EAST/ 471-479, 09.05.16	8.047	I/D of lanes from H.No. A-1 to A-7 and A-5 to A-23 in Laxman park by pdg. RMC and drain in w.no. 231 AC-30	15.06.16	715999
3	Sh. S K Bagga	09.05.16	DUDA/ EAST/ 525-533, 09.05.16	5.237	I/D of lane; from H.NO- 11/18 to 27 in Rashid Market Dy pdg. RyiC and drain in w.no. 231 AC-60	15.06.16	495445
4	Sh S.K. Bagga	09.05.16	DUDA/ EAST/ 498-506, 09.05.16	17.386	I/D of lane No. 1 from H.No. 19B West Chander Nagar o H.NO. 86 Shivpuri by pdg. RMC and drain from H.NO. 19B, West Chander Nagar to Palparganj road n w.no. 231/A0-60	15.06.16	1546932



5	Sh. S.K. Bagga	09.05.16	DUDA/ EAST/ 480-488. 09.05.16	1.689	I/D of gali no. 1 from H.NO. A-4 to 8 in Rashid Market by pdg. RMC and drain in w.no. 231 AC-60	15.06.16	160455
6	Sh. S.K. Bagga	26.04.16	DUDA/ EAST/ 366-374	5.051	C/o toilet nr. HaPPY English School 14 block Geeta Colony Nr., Durga Mandir 16 Block Geeta Colony on palparganj road (PWD) road) in w no. 230 AC-60 SSZ	16.06.16	479892
7	Sh. S.K. Bagga	09.05.16	DUDA/ EAST/ 507-515, 09.05.16	5.695	I/D of lane from H.NO. C-13 to 33B in New Govind pura by pdg. Rmc AND DRAIN in wno. 231 AC-60	16.06.16	535445
8	Sh. S.K. Bagga	09.05.16	DUDA/ EAST/ 543-551, 09.05.16	2.540	I/D of lane from H.NO. G-1A to G-78 and its link along H.NO. g-3 in Jagatpuri by pdg. RMc and drain in wno. 232 AC-6C	16.06.16	241300
9	Sh. S.K. Bagga	09.05.16	DUDA/ EAST/ 534-542, 09.05.16	12.901	I/D of lane No. 16 from H.NO. B-48 to G-47B in Jagatpuri ty pdg. RMC and drain in wno. 232 AC-60	16.06.16	1147849
10	Sh S.K. Bagga	09.05.16	DUDA/ 7.777	7.777	I/D of road from H.NO. G-113/4 to	16.06.16	691933

1	2	3	4	5	6	7	8
			EAST/ 435-443, 09.05.16		B-122/2 in Jagatpuri by pdg. RMC and drain in w.no. 232 AC-60		
11	Sh. S.K. Bagga	23.05.16	DUDA/ EAST/ 645-653, 23.05.16, 761-769, 22.06.16	0.990	C/o Urinal Nr. Taneja Dairy on Jheel road in w.no. 229/AC60 SSZ in Krishna Nagar	06.07.16	94559
12	Sh. S.K. Bagga	21.04.16	DUDA/ EAST/ 106-114, 21.04.16, 21410- 770-778, 22.06.16	6.050	I/D of drainage system by pdg. Of covered drain from H.No. K-72, to K-62 and I/D of side berm Nr. H.NO D-1/1 Krishna Nagar by pdg. CC in w no. 229/AC-60 SSZ in Krishna Nagar.	06.07.16	574902
13	Sh. S.K. Bagga	21.04.16	DUDA/ EAST/ 115-123. 21.04.16	18.930	I/D of road rom H.No. 16/88 to 16/33 Imp. Of side berm from H.No. 16/125 to H.No. 16/60 and H.No. 16/107 to 13/142 in Geeta Coiony [-] by pdg'. RMC from in W.No. 230 AC-60 SSZ	06.07.16	11726797
14	Sh. S.K. Bagga	21.04.16	DUDA/ EAST/	18.870	I/D of footpath of work road from pusla road to Ambedkar Engineering	06.07.16	1689314

124-132. 21.04.16			college in Geeta Colony I/D of road Nr. H.No. X/914, X/901 and X/2167 to X/2172 in Chand Mohalla by pdg. RMC I/D of road from H.No. 17 to 24 in old geeta colony and Nr. 8A/1, in Geeta Colony in w no. 229/AC-60 SSz					
15	Sh. S.K. Bagga	09.05.16	DUDA/ EAST/ 462-470, 09.05.16	30.750	I/D of Anarkali road from H.No. 20 New Layalpur to H.No. 18 Govind Park by pdg. RMC in w.no. 232 AC-60	02.08.16	2921440	
16	Sh S.K. Bagga	16.06.16	DUDA/ EAST/ 696-704, 16.06.16	18.330	Imp. Of drainage system of Lal Quarter road Hansraj marg and around the Senior Secondary school in F Block Krishna Nagar by providing Culverts and CC in Side berms and Imp. Dev. of road near H.No. E-13 in E Block Krishna Nagar in w.no. 229/AC-60 Shah. South in Krishna Nagar.	02.08.16	1741255	
17	Sh S K. Bagga	16.06.16	DUDA/ EAST 678-686, 16.06.16	22.22	I/D of gali nd. 07. 08 and lane from H.No. F-55 to F-65 and A 24 to G-1 in Radheypuri by pdg. RMC in w no. 229 AC-60 SSZ in Krishna Nagar	02.08.16	2110520	
Total				184.697			17071711	

**Details of MLA Fund of Sh. Anil Kumar Bajpai AC No. 61 (Discretionary Fund) for the year 2016-17**

Sl. No.	Name of MLA &A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sh. Anil Kumar Bajpai	01.03.16	DUDA/ EAST/ 1401-1409	15.560	No. of different culvert along pandit prahlod sharma marg and mal koat mahadev marg in kanti nagar extrn. sartaj mohalla and gali no. 1 main kanti nagar and out fall drain from gali no. 4 to drain no. 1 in Sartaj mol-alla by pdg. RMC B/W & RCC slab in w.no. 235/AC-61 SSZ	06.04.16	1 200322
2	Sh. Anil Kumar Bajpai	01.03.16	DUDA/ EAST/ 1419-27	10.539	I/D of gali ho. 04 road side and gali no. 5 park side n shakar nagar extrn. And gali no. 1 from H.No. 85 o 88 in Shankar nagar main by pdg. RMC in w.no. 235 SSZ	06.04.16	9 56158
3	Sh. Anil Kumar Bajpai	07.03.16	DUDA/ EAST/ 1426-36	8.765	I/D of gali ho. 4 from H.NO. X-3615 to X-3652/A-3 by pdg. RMC and D/S in Shanti mohalla w.no. 236 AC-61 SSZ	06.04.16	8 10489
4	Sh. Anil Kumar	01.03.16	DUDA/	15.876	I/D of gali no. 1 and 2 & its link by	06.04.16	1 432997

Bajpai	EAST/ 1437-45	pdg. RMC in Masjid mof alia East Old Seelampur w.no. 235 SSZ.	06.04.16	1323426
5 Sh. Anil Kumar Bajpai	DUDA/ EAST/ 1383-91	I/D of gali no. 6 & 08 from main road to drain and different cu vert along main road seelampur by pdg. RMC RCC slab & Steel cross in Seelampur Village w.no. 236/AC-61 SSZ	06.04.16	1323426
6 Sh Anil Kumar Bajpai	DUDA/ EAST/ 1410-18	I/D of gali no. 3 & main gali in Nanak basti and gali no. 4 from Gurudwara to in Raghupura II and gali no. 9 from H.NO. IX7637 to IX-7664 and H.No. X-5416 to IX-7564 in Amar Mohalla Raghupura II by pdg. RMC in w.no. 236 AC-61 SSZ	06.04.16	2007036
7 Sh. Anil Kumar Bajpai	DUDA/ EAST/ 1165-172, 25.02.16	I/D of gali no. 3 (H.No.IX/1968 to H.No. IX71989) and link (H.NO. IX/ 1872 to IX/1880) by pdg. RMC from in Kailash Nagar w.no. 234 AC-61 SSZ	18 04.16	1096025
8 Sh. Anil Kumar Bajpai	DUDA/ EAST/ 1157-64, 25.02.16	I/D of circular road by pdg. RMC from in Kailash Nagar w.no: 234/AC-61 under SSZ	18.04.16	1272379

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Sh. Anil Kumar Bajpai	21.04.16	DUDA/ EAST/ 1330-38, 26.02.16, 178-186, 21.04.16	11.502	Imp. Dev. of glai no. 6 from H.No. IX/ 2807 to IX/5507 in. Raghubarpara No. 2 [-] by pdg. RMC from in Ward NO. 233/AC-61 SSZ in Dharampura.	05.05.16	1092731
10	Sh. Anil Kumar Bajpai	21.04.16	DUDA/ EAST/ 1148-56, 25.02.16, 189-196, 21.04.16	21.395	Imp. Dev. of gali no. 6 from H.No. IX/ 4468 to IX/4499 in A eet Nagar [-] by pdg. RMC SH:1 Imp. Dev. of gali ;o 9 from H.No. IX/4314 to IX/4526 in Ajeet Nagar (—) by pdg. RMC SH:2 Imp. Dev. of gali no. 9A from H.No. IX/4267 to IX/4272 in Ajeet Nagar [-] by pdg. RMC SH:3 Imp. Dev. of gali no. 10 from H.No. IX/4242 to IX/4206 in Ajeet Nagar [-] by pdg RMC from in Ward No. 233/AC-61 Shahdara South in Dharampura.	05.05.16	2032586
11	Sh. Anil Kumar Bajpai	21.04.16	DUDA/ EAST/ 1312-20, 26.02.16, 133-141 21.04.16	8.609	Imp. Dev. of gali no, 17 from H.NO. IX/4014 to IX/4001 in Ajeet Nagar [-] by pdg. RMC SH:1 Imp. Dev. of gali no. 16 from H.No. IX/4038 to IX/4020 in Ajeet Nagar [—] by pdg. RMC SH:2 Imp. Dev. of gali no. 15 from H.No.	05.05.16	817912

IX/4070 to IX/4099 in Ajeet Nagar [—] by pdg. rMC from in Ward No 233/ AC-61 SSZ in Dallupura.								
12 Sh. Anil Kumar Bajpai	21.04.16	DUDA/ EAST/13 21-29, 26.02.16, 142.150, 21.04.16	3.319	Imp. Dev. of gali no. 4 from Jain Hospital to C-74 in C Block Shastri Park [-] by pdg. RMC from ward no. 233/AC-61 SSZ in Dharampura.	05.05.16	315372		
13 Sh Anil Kumar Bajpai	01.03.16	DUDA/ EAST/ 1392-1400, 01.03.16	31454	I/D of main road shanti Mohalla and Chameli Devi Mandir lane lor Raghu Bapua road to Falak Chowk by pdg RMC in Shanti Mohallaw.no. 23B/AC-61 SSZ	11 05 16	29861911		
14 Sh Anil Kumar Bajpai	09.05.16	DUDA/ EAST/ 51 6-524, 09.05.16	13.705	Installation of Street light arrangment with 07 mtr. long pole in AC-61 SSZ	23.05.16	1301975		
15 Sh Anil Kumar Bajpai	09 05.16	DUDA/ EAST/ 552-560	1.307	C/o Urinal Nr. EDMC Pry School Subhash Mohalla in w.no. 233. 233 AC-61 SSZ	17.06.16	124165		
16 Sh. Anil Kumar	25.04.16	DUDA/	16.52	Imp.Dev. of gali no. 7.from H.No. IX/	02.01.16	568996		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Bajpai		EAST/ 289-297, 25.04.18 819-327, 28.06.16		4426 to IX/4412 in Ajeet Nagar by pdg. RCC, Imp. Dev. of gali No. 8 from H.No. IXV4314to IX/4351, from H.No. IXV4327 of H.No. IX/4335 and H.No. IX/4350 to H.No IX/4344 in Ajeet Nagar by pdg. RMC, Imp Dev of gali No 18 in Ajeet Nagar by pdg. RMC and Imp Dev o gali no 19 from H.No IX/3955 oo IX/3990 in Ajeet Nagar by pdg RMC from in Ward No. 233/AC-6 Shah (South) in Dharampura		
17	Sh. Anil Kumar Bajpai	25.04.16	DUDA/ EAST/ 298-306	44.63	Imp. Dav. of gali no. 6C Irom H.No. IX/2764 to IX/5482 in Raghubarpura No. 2 by pdg. RMC, Imp. Dev. of gali No. BB from H.No. IX/2711 to IX/2737 in Raghubarpura No. 2 by pdg. RMC,Imp. Dev. of gali No. 8 from H.No. IX/2571 to IX/2492 Raghubarpura No. 2 by pdg. RMC Imp. Dev. of gali No. 10 from H.No. IX/2597 to IX/2579 in Raghubaprura No. 02 by pdg. RMC and Imp. Dev. of gali No. 12 from H.No. IX/599B to IX/5831 in Raghubarpura No. 2 by pdg. RMC Imp. Dev. of gali No. 3 from H.No. IX/5810 to IX/5826 in Subhash Mohalla by pdg	02.08.16	4239850



RMC.Imp. Dev. of gali no. 4 from H No. IX/5788 of IX/5796 in Subhash Mohalla by pdg. RMC. Imp. Dev. of gali no. 6 from H.No. IX/5796 in subhash Mohalla by pdg. RMC and Imp Dav from H.No. IX/5702 (Tyagi Building) of IX/5687 in Subhash Mohalla by pdg. RMC in Ward No. 233/AC-61 Shah (South) in Dharampura I/D of Gurudwara Gali in Raghubarpura and Gali No. 5 Rnjarth Extn. By pdg. RMC in W.No. 236 SH; C/o Urinal Nr. EDMC pry. School Kanti Ngar w.no. 235 AC-dh

18	Sh. Anil Kumar Bajpai	12.08.16	DUDA/ EAST/ 975-983	6.840	05.09.16	649021
<b>Total</b>						<b>24229638</b>

**Details of MLA Fund of Sh. Ram Niwas Goyal AC Mo. 62 (Discretionary Fund) for the year 2016-17**

Sl. No.	Name of MLA &A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	Shri Ram Niwas Goyal	28.03.16	SDM/ DUDA/ 3042-3053	18.752	Pdg. of SHML poles at C-106, C-242. Vivek Vihar Ph-I H Pkt Dilshad Garden F Block Dilshad Garden Nr. School LIC colony park Dilshad Garden Pratap Chand (Nr. Hanuman Mandir) Jwala	18.04.16	1781461
1		3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
					Nagar (Nr. Tikona Park) and Bihari colony gali no. 4 in AC-62 nder SSZ		
2	Shri Ram Niwas Goyal	26.04.16	SDM/ DUDA/ 95-106, 26.04.16	14.781	I/D of lane by pdg. RMC from H.No. 488/4, to 488/67 ind 487/4 Aawas Vikas Samiti (Sagar market) Dilshad Garden in w.no. 239 AC-62 SSZ	19.05.16	454195
3	Shri Ram Niwas Goyal	13.05.16	SDM/ DUDA/ 183-194, 13.05.16	2.322	I/D of by pdg. RMC from H.NO. 6/70 to C/10 Mohalla Dhobiwara in w.no. 237/AC-62 SSZ	15.06.16	212183
4	Shri Ram Niwas Goyal	13.05.16	SDM/ DUDA/ 183-194, 13.05.16	6.935	I/D of culvert in Dhoonger Mohalla farsh bazar, Bihari Colony and Tejab mill etc. in w.no. 237/SSZ	15.06.16	658825
5	Shri Ram Niwas Goyal	13.05.16	SDM/ DUDA/ 183-194, 13.05.16	4.582	I/D of lane by pdg. RMC from H.NO. 6/64 to 6/35 Vlohalla Maharau wlai gali in w.no. 237 AC-62 SSZ	15.06.16	415699
6	Sh. Ram Niwas Goyal	13.05.16	SDM/ DUDA/ 183-194, 13.05.16	3.524	I/D of lane by pdg. RMC from H.NO. 4/2906 to 2885/1 Bir.ari Colony in w.no. 2137/AC-62 SSZ	15 06.16	322725

7	Sh. Ram Niwas Goyal	13.05.16	SDM/ DUDA/ 183-194, 13.05.16	5.611	I/D of lane by pdg. RMC from H.NO. 4/389 to 379 A Wali No. 13 Bihari Colony in w.no. 237 AC-62 in SSZ	15.06.16	513809
3	Sh. Ram Niwas Goyal	11.07.16	SDM/ DUDA/ 414-425, 11.07.16	4.800	P/F of SHM Pole at Mpl. Park nr. H.No. 125 J&K Block Dilshad Garden & Mpl. Nr. Sabji Mandi Old Seemapuri in w.no. 240 AC-62 SNZ	13.07.16.	456419
9	Sh. Ram Niwas Goyal	23.06.16	SDM/ DUDA/ 310-321, 23.06.16	3.480	I/D of road from RWA office to Mother dairy in J&K pkt. Dilshad Garden by pdg.O from in w.no. 240/SNZ	13.07.16	330713
10	Sh. Ram Niwas Goyal	10.08.16	SDM/ DUDA/ 670-682	3.810	Imp. Dev. of Gali No. 5 Mukesh Nagar (Budh Vihar) by pdg. RMC from in Jwala Nagar in Shahdara Ward No. 238/AC-62 under SSZ	02.11.16	361500
11	Sh. Ram Niwas Goyal	10.08.16	SDM/ DUDA/ 658-669	4.210	Imp. Dev. of Chakki Wali Gali Prop. No. (512 to 519) [-] by pdg RMC from in Maharathi Colony Jwala Nagar Ward No. 238/AC-62 under SSZ	02.11.16	399855
12	Sh. Ram Niwas Goyal	10.08.16	SDM/ DUDA/	3.940	Imp. Dev. of Prop. No. (543 to 720) (-) by pdg. RMC from in Jwala nagar	02.11.16	374490

1	2	3	4	5	6	7	8
			658-669	Ward No. 238/AC-62 under Shah. S Zone in Jhilmil.			
13	Sh. Ram Niwas Goyal	23.06.16	SDM/ 17.020 DUDA/ 322-333 1430-1441	Imp. Dev. of lane by pdg. RMC and drainage system from H.No. 4/1512 to 4/1491 and 499/2 to Durga Mandir near UGR in Mahavir Block Bholanath Nagar in Ward No. 237/AC-62 Shahdara South Zone	07.11.16	1617280	
14	Sh. Ram Niwas Goyal	24.06.16 17.11.16	SDM/ 1.350 DUDA/ 352-363 1745-1756	Imp. Dev of lane pdg. RMC from H. No. 425/2A to 424/6 Bhela Nath Nagar in Ward No. 237/AC-62 SSZ	2311.16	128412	
15	Sh. Ram Niwas Goyal	10.08.16 17.11.16	SDM/ 6.290 DUDA/ 695-706, 1757-1768	Imp. Dev. of lane by pdg. RMC and drainage system from H.No. 165, 176, 205, 173, 187 and near Mandir in Gajju Kalra ward No. 237/AC-62 SSZ	2311.16	597626	
16	Sh. Ram Niwas Goyal	10.08.16 17.11.16	SDM/ 2.690 DUDA/ 695-706, 1757-1768	Imp Dev of lane by pdg. RMC and drainage system from H.No. 6/136 to H.No. 6/118 Lodhi Mohalla in Ward No.'237/AC-62 SSZ	23.11.16	255570	
17	Sh. Ram Niwas	10.08.16	SDM/ 3.638	Imp. Dev. of lane by pdg. RMC and	23.11.16	1345598	

Goyal	17.11.16	DUDA/ 695, 706, 1757-1768	drainage stem from Farsh Bazar road to 6/367 Doongar Mohalla Trunk Wali Gali in Ward No. 237/AC-62 SSZ		
18 Sh. Ram Niwas Goyal	09.09.2016 17.11.16	SDM/ DUDA/ 893-904 1733-1744	Imp. Dev.:of lane by pdg. RMC and drainage system from H.No. 6/20 to 6/36, 6/57 to 6/56 Mohalla Maharam H.No. 229, 311, 6/464, 323 Bara Thakurdw'ara in Ward No. 237/AC-62 SSZ	23.11.16	912519
19 Shri Ram Niwas Goyal	01.09.16 17.11.16	SDM/ DUDA/ 851-862 1769-80	Imp. Dev. of lane by pdg. RMC and drainage system in Doongar Mohalla from H.No. 6/255 to 6/387, H.No. 455 to 433 Mohalla Maharm, H.No. 257A to 78-B Gali No. 4 H.No. 4/1152 to 439C/1 Gali No. 8 Bholanath Nagar and H.No. 341/A/68 to 341/1B, Shalimar Extn. Gali No. 6 in Ward No 237/AC-62 SSZ	23.11 16	1438086
20 Shri Ram Niwas Goyal	3 23.06.16, 22.11.16	SDM/ DUDA/ 322-333 1838-1848	Imp. Dev.of pdg. RMC and drainage system H.No 158, 135. 117, 156 Gajju Katra in Ward No. 237/AC 62 SSZ	24.1116	543851
21 Shri Ram Niwas	23.06.16	3DM/DUDA/ 3.774	Imp. Dev. of pdg. RMC and drainage	24 11.16	358495

1	2	3	4	5	6	7	8
	Goyal	22 11.16	322-333 1838-1848		system from H.No. 53/57 to 1968 Bholanath nagar in Ward No. 237AC-52 SSZ		
22	Sh. Ram Niwas Goyal	01.09.16 17.10.16	SDM/ DUDA/ 851-862 1769-1780	22.228	Imp. Dev. of lane by pdg. RMC and drainage system from H.no. 62/5 to 106/3 and H.No. 179/2 to 188 Teliwara in Ward No. 237/AC-62 SSZ in Shahdara	24.11.16	2111679
23	Sh. Ram Niwas Goyal	23.06.16 14.12.16	SDM/DUDA/11.609 322-333, 2060-71		Imp. Dev. of lane by pdg. RMC and drainage system from H.No. 4/1705 LIC road in Mahavir block in Ward NO. 237/AC-62 SSZ	16.12.16	1102901
24	Shri Ram Niwas Goyal	04.11.16	SDM/ DUDA/ 1455-1465	29.293	Imp. Dev. of peer baba road [—] by pdg. RMC from In Jwala Nagar ward No. 238/AC-62 Shahdara South in Jhilmi	28.12.16	2782835
25	Shri Ram Niwas Goyal	04 11.16	SDM/ DUDA/ 1455-1465	20.681	Cosnt. of drain in Hari Mandir gali and pdg. And laying RMC in lane (7/153 to 27/51) near Amar Ashram Gali No. 2 (Prop No. 166 to 77/3) Mukesh Nagar and chowk and side lane adj to Shiv Shakti Mendi, in Jwala Nagar ward No. 238/AC-62 ssz	28.12.16	1964695

26	Sh. Ram Niwas Goyal	10.10.16	SDM/ DUDA/ 1308-1311	2.675	Imp. Dev. of lanes adjacent Prop. No. 390. 396 and 8/401 by pdg. RMC from in Loni Gale Sahhdara in Ward Mo. 238/AC-62 SSZ	28.12.16	254125	
27	Sh. Ram Niwas Goyal	10.10.16	SDM/ DUDA/ 1252-1263	5.754	Imp. Dev. of lanes adjacent Prop. No. 28/115, 28/122 and 28/126 (—) by pdg. RMC from in Kaslurba Nagar in Ward No 238/AC-62 SSZ	28.12.16	546630	
28	Sh. Ram Niwas Goyal	20.10.16	SDM/ DUDA/ 2222	15.477	Imp. Dev. of road along dear park L Pkt. Dilshad Garden by pdg. from in Ward No. 240 SNZ	28.12.16	1470315	
29	Sh. Ram Niwas Goyal	20.10.16	SDM/ DUDA/ 2222	2.315	Imp. Dev. of gali Opp. Chand Mohalla to C-367 in C Block old Seemapuri by pdg. Front in Ward No. 240 SNZ	28.12.16	219925	
30	Sh. Ram Niwas Goyal	01.12.16	SDM/ DUDA/ 2222	17.355	Pdg. and laying RMC in lane prop. No. 430-501 and links adj. to 431 and 486. lane (27/94/17A) gali no. 5 (209 to 214) and link (200 to 213) in Jwala Nagar and lanes, adj. to prop No. 8/7 and pal chaupal in Gudai Mchalla Shahdara in Ward No. 238/AC-62 SSZ Jhilmil	03 01.17	1648733	
<b>Total</b>								<b>24581149</b>
								<b>259,364</b>

**Details of MLA Fund of Sh. Rajendra Pal Gautam AC No. 63 (Discretionary Fund) for the year 2016-17**

Sl. No.	Name of MLA & A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sh. Rajendra Pal Gautam	25.04.16	DUDA/ EAST/ 11 7-128, 25.04.16	8.199	P/O park light in Mpl. Park ABD Block Dilshad Colony in w.no. 242/AC-63 SNZ	04.05.16	778973
2	Sh Rajendra Pal Gautam	26.07.16	DUDA/ EAST/ 469-480	12.150	'IF of SHMPole at Mpl. E-1 Block in Front of Gagan ienema H Block Shani Bazar MPL Park L Block Mpl N Block Masjid Wala Park Sundar Nagar in to w.no 244 AC-63 SNZ	29 07.16	1153861
3	Sh. Rajendra Pal Gautam	23.08.16	3DM/ DUDA 806-817	53.600	I/D of road from H.No. 18 to 515 and gali op. H.No. 10, 56,40,120,203,298, 281,369,532 in Block Sunder Nageri by pdg.O from in w.no. 244 SNZ	14.09.16	3168497
4	Sh. Rajendra Pal Gautam	23.08.16	3DM/ DUDA 806-817	13.840	I/D of gali Nrj-Dispensary Opp. H.No. G-10 and G-21 n G Block Sunder Nagari by pdg.O from in W.No. 244 SNZ	14.09.16	1315089



5	Sh. Rajendra Pal Gautam	23.08.16	SDM/ DUDA 806-817	6.400	I/D of road from H.No. 434 to 464 in M Block Sunder Nagari by pdg.O from in W.No. 244 SNZ	14.09.16	608191
6	Sh. Rajendra Pal Gautam	23.08.16	SDM/ DUDA/ 794-805	71.840	I/D of road opp. Shiv Mandir of Gali No. 2 and RMC Df drain from Shiv mandir to kali mandir in Tahirpur Village by pdcj.O from w.no. 242 SNZ	14.09.16	4024020
7	Sh. Rajendra Pal Gautam	23.08.16	SDM/ DUDA/ 794-805	29.480	I/D of roads in E Block New Seemapuri by pdg.O from in w.no. 242 SNZ	14.09.16	2800605
3	Sh. Rajendra Pal Gautam	09.09.16	SDM/ DUDA/ 905-916	6.260	Imp.Dev. of gali Opp. H.No. 365 in front DJB office and links In F-1 Block Sunder Nagari by pdg.O from in w.no. 244 Shah. (N) Zone	14.09.16	594219
9	Sh. Rajendra Pal Gautam	09.09.16	SDM/ DUDA/ 905-916	4.140	Imp. Dev. of L Block park in Sunder Nagari by pdg.O from in Ward No. 244 SNZ	14.09.16	393329
10	Sh. Rajendra Pal Gautam	09.09.16	SDM/ DUDA/ 905-916, 2259-2270, 26.12.16	3.132	Imp.Dev. of gali Opp. H.No. 330, CTC in 1 Block. Sunder Nagari by pdg. 0 from in w.no. 244 SNZ	14.09.16	316525

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Sh. Rajendra Pal Gautam	09.09.16	SDM/ DUDA/ 905-916	11.980	Imp.Dev. of gali opp. H.No. 98, 142 202 and link in J Block sunder Nagari by pdg 0 from w.no. 244 SNZ	14.09.16	138405
12	Sh. Rajendra Pal Gautam	09.09.16	SDM/ DUDA/ 905-916	9.960	Imp Dev. of gali opp. H.No. 76, 153 and link sin K Blcok sunder Nagari by pdg.0 from in w.no. 244 SNZ	14.09.16	946387
13	Sh. Rajendra Pal Gautam	09.09.16	SDM/ DUDA/ 917-928	7.530	Imp.Dev. of facility [-] by pdg.0 near D-1, Central park in Nanad Nagari from in w.no. 243, SNZ	20.09.16	715603
14	Sh Rajendra Pal Gautam	09.09.16	SDM/ DUDA/ 917-928	33.860	Imp.Dev. of Kachipur village [-] by pdg. 0 from Ch. Manoj House to Vishal Hosue, Bharampal House to A-2 recreation centre, Geeta House to Ganga Sadan, Dilip House to Radha Kishan Temple, Lalit House to Kalawati House, Fateh Singh House to Nanak Chand House, Khem Chand House to Ratan Singh, Khemchind House to Ram Bharose House. Ikkal House to Omprakash House, Kalu House to Dhani Ram House. Nanak Chand House to A-2 Block Mkt. in Nanad Nagari ward No. 243	20.09.16	3216577

15	Sh Rajendra Pal Gautam	09.09.16	SDM/ DUDA/ 917-928	22.660	Imp.Dev. of lane by pdg. RMC from H No. B-1/3.1 to B-1/60, B-1/3900 B-1/140 to B-1/281 to B-1/130 and link along B-1/450 B-5/365 to B-5/73, B-4/391 to B-4/410, B-4/141 to 13-4/ 160 in w.no. 243 SNZ	20 09.16	2152780
16	Sh. Rajendra Pal Gautam	09.09.16	SDM/ DUDA/ 917-928	13.480	Imp.Dev. of lane by pdg.O from A-1/ 231 to A-1/280 and big facility in Nand nagari ward No. 243 SNZ	20.09 16	1280797
17	Sh Rajendra Pal Gautam	09.09.16	SDM/ DUDA/ 917-928	15.090	Imp.Dev. of lane ay pdg.O from A-1/ 231 to B-1/280 and links between MC Pry School in Nand nagari w.no. 243	20.09.16	1433502
18	Sh Rajendra Pal Gautam	09.09.16	SDM/ DUDA/ 917-928	16.050	Imp.Dev. of lane jy pdg.O from A-3/ 251 to A-3280 and links between MC Pry. School and Park. A-3/430 to A-3/ 125, A-3/281 to A-3/310 in Nand nagar Ward No. 243.	20.09.16	1524902
19	Sh. Rajendra Pal Gautam	09.09.16	SDM/ DUDA/ 917-928, 2247-2258 26.12.16	3.644	Imp.Dev. of approach road to kabristan in H Block Sunder Nagari by pdg. 0 from in Ward No. 244 SNZ	21.09.16	346213

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	6.990	Imp.Dev. of lane from in between Flat No. 104 to Flat No. 6 in D Pocket GTB enclave by pdg. RMC from in ward No. 241 SNZ Dilshad Garden.	29.09.16	664525
21	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	4.570	Imp.Dev. of compound in between from Flat No 1928 to 1339 in 2142 Janla Flat by pdg. RMC from in Ward No. 241 SNZ Dilshad Garden.	29.09.16	434340
22	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.09.16	3DM/ DUDA/ 1056-1067	14.760	Imp.Dev. of drain and lane from in between flat No. 8/A to Central park in A Pocket by pdg. RMC from in Ward No. 241 SNZ Dilshad Garden.	29.09.16	452485
23	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	12.080	Imp. Dev. of lane from 92A to Flat No. 54A in F-pkt by pdg. RMC from in Ward No. 241 SNZ Dilshad Sarden	29.09.16	197500
24	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	6.460	mp.Dev. of lane from in between BSES Sub Station o Flat No 65 in F Pocket by pdg. RMC from in A/ard No. 241. SNZ Dilshad Garden.	29.09.16	613320
25	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	2.970	mp. Dev. of compounds near Flat No. 603. 146 & 241 in Q Pkt. by pdg. RMC from in Ward No. 241 SNZ Dilshad Garden	29.09.16	282435

26	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	6.830	mp. Dev of park near Flat No. 56 in C Pocket LIG flat GTB encalve by pdg. 0 from in w.no. 241 SNZ Dilshad Garden	29 09.16	649135
27	Sh Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	5.960	Imp. Dev. of compound near BSES substation in Q pkt. by pdg. RMC from in w.no. 241 SNZ dilshad garden	29 09.16	566200
28	Sh Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	3.440	Imp. Dev. of concertina coil, fencing in D Pkt. by pdg. 0 from in w.no. 241 SNZ Dilshad Garden	29.09.16	326420
29	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	5.990	Imp. Dev. of road from Shiv Mandir Flat No. 108A to Flat No. 8V3A in E Pkt. LIG Flat by pdg RMC from in ward no. 541 SNZ Dilshad gArden	29.09.16	569430
30	Sh Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	2.500	Imp. Dev. of lane from Flat No. 2043 to 2106 in 2142 Janta Flat by pdg. RMC from in ward No. 241 sNZ Dilshad Garden.	2909.16	237310
31	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	21.430	Imp. Dev. of drain and lane from in between Flat No. 24-A to Gate No. 4 in A Pocket MIG Flat by pdg. RMC from: in Ward No. 241 SNZ Dilshad Garden.	16.09.16	2035945

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	11.750	Imp. Dev. of main road from Flat No. B-19 to gate No. 1 in BPocket GTB Enclave by pdg. RMC from in Ward No. 241 Shah. N Zone Dilshad Garden.	16.09.16	1116630
33	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	18.580	Imp.Dev. of drain and lane from in between flat no. 40-IX to C-32 XI in C Block by pdg RMC from in Ward No.:241 SNZ Dilshad Garden	16.09.16	1764815
34	Sh Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	13.480	Imp. Dev. of Dr. BR Ambedkar park in 2142 Janta Flat by pdg.O from in Ward No. 241 SNZ Dilshad Garden.	16.09.16	1280600
35	Sh Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	26.890	Imp Dev. of drain and lane from Flat No. 920 to main gate in 2142 Janta Flat by pdg. RMC from in Ward No. 241 SNZ	16.09.16	2554075
36	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.09.16	SDM/ DUDA/ 1056-1067	21.230	Imp.Dev. of road from Ambedkar Gate to Sai Road Gate No. 1 in 2142 Janta Flat by pdg. RMC from in Ward No. 241 SNZ Dilshad Garden	16.09.10	2018470
37	Sh. Rajendra Pal	10.10.16	SDM/	15.230	Providing K Fixing of Semi High Mast	25.10.16	1447153

Gautam	DUDA/ 1288-1299	Light pole at Mpl. Park A 2/1, A-3, A-4 B-2/411 and A-1 Nand Nagari in Ward No. 243 AC-63 under SNZ	524,435	45117363
Total				

**Details of MLA Fund of Sh. MS. Sarita Singh AC N 3. 64 (Discretionary Fund) for the year 2016-17**

Sl. No.	Name of MLA & A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ms Sarita Singh	11.07.16	DUDA/ EAST/ 450-461, 11.07.16	5,000	P/F 150 waits street light fitting in Mansarovar park ;abool Nagar East Rohtash Nagar Shri Ram Nagar ind Subhasf Park Welcome colony punchsheel 3arden in w.no. 242 and 248 AC-64 SNZ	29.07.16	474880
2	Ms. Sarita Singh	15.07.16	DUDA/ EAST/ 328-339, 15.07.16	2,590	P/F of 12 Mtr. along SHML pole in Mpl. Park near Shanti Nursing Home Naveen Shahdara in w.no. 248 C-64 SNZ	29.07.16	244191
3	Ms. Sarita Singh	28.07.16	DUDA/ EAST/	5,880	Imp. Dev. of chowk in C3 Block near H.No. 3/450 in 3 Block Nand Nagari	10 08.16	558487

1	2	3	4	5	6	7	8
			481-492, 28.07.16		by pdg. 0 from in Ward No. 245 in SSZ Durgapuri AC-64 Rohtash Nagar.		
4	Ms. Sarila Singh	28.07.16	DUDA/ EAST/ 881-789	8.820	Imp.Dev. of park near H.No. C-1/180 to H.No. C-1/357 in C-1 Slock Nand Nagari by pdg.O from in Ward No. 24 in SNZ Durgapuri AC-64 Rohtash Nagar.	10.08.16	837700
5	Ms. Sarita Singh	28.07.16	DUDA/ EAST/ 881-789	19.760	Imp.Dev. of road from Payal Medicos C-3/10 to EDMC parking in C-3 Block Nand Nagari by pdg. RMC from in ward No. 245 SNZ Durgapuri AC-64 Rohtash Nagar.	10.08.16	1876973
6	Ms. Sarita Singh	28.07.16	DUDA/ EAST/ 881-789	12.670	Imp. Dev. of gali no. 2 Jagatpuri from H.No. 1/4649/B-50 o H.No. 117 by pdg. RMC from in Ward No. 245 SNZ Durgapuri AC-64 Rohtash Nagar.	10.08.16	1203761
7	Ms. Sarita Singh	28.07.16	DUDA/ EAST/ 881-789	13.790	Imp. Dev. of link near Gali No. 7 Ram Nagar Extn. From H.No. 1/4343 to 1/4370 in Ram Nagar Extn. By pdg. RMC crom n Ward No. 245 SNZ Durgapuri AC-64 Rohtash Nagar	10.08.16	1309605
8	Ms. Sarita Singh	28.07.16	DUDA/ 881-789	3.180	Imp Dev. of link near gali No. 074	10.08.16	301731



9	Ms. Sarita Singh	28.07.16	EAST/ 481-492, 28.07.16	Chander Lok from H.No. 5C1 to H.No. 460 Chander Lok by pdg. RMC from in ward no. 245 SNZ Durgapuri AC-64 Rohtash Nagr.	10.08.16	2005590
			DUDA/ EAST/ 481-492, 28.07.16	Imp. Dev. of gali no. 02 Chander Lok from H.No. 398 to H.No. 722 in Chander Lok by pdg. RMC from in Ward No. 245 SNZ Durgapuri AC-64 Rohtash Nagar		
10	Ms. Sarita Singh	15.07.16	DUDA/ EAST/ 316-307	I/D of road from H.No. 1/8338 to 1526 Babarpur road in West Rohtash Nagar [—] by pdg.RMC in Welcome in no 248 SNZ	26.08.16	1156990
			DUDA/ DUDA/ 426-437	Pdg. & fixing 150 waits street light fitting in new Modern Shahdara Jagatpuri, Ram Nagar Ext. and nathu colony LG MIG Flat East of Loni Road Durga Puri extn. And Iyoti Nagar (East) in Ward No. 245 and 246, AC-6 under SNZ	16.09.16	474573
11	Ms. Sarita Singh	11.07.16	DUDA/ DUDA/ 426-437	Pdg. & fixing 150 waits street light fitting in new Modern Shahdara Jagatpuri, Ram Nagar Ext. and nathu colony LG MIG Flat East of Loni Road Durga Puri extn. And Iyoti Nagar (East) in Ward No. 245 and 246, AC-6 under SNZ	16.09.16	474573
12	Ms. Sarita Singh	09.07.16	DUDA/ DUDA/	Imp. Dev. of gali no. 1 Ashok Nagar Lalita Mandir from H.No. B-436 to	16.09.16	1007997

1	2	3	4	5	6	7	8
			426-437		D-636 by pdg. RMC from in Ward No. 246 /C-64 (Rohtash Naqar) SNZ		
13	Ms. Sarila Singh	09.07.16	DUDA/ DUDA/ 426-437	2.590	Imp. Dev. of link gali no. 2/4 near H.No. C-1/180 to H.No. A-130 West nathu Colony by pdg. RMC from in Ward No. 246 SNZ	16.09.16	246442
14	Ms. Sarila Singh	09.07.16	DUDA/ DUDA/ 426-437	7.020	Imp.Dev. of gali no a C Block Ashok Nagar near H.No. 303 to 474 and gali no 23 R Block Ashok Nagar by pdg RMC from in Ward No 24b SNZ	16.09.16	667051
15	Ms Sarita Singh	09.07.16	DUDA/ DUDA/ 426-437	1.970	Imp.Dev. Of link Gali No. 2 near H.NO. A-62 to 78 Durga Puri extn.' By pdg. RMC from in W.No. 246 SNZ	16.09.16	187490
16	Ms. Sarita Singh	26.09.16	DUDA/ DUDA/ 1107-1118	5.150	Imp. Dev. of roed from H.NO. 15 to H.No. 9 in Naveen Shahdaia [—] by pdg. RMC in Welcome in Ward No. 248 S JZ SH: 1 Imp. Dev. of road from H.No. 17 to H.N.;). 21 in Naveen Shahdara [-] by pdq. RMC in wel come in Ward No. 248 SNZ.	27 09.16	488965

17	Ms. Sarita Singh	26.09.16	DUDA/ DUDA/ 1107-1118 2021-2032, 06.12.16	3.893	Imp. Dev. of road from H.No. F-80 to H.No. F-48 in Naveen Shahdara [—] by pdg. RMC in Welcome in Ward No. 248 In SNZ	27.09.16	369877
18	Ms. Sarita Singh	26.09.16	DUDA/ DUDA/ 1107-1118 2021-2032, 06.12.16	2.767	Imp. Dev. of road from H.NO. N-44 to H.No. N-47 in Naveen Shahdara [-] by pdg. RMC in Welcome in Ward No. 248 SNZ	27.09.16	262903
19	Ms. Sarita Singh	26.09.16	3UDA/ DUDA/ 1107-1118 2021-2032, 06.12.16	6.724	Imp. Dev. of road from H.NO. M-64 to H.NO. M-54 Naveen Shahdara [—] by pdg. RMC in Welcome in Vard No. 248 SNZ SH: Imp., Dev. of road from 1.NO. G-3A to Sri Ram Satsang Bhawan in Naveen Shahdara [—] by pdg. RMC in Welcome in Ward No. 48 SNZ	27.09.16	638774
20	Ms Sarita Singh	26.09.16	DUDA/ DUDA/ 1107-1118 2021-2032, 06.12.16	9.921	Imp. Dev. of road from H.No. 1/11220-B to Kalka sweets in Oldhanpur [—] by pdg. RMC in Welcome in ward No. 248 SNZ SH: Imp. Dev. of road from H.No. 1/614 to H.No. 1/614-A in Oldhanpur [—] by adg. RMC in Welcome in W.NO. 248 SNZ	27 09.16	942542

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Ms. Santa Singh	26.09.16	DUDA/ DUDA/ 1107-1118 2021-2032, 06.12.16	10.328	Imp. Dev of road from Babarpur road to H.No. 1/10525 in pratap pura [-] by pdg. RMC in Welcome n Ward No. 248 SNZ	27.09.16	981168
22	Ms. Sarita Singh	26.09.16	DUDA/ DUDA/ 1107-1118 2021-2032, 06.12.16	4.479	Imp. Dev. of road from H.No. 1/2766 to H.No. 1/2768 in Ram Nagar [-] by pdg. RMC in Ram nagar in Ward No. 247 SNZ SH: I Imp. Dev. of road from H.No. 1/2793 to H.No. 1/2802 in Ram nagar [-] by pdg. RMC in Ram Nagar ward No. 247 SNZ	27.09.16	425526
23	Ms. Sarita Singh	26.09.16	DUDA/ DUDA/ 1107-1118 2021-2032, 06.12.16	4.620	Imp. Dev. of road from H.No. 1/2787 to H.No. 1/2748 in Ram nagar [-] by pdg. RMC in Ram Nagar in ward No. 247 SNZ	27.09.16	438984
24	Ms. Sarita Singh	26.09.16	DUDA/ DUDA/ 1107-1118 2021-2032, 06.12.16	15.953	Imp. Dev. of road from H.No. 1/6242 to H.No. 1/5786 in East Rohtash Nagar [-] by pdg. RMC in Ram Naga- in Ward No. 247 SNZ	27.09.16	1515513

25	Ms. Sarita Singh	26.09.16	DUDA/ DUDA/ 1107-1118	5.040	Imp. Dev. of road from H.No. 1/6943 to H.No. 1/6835A in East Rohtash Nagar [-] by pdg. RMC in Ram nagar in Ward No. 247 SNZ SH; Imp. Dev. of road along H.No. 1/6941 in East Rohtash nagar (-) by pdg. RMo in Ram Nagar in ward No. 247 SNZ	27.09.16	478610
26	Ms. Sarita Singh	26.09.16	DUDA/ DUDA/ 1107-1118 2021-2032, 06.12.16	5.149	Imp. Dev. from H.No. J-26 to H.No. J-30 in Naveen Shahdara [-] by pdg. RMC in Ram ngar in Ward No. 247 SNZ	27.09.16	489207
27	Ms Sarita Singh	26.09.16	DUDA/ DUDA/ 1107-1118	5.000	Pdg. & Fixing 150 Walls Street Light Fitting in Nand Nagari durgapuri main, Bhagwanpur Khera, Chanderlok. Ram Nagar Shivaji Park, West Rohtash Ngar and naveen Shahdara in Ward No 245 to 248 AC-64 SNZ	27.09.16	474690
28	Ms. Sarita Singh	26.09.16	DUDA/ DUDA/ 1107-1118	2.750	Imp.Dev. of 'oad from H.No. 2-11./77 to H.No. Z-11/91 in We.come (-) by pdg. RMC in Welcome in Ward No. 248 in SNZ	26.10.16	2601370
29	Ms. Sarita Singh	26.09.16	DUDA/	6.660	Imp. Dev. of road from H.Nno. Z-II/	26.10.16	632510

1	2	3	4	5	6	7	8
			DUDA/ 1107-1118		314 to H.No. Z-II/368/3 in welcome [—] by pdg RMC in welcome in ward No. 246 SNZ SH: I Imp. Dev. of road from H.No. Z-II/325 to H.No. Z-II/304 in Welcome [—] by pdg. RMC in Welcome in ward No. 248 SNZ SH: II Imp. Dev. of road from H.No. Z-II/378 to H.No. Z-II/3758 in wotxime [—] by pdg. RMC in welcome in w.no. 248 SNZ		
30	Ms. Sarita Singh	26.09.16	DUDA/ 1107-1118	3.400	Imp. Dev. of 6ad from H.No. W-12 to Photo Chowk road in Welcome [—] by pdg. RMC in Welcome in Ward No. 248, SNZ SH: I Imp. Dev. of road from H.No. W-68 It H.No W-45 in Welcome [—] by pdg. RMC In Welcome in Ward No. 248 SNZ	26.10.16	322525
31	Ms. Sarita Singh	26.09.16	DUDA/ 1107-1118	1.870	Imp. Dev. of road from H.No. C-180 to masjid in welcome [—] by pdg. RMC in. Welcome in Ward No 248 SNZ	26.10.16	177460
32	Ms. Sarita Singh	26.09.16	DUDA/ DUDA/ 1107-1118	8.410	Imp.Dev. of road from H.No. 1/9270 to H.No. 1/9388A in West Rohtash	26 10.16	799330

1107-1118 Nagar [-] by pdg. RMC in Welcome  
in Ward No. 248 SNZ

Total 234,284 22252915

**Details of MLA Fund of Sh. Shri Dutt Sharma AC No. 66 (Discretionary Fund) for the year 2016-17**

Sl. No.	Name of MLA &A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sh. Shri Dutt Sharma	08.03.16	DUDA (NE)/752-713 08.03.16	15,350	Dev. of H.No. 3-5/338 to B-5/327 front and back lane by pdg RMC from in Yamuna Vihar SH: Imp Dev of rom H.NO. C-1 - 19 to C-1/26 and C-1/167 to C-1/178 [-] 3y pdg. RMC (com in Yamuna Vihar SH:2 Imp Dev. of rom H.NO. C-1/61 to C-1/70 and C-1/80 to C-1/71 (-) by xig. RMC fron'l in Yamuna Vihar SH:3 Imp Dev. of from H.NO. C-1/82 to C-4/73 and C-4/83 (o C-4/92 [-] by pdg RMC from in Yamuna Vihar SH:4 Imp. Dev. of from H.NO. C-4/83 to C-4/S2 [-] by pdg. RMC from in Yamuna Vihar SH:5 Imp.	21.04.16	1458250

1	2	3	4	5	6	7	8
					Dev of from H.NO. C-6/65 to C-6/72 (—) by pdg. RMC from in V/ard No 256 in Yamuna Vihar		
2	Sh. Shri Dutt Sharma	08.03.16	DUDA (NE)/ 714-725, 08.03.16	7.940	I/D of road from MLA office transformer by pdg. RMC from in Bhajanpura w.no. 256 in Yamuna Vihar.	21.04.16	754300
3	Sh. Shri Dutt Sharma	27.01.16	DUDA (NE)/ 85-95, 27.01.16 503-514, 06.06.16	2.675	I/D of Maha Raja Partap park Nr. C-3/52 Yamuna Vihar [—] by pdg. 0 from h Yamuna Vihar in w.no. 256 AC-66, SNZ	23.05.16	267507
4	Sh. Shri Dutt Sharma	09.09.16	DUDA (NE)/ 1284-1295	5.360	Imp. Dev. of oali no. 21 from H.NO. D-913 to near D-922 (Janakalyan road) in D Block Bhajanpura by pdg. RMC from in Bhajanpura SH: 1 Imp. Dev. of gali No. 2 from H.No. C-4/30 to C-4/ 21C and links near H.NO. C 4/21A and infronl same gali near H.No. C-4/19D in Sudamapuri by pdg. RMC from in Bhajanpura SH: 2 Const, of	24.11 16	508915



5	Sh. Shri Dutt Sharma	02.09.16	DUDA (NE)/ 1241-1252	22.130	24.11.16	2102350
<p>Construction of culvert near H.No. CC'4/30 in Sudamapuri road (Ajeet chowk) by pdc. CC from in Ward No. 253 in Bhajanpura</p> <p>Imp. Dev. Gali No. 8 from H.NO. B-16/9 to B-16/5 by pdg. RMC in B Block Gamri Extn. SH: 1 Imp. Dev. of gali no. 13 from Ch. Bittu House to Ch. Mahender House by pdg. RMC in B-Block Gamri Extn. SH:2 Const. of culvert in Gali No. 7 H.NO. B-16/8 in B Block Gamri Extn. SH:3 Imp. Dev. of C link of gali no. 19 from H.NO. D-310 to D-752 SH: 4 Imp. Dev. of gali no. 2 from H.NO. D-86 to D-97 by pdg. RMC in D Block Bhajanpura SH: 5 Remldg. of nalla from H.No. C-44/205/1 to C-38/A in C Block Sudamapuri Gamri Extn. by pdg. Brick work in Ward No. 253 Shah N zone. SH: 6 Imp. Dev. of gali no. 6 from H.No. A-516/13 to near A42. SH: 7 gali no. 2 from H.NO.1A-338 to A412 SH: 8 link near H.NO. A-338/1 in A Block South GAMri Extn. SH: 9 Gali</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
					No. 8 from H.No. C-44/8 to C-44/2 SH: 10 link from H.No. C-43 / 288 to C-44/7 in C Block Sudamapuri Gamri Extn. by pdg. RMC in Ward No. 253 Shah N zone		
6	Sh. Shri Dutt Sharma	09.09.16	DUDA (NE)/ 1272-1283	21.480	Imp. Dev. of gali No. 3 (Laxmi Bal Marg) from H.No. K-641 to near H No. K-1206 and its links in Gautam Vihar by pdg. RMC from in Ghonda SH'1 Imp. Dev. of Gali No.1 from H. No. K-21/43 to K-41 and its links near H.No. K-37 In K Block Gangolri Vihar by pdg., RMC from in Ward No. 225 in Ghonda.	24.11.16	2040600
7	Sh Shri Dutt Sharma	09.09.16	DUDA (NE)/ 1260-1271	21.430	imp. Dev. of gali No. 4 from H.No. J-18 to J-8 and its links in Jai Prakash- Nagar by pdg. RMC from in Ghonda SH:1 Imp. Dev. of gali from H.No. V-618 to L-39 in Jai Prakash Nagar and Gautam Vihar by pdg RMC from in Ward No. 255 in Ghonda	24.11.16	2035850
<b>Total</b>				<b>105.296</b>			<b>10061006</b>

**Details of MLA Fund of Sh. Gopal Roy AC No. 67 (Discretionary Fund) for the year 2016-17**

Sl. No.	Name of MLA &A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	Sh. Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582	5.480	Imp. of damaged portion of differnt lanes by crowding CC patch work in various locations in ward 10,257 in AC-67 SNZ	16.08.16	520885
2	Sh Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582	4.200	Providing/ Fixing of MS Grating at various locations oy pdg. CC in vward no. 257 in AC-67 SNZ	16.08.16	399095
3	Sh Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582	8.110	Imp. Dev. gali from H.No. B-841/1476 to H.No. 6-14/88 and gali near H.No. B-365 and gall near H.No. B-14/88 ward No. 257 AC-67 SNZ	16.08.16	770545
4	Sh. Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582	20.980	Imp.Dev. of gali from H.No. D-65 to V-1370 Gali No. 8 Vijay PaiK. Subhash Mohalla by providing RMC in Ward NO. 257 AC-67 Shah. N. Zone	16.08.16	1993195
5	Sh Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/	5.116	Imp.Dev of gali No. 27 in Vijay Park	16.08.16	486020

1	2	3	4	5	6	7	8
			571-582 1478-1489, 04.11.16	by pdg. RMC in C-258 SNZ			
6	Sh. Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582 1478-1489, 04.11.16	9.113	Imp.Dev. of lane from H.No. B-7/1 to B-7/33 and link & lane adjoining to H.No. B-6/124 in Kabir Nagar by pdg. RMC in C-258 SNZ	16.08.16	865735
7	Sh Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582 1478-1489, 04.11.16	17.428	Imp.Dev. of 'jali no. 5 D Block & Links in Kabir Nagar by pdg. RMC in C-258 SNZ	16.08.16	655660
8	Sh. Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582	5.690	Imp.Dev. of lane from H.no. V-364 to V-540 in Vijay park by pdg. RMC in C-258 SNZ	16.08.16	540740
9	Sh Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582	8.060	Imp. Of damaged portion of different lanes by providing CC palch work in various locations in w.no. 258 AC-67 SNZ	16.08.16	765700
10	Sh. Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582	2.940	Pdg. Fixing of MS grading at various locations by pdg. CC in W.No. 258 in AC-67 SNZ	16.08.16	279015

11	Sh. Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582	7.040	Imp.Dev. of gali no. 1 from H.No. 1/10357 to 1/10337 in West Gorakh park by pdg. RMC from in W.No. 259 SNZ	16.08.16	668515
12	Sh. Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582	3.800	Imp.Dev. of 03-ane from Durga Mandir to H.No. 1/10101 in West Gorakh Park by pdg. RMC from in Ward No. 259 SNZ	16.08.16	360525
13	Sh. Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582 1478-1489, 04.11.16	4.570	Imp.Dev. of gali no. 03 from H.No. 01/10101 to 1/10108 in West Gorakh park by pdg. RMC from in Ward NO. 259 SNZ	16.08.16	434150
14	Sh. Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582	2.920	Imp. Of damaged portion of different lanes by pdg. CC patch work in various locations in ward no. 259 in AC-67 SNZ	16.08.16	277020
15	Sh. Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582	4.080	Pdg. Fixing of Mi' grating at various locations by pdg. CC in ward No. 259 in AC-67 SNZ	16.08.16	387125
16	Sh. Gopal Roy	03 08.16	SDM-W/ 571-582	12.820	Imp.Dev. of gali outer road of ward no. 259 from H.No. 1/9758 to 1/10204 A wesl gorakh park by pdg RMC from in ware No. 259 babarpur SNZ	19.08.16	1218090

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Sh. Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582	7.750	Imp.Dev. of gali No. 14 from Rishi Raj Chowk to Shivaji School by pdg. RMC from in ward No. 260 Balbir Nagar SNZ	19.08.16	736060
18	Sh. Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582	4.620	Imp. of damaged portion of different lanes by orviding CC patch work in various locations in ward no. 260 in AC-67 in SNZ	19.08.16	439280
19	Sh. Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582	4.080	Pdg. Fixing of MS grating at various locations by dg. CC in ward No. 260 in AC-67 SNZ	19.08.16	387125
20	Sh. Gopal Roy	03.08.16	SDM-W/ 571-582	13.580	Imp.Dev. of prem gali from H.No. E-15 to E-17 East Jabarpur by pdg. RMC from in Ward No. 260 Balbir vlagar SNZ	19.08.16	1289720
21	Sh. Gopal Roy	04.08.16	SDM-W/ 613-624	12.590	Imp.Dev. of gali no. 04 Chander Shekhar Gali from HNo. W-113 to W-144 Babarpur H.No. W-116 to A/-144 by prig. RMC from in Ward No. 259 in Janta 3olony.	19.08.16	1196240
22	Sh. Gopal Roy	04.08.16	SDM-W/	9.248	Imp.Dev. of gali Bhagat Singh West	19.08.16	878560

23	Sh. Gopal Roy	15.11.16	SDM-W/ 1704-1709	4.210	01.12.16	400330	Babarpur from H.No. W-42 to W-22 H.No. W-42 to W-22 by pdg. RMC from in Ward No. 259 in Janta Colony Imp. Dev. of Gali No. 4 and its link Kabir Nagar and link or gali no.16 near H.No. C-16/23 and C-12, Kabir Nagar by pdg. RMC in Ward No. 260 Babarpur AC-67 SNZ
24	Sh. Gopal Roy	15.11.16	SDM-W/ 1704-1709	10.071	01.12.16	956746	Imp. Dev. of link 52 cusec drain near H.No. 32 balbir nagar to D-3.0 jyoti colony Gali no. 3 by pdg. RMC from in Ward No. 260 Balbir Nagar Nalla Paar in AC-67 BabarpurSNZ
25	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W-; 1883-1888	12.740	01.12.16	1209920	Imp. Dev. of Dayanand Marg from tr.No. C-431 to E-465 in balbir Nagar Extn. In Ward No. 260 babarpur AC-67 SNZ
26	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	6.790	01.12.16	644/65	Imp. Dev. of man road chaju gale from Babarpur main road to H.No. 901 in Chajjupur in Ward No 260 AC-67 babarpur SNZ

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	15.200	Imp. Dev. of gali in front of EDMC pr. School near H.No. 1/580 to 1/590 in Balbir Nagar Extn By pdg RMC from in Ward No. 260 babarpur SNZ	01.12.16	801100
28	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	4.390	Imp. Dev. of gall no.3 & link B Block in West Jyoti Nagar Extn. By pdg. RMC in C-258 SNZ	06.12.16	416955
29	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	18.760	Imp. Dev. of land from H.NO. B-570 to Bismilla Bekry & Us park in Balbir nagar by pdg. RMC in C-258 SNZ	06.12.16	1782390
30	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	11.370	Imp. Dev. of gali from H.NO. B-70 to H.No. A-33/1 Tejram Gali Subhash Mohalla by providing RMC in Ward No. 257 SNZ	06.12.16	1080340
31	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	8.200	Imp. Dev of gali no. H.No. C-150 H.No. B-1108 Gali No. 11B & C Slock Subhash Mohalla bypdg. RMC in Ward No. 25; SNZ	06.12.16	7791100
32	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	6.250	Imp. Dev. of Gali from H.No. B-58 to H.No. B-68 and from B-150 lb B-153 Prajapati Mandir Wali Gali Subhash	06.12.16	593940



33	Sh Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	13.640	Mohalla by pdg. RMC in Ward No. 257 SNZ ;	06.12.16	1295990
34	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	8.430	Imp. Dev. of gali from H.No. B-352 to B-236 and from H.No. B-945 to B-970/1 Gali No. 20B Block Subhash Mohalla by pdg. RMC in Ward No. 257 SNZ	06 12.16	800600
35	Sh Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	3.085	Imp / Dev of Gali from H.No. B-14/45 to H.No. 160/A Gali. 13 B & C block Subhash Mohalla by pdg. RMC in Ward No. 257 SNZ	06.12.16	293075
36	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDMA/W- 1883-1888	8.430	H.No. 56 near Chaupal Subfiasn Mohalla by pdg. RMC in Ward NO. 257 SNZ	06.12.16	801135
37	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	8.350	Imp. Dev. of gali from H.No. B-98 to B-352 B Block Subhash Mohalla by providing RMC in Ward No. 257 SNZ	06.12.16	792870
					Imp. Dev of Gali from H.No. B-14/44 to H.No B-42/2 and B-842 to B-841/ 42 and 8-508 to H.No. 14/190 A and B-14/92 to B-1497 and from H.No		

1	2	3	4	5	6	7	8
					B-14/41 to B-532 B Block Subhash Mohalla by pdg RMC in Ward No. 257 SNZ		
38	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W-1883-1888	7.840	Imp. Dev. of Gali No. 1 from H.No. A-105 to No A 101 and Gali No. 2 from H.No. A-114 to H.No. A-101A Block Subhash Mohalla by pdg. RMC in Ward No. 257 SNZ	06.12.16	744990
39	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W-1877-1882	8.450	Imp. Dev. of gali from V-694 to H.No. V-1162 gali Mo. 11 Vijay Park by pdg. RMC in Ward No. 257 SNZ	06.12.16	802465
40	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W-1877-1882	9.020	Imp. Dev. of gali from H.No. C-162 to B-374 and B Block 14/37 to B-12/16 gali no. 14 B&C Block Subhash Mohalla by pdg. RMC in Ward No. 257 SNZ	06.12.16	856805
41	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W-1877-1882	18.350	Imp Dev. of Gali No. H.No. A-129 to A-40/13 and link of H.No. a-54/10 to A Block Subhash Mohalla by pdg. RMC in Ward No. 257 SNZ	06.12.16	1743060
42	Sh Gopal Roy	22.11.16	SDM/W-1877-1882	6.260	Imp. Dev. of Gali No 1 from H.NO. 1/7783 to 1/7777B. 1/7782 in Fast Gorakh Park by pdg. RMC in Ward No. 259 SNZ	09.12.16	594225

43	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1877-1882	3.580	Imp. Dev. of Fagore Gali from H.No. W-42 to W-50 in West Babarpur by pdg. RMC in Ward No. 259 SNZ	09.12.16	340385
44	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1877-1882	1.490	Imp. Dev. of gali No. 3 from H.No. 1/10370A to 1/10369A in West Babarpur by pdg. RMC in Ward No. 259 SNZ	09.12.16	141360
45	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	8.030	Imp. Dev. of Shastri Marg from H.No. 1/7220 to 1/7255 East Gorakh park by pdg. RMC in Ward No. 259 SNZ	09.12.16	763230
46	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	6.003	Imp. Dev. of road from H.NO. 10392 to 10055 and 10050 to 10052 in West Gorakh Park by pdg. RMC in C-259 SNZ	09.12.16	570285
47	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	1.280	Imp Dev. of Gali from H.NO. 1/7436 to 1/7430 in East Gorakh Park by pdg RMC in C-259 SNZ	09.12.16	121790
48	Sh Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	10.460	Imp. Dev. of Shiv Mandi Gali Irom H.NO. 92/17 to 8/8 West Gorakh Park by pdg. RMC in Ward NO 259 SNZ	09 12.16	993985

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Sh. Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	12.995	Imp. Dev of Gali No. 4 Irom H.NO. 10000 to MCD School H NO. 1/10010 to 10037 in West Gorakh Park by pdg. RMC in ward No 259 SNZ	09.12.16	1234525
50	Sh Gopal Roy	22.11.16	SDM/W- 1883-1888	3.880	Imp. Dev of link gali no. 3 from H.NO 1/10072 to 1/9997 1/10072 to 1/10073 to 1/10073F 1/10075 West gorakh park by pdg RMC in Ward No 259 SNZ	09.12.16	368980
<b>Total</b>							<b>38474301</b>

**Details of MLA Fund of Sh. Fateh Singh AC No. 68 (Discretionary Fund) for the year 2016-17**

Sl. No.	Name of MLA & A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	Sh. Ranjeel Singh Kashyap	04 03.16	DUDA/ East/ 629-640, 04.03.16	16.420	I/D of damaged portion main Brijpuri road from gali no. 2 to 7 a id gali no. 14 chaman park by pdg RMC in w.no. 26'	21.04.16	1559900

2	Sh. Ranjeet Singh Kashyap	09.09.16	DUDA/ East/1416 1427	3,570	I/D of lanes in Gokalpur Village [—] by pdg.0 from Gali No. 01 Rajender Kumar Hs to Satnarayan Hs in W.No. 262	27.09.16	338675
3	Sh. Ranjeet Singh Kashyap	10.10.16	DUDA/ East/1661 1672	8,410	I/D of lane in gokalpur village by pdg. From union bank to Harpal Singh Hs in Gokalpur w.no. 262 SNZ	19.10.16	798950
4	Sh. Ranjeet Singh Kashyap	10.10.16	DUDA/ East/1721 1732	8,480	I/D of lane in Gokalpur village [—] by pdg.O from P House to Nam Singh Hs and Nain Singh compound in gokalpur village w.no. 262 SNZ	19.10.16	805695
5	Sh. Ranjeet Singh Kashyap	10.10.16	DUDA/ East/1673 1684	7,700	I/D of lane In gokalpur village by pdg. From Ch. Ajit Singh Hs to Metro Pillar No. 05 in gokalpur Village w.no. 262 SNZ	19.10.16	731500
6	Sh. Ranjeet Singh Kashyap	10 10.16	DUDA/ East/1685 1696	2,730	I/D of lane in gokalpur village by pdg. From Kanal Singh Hs to Bupender Hs Gokalpurw.no. 262 SNZ	19.10.16	258970
	Total			47,310			4493690

**Details of MLA Fund of Sh. Manoj Kumar AC No. 56 (Discretionary Fund) for the year 2015-16**

Sl. No.	Name of MLA & A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	Sh. Manoj Kumar	26.02.16	DUDA/ EAST/ 1276-84, 26.02.16	7,010	Pdg. Of fancy light in Mpl. Park MIG Flat H.No. 34A H.No. 11A Pkt. 7 Mayur Vihar III w.no. 215 under SSZ	03.03.16	666468
2	Sh Manoj Kumar	26.02.16	DUDA/ EAST/ 1339-47, 26.02.16	5,896	Pdg. Of fancy light in Mpl. Park opp. Mandir park pocket B SFS Mayur Vihar III w.no. 215 under SSZ	03.03.16	560140
3	Sh. Manoj Kumar	26.02.16	DUDA/ EAST/ 1294-1302, 26.02.16	7,770	Pdg. Of fancy light in Mpl. Park MIG Flat H.No. 97, H.No. 102 Pkt. 6 Mayur Viharph III w.no. 215 under SSZ	03.03.16	738182
4	Sh. Manoj Kumar	02.02.16	DUDA/ EAST/ 920-28	7,363	C/o footh path in Central park pkt. 6 MIG Flats by pdg.O from in Kondli and P/F name board of MS Street in different locations in AC-56 in Kondli	10.03.16	699563
5	Sh. Manoj Kumar	02.02.16	DUDA/	20,178	I/D of B/W of pkt. D-1 from H.No.	10.03.16	1916978

	EAST/ 992-1000		39A to 117B in Pkt. D-1 by pdg. B/W from in Kondli.		
6	Sh. Manoj Kumar	02.02.16	I/O of B/W of Pkt. C-2 Mayur Vihar PH-III in w.no. 216 SSZ by pdg. E7W from w.no. 28 to 24A from 24B to 26A in pkt. C-2 in Gharoli.	10.03.16	1161359
7	Sh. Manoj Kumar	26.02.16	I/D of B/W of SFS flat Mayur Vihar Ph III by pdg. Bricks work for pkt. E DDA Mkt. to Pkt. C DDA Market in w.no. 215 SSZ and I/D of drain of from 9A to 12A to 21A in Pkt. D SFS flat in Kondli.	31.03.16	1830080
8	Sh. Manoj Kumar	26.02.16	I/D of B/W of Pkt. C-1 Mayur Vihar III inw.no. 216 SSZ by. Pdg. B/W from H.No. 91A from DDA School corner to BSES sub station from BSES Sub Station Back side to 45A in Pkt. C-1 Mayur Vihar Ph III and I/D of B/W from 137A Pkt. I Part II to 183 A Pkt. II Part I in Gharoli	31.03.16	2047725
<b>Total</b>				<b>101.266</b>	<b>9620495</b>

**Details of MLA Fund of Sh. Manish Sisodia AC No. 57 (Discretionary Fund) for the year 2015-16**

Sl. No.	Name of MLA &A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	Sh. Manish Sisodia	30.11.15	DUDA EAST 716-724	9.185	I/D of baek lane from H.No. 53 to 71 and along 95 Pkt. C Maytur Vihar Ph-II in W.No. 219 SSZ	03.02.16	872575
2	Sh. Manish Sisodia	16.12.15	DUDA EAST/ 820-28	3.632	Imp. Dev. of road from H.No. E-1 to E-4 School Block Mandawali Unchepar in Mandawali Ward No. 218	21.03.16	345040
3	Sh. Manish Sisodia	16.12.15	DUDA EAST/ 811-19	4.170	Imp. Dev. of lane No. 3 of Block B from H.No. 304 to 315 in West Vinod Nagar by pdg. RMC from in W.No. 217//AC-57 Shahdara South Zone in Patparganj	29.03.16	396150
4	Sh. Manish Sisodia	16.12.15	DUDA EAST/ 793-801	4.670	Imp. Dev. of lane No. 7 of Block A from H.No. 22/2A to 14-A, in vinod Nagar by pdg. RMC from in w.no. 217//AC 57 SSZ in patparganj.	29.03.16	443650
5	Sh. Manish Sisodia	16.12.15	DUDA EAST/	2.942	Imp. Dev. of lene no. 8 in Block A from H.No. A-38 to A-32/2 by pdg.	29.03.16	279490



829-37							RMC from in West Vinod Nagar in w.no. 217/AC-57 SSZ in patparganj.		
6	Sh. Mamish Sisodia	16.12.15	DUDA EAST/838-46	5.110		29.03.16	Imp. Dev. of It ne NO. 04 in road B from H.NO. B-12/6 to B-8/2 and B-326 to B-92/7 in West Vinod Nagar by pdg. RMC from in W.No 217/AC-57 SSZ in Patparganj.	485450	

**Total** **85.135** **6239144**

**Details of MLA Fund of Sh. Om Prakash Sharma AC No. 59 (Discretionary Fund) for the year 2015-16**

Sl. No.	Name of MLA &A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	UD Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sh. Om Prakash Sharma	13.01.16	1463-1474	22.533	I/D of drainage.; road adj. to H.No. 296 and H.NO. 308 [—by pdg.O from in Gagan Vihar w.no. 228 shah. (S) zone in Preet Vihar.	14.01.16	1782980
2	Sh. Om Prakash Sharma	13.01.16	1463-1474	16.821	I/D of back lanes from H.No. (H.NO. 1-14) (H.NO. 28-73) (H.NO. 136-152) (H.No. 51/54) [-] by pdg. RMC from in Dayanand Vihar w.no. 228/AC-59 SSZ in Preet	20.01.16	1255831

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Sh. Om Prakash Sharma	20.01.16	SDM/ DUDA/ 1594-1605	11.880	I/D of lane from H.No. D/256 to H.No. D/264 [-] by pdg. RMC from in Nirman Vihar w.no. 228/SSZ in preet vihar	25.01.16	845614
4	Sh. Om Prakash Sharma	20.01.16	SDM/ DUDA/ 1594-1605	13.740	I/D of lane from H.No. B-175 to B-184 [-] by pdg. RMC from in Nirmar Viharw.no. 228/SSZ in preet Vihar.	25.01.16	977706
5	Sh. Om Prakash Sharma	10.02.16	SDM/ DUDA/ 1763-1774, 10.02.14	7.316	Imp. Dev. of back lane from H.No. 359 to H.No. 371 [-] by pdg. RMC from in Gagan Vihar and (133 to 138) in Citra Vihar in w.no. 228 Shahdara south in Preet Vihar.	15.02.16	59037
6	Sh. Om Prakash Sharma	16.02.16	SDM/ DUDA/ 1823-1834, 16.02.16	1.722	C/o urinal adj. ;o Nigam Partibha Vidyalaya, East Laxmi MK in w.no. 228 SSZ in Preet Vihar.	22.02.16	163590
7	Sh. Om Prakash Sharma	26.02.16	SDM/ DUDA/ 2032-2043, 22.02.16	17.129	I/D of lanes (H.No. 21 to Community hall) H.No. 20 to H.No. 22) and (H.No. 19 to 25) in East Guru Angad Nagarw.no. 228/SSZ	26.02.16	1568480
8	Sh. Om Prakash	25.02.16	SDM/	9.198	I/D of subhash gali from (H.No. 5/1 to	26.02.16	749520

Sharma	DUDA/ 2014-2025, 25.02.16	H.No. 5/113) [—] by pdg.O RMC from in vishwas nagarw.no. 226 SSZ	16.03.16	641535
9 Sh. Om Prakash Sharma	SDM/ DUDA/ 2339-2350	Imp. Of Boundary wall of H.No. 267 to 416 in Jagriti Enclave by providing washed marble chips plaster in Ward No. 225 AC-59	08.03.16	6.750
10 Sh. Om Prakash Sharma	SDM/ DUDA/ 2339-2350	Imp. Dev. of service lane from H.No. B-98 to B-110 in Surajmal Vihar by providing RMC in Ward No. 225 Shah. South RMC in Ward 225 Shah. South. 1. Imp. Dev. of service lane from H. No. B-25 ot B-48 in Surajmal Vihar by pdg. RMC in Ward 225 Shah. South. RMC in Ward 225 Shah. South2. Imp. Dev. of service lane adjacent to H.NO. B-25 Surajmal Vihar in Ward No. 225 of AC-59	08.03.16	13.520
11 Sh. Om Prakash Sharma	SDM/ DUDA/ 2339-2350	Imp. Dev. of service lane from H.No. C-270 to C-278 in Surajmai Vihar by pdg. RMC in Ward No. 225 Shah. South.1. Imp. Dev. of service lane from D-79 to D-84 in Surajmal Vihar	08.03.16	7.970

1	2	3	4	5	6	7	8
					by pdg. RMC in Ward No. 225 Shah. South.		
12	Sh. Om Prakash Sharma	08.03.16	SDM/ DUDA/ 2339-2350	5.040	Imp. Dev. of service lane from H.No. A-276 to A-288 in Surajmal Vihar by pdg. RMC in Ward No. 225 to AC-59	16.03.16	479085
<b>Total</b>				<b>319.894</b>			<b>25647147</b>

**Details of MLA Fund of Sh. S.K. Bagga AC No. 60 (Discretionary Fund) for the year 2015-16**

Sl. No.	Name of MLA &A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	Sh. S.K. Bagga	02.02.16	DUDA/ EAST/ 893-901.	21.793	I/D of road from H.NO. 400 to 439 in Jheel Khuraja [-] by pdg. RMC Sh: I I/D of road from H.NO. A-2/37 to A-2/52 in Krishna ragar [-] by pdg. RMC SH: 2 I/D of road nr. H.No. 613 and Nr. H.No. 532 in Jheel khuranja [-] by pdg. RMC from in w.no. 229/AC-60	09.03.16	1991857
2	Sh. S.K. Bagga	02.02.16	DUDA/ EAST/ 902-10	21.797	I/D of road from H.No. C-57 to B-10 in East Krishna nagar [-] by pdg. RMC Sh: I I/D of road from H.NO. E-4/10	09.03.16	1991544

3	Sh. S.K. Bagga	02.02.16	DUDA/ EAST/ 884-92	20.950	I/D of road from H.NO. 6/78 to 6/130 in Geela Colony [—] by pdg. RMC from in w.no. 230/AC-60 SSZ	09.03.16	1916084	
4	Sh. S.K. Bagga	02.02.16	DUDA/ EAST/ 911-19	12.251	I/D of road from H.No. A-235 to 151 and H.NO. 130 to H.NO. 131 New Lahore Shastri Nagar [-] bydp. RMC SH: I I/D of drain from H.NO. 44 Sarojani Naidu Park H.NO. 6 New La' pre Shastri Nagar [-] by pdg. B/W from in w.no. 23C AC-60 SSZ	09.03.16	1120460	
<b>Total</b>							<b>76.791</b>	<b>7019945</b>

**Details of MLA Fund of Sh. Ram Niwas Goyal AC No. 62 (Discretionary Fund) for the year 2015-16**

Sl. No.	Name of MLA &A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sh. Ram Niwas Goyal	05.11.16	SDM/W/ 136-147, 05.11.16	7.220	I/D of lane ard drainage system from H.No. 4/2616A to H.No. 2554 Bihari Colony in w.no. 237/AC-62 SSZ	19.01.16	497726

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Sh. Ram Niwas Goyal	05.11.16	SDM/W/ 136-147, 05.11.16	3.456	I/D of drainage system and pdg. RMC from H.No. 382/A/4 to H.No. 380, Mani Ram Mandir Road to Jharkhandi road Bholanath nagar in w.no. 237/ AC-62 SSZ	19.01.16	321352
3	Sh. Ram Niwas Goyal	10.02.16	SDM/ DUDA/ 1751-1762	1.281	mp. Dev. of lane (Prop. No. 99 to 101/2) [-] by pdg. RMC from in Circu-ar road shah. Village in w.no. 238 AC-62 Shah. South in Jhilmil.	15.02.16	121695
4	Sh. Ram Niwas Goyal	08.02.16	SDM/ DUDA/ 1690-1701	5.078	I/D of Road opp. G- block park near Durga mandir in old seema puri pdg. 0 from in w. no. 240 SSN	16.02.16	513910
5	Sh. Ram Niwas Goyal	16.02.16	SDM/ DUDA/ 1835-1846, 16.02.16	4.773	I/D of pdg. RMC and D/S from H.No. 378 to 428 Pathan Pura and H.No. 454 to 429/7 Pathanpura in w.no. 237 AC 62 SSZ	22.02.16	453435
6	Sh. Ram Niwas Goyal	16.02.16	SDM/ DUDA/ 1811-1822, 16.02.16	6.107	I/D of lane by pdg. RMC and D/S from H.No. B-231 to B-246 Vivek Vihar back lane in w.no. 239 SSZ AC-62	23.02.16	499953
7	Sh. Ram Niwas	01.03.16	SDM/	9.143	P/O street light arrangement in back	03.03.16	868660

Goyal	DUDA/ 2196-2207, 01.03.16	lane/service lane in A Block Vivek Vihar Ph-II SSZ		
8 Sh. Ram Niwas Goyal	SDM/ DUDA/ 2315-2326	16.316 I/D of lane (Prop. No. 7/274 to 2794/ 17/1), Hanuman Gali (Prop. No. 7/353 to 7/327), Krishna gali (Prop. No. 27/ 119 II to 7/311A) and lane adj. to Prop. No. 27/94/18A [-] by pdg. RMC from in Jwala Nagar.w.no. 228/AC-62	09.03.16	1549750
9 Sh. Ram Niwas Goyal	SDM/ DUDA/ 2327-2338	0.825 I/D of walk W3y in park Nr. Prop. No. 82 [00] by pdg. Tile from in AGCR enclave w.no. 228/SSZ	09.03.16	82460
10 Sh. Ram Niwas Goyal	SDM/ DUDA/ 2743-2754	5.973 I/D of lanes nr. Cremation ground (Prop. No A/1 to 43) (Prop. No. 36 to 28/2 E/26A) (Prop. No. 60 to 61) [-] by pdg. RMC from in Jwala Nagar w.no. 238/AC-62 SSZ	22.03.16	567435
11 Sh. Ram Niwas Goyal	SDM/ DUDA/ 2743-2754	4.596 I/D of lanes (Prop. No. 426 to 438) [-] by pdg. RMC from in Mevaganj Shah. Village in w.no. 238 AC-62 SSZ	22.03.16	436620
12 Sh. Ram Niwas Goyal	SDM/ DUDA/	6.898 I/D of lEnass'fc'djcent to kela godown prop. No. 724 link church road to hah	22.03.16	651795

1	2	3	4	5	6	7	8
			2743-2754		mandir gali Prop. No. 7/526) and sub link (Prop. No. 52/12/A-1) and pal gali no. 2 (Prop. No. 655/1) [—] by pdg. RMC from n jwala nagar w.no. 238 SSZ		
13	Sh. Ram Niwas Goyal	21.03.16	SDM/ DUDA/ 2743-2754	4.147	I/D of portion of lane in front of Amar Ashram Prop. No. 7/33 [-j] by pdg. RMC from in Jwala Nagar w.no. 238 SSZ	22.03.16	369729
14	Sh. Ram Niwas Goyal	21.03.16	SDM/ DUDA/ 2731-2742	8.416	I/D of Hah Mandir Gali Prop. No. (27/17 to 7/462) [—] by pdg. RMC from in Jwala Nagar.w.no. 238/AC-62 SSZ	22.03.16	776702
15	Sh. Ram Niwas Goyal	21.03.16	SDM/ DUDA/ 2731-2742	6.246	I/D of approach and road side berm of peer baba ji road along cremation ground by pdg. RMC from in Jwala Nagar.w.no. 238/AC-62 SSZ	22.03.16	556821
<b>Total</b>				<b>229.103</b>			<b>19920485</b>



**Details of MLA Fund of Sh. Rajendra Pal Gautam AC No. 63 (Discretionary Fund) for the year 2015-16**

Sl. No.	Name of MLA &A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sh. Rajendra Pal Gautam	18.01.16	SDM- DUDA/ 1739-1750	61.083	I/D of drain in Khera Village by pdg.0 from in Dilshad Garden.w.no. 241 SNZ	16.02.16	5802885
2	Sh. Rajendra Pal Gautam	03.02.16	SDM- DUDA/ 1666-1677	7.320	I/D of J and K Dividing road from Kaplan Javed Ali marg to L Block chowk by pdg.O from in Sunder Nagari in w.no. 244 SNZ	16.02.16	695400
3	Sh. Rajendra Pal Gautam	03.02.16	SDM- DUDA/ 1666-1677	23.344	I/D of road from H.NO. 1 to 462 and opp. To H.No. 33 Nr. EDMC Rly Pky. School and opp. Kabirstan in O Block Sunder Nagan by pdg. 0 from in w.no. 244	16.02.16	2217680
4	Sh. Rajendra Pal Gautam	03.02.16	SDM- DUDA/ 1666-1677	2.473	I/D of facility nr. H.No. 445 in E-2 Block Nand Nagari by pdg.O from in W.NO. 244 SNZ	16.02.16	234935
5	Sh. Rajendra Pal	03.02.16	SDM-	6.598	C/o B/W Nr Flat No. R-81 in R Pkt.	16.02.16	626810

1	2	3	4	5	6	7	8
	Gautam		DUDA/ 1678-1689		by pdg.0 from in w.no. 241 Dilshad Garden SNZ		
6	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.02.16	SDM- DUDA/ 1883-1894	8,392	I/D of lane (—) hy pdg. RMC from H.NO. 2/231 to B-2/280 in Nand Nagari w.no. 243 SNZ	18.02.16	797240
7	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.02.16	SDM- DUDA/ 1883-1894	11,385	I/D of park [—] y Pdg.O from D-1 Staff Qtrs. Nr. Opp. No. B-184 in Nand Nagari W.No. 243/SNZ	18.02.16	1081575
8	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.02.16	SDM- DUDA/ 1883-1894	25,656	I/D of facility Nr. [-] by pdg. B/W from in front of E-3/126 in Nand Nagar w.no. 243 SNZ	18.02.16	2437320
9	Sh. Rajendra Pal Gautam	16.02.16	SDM- DUDA/ 1859-1870	2,473	I/D of facility N.\ H.No. 31 in E-1 Block Nand Nagari by pdg.O from in w.no. 244/SNZ	19.02.16	234935
	<b>Total</b>			<b>148,724</b>			<b>14128780</b>

**Details of MLA Fund of Sh. MS. Sarita Singh AC No. 64 (Discretionary Fund) for the year 2015-16**

Sl. No.	Name of MLA & A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	Ms. Sarita Singh	13.01.16	SDM/W/ 1487-1498	8.716	I/D of Mandirwali gali no. 5 new Modren Shahdara from H.No. 1/4649/119 to 1/4649/100D in New Modern Shahdara [-] by pdg. RMC from in Durga puri w.no. 245 SNZ	20.01.16	828020
2	Ms. Sarila Singh	13.01.16	SDM/W/ 1475-1486	4.099	Imp. Dev. of road from H.No 1/2673 to H.No. 1/2664 in Ram Nagar [-] by pdg. RMC from in Ram Nagar in Ward No. 247 SNZ	29.01.16	409925
3	Ms. Sarita Singh	13.01.16	SDM/W/ 1475-1486	2.713	Imp. Dev. of road from H.NO 1/6411 to H.NO. 1/6417A in East Rohtash Nagar [-] by pdg. RMC from in Ram Nagar in ward No. 247 SNZ SH: 1 Imp. Dev. of road from H.NO. 1/6417 to H.NO. 1/6415 in East Rohtash Nagar [-] by pdg. RMC from in Ram Nagar in Ward No. 247 SNZ.	29.01.16	257735

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Ms. Sarila Singh	13.01.16	SDM/W/ 1475-1486	16.050	Imp. Dev. of road from JB6/148 to Bhagat Singh park, welcome (JB6/148—Bhagat Singh park] by pdg.RMC from in Welcome Colony SH: 1 Imp. Dev. of road from Z-II/500 to Z-II/203 welcome [-] by pdg. RMC from in Welcome Colony.	29.01.16	1524750
5	Ms. Sarita Singh	07.03.16	SDM/W/ 2303-2314	7.133	I/D of gali no. 2 Durgapuri extn. [100 ft. road H.No. 66A] by pdg. RMC from w.no. 246 in Ashok Nagar.	14.03.16	677635
Total				279.533			27752623

**Details of MLA Fund of Mohd. Ishraque AC No. 65 (Discretionary Fund) for the year 2015-16**

Sl. No.	Name of MLA &A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	Sh Mohd. Ishraq Khan	17.03.16	DUDA-NE-1058-69	8,600	I/D of Gali no. 16 Brahampuri (H. No. N-69/2-h. No. O 45/1] by pdg. CC. from in New Usmanpur w. no. 251 Shah N	31.03.16	817000
Total				8,600			817000

**Details of MLA Fund of, Sh. Shri Dutt Sharma AC No. 66 (Discretionary Fund) for the year 2015-16**

Sl. No.	Name of MLA & A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sh. Shri Dutt Sharma	17.12.15	DUDA/n/ 11974-85	2.800	Imp. Dev. of gali no. 3 Aisha Masjid from H.No. D-5/12 to D-5/3 0 Block in 3rd pusta by pdg. From in Brahamपुरी in w.no. 254 SNZ	15.02.16	249191
2	Sh. Shri Dutt Sharma	17.12.15	DUDA/n/ 11974-85	4.690	Imp. Dev. of Saraswati Gali No. 5 from H.No. E-345/2 to H.No. E-343 A and from H.no. E-350 to E-359 link of gali no 4 Gitkalpur drain E Block Jagjeet Nagar by pdg. From in Brahamपुरी in ward no. 254 SNZ	15.02.16	413509
3	Sh Shri Dutt Sharma	17.12.15	DUDA/n/ 11974-85	4.630	Pdg. And fixing M.s. Crossing at various locations [—] by pdg.0 from in Brahamपुरी in ward no. 254 SNZ	15.02.16	370727
4	Sh. Shri Dutt Sharma	16.02.16	DUDA/n/ 248-59	6.800	I/D of gali no. 4 phool wali masjid shivaji marg kartar nagar from H.No. J-369 to J-314 and link from H.No.	10.03.16	646000

1	2	3	4	5	6	7	8
					100/5 to J-200/22. and H.No. J-312/B to J-308 in J blobl Kartar Nagar j-] by pdg. RMC in w.no. 254 snz		
<b>Total</b>				<b>125.390</b>			<b>10879659</b>

**Details of MLA Fund of Sh. Kapil Mishra AC No. 70 (Discretionary Fund) for the year 2015-16**

Sl. No.	Name of MLA &A/C No.	Date of Release	UD Sanction Letter No.	Amount Released (Rs.)	Name of Work	Date of Booking	Booking Amount (Rs.)
1	Sh Kapil Mishra	29.02.16	DUDA/NE/ 353-64	24.200	I/D of Shukar Bazar road from Ram Singh Hs to baba Properties in Chauthan Patti [-] by pdg. RMC from in Sonia Vihai w no. 272 SNZ	10.03.16	2299000
<b>Total</b>		<b>39.130</b>	<b>3792000</b>				

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 205

28 पौष, 1938 (शक)

**East Delhi Municipal Corporation**

**Office of the Chief Engineer (Pig.) Udyog Sadan,  
Patparganj Industrial Area, Delhi-110092**

No: EE(P) 2016-17/D-248

Dated : 01/02/2017

To,

The Principal Secretary (UD)  
Govt. of NCT of Delhi  
9th Level, Delhi Secretariat  
Delhi-110002

**Subject: Meeting on Vidhan Sabha Starred Question No. 34 raised  
by Sh. S.K. Bagga, MLA.**

A meeting was convened' by the Principal Secretary (UD) in his chamber on dated 30.1.2017 on 11:00 AM which was attended by Chief Engineer (Pig.) from East DMC. The reply to Vidhan Sabha Starred Question No. 34 raised by Sh. S.K. Bagga, MLA has already been answered. It was desired that the provisions taken for levy of 5% departmental charges in case of MLALADs fund and 2% administrative charges for MPLADs fund be endorsed with a copy of guidelines.

Accordingly, a copy of guidelines for MLALADs fund and MPLADs fund mentioning the departmental charges / administrative charges to be levied is enclosed herewith.

This may be seen please.

With regards.

Chief Engineer (Plg.)

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 206

18 जनवरी, 2017

Copy for kind information to:

1. OSD to Commissioner
2. Addl. Commissioner-I
3. E-in-C
4. CA-cum-FA
5. O/c

Chief Engineer (Plg.)



### GUIDELINES OF MPLADS

On the funds released under the Scheme to the Implementing agencies shall be calculated while arriving at the savings for each work. The savings for each work shall be refunded to the District Authority within 30 days of the completion of the work.

**4.17 Administrative Expenses:** The existing contingency funds of 0.5% have been increased to 2% as Administrative Expense of the annual entitlement of MPLAD funds. The 2% of Administrative-fund shall be part of annual entitlement of Rs. 5 crore of an MP, and will be distributed, among the Nodal Districts, Implementing District(s) and the State Nodal Department and is applicable from the financial year 2011-12.

(1) Administrative expenses constituting 2 per cent of the MPLADS fund shall be distributed in the following manner.

On receipt of each installment of MPLADS funds, the nodal district authority shall immediately allocate and send to the State/ UT Nodal Department 0.2 per cent of the amount for use by the State/UT nodal department. The balance amount will be retained by the nodal district for utilization as specified below.

The nodal district will, on communicating any recommendation to an implementing district, transmit one per cent of the recommended amount towards administrative expenses to the ; Y relevant implementing administrative expenses as described in sub-section (II).

- (II) The administrative expenses will be utilized by the nodal departments, nodal districts and implementing districts in the following way:
- (a) The nodal department can use the amount for their administrative expenses and for the following activities:
1. Third party inspection-physical audit and quality check;
  2. Monitoring of works at State level;
  3. Translating and printing the MPLADS Guidelines in their respective regional language, except in Hindi (Hindi version will be supplied by Government of India);
  4. Hiring of services/consultants for handling Data Entry, uploading of data on website, etc.;
  5. Creating awareness among public about the Scheme and dissemination of information of ongoing and completed works;
  6. Purchase of stationery;

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 209

28 पौष, 1938 (शक)

पेज 104 और 105 का मैटर साफ नहीं है। दौबारा दें।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 210

18 जनवरी, 2017

If it was not taken up for execution because of reasons other than those mentioned in the Sending sub-para, it can be executed subject to the confirmation by the successor MLA.

If the predecessor MLA has not identified any works at all, allocation or releases of funds to such decessor MLA will not be additionally given to the successor/MLA over and above Rupees two are being the entitlement of the latter MLA for the year concerned.

### **Un-Lapsable Fund**

The funds under the scheme shall be considered and treated as un-lapsable; therefore, the release of funds under the scheme, if not fully utilized due to unavoidable circumstances and unreleased fund with the government in a particular year, is allowed to be carried forward/released for subsequent se years and four years respectively to the implementing departments/agencies etc. on the ommendation of concerned MLA and after obtaining the approval, as per procedure laid down by urban Development Department, GNCTD and finance Department, GNCTD respectively.

### **Substitution of work**

The change (s) of work may be allowed only once provided there are serious problems in the Cementation-. However, the implementing agency cannot be changed under any circumstances.

### **Monitoring Arrangements**

The implementation will be regularly monitored by the Government. The senior officers of the dementing departments/agencies shall regularly inspect the works being undertaken and submit irterly reports

to urban Development Department for effective monitoring.

1. (a) A report on the physical and financial progress made in respect of each work is to be submitted to the UD Department at the time of request for release of funds.
2. (b) In execution of works, MLAs may face special problems/ situations not envisaged to be covered under these guidelines. Such cases may be taken up with the sr. Secretary, urban Development Department for suitable clarification.

**ANNEXURE-A**

**No.8/2/2007-A/CD-01295543/2012-13/Exp-4/854-73  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL  
TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (INFRASTRUCTURE) DEPARTMENT**

Dated : September 12, 2012

**ORDER**

Adoption of DSR-2012 in place of DSR-2007 for capital works in National Capital Territory of Delhi

Partial modification of Government Order of even No. PA/DSF/Misc./2012-13/Exp-4/538-45, dated May 17, 2012 and subsequent corrigendum dated May 23, 2012 regarding revision of delegation powers for sanction of capital works/projects, observance of standard norms/parameters and guidelines for approval/sanction of capital works, Lieutenant Governor, Delhi is pleased to approve adoption of Delhi Scheduled Rates-2012 (DSR-2012) in Place of Delhi Schedule Rates-2007 (DSR-2007) for capital works/projects of Government of NCT of Delhi to be executed by the ..... executing agencies including PWD, I&FCD, DSIIDC, DTTDC, DUSIB, DTIDC and local bodies as per following rates/stipulation :

Sl. No.	Nature of Works	Stipulation
1	Bridge Works	DSR 2012 Minus 5%
2	Building Works	DSR 2012 Minus 12%
3	Development Works ( Roads and ide drains )	DSR 2012 Minus 12%

The adoption of DSR-2012 is further subject to the followings:

- (i) Contingency, third party quality control, labour cess and art work (wherever necessary) shall continue to be charged @ 1% each.
- (ii) Consultancy charges (wherever necessary) shall be fixed lump sum subject to a maximum of 3% of original project cost, and
- (iii) Project Management charges/Department charges to agencies other than PWD and I& FCD shall be restricted upto a maximum of 5% of the original project cost.

**(D.M. SPOLIA)**

**Pr. Secretary (Finance)**

All Administrative Secretaries, GNCT of Delhi

All Head of the departments, GNCT of Delhi

Chairperson, New Delhi Municipal Committee

Commissioner, EDMC/NDMC/SDMC

EMD, DSIIDC/DTTDC/DIMTS/DTIDC/DTL/DTC

CEO, DUSIB/DJB

**8/2/2007-A/CD-01295543/2012-13/Exp-4/854-73**

**Dated: September  
12, 2012**

Sr. Secretary to the H.E. Lt. Governor, Delhi.

Sr. Secretary to the Hon. Chief Minister, GNCT of Delhi



Commissioner, Delhi Police

Secretaries to Hon. Ministers, GNCT of Delhi

Staff officer to Chief Secretary, GNCT of Delhi.

Special Secretary, Finance Department, GNCT of Delhi

Accountant General (Audit), Delhi

Engineer-in-Chief, Public Works Department, Govt. of NCT of Delhi

**35. श्री मनोज कुमार :** क्या उप मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी नगर निगम द्वारा गाजीपुर डेयरी फार्म में गोबर के समुचित निपटान हेतु कोई व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इस अनिवार्य कार्य को अनदेखा करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कर्वाई की गई है अथवा की जानी प्रस्तावित है?

**उपमुख्यमंत्री :** (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम:** गाजीपुर डेयरी फार्म को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सन् 1975-1976 में आवंटित किया था। गोबर के समुचित निपटान हेतु, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई थी दिल्ली नगर निगम की डेयरी लाईसेंसिंग पोलिसी के अनुसार डेयरी पशुओं द्वारा उत्पन्न गोबर के समुचित निष्पादन डेयरी मालिकों की जिम्मेदारी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पास योजना मद में राशि आवंटित नहीं है। अतः डेयरी पशुओं से उत्पन्न गोबर को निष्पादित करने हेतु कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(घ) गोबर का समुचित निपटान दिल्ली नगर निगम की पोलिसी के अनुसार डेयरी मालिकों को स्वयं करना है।

**36. श्री जगदीश प्रधान :** क्या उप मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्ताफाद विधान सभा में पूर्व विधायक की अनुशंसा पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा विधायक फंड से स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि बिजली कंपनियों को हैंडओवर न किये जाने के कारण ये स्ट्रीट लाइटें काम नहीं कर रही हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

**उपमुख्यमंत्री :** (क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम

यह प्रश्न सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से संबंधित है। इसकी पूर्ण जानकारी के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से एकत्रित की जा रही है।

(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार

(ग) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार

**37. श्री नितिन त्यागी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कड़कड़डूमा में स्थित सीबीडी ग्राउंड वर्तमान में किस प्रयोग में लाई जा रही है;

(ख) क्या यह जमीन पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कार्यालय के निर्माण हेतु आवंटित की गई है;

(ग) क्या इस जमीन का प्रयोग निजी व्यक्तियों द्वारा व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा इन निजी व्यक्तियों के साथ किये गये लीज डाक्यूमेंट/कांटेक्ट/एग्रीमेंट की प्रति उपलब्ध कराई जाए; और

(ङ) 01.11.2011 से 31.12.2016 तक इस जमीन से प्राप्त किये गये कुल राजस्व का विवरण क्या है?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम:** पूर्वी दिल्ली नगर निगम को डी. डी. ए. द्वारा सीबीडी ग्राउंड पर नगर निगम के मुख्यालय बनाने हेतु जमीन दी गयी थी। परंतु पूर्वी दिल्ली नगर निगम में वित्तीय संकट एवं उक्त भूमि पर अतिक्रमण का संज्ञान लेते हुए उक्त भूमि को माननीय स्थायी समितिपूर्वी दिल्ली नगर निगम के अनुमोदन के पश्चात् खुली निविदा द्वारा सार्वजनिक कार्यों हेतु पूर्णतः अस्थायी तौर पर आवंटित किया गया था। वर्तमान में यह अस्थायी आवंटन निरस्त किया जा चुका है। किंतु उक्त आवंटन के निरस्तीकरण पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 27.02.2017 तक के लिए रोक लगाई गयी है।

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** उक्त भूमि पूर्वी दिल्ली नगर निगम को डी. डी. ए. द्वारा नगर निगम के मुख्यालय बनाने हेतु दी गयी थी, जिसका कब्जा पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 11.06.2014 को प्राप्त हुआ।

(ग) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : उत्तर क्रमांक (क) के अनुसार।

(घ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : एग्रीमेंट की प्रतिलिपि संलग्नक-1 पर संलग्न है।

(ङ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : उक्त भूमि का कब्जा पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 11.06.2014 को प्राप्त हुआ, जिसके संदर्भ में प्राप्त राजस्व का ब्यौरा निम्नलिखित है—

11.06.2014 से 31.12.2014 रू. 0/-

01.01.2015 से 31.12.2015 रू. 13,310/-

01.01.2016 से 09.03.2016 रू. 0/-

अस्थायी आवंटन के पश्चात्—

10.03.2016 से 31.12.2016 रू. 78,12,00/-

**INDIA NON JUDICIAL**

**Government of National Capital Territory of Delhi**

**e-Stamp**

Certificate No.	:	IN-DL228211527514490
Certificate Issued Date	:	03-May-2015 5:48 PM
Account Reference	:	IMPACC(IV)/dl706903/DELHI/DL-DLH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-DL706903443961352468060
Purchased by	:	East Delhi Municipal Crporation
Description of Document	:	Article 5 General Agreement
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	East Delhi Municipal Corporation
Second Party	:	Wamika Hospitality Pvt. Ltd.
Stamp Duty Paid by	:	East Delhi Municipal Corportion
Stamp Duty Amount (Rs.)	:	100 (one Hundred only)

**AGREEMENT**

This agreement is made at Delhi on the 5th March 2016 for implementation of the work FOR TEMPORARY ALLOTMENT OF VACANT LAND ON MONTHLY RENT BASIS FOR SETTING UP OF TENT FOR EVENTS, MARRIAGE, FAMILY GET TOGETHER, PARTIES, CIRCUS, SOCIAL/CULTURAL/RELIGIOUS FUNCTIONS ETC. WITH CATERING AT CBD GROUND, SHAHDARA (NEAR CROSS RIVER MALL) published vide tender No. A.O (R.P Cell)/EDMC/2015/ D-678 dated 04.12.2015

**EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION** having its office at 419, Udyog Sadan, Patparganj Industrial Area, Delhi-110092 herein after called as "EDMC" (which expression, unless repugnant to the context or meaning thereof shall be deemed to include its successors and permitted assignees) of the **FIRST PARTY**.

AND

M/s Wamika Hospitality Pvt. Ltd. having office at C-94, Wazirpur Industrial Area, Main Ring Road, Delhi-52 (herein after called as "**Wamika Hospitality**", which expression, unless repugnant to the context or meaning thereof shall be deemed to include its successors and permitted assignees) of the **SECOND PARTY**.

EDMC and Wamika Hospitality being referred to individually as "PARTY", and jointly as "PARTIES".

**WHEREAS**

- A. In response to the tender No. A.O (R.P Cell)/EDMC/2015/ D-678 dated 04.12.2015 floated by the East Delhi Municipal Corporation, the **SECOND PARTY** has consented to implement the same vide acceptance letter No AC/RPC/EDMC/2016/D-854 dated 24.02.2016.
- B. With this objective both the parties are desirous of recording their understanding, agreed terms and conditions by way of this agreement.

NOW, THEREFORE, IN CONSIDERATION OF THE PREMISES. AND MUTUAL PROMISES AND COVENANTS HEREINAFTER SET FORTH, "**EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION**" AND

**"Wamika Hospitality" INTENDING TO BE LEGALLY BOUND  
HEREBY AGREE AS FOLLOWS.**

**Salient features:**

1. The bidder undertakes for setting up of temporary TENT on vacant land located at CBD Ground Shahdara (Near Cross River Mall) for two years period. It may be extended for further one year as per T&C of tender document.
2. The licensee may be allowed to set up only temporary structure at the allotted site. The licensee will not construct any permanent structure. However, if any permanent construction is required by the licensee a request to this effect may be made in writing to the Commissioner, EDMC who may either reject such a request or consider the same on such terms and conditions as may be deemed appropriate.
3. The successful contractor will take Electric supply & water connections from the concerned agencies and will pay their charges accordingly on regular basis. The successful contractor has to obtain all necessary permissions from the respective departments required for the same work.
4. The successful bidder has to deposit fixed monthly license fee (MLF) in advance on quarterly basis. Payment has to be deposited before starting of respective quarter period and follow the same cycle for rest of the period failing which an interest @ 2% will be levied on the due payment from the date of starting of respective quarterly period.



5. The quoted/offered monthly license fee (MLF) will be enhanced 10% on yearly basis only. The contractor has to borne all applicable taxes (like TCS etc. as levied presently or in future) on offered MLF separately.
6. All terms & conditions mentioned in the tender document published via NIT dated 04.12.2015 (as attached) will also be part of this agreement.

**On Behalf of EDMC**

**On Behalf of Wamika Hospitality**

**EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION**

*(Remunerative Project Cell)  
Udyog Sadan, 419, First Floor,  
Patparganj Industrial Area,  
Delhi - 110092*

**TENDER NOTICE FOR TEMPORARY ALLOTMENT OF  
VACANT LAND ON MONTHLY RENT BASIS FOR  
SETTING UP OF TENT FOR EVENTS ETC.**

Tender No. A.O(R.P. Cell)/EDMC/2015/D-678 Ddte: 04/12/2015

EDMC invites sealed bids from eligible bidders for temporary allotment of vacant lying land. (approx. 10000 Sq. Mtr.) on monthly; rent, basis for setting up of tent for events, marriage, family get together, parties, circus, social/cultural/religious functions etc. with catering at CBD Ground, Shahdara (Near Cross River Mall) for two years period. The last date for submission of tender document at the office of undersigned is 29.12.2015 upto 03:00 PM. The schedule of NIT is given as under:

Cost of Tender Document	:	Rs. 1,000/-
Sale/Download of Tender Documents	:	07.12.2015 to 28.12.2015 from 10.00 hrs to 16.00 hrs
Pre Bid Meeting	:	At 03:00 PM (14.12.2015) in Conference Hall, EDMC (HQ)
Last date of submission of Bids	:	29.12.2015 upto 03:00 PM
Opening & Evaluation of Technical Bids	:	29.12.2015 upto 04:00 PM
Opening of Financial Bids	:	To be decided later.

**Administrative Officer  
RP Cell/EDMC**

**EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION**

*(Remunerative Project Cell)*

*Udyog Sadan, 419, First Floor,*

*Patparganj Industrial Area,*

*Delhi - 110092*

**NOTICE INVITING TENDER**

Sealed tenders on behalf of Commissioner, EDMC, Delhi are invited from eligible bidders for temporary allotment of vacant lying land on monthly rent basis for setting up of TENT for events, marriage, family get together, parties, circus, social/cultural/ religious functions etc. with catering for two years period. It may be extended further for 01 more year.

The total area of the land is approx. 101)00 Sq. Mtr. allotted by DDA to EDMC for setting up of its Head Quarter Building. This place will be temporary allotted on monthly rent basis for setting up of TENT for a period of two years, It may be extended further for 01 more year, If construction work of East DMC (HQ) is not started. The installed TENT may be utilized for holding events, marriage, family get together, parties, circus, social/cultural/ religious functions etc.

Tender Document can also be downloaded from EDMC website [www.mcdonline.gov.in](http://www.mcdonline.gov.in) (tender/e-tendering) and necessary tender document fee of Rs. 1,000/- in shape of Bank Draft/Pay Order [Non-refundable) in favour of "Commissioner, EDMC, Delhi", shall be submitted along with the bid at the time of submission of bid without which bid shall not be entertained.

Bids completed in all respects accompanied by EMD as specified in Clause 05 (General Terms & Conditions) in the form of Bank Draft/ Pay order payable to Commissioner, EDMC Delhi should be attached with technical Bid and must be dropped in Tender Box placed in the office of R.P Cell, EDMC (HQ), Udyog Sadan, 419, First Floor, Patparganj Industrial Area, Delhi latest by 03:00 P.M. on or before 29.12.2015. The tenders will be opened & evaluated (Technical Bid) on 29.12.2015 at 04:00 P.M whereas the date of opening of Financial Bid will be declared later. If the receiving/opening date is declared as holiday the tender shall be received/opened at the same time on the next working day. Tenderers or his authorized persons may present themselves at the time of opening offenders, if desired so.

The EDMC reserves the right of rejecting any or all tender bids without assigning any reasons thereof.

*Administrative Officer  
RP Cell/EDMC.*

**Details & Conditions of the Tender:**

1. The bidder should attach the following documents with their Bid:
  - a. Tender application form fee of Rs. 1.000/- (Rupees One Thousand Only) through a Demand Draft/Pay Order drawn in favour of "Commissioner, EDMC" payable at Delhi.
  - b. Registration of the company for tentage work/banqueting/marriage function etc. (documentary proof required)
  - c. Copy of certificate of incorporation
  - d. Copy of Service Tax registration certificate (ST-2) with copies of returns
  - e. Copy of EPF & ESI with copy of returns
  - f. Copy of VAT with copy of returns
  - g. FSSAI Certificate
  - h. Turn over for last three financial year (2012-13,13-14 & 14-15). It must be more than Rs.5 crore in each financial year in the area of tentage/catering/banquet/ event management/marriage function etc. copies of last three financial year P&L account certified by CA.
  - i. The bidder should have the experience of completion of similar works in any of the Departments/Autonomous Institutions/Universities/Public Sector Undertakings of the, Government of India: or Government of NCT of Delhi or any other State /Central Government or Public Sector Banks

or Local Bodies/Municipalities/famous corporate bodies in last three financial years as follows- Atleast two similar completed works.each costing not less than the amount equal to Rs. 75 lacs each OR One similar completed work costing not less than the amount equal to Rs.1.2 crore.

- j. Copy of the PAN Card of the applicant Company
- k. Two address proofs (Electricity Bill, Telephone Bill, Adhar Card, Driving License, Flection I/D Card etc.). In case of firm/company, two address proofs of all partners/directors must be attached.
- l. Valid Character Certificate. In case of firm/company, character certificate(s) of all partners/directors/authorized signatory shall be attached.
- m. Signed copy (each page) of tender document by bidder
- n. Affidavit (on Rs. 10/- Stamp Paper in standard format) as per Annexure-II.

*Note - Recent experience certificate/documents issued after the duration us mentioned above & before the date of NIT wilt also be considered, In case of experience in corporate bodies, proof of /bills/ invoice must be attached with technical bids to prove the genuinely.*

## **2. Submission of Bids:**

- (a) The tenderer should submit the Hid. in two scalpel envelopes (Technical & Financial) and should bear name & address of the.bidder. These envelopes to A.O (R.P Cell), EDMC (HQ),

Udyog Sadan, 419. First Floor, Patparganj Industrial Area, Delhi-110092. Financial Bids of Only that firms/ companies/ individual will be opened/considered, whose technical bids declared qualified.

- (b) The envelope should clearly specify that "APPLICATION FOR ALLOTMENT OF VACANT LYING LAND FOR INSTALLATION OF TENT FOR EVENTS ETC. AT CBD GROUND, SHAHDARA"
- (c) The envelope containing the bid should bear the complete name & address of the bidder.
- (d) The bidder should sign on each page of the tender document in token of acceptance & return the same in full.
- (c) The bid should be given in prescribed tender form only.

### **3. Grounds for Rejection of Bids:**

Any one or more of the following actions/omissions are likely to cause rejection of bid.

1. Any bid received late after the scheduled time.
2. Any bid does not accompanied by EMD as per Clause No. 05 or Tender Application Form fee.
3. Bid not as per uploaded document by EDMC or not accompanied by cost of tender document.
4. Any bid received without wax sealed or tape sealed.
5. Any conditional bid.

6. Any bid in which rates have not been quoted in accordance with specified formats/details as specified in NIT.
7. Any bid received, not signed by duly authorized person at all appropriate places.
8. Any effort by a bidder to influence EDMC in the bids evaluation, bid comparison or award of contract/decision may also result in rejection of the bid.
9. Character Certificate (receipt for request to issue character certificate will not be entertained).
10. Copy of PAN card.
11. Two address proofs (Election (D Card/DrivingLicence/ Electricity Bill etc.).
12. Without affidavit (on Rs. 10/- stamp paper in standard format) as per Annexure-II.
13. Signed copy of tender document.
14. All required documents as per clause no.1



***ANNEXURE-I***

***GENERAL TERMS & CONDITIONS***

1. The bidder undertakes for setting up of temporary TENT on vacant land located at CRD Ground Shahdara (Near Cross River Mall) for two years period, The allotment of said land will be temporary basis and the contractor has to pay fixed monthly license fee (MLF) regularly.
2. The contract period/temporary allotment of vacant lying land shall be valid for the period of Two (02) years of land allotted by DDA to EDMC for construction of its Head Quarter Building. It may be extended for further one year if construction of East DMC (HQ) is not started.
3. After completion of contract period, the contractor has to vacate the: premises completely within: the given time limit with all goods/structure including furniture; tentage items etc. failing which a penalty equal to double of current MLF will be imposed on the contractor for the period for upto thirty days and the same will be calculated for all next thirty days period.
4. The licensee may be allowed to set up only temporary structure at the allotted site; The licensee will not construct any permanent structure However, if any permanent construction is required by the licensee a request to this effect may be made in writing to the Commissioner, EDMC who may either reject such a requestor consider the same on such terms and conditions as may be deemed appropriate. The said work may be done only after getting written

permission from the department and the licensee shall have to remove the same at the time of vacation of the said premise.

5. The bidder shall have to deposit an amount, equal to Rs. 50,0000/- (rupees five lacs) as EMD in the form of Demand Draft in the favour of "Commissioner, EDMC along with their tender application form. This amount will be adjustable towards Security Deposit.
6. The successful bidder has to deposit BG/FDR equal to three-months MLF) also with EDMC as: security deposit; "before taking; the possession"; of the vacant lying land. However, the EMD & other all deposited amounts-(including EMD and BG/FDR) will be forfeited in case the. successful bidder does not accept the offer of allotment and complete the payment as well as documentation formalities within twenty (20) days from the date of issue of Provisional Offer Letter.
7. The successful contractor will take Electric supply & water connections from the concerned agencies and will pay their charges accordingly on regular basis. The successful contractor has to obtain all necessary permissions from the respective departments required for the same work
8. The successful bidder shall be required to deposit as Performance Guarantee (PG) equal to three month quoted MLF in the form of BG/PD.R (with Twenty Four months validity period) in favour of Commissioner, EDMC"; within Twenty-days (20) from the date of issue of Provisional Offer Letter failing all deposited amount shall be forfeited and offer letter shall also be deemed cancelled.

9. EDMC reserves the right to cancel the temporary allotment of land without assigning any reason after issue of a due notice of 90 days. The successful contractor has to abide by the decision of EDMC and no claim will be entertained in any manner.
10. In case of dispute the decision of the arbitrator appointed by Commissioner/EDMC, Delhi will be final and binding on both the parties.
11. EDMC will not be parry if there is any dispute legal or otherwise between the successful contractor and costumers.
12. The successful bidder may utilize the allotted land only to set up TENT for holding events, marriage, family get together, parties, circus, social/cultural/ religious functions etc. with catering/ fooding on their rates. The contractor may take booking for holding earlier defined functions/parties on rental basis. The contractor may fix their rates against the function/party holding at the location towards catering, Fooding, tentage, electricity, flower decoration etc. services provided at the location.
13. The person signing the tender papers, in a firm or company should, clearly specify his status in the firm or company, like (i) Sole Proprietor, (ii) Under power of attorney as Director; Manager and/ or Secretary, as the case may be. Copies of documents authorising the signatory on behalf of the firm/company should be attached with the tender documents.
14. If any tender is withdrawn after opening the bids before final acceptance of the contract, the Earnest Money attached with the tender is liable to be forfeited.

15. In case of receipt of more than one bid by same person in different name for the site, then all the bids of that Party will be rejected summarily.
16. The security deposit/performance guarantee must be paid within stipulated time, failing which the offer will be cancelled and amount deposited as Earnest Money will be forfeited.
17. If the information furnished by the tenderer is found to be incorrect, the contract, if awarded is liable to be terminated immediately without issuing any notice and Earnest Money and/or Security Deposit is liable to be forfeited.
18. The contractor will in no case transfer the whole or part of the contract to any other person or firm.
19. Bids shall remain valid for 180 days from the date of bid opening prescribed by the EDMC.
20. (a) Validity period of EMD should not be less than 180 days.  
(b) EDMC will not pay any interest on the Earnest Money and the security deposit.
21. EDMC, also reserves the right to forfeit Earnest Money/Security Deposit, if the tenderer, after accepting the contract, fails to comply with any of the terms and conditions set out here or in the contract agreement which may be drawn up as consequence of acceptance of the tender. EDMC may without prejudice to any other remedy for breach of contract, by written notice of default sent to contractor terminate this contract.

22. Acceptance of the tender will be communicated through an acceptance letter.
23. Any bribe, commission, or gift promised or offered by the bidder or on behalf of the tenderer or his/her partner, agent or servant or any of his representative or relative to any official/officer of EDMC with a motive to influence acceptance of tender-or award of work will render the bidder for cancellation of his/her tender.
24. The bidder should comply with.the conditions of Minimum Wages Act and/or all the rules regulations applicable thereto. In case any liability arises in this regard, either, during the period of contract or later on, the approved bidder will be solely responsible for it. The contractor/bidder also indemnifies EDMC against any such expenses and promises to pay such charges.
25. The person engaged by the bidder shall not claim any benefit/ compensation/ absorption/regularization of service from this office under the provisions of Industrial Disputes Act 1974 or Contract Labour (Regulation & Abolition) Act. 1970. An undertaking to this effect from the engaged persons shall be required to be submitted by the bidder to this office.
26. The contractor will extend the various statutory, benefits like coverage under ESI Act, PF Act, Payment of Bonus Act (wherever applicable) to their workmen deployed by them under their contract.
27. Provision of minimum wages act -.The rates quoted by the prospective bidder must include all statutory obligations of the contractor under Minimum Wages Act, Contract. Labour [R&A] Act.

28. If the Highest Bidder withdraws from providing services/contract to HDMC during the period of contract, the same work contract can be awarded to the next Highest Bidder (H-2) till finalization of fresh tender only.
29. The licensee shall not permit the said premise or any part thereof being used by another person for any other purpose whatsoever and in default thereof shall be liable for cancel of allotment & forfeiture of Performance Guarantee. The licensee shall not introduce any partner nor sell and transfer user of the premises or partner thereof or otherwise carry on the business in the premises with any other person or assign, transfer, change or otherwise alienate his use of the premises.
30. The allotment of land will be on temporary basis and the same is non-transferable. The allotted land partial or full can't be utilized for any other purpose. The said temporary allotted land (partial or full) neither sale nor transferred to any person/firm for any purpose in any circumstances, if such situation founds, the allotment, of land will be cancelled immediately: and all. deposited amount (PG&advance MLF) will be forfeited.
31. The licensee shall make good any damage caused to the premises normal wear and tear being excepted. The decision of the Commissioner hDMC on the question whether any damage is caused to the premises and what amount of compensation would make good such damages shall be final and binding on the parties hereto. The land will be allotted on "as is where is basis"
32. The premises will be normally allotted to the tenderer who offers the highest amount of Monthly License Fee (MLF). However, the

Commissioner, EDMC reserves the right to reject the highest offer or all the offers without assigning any reason.

33. The successful bidder has to deposit fixed monthly license fee (MLF) in advance on quarterly basis. Payment has to be deposited in the form of Demand Draft only in the favour of "Commissioner, EDMC" before starting of respective quarter period and follow the same cycle for rest of the period failing which an interest @2% will be levied on the due payment from the date of starting of respective quarterly period. The quoted/offered monthly license fee (MLF) will be enhanced 10% on yearly basis only. The contractor has to bear all applicable taxes (like TCS etc. as levied presently or in future) on offered MLF separately.
34. The contractor shall operate the temporary allotted vacant lying land by himself only. No subletting is permitted, if found so, the allotment of land shall be cancelled immediately without any reference.
35. The temporary allotment of land will be cancelled immediately if the contractor found to be associated with any misdeeds, antisocial, antinational or undesirable activity inside & nearby the allotted land.
36. Any Other conditions governing the contract issued by the EDMC from time to time will also be applicable.
37. In the case of dispute regarding unsatisfactory services by the contractor, decision of EDMC will be final and binding.
38. The allotment is not transferable. However, in case of death of allottee the same may be transferred in favour of legal heir of the

allottee for the remaining period only, subject to the submitting of NOC of remaining, legal heirs.

39. The successful bidder must obtain all remaining licenses/permissions required for, operation of TENT work at the temporary allotted land before starting of business activity.
40. All applicable taxes shall be borne by the successful bidder/contractor and these taxes will be calculated on the basis of quoted monthly license fee in the respective bid.
41. The bidder must not be a minor.
42. Failures to accept allotment by complying with all the requirement, o allotment letter within the twenty clays, shall entail forfeiture of the aforesaid Earnest Money Deposit (EMD) in full.
43. The highest bidders will not be allowed to withdraw their offers up to 180 days from the date of award of contract. In case they do so it shall entail forfeiture of the aforesaid Earnest Money Deposit (EMD) in full.
44. The Earnest money of the three highest tenders will be refunded only after the vacant lying land is allotted aad accepted by the highest tenderer.
45. The successful bidder has to operate the allotted land as per terms & conditions of NIT as well as agreement only. The allotted land shall be used only for the purpose specified in the NIT as well as agreement. If found so, a penalty of Rs, 10,000/- (Rupees Ten Thousand Only) will be imposed on each time.



46. the successful bidder shall have to give at least three months notice for surrendering of allotted land only after completion of six months of start of the license, failing which entire deposited amount (including MLF & BC/FDR) will be forfeited.
47. All legal disputes between the contractor (selected) and EDMC shall be subject to the jurisdiction of the court situated in Delhi only.

**Signature of the  
tenderer**

**Tel /Mob No.  
E-mail ID**

**Questionnaire  
(Technical Bid)**

From

To

Name and Address of Tenderer

A.O (R.P. Cell),

.....

EDMC HQ, Udyog Sadan,

.....

419, Patparganj Indl. Area

Tel. No.....

Delhi-92

Fax No. ....

Name or Work: Installation of TENT on temporary basis un EDMC (HQ)  
Building land situated at CBD Ground Shahdara (Near Cross  
River Mall).

Please furnish the following information:

- (a) Name of the Firm
- (b) Type of Firm
- (c) Name of proprietor/partners with address
- (d) Official & personal E-mail I/D

*Signature of tenderer*

*With rubber stamp*

***TENDER FORM***  
***(FINANCIAL BID)***

From

To

Name and Address of Tenderer

A.O (R.P Cell), Udyog Sadan,

.....

Industrial Area, Delhi - 110092.

Tele No. ....

Fax No. ....

Name of Work: Installation of TENT for events on temporary basis on EDMC (HQ) Building land situated at CBD Ground Shahdara (Near Cross River Mall).

1. I have studied the tender documents & understood them.
2. I hereby, agree to take the work for installation of TENT on-temporary basis on EDMC (HQ) Building land situated at CUD Ground Shahdara (Near Gross River Mall).
4. I hereby quote the following rates.  
Rent per month = Six Lacs Fifty one thousand (in words)  
Rs. 6,51,000/- (in figure).
5. I undertake to abide by the rule and regulation of Central/ state Govt. Governing the contractual obligations,
6. Minimum reserve price = Rs.4 lac per month.
7. I understand that if any of the information/document furnished here with is found to be false or incorrect, my tender bid liable to be cancelled and EMD forfeited and in the event of contract being awarded, the same is liable to be cancelled and security deposit amount forfeited.

***Signature of Tenderer***  
***with rubber stamp***

***Tender for temporary allotment of vacant lying land for setting up of TENT for events on EDMC (HQ) Building land at CBD Ground, Shahdara (Near Cross River Mall).***

***(TECHNICAL BID)***

- a. Name of Tenderer, Address & E-mail ID  
.....  
.....
- b. Tender is forward of contract for installation of TENT on temporary basis on EDMC (HQ) Building land situated at CBD Ground Shahdara (Near Cross River Mall).
- c. The offer is made on the understanding that I shall install TENT on temporary basis on EDMC (HQ) Building land situated at CBD Ground Shahdara (Near Cross River Mall) in accordance with the General Terms & Conditions vide Annexure "I".
- d. I quote the rates on financial bid.
- e. I have carefully read and understand the terms and conditions issued with the tender papers and quote my/own offer with full knowledge thereof, I submit the following documents in a wax-sealed Envelope/Tape sealed.
- f. Draft/Pay order. No. ....dated :  
..... drawn on ..... for Rs.  
1,000/- in favour of Commissioner, EDMC (for application fee).
- g. All relevant documents has been enclosed in the bid as mentioned in Clause No. 1 of terms & conditions of the tender.

- h. I undertake to abide by the Acts, Rules, Regulations of EDMC, Central or State Government, relevant to the operation of this contract, if awarded.
- i. I undertake that in case any information or document furnished herewith, am found to be incorrect or false the tender offered/ submitted and /or contract awarded, may be rejected/cancelled.

On behalf of;

**EDMC**

**Tenderer**

Signature .....

Signature (Tenderer) .....

Name .....

Name .....

Address .....

Address .....

.....

.....

.....

.....

Office Seal .....

Phone No. ....

Phone No.....

Mobile No. ....

Mobile No.....

**ANNEXURE-II**

**DECLARATION**

*(On a stamp paper of not less than ten rupees to be submitted by the tenderer duly attested by the notary public)*

I We/ Mr./Ms/ M/s ..... S/o .....  
.....resident of .....  
.....declare as under:

1. That I am not employee of EDMC.
2. That I do not have any close relative working in EDMC.
3. That I/We do not have debarred/black listed any time.by any organization and dp not have any pending criminal casengainstme/our in any police station.

**Note:** Close relative mean wife/son/unmarried daught/brother/unmarried sister/father and mother.

**Name of the Tenderer  
With rubber stamp &  
capacity in which he/she  
is signing (Office Seal)**

**38. श्री राजेंद्र पाल गौतम :** क्या उप मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले पार्किंग स्पेस का विवरण क्या है;

(ख) इन पार्किंग स्पेसेज से पार्किंग फीस इकट्ठा करने के लिए अपनाई जाने वाली नीति क्या है; और

(ग) तीनों नगर निगम द्वारा वर्ष 2012 से इन पार्किंग स्पेसेज से इकट्ठा किये गये राजस्व का विवरण क्या है?

**उपमुख्यमंत्री :** (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** द.दि.न.निगम के अंतर्गत आने वाले अधिकृत पार्किंग की सूची संलग्न है।

(ख) चिन्हित पार्किंग स्थानों का टेंडर द्वारा निर्धारित अवधि के लिए आवंटित किया जाता है। संबंधित ठेकेदार द्वारा अग्रिम मासिक लाईसेंस शुल्क विभाग में प्रतिमाह जमा कराया जाता है और आवंटित पार्किंग स्थान पर रूकने वाले वाहन से स्वीकृत दरसे पार्किंग शुल्क वसूल करते हैं।

(ग) छ. दि. न. निगम द्वारा वर्ष 2012 से आवंटित स्थानों से प्राप्त राजस्व का विवरण निम्न है।

---

2012-13	रूपये 8,43/- करोड़
2013-14	रूपये 25.41 करोड़
2014-15	रूपये 16.03 करोड़
2015-16	रूपये 41.43 करोड़
2016-17	रूपये 27.06 करोड़

(13 जनवरी 2017 तक)

---

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 246

18 जनवरी, 2017

पेज नं. 127 से 128 तक अंग्रेजी का मैटर है।

मैटर साफ नहीं है। दोबारा दे।



तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 247

28 पौष, 1938 (शक)

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 248

18 जनवरी, 2017

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 249

28 पौष, 1938 (शक)

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 250

18 जनवरी, 2017

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 251

28 पौष, 1938 (शक)

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 252

18 जनवरी, 2017

**39. श्री शरद कुमार :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नरेला विधानसभा क्षेत्र में नये जन सुविधा केंद्र बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि ये जन सुविधा केंद्र बस स्टैंडों के समीप बनाये जाने हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये जन सुविधा केंद्र कब तक बना दिये जायेंगे?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) नरेला विधानसभा क्षेत्र में जवाहर झुग्गी कैम्प के नाम से एक अनलिस्टेड क्लस्टर है जिसमें करीब 200 झुगियां हैं। जिसमें यार्डस्टिक के अनुसार 30 सीट के एक जनसुविधा परिसर का निर्माण कराया जा रहा है जो लगभग 4 माह में पूरा हो जायेगा।

(ख) नरेला विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड केवल झुग्गी बस्तियों में ही जन सुविधा परिसर प्रदान करता है। बस स्टैंडों के समीप जन सुविधा केंद्र बनाने का कार्य दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के कार्य क्षेत्र में नहीं है।

(ग) उपरोक्त।

(घ) उपरोक्त।

**40. श्री राजेश गुप्ता :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली जलबोर्ड जैसी एजेंसियों से पानी/सीवर की लाइन बिछाने और इन सुविधाओं की मरम्मत हेतु लगाये जाने वाले सर्विस यूजेस चार्जेज का विवरण क्या है;

(ख) इन चार्जेज को लगाने का क्या आधार/मापदंड है; और

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा इस मद के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों से वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2016-17 के दौरान इकट्ठा किये गये राजस्व का विवरण क्या है?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अपने प्रस्ताव सं.-164 दिनांक 08/08/2016 द्वारा अपने अधीन आने वाली सड़कों की खुदाई करने पर 684/- रूपये प्रति मीटर लंबाई पर way leave/usage charges लगाने का प्रावधान किया है। यह राशि सिर्फ एक बार ही वसूल की जाएगी। यह दर रोड काटने वाली सभी एजेंसियों पर समान रूप से लागू होती।

(ख) दिल्ली नगर निगम एक्ट की धारा 200-C के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि/सड़क का प्रयोग करनेवाली एजेंसी से लाईसेंस फीस/यूजेज चार्जेज प्राप्त करने का अधिकार दिल्ली नगर निगम को है। ऐसे चार्जेज मुंबई, पूणे, बंगलौर, भोपाल नगर निगम द्वारा हपले से ही प्राप्त किए जा रहे हैं। इसी प्रकार/आधार पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने भी way leave/usage charge @684/- रूपये प्रति मीटर लंबाई के हिसाब से लगाए हैं। (विवरण संलग्न है।)

(ग) इस मद में अभी तक किसी भी एजेंसी से कोई भी राशि उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त नहीं की गई है।



तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 255

28 पौष, 1938 (शक)

पेज नं. 130 से 146 तक का मैटर अंग्रेजी में है।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 256

18 जनवरी, 2017

---

(i) Average p.sq.mtr.	=	%	7,53,42.240	=	Rs. 68,430.73/
			1101		Sqm.
(ii) Lease Rent	=	10%	of 68430.73	=	Rs. 6,843.07/
					Sqm.
(iii) Considering 1 mtr. width = for 10 cables of 10 cm. average (in per running mtr.)	=	6843.07/10	=	Rs. 684.31 Prm	
(iv) The area is being used or will be used is also simultaneously used by Corporation for public use except the area occupied by the lessee hence 10% of the area is to be charged from the lessee	=	10% of 684.3	=	Rs. 68.43 Prm	
(v) To collect these one time usage charges per running meter may be consider 8 time multiply as in the case of conversion charges	=	68.43 x 8	=	Rs. 547.44 Say Rs. 547.00 Prm	

---

(c) Future enhancement will depend on the revised average circle rate prevailing on that date.

- (d) All other terms and conditions shall remain the same as approved vide Corporation Resolution No. 185 dated 13-8-2015.
- (e) Hon'ble Chairman, Standing Committee on file dated 16-5-2016 has suggested that on the analogy of Property, Tax Deptt., it should be 10 times instead of 8 times for one time charges and accordingly it has been works out to the tune of Rs. 68.43 x 10 = 684.30 Prm say 684/0 instead of 547Prm.

The proposal is placed before the Corporation through Standing Committee for consideration and approval.

**ANNEXURE 'A'**

**Copy of Resolution No. 185 of the Adjourned July (2015)  
Meeting of the North Delia Municipal Corporation  
held on 13-8-2015**

Item No. 31:— Recovery of usage charges for granting of Way Leave Facility to various Telecom service providers and other service providers in the jurisdiction of North DMC.

(i) Commissioner's letter No. F. 33/Addl. Comm. (Revenue)/A&C/NDMC/279/C&C dated 15-7-2015.

1. Presently, the land owned by North MCD is being used by various Telecom service providers and other service providers to provide telecom services and other services such as water, sewerage, electricity and gas etc. These service providers cut underground into the North MCD roads, footpaths, lanes and other such properties, for laying their cables, pipelines etc. In addition, these services may also be laid on the ground or overhead. These services laid by the service providers necessarily need to use the Municipal land due to non-availability of means of any other access and non-feasibility of laying OFC cables, water supply, electricity, sewerage etc. from any other directions to the citizens. They only pay the Corporation, a meager Road Restoration (RR) charges in lieu of the damage caused to the road. These charges are used only to repair the cut made by the agencies. The land/ground occupied by these underground/on the ground/overhead services, i.e. cables and pipelines and other structures such as pits and chambers, poles, transformers and pump houses etc. cannot be used for any other

purpose which can generate revenue for the North DMC. In other words this ground/land is rendered practically useless for any other purpose.

2. The land/ground occupied by the various service providers for laying the cable/pipes and other structures required for the network/project is being used for commercial and other benefits to their organization whereas the NDMC has developed the land and created infrastructure by making a huge expenditure in the shape of construction/maintenance of roads, footpaths and lanes as well as other properties. The service providers are also charging the ultimate consumers commercially and recovering their expenses and profits. Various other organizations such as Indian Railways, Mumbai Municipal Corporation, Pune Municipal Corporation, Bangalore Municipal Corporation, Bhopal Municipal Corporation, Bihar local agency etc. are already charging their service providers in the shape of Way Leave Charges, Usage Charges (Annexure-I to the preamble placed opposite). As per provisions of DMC Act, Section 200(C) Commissioner may with the sanction of Corporation allow the utilization of land for 'augmenting the financial resources in order to carry out its obligatory and discretionary function enshrined in the Act and as per Section 430(1), (2), (3), (4) & (5) of DMC Act "Except as otherwise provided in this Act or any bye-law made there under, for every such licence or written permission a fee may be charged at such rate as may from time to time be fixed by the Commissioner with the sanction of the Corporation and such fee shall be payable by the person to whom the licence or written permission is granted and all other relevant provisions."

3. It is, therefore, proposed to impose "Way Leave Charges" on all such service providers v/ho are using the land and property of North DMC whether underground, on the ground or overhead, to lay their services of various nature such as telecom services, water, sewerage, electricity and gas etc.
4. It may be noted that the land is not leased/licensed/sold, but only permission granted for a limited use. In the event of the way leave facility being discontinued with, the Municipal Corporation will not be liable to reimburse any amount to the party, nor to provide any alternative for access, etc. In such a case, any installations like underground pipelines, etc. put up by the party are liable to be removed/shifted by the party at its own cost failing which, the concerned service will be liable to be disconnected by North DMC. Therefore, the following modes can be adopted to calculate the Way leave/usage charges :—
  - (a) Preliminary information of such usage by the various service providers reveals that the total length of OFC cables laid by private service providers is approx. 16410 running kins, and approx. 30,000 running Ions, for other departments like DISCOM, MTNL, IGL, DJB, other such service providers. 10% of the commercial value of the land use is to be recovered by the service provider in running kilometers annually as usage charges. The value of the land is to be worked out as—Current Average Circle Rate of North DMC area, with factor for commercial-purpose as "4". The categorization of area will be as per property tax guidelines of North DMC. For convenience sake, the average circle rate for North DMC area may be taken

into consideration. As an illustration, suppose the average circle rate of North DMC is Rs. 1,87,900/- per mtr. upto 1 mtr. width. Multiplying by factor 4 for commercial use, the value of land becomes Rs. 7,51,620/- per mtr. Taking 10% of this value of land as the usage charges, the charges become equal to Rs. 75,162/-per mtr. per annum. Future enhancement will depend on the average circle rate.

- (b) As in the case of Railways, 10% of market rate of land value is being recovered from the service providers, which may be adopted. Taking into consideration the average rate of Karol Bagh area, i.e. about Rs. 5,00,000/- per sq. mtr. as the average for North DMC, 10% of the market rate works out to Rs. 50,000/- per sqm. However, considering that market rates are very frequent to fluctuations, sometimes even on a monthly basis, this model may have some Inherent drawbacks.
- (c) The charges may be fixed in comparison with the charges presently being imposed by other municipal corporations/land owning organizations. However the basis for such charges and its applicability to the area of North DMC is difficult to establish and, therefore, this model may be arbitrary.
- (d) In cases of government agencies being the service provider, the way leave/usage charges will be 75% of the charges otherwise accruable.

Amongst all the above modes, the mode listed at '(a)' above appears most scientific and feasible.



5. The accompanying terms and conditions for imposition of such charges are as follows :—

- (i) For all existing services, the date of accrual of usage charges/ Way Leave Charges would be the date of permission for laying the cable/pipes.
- (ii) The Engineering Department of North DMC will intimate the total length of service laid during a particular financial year alongwith details of the service provider to the Revenue Department for proper realization of dues. The Service Provider shall be liable to pay the usage charges every year by 10th April of each Financial Year at the Revenue Department (Property Tax Department).
- (iii) In the cases of new installation, the effective date of payment will be reckoned from the date of permission of road cutting.
- (iv) The User Company shall be liable to pay advance usage charges of one year and security at the time of permission of road cutting in respect of new cases.
- (v) The allocation of space shall be totally on temporary basis and if for any reason this place is required for public usage or project, the North DMC shall have the right to retrieve space allocated without any notice or prior intimation and the North DMC shall not be liable to pay any damages/ expenses for removal or installation of cable and the User company shall be bound to remove the installations/cables etc, within a period of four weeks from the date of intimation.

The User Company in such cases shall apply to the concerned department for alternate site and the prevailing circle rate in force shall be the basis for calculation of the usage charges payable with respect to the alternate space so allocated. The User Company and other departments will not claim any waiver in this regard.

- (vi) In all the cases where permission has been given during the year, the user company shall pay the usage charges upto 31st March of the said financial year with advance security of one year and the user company shall deposit the advance usage charges within a period of one month, i.e. by 30th April of the year. It shall be made clear that in case of failure on the part of the user company to deposit the advance charges, the entire contract shall be treated as cancelled without further notice and security deposit shall stand forfeited and the services will be discontinued at the cost and risks of the user company and all the assets of the User Company shall be termed as encroachment on the Municipal Land and will be removed at the cost of the User Company.
- (vii) No interest on security in any circumstances.
- (viii) It is made clear that the Usage Charges shall be payable by the User Company from the date of granting permission for installation of the Cable/Pipes and the User Company shall be liable to pay the road restoration charges etc., in addition to the User Charges. It is further made clear that in case of installation of any Transformers/Structure/any other installation made by the User Company, without any

permission, the User Company shall be liable to pay penalty/ damages equal to 10 times of the Usage charges of that particular area apart from the action by the Corporation for removal of such structure/installation/ equipment at the risks and costs of the User Company.

- (ix) By its very definition, way leave facility/usage right on Municipal Land involves limited use of land by a party for a specified purpose like laying of cable (underground, ground and overhead), putting structure with permission only, water line, sewer line, without conferring upon the party any right of possession or occupation of the land and without in any way affecting the title, possession, control and vise of the land of the Municipal Authorities.
- (x) In any event, way leave facility/User Right may he allowed after execution of proper agreements/permission. It may be noted that the land/space permitted to be used is not licensed, but only permission granted for a limited use which has been specified in detail in the Agreement. To avoid any misunderstanding on this score, the agreement shall in no way be termed like 'Licence' and 'Licence fee', but only 'Permission' and 'Usage Charges". The agreement shall also clearly stipulate that the Municipal Corporation will throughout retain full rights to enter upon, pass through or use the land, at any time, without any notice to the party.
- (xi) It is further relevant to State that the Municipal Land is already being used by different agencies from time immemorial without paying a single penny for the same. It

is made clear that any agency using and enjoying the Municipal Land is bound to enter into the Agreement and to pay the requisite charges for usage thereof as per the agreement/ approved rates without fail and in the case of non execution of such agreement all the assets and equipments lying in, on or upon the land belonging to the municipal corporation shall be treated as encroachment over the Municipal Land and shall be seized/attached and disposed off for recovery of Usage Charges at the risks and costs of such unauthorised user.

- (xii) The User Company shall indemnify the Municipal Corporation by way of executing a separate Indemnity Bond that in case of any loss damage to any public or institution or agency/service provider whatsoever on account of any act or deeds while laying of pipe lines, cables, installation, structure etc., the User Company shall in no way held the Corporation liable for the same and the User Company shall liable to deal with such institutions/individuals directly without involving the Corporation.
- (xiii) The usage charges shall be revised and enhanced after every five years @ 35% of the prevailing usage fee or 7% p.a.
- (xiv) The land shall not be utilized for any purpose other than the usage for which was permission sought within the limits of North DMC. The payment of way leave/usage charges does.
- (xv) Not render any right of ownership, possession or occupation of land and without in any manner affecting the right of Municipal Corporation on the User Company. Use of space

for office, parking of vehicles or storage of material or any other commercial activity shall not be permitted. No request for change of land use shall be entertained under any circumstances.

- (xvi) Written permission granted for using the land for laying services shall not be transferable in any circumstances.
- (xvii) No structure (whether permanent quasi permanent or temporary) shall be allowed to be constructed in the corners of parks, open plot or any other site proposed where no trees or any other structure exist. No request for construction in the middle of the available land shall be considered or entertained.
- (xviii) No permission for removal/cutting of trees shall be granted except under the Environment Law applicable in GNCTD.
- (xix) Wherever, any structure in the middle of a park or middle of footpath obstructing the free movement of pedestrians, the structure/chamber will be relocated to a spot which does not restrict movement of general public within six months.
- (xx) The structure/chamber shall be fully covered so that no safety hazard is posed to the general public. The design, of the structure should preferably be on the basis of standard design as approved by Govt. agency.
- (xxi) No permanent structure shall be raised in the green area and other areas without the permission of North DMC.
- (xxii) request for new space for structure/chamber shall ordinarily not be entertained unless larger public interest is involved

and the same shall also be subject to scrutiny by the concerned department of North DMC.

- (xxiii) User Company and other departments shall also indemnify the corporation against any losses due to any such structure/ chamber on whatsoever account including negligence, accidents etc.
- (xxiv) Any damages done by the User Company and other departments while carrying out their work to other User Company and other departments will be solely borne by the concerned User Company and other departments who are carrying out the work.
- (xxv) The User Company and other departments shall undertake on judicial stamp paper worth Rs. 10/- duly attested by the 1st Class Magistrate to the effect that they will pay the enhanced/ difference of usage charges/damages etc. as the case may be; as and when demanded by the North DMC.
- (xxvi) The User Company will be able to leave the space/site by a notice of three months to be served to the concerned department of North DMC and copy of the same will be provided to the concerned officer of the concerned Zone of North DMC.
- (xxvii) The North DMC reserves the right to impose any additional conditions in public interest at its own discretion.
- (xxviii) The User Company will get itself acquainted with the conditions herein mentioned and also the side condition before acceptance of offer of allotment user fee basis and the North DMC shall not entertain any claim/exemption from the payment of usage charges and damages, etc. once the offer of allotment on usage charges basis is accepted.

- (xxix) The tripartite documents of the contract or the barter system shall have to be executed and registered at the cost of User Company such form of contract and other departments and Service Tax liability or other taxes applicable to, if any, shall also be borne by the concerned User Company and other departments.
- (xxx) In case of any dispute, the decision of the Commissioner, North DMC, shall be final and binding.
- (xxxi) Delhi Court shall have jurisdiction in respect of all matters/ disputes arising out of contract permission granted in the matter.
- (xxxii) Any person desirous of using municipal land/property for laying underground, on the ground or above for laying services of various nature such as telecoms, water, electricity, gas etc. shall apply in writing to Commissioner or his duly authorized representative to offices to whom power has been delegated for written permission.

It is, therefore, proposed to impose "Way Leave Charges/Usage Charges" on all such service providers who are using the land and property of North DMC, whether underground, on the ground or overhead, to lay their services of various nature such as telecom services, water, sewerage, electricity and gas etc. on the above given terms and conditions.

The above proposal has been vetted by the Law Department and concurred in by the finance Department.

The proposal may be placed before the Corporation routed through the Standing Committee for consideration and approval.

**ANNEXURE-I**

**Row Charges Levied by Different States / UTs for CFC**

S. No.	State	State Agency/ Local Body	is there any Policy/ Guideline in the State (Y/N)	If yes, highlights to be mentioned (bullet points)	Charges for lying underground cables (OFC)	One Time	Recurring	Restoration	Any Other
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Maharashtra	Nagpur Municipal Corporation	Y	(a) Duct shall be the property of Nagpur Municipal Corporatio (b) Laying & Closing duct shall be responsibility of Agency (c) Permission to be granted in 10 days time	Rs.305/- per RMT *(charge shall be revised upward every year by 10% rounded off to the next multiple of Rs.5/-)	NA	Rs.1550/- per RMT refundable	NA	Levy land rents/ royalty charges @Rs.2500/- to Rs.6500/- per meter
		Pune Municipal Corporation					Rs. 2300/- per meter (Note : PMC has revised the charges as		



<p>follows: Restoration charges for asphalt road cutting - Rs.5547/- per RM</p>	<p>based on width of the road (Note.: PMC has revised the charges as follows: OFC cable pulling using PMC PVC pipe- Rs.5950/- per RM OFC cable pulling RCC pipe - Rs.5950/- per RM)</p>
<p>Restoration charges for footpath cutting Rs.5488/- per RM</p>	<p>50% of Reinstatement charges towards refundable security deposit</p>
<p>Pit restoration charges Rs.6000/- per RM.</p>	<p>Reinstatement charges non refundable. Below is the table of flat rates for reinstatement charges based on two main categories i.e. A) Carriageway surface &amp; B) footpath surface:</p>
<p>One time</p>	<p>A) Carriageway Surface</p>
<p>Reinstatement charges non refundable. Below is the table of flat rates for reinstatement charges based on two main categories i.e. A) Carriageway surface &amp; B) footpath surface:</p>	<p>(a) Asphalt-Rs.7657 per Running Meter - Grade 60/70mm</p>
<p>Reinstatement charges non refundable. Below is the table of flat rates for reinstatement charges based on two main categories i.e. A) Carriageway surface &amp; B) footpath surface:</p>	<p>(b) Asphalt- Rs.7657 per Running Meter- Grade 30/40 mm.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(c) Paverblock-Rs. 6808/- per Running Meter -100 mim	
							(d) Paverblock- Rs. 5779 per. Running Meter - 80 mm	
							(e) Duct - Rs.2748/- pee-Running Meter.	
							(B) Footpath Surface:	
							(a) Paverblock- Rs. 2974/- per Sq. Mtr.	
							(b) Lac Paverblock - Rs.3035 per Sq. Mtr.	
							Multiplying factor for new roads having guarantee:	
							(1) Excavation during 1st year-2 times of the above rate (5 Yr. & 3 Yr. Guarantee)	
							(2) Excavation during 2nd year-1.8 times of the above rate (5Yr Gurantee) & 1.6 times of, the above date (3 Yr Guarantee)	
							(3) Excavation during 3rd year-1.6 times of	

the above rate (5 Yr. Guarantee) & 1.2 times of th above rate (3 Yr. Guarantee)  
4) Excavation during 4th year - 1.4 times

3	Tamil Nadu	Chennai Corporation	No pit charges; Restoration done by us	9400 (Revised to Rs.32450/-) per km per annum
		Sipcol	No deposit charges	For the main roads concrete duct has been constructed. For that Rs. 15,00,000/-per annum per km will be charges. 9400/- for inner roads (shortly going to be Implemented) as Rs. 32450/- per km. per year
		Amtatur IMA	BG to be provided 50/-per meter	9400/- (shortly going to be Implemented as Rs.32,450/- like Corporation)
		Punchayat	Case to case basis only	4400/- (already revised to Rs.6050/- per km per year

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Municipality	Case to case basis only	5500/- (shortly going to be revised as 18,967/-per km per year)					
	All City Municipal Corporation other than Chennai City Municipal Corporation	Old one as per GO No.7 - Rs.6300/-per km per annum)						
	Madurai/ Salem/ Coimbatore/ Trichy and Tirunelveli	Revised one Rs. 18,587/ per km per year.						
	NHAI as per the new guidelines RW/NH-33044/27/2005/S&R) (pt) dated 05.08.2013	Rs.100/- per heter as BG for 5 years.					Restoration done by us.	
	Highways	Minimum of Rs.1500/- per pit					Restoration charges to be paid against demand rate depending on soil depending on soil condition.	

4	M.P.	Municipal Corporation (Bhopal, Gwalior, Jabalpur, Indore)	Y	100,000	20,000		
		Other Municipal Corporation	Y	75,000	15,000		
		Nagar Palika Parishad	Y	50,000	10,000		
		Nagar Parkdhad	Y	25,000	5,000		
		Gram Panchayat	N				
		Gram Panchayat	N				
5	West Bengal (including Kolkata)	Municipal Corporation (KMC, SMC, etc.)	Y	Under the provisions of KMC & WB MC Act	Approx. 25% on the Permission Charge (Rs.3000-6000 per meter as one time fees)	NO	Yes, but no fixed-rate and the vaires from location to location
		Municipalities	Y	WE Municipal Act	No fixed rate and the differes from municipality to municipality	NO	Yes, but no fixed rate and the vaires from municipality to municipality
		PWD	Y	Notification Public Works Department,	Only Permission Fees is paid and	NO	Yes, but ho fixed rate and the vaires from

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				West Bengal, Ministry of Surface Transport, Department of Road	supervision Fees is charged as per below details. For HDD-Rs.100/- to Rs.1,5,000 per meter depending on road For Open Trench 1 Rs.2000/- to Rs.6000/- per meter		location to location	
		NITIDCO	N		No fixed rate and the differs from location to location	NO	Yes, but no fixed rate and the varies from location to location	
		NHAI	N		No fixed rate and the differs from location to location	NO	Yes, but no fixed rate and the varies from location to location	
		NDTA	Y	Demand Note under Sec.169 of West Bengal Municipal Act, 1993	No fixed rate and the differs from location to location	NO	Yes, but no fixed rate and the varies from location to location	
6	Bihar	State agency (Road Construction Department (RCD)), Rural	Yes, these is guide-lines	1. Lend user charge per km per year is imposed. The main intension is to stop stusidy or rent free	Registration charge of Rs.25,000 and one time Restoration and cutting of way charge equivalent to	Rs. 5000 per KM per year as land use	One time Restoration and cutting of way charge equivalent to estimated amount is imposed.	Rs.25 per mtr. is asked as refundable bank guarantee charge

Work Department (RWD) for Bihar State controlled roads	use of the Bihar state controlled road. 2. Land use charge will be effective with retrospective effect 3. Registration charge, bank guarantee charge, Restoration and cutting of way-charge-equivalent to estimated amount is imposed 4. Bank guarantee is refundable. 5. In case of any deficiency in laying of OFC there is a provision of economic punishment	estimated amount is imposed	No	No	No
Local agency for local agency controlled roads	Restoration and cutting of way charge between 100 to, 300 for urban local body and for gram panchayat ony restoration charges and that is not fixed.		No	No	Restoration, and cutting of way charge between 100 to 300 for urban local body and for gram panchayat only restoration charges and not is not fixed.

- (ii) Resolution No. 102 of the Standing Committee dated 15-7-2015.

Resolved that it be recommended to the Corporation that the proposal of the Commissioner as contained in his letter No. F. 33/Addl. Comm. (Revenue)/A&C/NDMC/279/C&C dated 15-7-2015, regarding recovery of usage charges for granting of Way Leave Facility to various Telecom service providers and other service providers in the jurisdiction of North DMC, as detailed in the aforesaid letter, be approved.

Resolution No. 185: Resolved that as recommended by the Standing Committee vide its Resolution No. 102 dated 15-7-2015, the proposal of the Commissioner as contained in his letter No. F. 33/Addl. Coram'. (Revenue)/A&C/NDMC/279/C&C dated 15-7-2015, regard-ing recovery of usage charges for granting of Way Leave Facility to various Telecom service providers and other service providers in the jurisdiction of North DMC, as detailed in the aforesaid letter, be approved.

The motion was carried.



**ANNEXURE 'B'**

**NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION**  
**Office of Additional Commissioner (Revenue)**  
**14th Floor, S.P.M. Civic Centre**  
**New Delhi-110002**

No. : Addl. Cm. (Revenue)/NDMC/2015/1052 Dated : 28-8-2015

**CIRCULAR**

**Subject:—** Recovery of usage charges for granting of way leave facility to various telecom service providers and other service providers in the jurisdiction of North Delhi Municipal Corporation.

1. Presently, the land owned by North MCD is being used by various Telecom service providers and other service providers to provide telecom services and other services such as water, sewerage, electricity and gas etc.- These service providers cut underground into the North MCD roads, foot paths, lanes and other such properties, for laying their cables, pipelines etc. In addition, these services may also be laid on the ground or overhead. These services laid by the service providers necessarily need to use the Municipality land due to non-availability of means of any other access and non-feasibility of laying OFC cables, water supply, electricity, sewerage etc. from any other directions to the citizens. They only pay the Corporation, a meager Road Restoration (RR) charges in lieu of the damage caused to the road. These charges are used only to repair the cut made by the agencies. The land/ground occupied by these underground/on the ground/overhead services i.e. cables

and pipelines and other structures such as pits and chambers, poles, transformers and pump houses etc. cannot be used for any other purpose which can generate revenue for the North DMC. In other words this ground/land is rendered practically useless for any other purpose.

2. The land/ground occupied by the various service providers for laying the cable/pipes and other structures required for the network/project is being used for commercial and other benefits to their organization whereas the NDMC has developed the land and created infrastructure by making a huge expenditure in the shape of construction/maintenance of roads, footpaths and lanes as well as other properties. The service providers are also charging the ultimate consumers commercially and recovering their expenses and profits. Various other organizations such as Indian Railways, Mumbai Municipal Corporation, Pune Municipal Corporation, Bangalore Municipal Corporation, Bhopal Municipal Corporation, Bihar local agency etc. are already charging their service providers in the shape of Way Leave Charges, Usage Charges (Annexure-I to the preamble placed opposite). As per provisions of DMC Act, Section 200(C) Commissioner may with the sanction of Corporation allow the utilization of land for augmenting the financial resources in order to carry out its obligatory and discretionary function enshrined in the Act and as per Section 430(1), (2), (3), (4) & (5) of DMC Act, 1957 "Except as otherwise provided in this Act or any bye-law made thereunder, for every such licence or written permission a fee may be charged at such rate as may from time to time be fixed by the Commissioner with the sanction of the Corporation and' such fee shall be payable by the

person to whom the licence or written permission is granted and all other relevant provisions."

3. The North Delhi Municipal Corporation vide Resolution No. 185 dated 13-8-2015 hereby approves "Way Leave Charges" on ail such service providers who are using the land and property of North DMC whether underground, on tire ground or overhead, to lay their services of various nature such as telecom services, water, sewerage, electricity and gas etc.
  - (a) It may be noted that the land is not leased/licensed/sold, but only permission granted for a limited use. In the event of the way leave facility being discontinued with, the Municipal Corporation will not be liable to reimburse any amount to the party, nor to provide any alternative for access, etc. In such a case, any installations like underground pipelines, etc. put up by the party are liable to be removed/shifted by the party at its own cost, failing which, the concerned service will be liable to be disconnected by North DMC.
  - (b) The value of the land is to be worked out ase Current Average Circle Rate of North DMC area with multiplication factor for commercial purpose as '4' as per the provisions for property tax. As an illustration, suppose the current average circle rate of North DMC is Rs. 1,87,900/- per mix. upto 1 mtr. width.of the service provided. Multiplying by factor 4 for commercial use, the value of land becomes Rs. 7,51,620/- per mtr. upto 1 mtr. width of the.service provided. In case, the width of the service provided is between 1 and 2 rntrs., then value of die land will be taken as current average Circle Rate x 2 mtr. x

factor 4 and so on for further measurements in meters. Taking 10% of this value of land as the way leave/usage charges, the charges become equal to Rs. 75,162/- per mtr. per annum. Future enhancement will depend on the current average circle rate prevailing on that date.

(c) In cases of government agencies being the service provider, the way leave/usage charges will be 75% of the charges otherwise accruable.

4. The accompanying terms and conditions for imposition of such charges are as follows :—

- (i) For all existing services, the date of accrual of usage charges/ Way Leave Charges would be the date of permission for laying the cable/pipes.
- (ii) The Engineering Department of North DMC will intimate the total length of service laid during a particular financial year alongwith details of the service provider to the Revenue Department for proper realization of dues. The Service Provider shall be liable to pay the way leave/usage charges every year by 10th April of each Financial Year at the Revenue Department (Property Tax Department).
- (iii) In the cases of new installation, the effective date of payment will be reckoned from the date of permission of road cutting.
- (iv) The User Company shall be liable to pay advance way leave/ usage charges of ens year and security at the time of permission of road cutting in respect of new cases.

- (v) The allocation of space shall be totally on temporary basis and if for any reason this place is required for public usage or project, the North DMC shall have the right to retrieve space allocated without any notice or prior intimation and the North DMC shall not be liable to pay any damages/expenses for removal or installation, of cable and the User Company shall be bound to remove die installations/cables etc.. within a period of four weeks from the date of intimation. The User Company in such cases, shall apply to the concerned department for alternate site and the prevailing circle rate in force shall be the basis for calculation of the way leave/usage charges payable with respect to the alternate space so allocated. The User Company and other departments will not claim any waiver in this regard.
- (vi) In all the cases where permission has been given during the year, the User Company shall pay the way leave/usage charges upto 31st March of the said financial year with advance security of one year and the User Company shall deposit the advance way leave/usage charges within a period of one month, i.e. by 30th April of the year. It shall be made clear that in case of failure on the part of the User Company to deposit the advance charges, the entire contract shall be treated as cancelled without further notice and security deposit, shall stand forfeited and the services will be discontinued at the cost and risks of the User Company and all the assets of the User Company shall be termed as encroachment on the Municipal land and will be removed at the cost of the User Company.

- (vii) No interest on security in any circumstances.
- (viii) It is made clear that the Usage Charges shall be payable by the User Company from the date of granting permission for installation of the Cable/Pipes and the User Company shall -be liable to pay the road restoration charges etc., in addition to the User Charge-. It is further made clear that in case of installation of any Transformers/Structure/any other installation made by the User Company, without any permission, the User Company shall be liable to pay penalty/damages equal to 10 times of the Usage charges of that particular area apart from the action by the Corporation for removal of such structure/installation/ equipment at the risks and costs of the User Company.
- (ix) By its very definition, way leave facility/usage right on Municipal Land involves limited use of land by a party for a specified purpose like laying of cable (underground, ground and overhead), putting structure with permission only, water line, sewer line, without conferring upon the party any right of possession or occupation of the land and with you in any way affecting the title, possession, control and use of the land of the Municipal authorities.
- (x) In any event, way leave facility/User Right may be allowed after execution of proper agreements/permission. It may be noted that the land/space permitted to be used is not licensed, but only permission granted for a limited use which has been specified in detail in the Agreement. To avoid any misunderstanding on this score, the agreement shall in no

way be termed like Licence' and 'Licence fee', but only 'permission' and 'Usage Charges". The agreement shall also clearly stipulate that the Municipal Corporates will throughout retain full rights to enter upon, pass through or use the land at any time, without any notice to the party.

- (xi) It is further relevant to state that the Municipal Land is already being used by different agencies from time immemorial without paying a single penny for the same. It is made clear that any agency using and enjoying the Municipal land is bound to enter into the Agreement and to pay the requisite charges for usage thereof as per the agreement/ approved rates without fail and in the case of non-execution of such agreement all the assets and equipments lying in, on or upon the land belonging to the Municipal Corporation shall be treated as encroachment over the Municipal land and shall be seized/attached and disposed of for recovery of usage charges at the risks and costs of such unauthorised user.
- (xii) The User Company shall indemnify the Municipal Corporation by way of executing a separate Indemnity Bond that in case of any loss, damage to any public or institution or agency/service provider whatsoever on account of any act or deeds while laying of pipe lines, cables, installation, structure etc., the User Company shall in no way held the Corporation liable for the same and the User Company shall liable to deal with such institutions/individuals directly without involving the Corporation.

- (xiii) The usage charges shall be revised and enhanced after every five years @ 35% of the prevailing usage fee or 7% p.a.
- (xiv) The land shall not be utilized for any purpose other than the usage for which was permission sought within the limits of North DMC.
- (xv) The payment of way leave/usage charges does not render any right of ownership, possession or occupation of land and without in any manner affecting the right of Municipal Corporation on the User Company. Use of space for office, parking of vehicles or storage of material or any other commercial activity shall not be permitted. No request for change of land use shall be entertained under any circumstances.
- (xvi) Written permission granted for using the land for laying services shall not be transferrable in any circumstances.
- (xvii) No structure (whether permanent, quasi-permanent or temporary) shall be allowed to be constructed in the comers of parks, open plot or any other site proposed where no trees or any other structure exist. No request for construction in the middle of the available land shall be considered or entertained.
- (xviii) No permission for removal/cutting of trees shall be granted except under the Environment Law applicable in GNCTD.
- (xix) Wherever, any structure in the middle of a park Or middle of footpath obstructing the free movementof pedestrians, the



structure/chamber will be relocated to a spot which does not restrict movement of general public within six months.

- (xx) The structure/chamber shall be fully covered so that no safety hazard is posed to the general public. The design of the structure should preferably be on the basis of standard design as approved-by Govt, agency.
- (xxi) No permanent structure shall be raised in the green area and other areas without the permission of North DMC.
- (xxii) Request for new space for structure/chamber shall ordinarily not be entertained unless larger public interest is involved and the same shall also be subject to scrutiny by the concerned department of North DMC.
- (xxiii) User Company and other departments shall also indemnify the Corporation against any losses due to any such structure/ chamber on whatsoever account including negligence, accidents etc.
- (xxiv) Any damages cone by the User Company and other departments while carrying out their work to other User Company and other departments will be solely borne by the concerned User Company and other departments who are carrying out the work.
- (xxv) The User Company and other departments shall undertake on judicial stamp paper worth Rs. 10/- duly attested by the 1st Class Magistrate to the effect that they will pay the enhanced/ difference of usage charges/damages etc. as the case may be; as and when demanded by the North DMC.

- (xxvi) The User Company will be able to leave the space/site by a notice of three months to be served to the concerned department of North DMC and copy of the same will be provided to the concerned officer of the concerned Zone of North DMC.
- (xxvii) The North DMC reserves the right to impose any additional conditions in public interest at its own discretion.
- (xxviii) The User Company will get itself acquainted with the conditions herein mentioned and also the side condition before acceptance of offer of allotment user fee basis and the North DMC shall not entertain any claim/exemption from the payment of usage charges and damages, etc. once the offer of allotment on usage charges basis is accepted.
- (xxix) The tripartite documents of the contract or the barter system shall have to be executed and registered at the cost of User Company such form of contract and other departments and Service Tax liability or other taxes applicable to, if any, shall also be borne by the concerned User Company and other departments.
- (xxx) In case of any dispute, the decision of the Commissioner, North DMC, shall be final and binding.
- (xxxi) Delhi Court shall have jurisdiction in respect of all matters/ disputes arising out of contract permission granted in the matter.
- (xxxii) Any person desirous of using municipal land/property for laying underground, on the ground or above for laying

services of various nature such as-telecorns, water, electricity, gas etc. shall apply in writing to Commissioner or his duly authorized representative to offices to whom power has been delegated for written permission.

The North Delhi Municipal Corporation vide Resolution No. 185 dated 13-8-2015 hereby approves imposition of "Way Leave Charges/ Usage Charges" as per Section 430(1), (2), (3), (4) & (5) of DMC Act, 1957, on all such service providers who are using the land and property of North DMC, whether underground, on the ground or overhead, to lay their services of various nature such as telecom services, water, sewerage, electricity and gas etc. on the above given rates, terms and conditions.

Sd/-

28-8-2015

**(S.R. LAKHAN)**

Executive Engineer  
Revenue Monitoring Cell

- 1 Commissioner for Information of the Commissioner, North DMC;
3. Engincer-in-Chief, Nwrth DMC;
4. All Dy. Commissioners, North DMC;

5. Director, Press & Information;
6. Director, Horticulture, North DMC;
7. Director, Education, North DMC;
8. Director, Health (Adrn.), North DMC;
9. Director (IT), NDMC tor uploading on NDMC website;
10. ll Chief Engineers, North DMC;
11. All Superintending Engineers, North DMC;
12. CEO, BSES (Rajdhani Power) Ltd., BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi-19;
13. CEO, BSES (Yamuna Power) Ltd., Laxmi Nagar, Delhi;
14. CEO, TPDDL, NDPL House, Hudson Lines, KingswayCamp, Delhi-.1 10009;
- 15 CEO, Indraprastha Gas Limited, IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, Sector-9, R.K. Puram, New Delhi-110022;
16. All Telecom Service Providers, C/o. Telecom Regulatory Authority of India, Malianagar Doorsanchar Bhawan, Jawahar Lai Nehru Marg, Old Minto Road, New Delhi-110002;
17. All Telecom Service providers C/o. Department of Telecommunications, Ministry of Com-munications and IT, GOI, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi.

Copy for information :—

1. Hon'ble Mayor, North DMC;
2. Hon'ble Chairman, Standing Committee, North DMC;
3. Leader of the House, North DMC;
4. Leader of the Opposition, North DMC;
5. Secretary (Power), GNCTD, Delhi Govt. Secretariat, New Delhi-110002;
6. Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, GOI, Barakhamba, New Delhi-110001.

**(ii) Resolution No. 14 of the Standing Committee dated 1-6-2016.**

Resolved that it be recommended to the Corporation that the proposal of the Commissioner as contained in his letter No. F. 33/Engg./NDMC/133/C&C dated 1-6-2016 regarding recovery of usage charges for granting of Way Leave Facility to various Telecom service providers and other service providers in the jurisdiction of North DMC— Modification in Resolution No. 185 dated 13-8-2015, as detailed in the aforesaid letter, be approved.

### अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

**28. श्री राजेंद्र पाल गौतम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र के शाहदरा जिले एवं नार्थ ईस्ट जिले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकांश पार्कों की हालत अत्यंत दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पार्कों के सौंदर्यीकरण की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो सौंदर्यीकरण का यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण

यह सत्य नहीं है। कि दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र के शाहदरा जिले एवं नार्थ ईस्ट जिले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्कों की स्थिति काफी बेहतर है तथा नियमित रूप से इनकी देख-भाल की जाती है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण : उपरोक्त स्थिति में कोई योजना नहीं है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण : जरूरत नहीं।

**मुख्य अभियंता मुख्यालय कार्यालय**

**दिल्ली विकास प्राधिकरण  
विकास सदन, नई दिल्ली**

सं. एफ. 4(30)वि.स./अधि. अभि./प्रशि./2017/05 दिनांक 18.01.2017

विषय : विधान सभा अतारंकित प्रश्न सं. 28 दिनांक 1 8.01.2017 के लिए निर्धारित (दिल्ली के शाहदर एवं नार्थ ईस्ट जिले में दि.वि.प्रा. के पार्कों की हालत के बारे में)

संदर्भ : एफ.5(3)2017/वि.स. एव सं./24दी.16..01.17

उपरोक्त प्रश्न का पैरावाईज उत्तर निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र के शाहदरा जिले एवं नार्थ ईस्ट जिले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकांश पार्कों की हालत अत्यंत दयनीय है;	(क) यह सत्य नहीं है। कि दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र के शाहदरा जिले एवं नार्थ ईस्ट जिले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्कों की स्थिति काफी बेहतर है तथा नियमित रूप से इ नकी देख-भाल की जाती है।
(ख)	यदि हां, तो क्या इन पार्कों के सौंदर्यीकरण की सरकार के सौंदर्यीकरण की सरकार की कोई योजना है; और	(ख) उपरोक्त स्थिति में कोई योजना नहीं है।

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
(ग)	यदि हां, तो सौंदर्यीकरण का यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?	(ग) जरूरत नहीं।

यह निर्गम अभि. सदस्य/दि.वि.प्रा. के अनुमादन के आधार पर है।

आयुक्त एवं सचिव/दि.वि.प्रा.

अधि.अभि./प्रशिक्षण

प्रतिलिपि

1. उप-निदेशक (पा. एवं समन्वय) शाखा दि.वि.प्रा.

अधि.अभि./प्रशिक्षण



दिल्ली विकास प्राधिकरण  
संसद एवं समन्वय शाखा

कमरा नं. 406, बी. ब्लाक, चतुर्थ तल, विकास सदन  
आई.एन.ए. नई दिल्ली-110023

सं. एफ. 5(3) 2017/सं. एवं सं./वि.स./40

दिनांक 18.01.2017

सेवा में,

उप सचिव (प्रशासन)/संसदीय कक्ष,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,  
शहरी विकास विभाग, (संसदीय शाखा)  
नौवीं मंजिल, सी. विंग, दिल्ली सचिवालय,  
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली 110002

**विषय :** विधान सभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न सं. 28 दिनांक 18.1.2017

महोदय,

आपके पत्र सं. एफ. 53 (01) अता. प्रश्न-28/सत्र-2017/दि.वि.स./रवि.  
/2151-2157 दिनांक 14.1.2017 के संदर्भ में उपयुक्त प्रश्न का उत्तर तैयार  
करने हेतु पद नामित अधिकारी द्वारा विधिवत् अनुमोदित दि.वि.प्रा. की सामग्री  
इस पत्र के साथ संलग्न है।

कृपया माननीय मंत्री द्वारा दिये गये अंतिम उत्तर की दो प्रतियां हमारे रिकार्ड  
और आगे की कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को भिजवा दें।

यदि इस प्रश्न के संबंध में कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित हो तो

अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें। यदि बाद में किसी समय किसी विषय पर किसी विशेष ब्यौरे की आवश्यकता हो तो निम्नलिखित अधिकारियों से सीधे ही संपर्क किया जा सकता है।

उप निदेशक (संसद एवं समन्वय)  
चतुर्थ तल, "बी" ब्लाक, विकास सदन,  
आई. एन. ए., नई दिल्ली 110023  
फोन नं. 24624431 फैक्स नं. 24656522

**संलग्न उपर्युक्त**

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	फोन नं.	
		कार्यालय	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1.	श्री जे. पी. अग्रवाल प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान)/आवास/राष्ट्रमंडल खेल	24697813	9999496700
2.	श्री श्रीपाल प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन)/कार्मिक एवं प्रणाली	24619946	9650900366
3.	श्री एम. के. गुप्ता, आयुक्त (कार्मिक)	24619946	9650900366
4.	श्री डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव/खेल/भूमि प्रबंधन	24623598	9818291416
5.	श्री सूबू आर., आयुक्त (भूमि निपटान)	24698350	9480332223
6.	श्री एस. पी. पाठक, आयुक्त (योजना)	23379416	9810911402
7.	श्री रमेश कुमार, मुख्य अभियंता (मुख्यालय)	24694350	9717788038

1	2	3	4
8.	श्री विविन आहुजा, निदेशक (भूमि प्रबंधन) मुख्यालय/प्रशिक्षण	24667763	9871235758
9.	श्रीमती मंजू लता खत्री, निदेशक (सतर्कता)	24622398	959959100
10.	श्री ब्रिज मोहन थरेजा, निदेशक (भूमि/सांस्थानिक भूमि/व्यावसायिक भूमि एवं भूमि निपटान (समन्वय)	24698783	8800094924
11.	श्री अंसार अहमद, अधीक्षण अभियंता (प्रशिक्षण)	24642377	9718182220
12.	श्री एस. एस. डागर, निदेशक (उद्यान) द.-पूर्व	23378078	9810296236
13.	श्री ब्रिज लाल, निदेशक (उद्यान) उ. पश्चिम	23370975	9811786874

**29. श्री राजेंद्र पाल गौतम :** क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों नगर निगमों द्वारा विज्ञापन के लिए दिल्ली में प्रत्येक निगमवार होर्डिंग्स आदि के कुल कितने स्थान निर्धारित हैं;

(ख) इन होर्डिंग्स आदि के विज्ञापन स्थलों से निर्धारित शुल्क वसूलने हेतु नगर निगमों की क्या नीति है;

(ग) उक्त विज्ञापन स्थलों से प्रत्येक निगम को पिछले वित्त वर्ष में कितना शुल्क प्राप्त हुआ; और

(घ) वर्ष 2012 से अब तक उपरोक्त तीनों नगर निगमों को उक्त विज्ञापन-स्थलों से पार्किंग शुल्क के रूप में वर्षवार कितनी धनराशि प्राप्त हुई; उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

**उपमुख्यमंत्री :** (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम की नयी नीति के अनुसार निगम के छः क्षेत्रों को 15 क्लस्टरों में बांटा गया है। विभाग द्वारा क्लस्टरों में कोई भी स्थान जैसे कि विज्ञापन, पट्ट स्थल, युनिपोल स्थल, वालपोल स्थलों को चिन्हित नहीं किया गया है, क्योंकि विज्ञापन दाता द्वारा 15 क्लस्टरों में O A P-2007 के अनुरूप ही लगाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त वैद्य विज्ञापन स्थलों की सूची संलग्न है।<sup>1</sup>

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** सूची संलग्न 'क' के अनुसार

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** अतिरिक्त आयुक्त विज्ञापन से प्राप्त सूचना के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा समय-2 पर व्यवसायिक उपयोगिता के आधार पर अलग-2 स्थानों पर निगम द्वारा विज्ञापन लगाने की अनुमति (निविदा/आग्रह पर) प्रदान की जाती है। निविदा द्वारा दी गई साइटों की सूची संलग्न है।<sup>1</sup>

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी नगर निगम क्लस्टर नीति के तहत निर्धारित शुल्क क्लस्टर धारकों से 3 माह के एडवांस के रूप में वसूलता है। इसके अतिरिक्त युनिपोल्स पर निर्धारित शुल्क प्रतिमाह वसूला जाता है।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** निगम नीति के अनुसार प्रत्येक साईट से निर्धारित मासिक शुल्क व विज्ञापनकर वसूला जाता है।

---

1. पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर-16946 पर उपलब्ध।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** असंबंधित विज्ञापनों से शुल्क वसूलने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम उनसे अग्रिम मासिक लाइसेंस शुल्क लेता है जिसके भुगतान में देरी होने पर 2 प्रतिशत मासिक ब्याज लगाया जाता है। उपरोक्त के अलावा सुरक्षा राशि तथा बैंक गारंटी जम्मा करने का भी प्रावधान है। संबंधित कंपनी फार्म को ब्लैकलिस्ट भी किया जाता है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उक्त विज्ञापन स्थलों से उत्तरी दिल्ली नगर निगम को वित्त वर्ष 2015-16 में रूपये 16.97 करोड़ की आय प्राप्त हुई है, तथा वित्त वर्ष 2016-17 (दिसंबर माह तक) रूपये 31.02 करोड़ की आय प्राप्त हो चुकी है।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

वित्तीय वर्ष	आय करोड़ में
2015-16	10.62
2016-17 (दिसंबर 16 तक)	13.21

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** वर्ष 2015-16 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को कुल 43,81,15,811 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम को वर्ष 2012 से अब तक उक्त विज्ञापन-स्थलों से पार्किंग शुल्क के रूप में वर्षवार को धन राशि प्राप्त नहीं की जाती है।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा विज्ञापन स्थलों से पार्किंग शुल्क के रूप में वर्षवार को धन राशि प्राप्त नहीं की जाती है।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा विज्ञापन स्थलों से कोई पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जाता है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** विज्ञापन स्थलों पर पार्किंग शुल्क एकत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

**30. श्री नरेश कुमार यादव :** क्या उप मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एक खास क्षेत्र के एक खास पार्क में आउटडोर जिम इक्विपमेंट या बच्चों के खेलने के उपकरण लगाने जैसे कामों का एस्टिमेट देते समय दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा विधायक फंड के साथ-साथ एक्सपेंडीचर की अन्य मदों से भी फंड मांगे जाने के कारण एक ही कार्य के दो बार किए जाने के उदाहरण सामने आए हैं; और

(ख) कृपया दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा आउटडोर जिम इक्विपमेंट एवं बच्चों के खेलने के उपकरणल गाने हेतु डूडा के साथ-साथ अन्य एजेंसियों से एक्सपेंडीचर की एक से अधिक मद से फंड मांगने हेतु जारी किए गए मांग पत्रों एवं एस्टिमेटस की प्रतियां प्रदान करें?

**उपमुख्यमंत्री :** (क) **मंडलायुक्त कार्यालय (राजस्व) :** ऐसी कोई जानकारी इस विभाग संज्ञान में नहीं है। यद्यपि दक्षिणी-पूर्वी जिले से विधायक

फंड के अंतर्गत जिम इक्विपमेंट लगाने के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को स्वीकृत किए गए कार्यों की सूची संलग्न है।

**दक्षिण दिल्ली नगर निगम** : निदेशक उद्यान से प्राप्त सूचना के अनुसार यह सत्य नहीं है।

(ख) **मंडलायुक्त कार्यालय (राजस्व)** : उपरोक्त के आधार पर लागू नहीं।

दक्षिणी पूर्वी जिले में विधायक फंड के अंतर्गत जिम इक्विपमेंट लगाने के हिलए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को स्वीकृत किए गए कार्य के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाए गए एस्टिमेटस की प्रति संलग्न है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : इस संबंध में विभाग ने डूडा के अतिरिक्त किसी अन्य एजेसी से फंड नहीं मांगा हालांकि सांसदों के प्रस्ताव पर उन्हें मांग पत्र जारी किए गए।

दक्षिण-पूर्व जिले में विधायक फंड के अंतर्गत जिम एक्विपमेंट लगाने के दक्षिण दिल्ली नगर निगम को स्वीकृत किये गए कार्यों की सूची :

Sl. No.	AC No.	Name of Work	Executing Department	Sanctioned Amount	Work Sanctioned Amount	Released Amount	Work Status
1	Kalkaji AC-51	Supply and Installation of Open Gym Equipment in Parks at Kalkaji Constituency (AC-51). S.H.: Supply and installation of open gym equipments in Kalkaji Assembly constituency at 1) Shahid Chandrasekhar Park, JJ Colony Srinivaswari Ward 193, II) B-Block park, West New Friends colony ward 193, III) Central park Sukhdev Vihar ward no. 193, IV) A-Block children park Sukhdev Vihar ward no. 193, V) D-Block senior citizen park, New Friends Colony ward no. 193, VI) A Block MCD park East of Kailash ward no. 194, VII) Slum Flat Double storey, MCD Park, Garhi East of Kailash ward no. 194, VIII) Nehru Appartment MCD park, Kalkaji ward no. 194, IX) G-Block MCD park malkaji ward no. 194, X) Pocket-4 Kalkaji DDA Flat ward-no 195, XI) Deshbandhu Apartment, Kalkaji ward no. 196, XII) J&N Block Babu Park, Kalkaji ward no. 196, XIII) South Park apartment, Kalkaji ward no. 196.	SDMC (Hort) Department	6994650	22.08.2016	3497325	WORK YET TO START (TENDER FLOATED - AS PER INFORMATION PROVIDED BY SDMC-HORT).



SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION  
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR (HORT.) HQ  
E BLOCK, 3rd FLOOR, DR. S.P.M. CIVIC CENTRE  
J.L. NEHRU MARG, NEW DELHI-110002

NO. DDH/HQ/SDMC/2016-17/95

DATED 17/05/16

To

Sh. Avtar Singh Kalkaji, M.L.A.  
Kalkaji Assembly Constituency  
421-D/5 Govindpuri, Kalkaji,  
New Delhi-110019.

**Subject:** Regarding Supply and Installation of Open Gym Equipments  
in Parks at Kalkaji Vidhan Sabha-51

S.H.: Supply and Installation of Open Gym Equipments in Kalkaji  
Assembly Constituency at I) Shahid Chandrasekhar Park, JJ  
Colony Srinivaspuri Ward 103 II) B-Block Park, West New  
Friends Colony Ward 192, Central Park Sukhdev Vihar Ward  
No.193 IV) A-Block Children Park Sukhdev Vihar Ward No.193  
V) D-Block Senior Citizen Park, New Friends Colony Ward  
No.193 VI) A Block MCD Park East of Kailash Ward No.194,  
VII) Slum Flat Double Storey, MCD Park, Garhi East of Kailash  
Ward No.194, VIII) Nehru Appartment MCD Park, Kalkaji Ward  
No.194, IX) G-Block MCD Park Malkaji Ward No.194, X)  
Pocket-4 Kalkaji DDA Flat Ward No.195, XI) Deshbandhu  
Apartment, Kalkaji Ward No.196, XI) J&N Block Babu Park,  
Kalkaji Ward No.196, XIII) South Park Apartment, Kalkaji Ward  
No.196.

Sir,

Please refer to your letter No.AC-51/KJ-548/MCD/2016 elated 01.04.2016 regarding installation of Open Gyms in Municipal Parks at the 15 Nos. different locations. In this regard it is to inform that out of which two parks are under the jurisdiction of DDA (C-block DDA Park, East of Kailash Ward No.194 and Sardar Seva Singh DDA. Park Govindpuri Ward No. 195) and 13 P arks as mentioned above are under the jurisdiction of S.D.M.C.

In this regard it is to submit that the Horticulture Department has framed an estimate for "Supply and Installation of Open Gym" on the locations mentioned abope, which are under the jurisdiction of S.D.M.C, with provision of following Open Gym Equipments

1. Sky Walker
2. Seated Puller
3. Air Walker
4. Rower
5. Leg Press
6. Chest Press
7. Shoulder Builder
8. Cross Trainer
9. Sit Up Board
10. Horse Rider.

The total estimated cost for this work comes to Rs,69,94,650/-, based on prevailing market rates. The said estimate includes one year warranty of the equipments to be installed.

It is, therefore, requested that necessary funds along-with consent for execution of work may please be provided under MLA-LADS fund to South Delhi Muricipal Corporation, so that Tenders/RFP may be called and works be got executed accordingly.

With regards,

Yours truly

**Dy. Directed (Hort.) HQ**

South Delhi Municipal Corporation

Copy to:

1. Director (Horticulture) SDMC

**Subject:** Supply and Installation of Open Gym Equipments in Kalkaji Assembly Constituency at I) Shahid Chandrasekhar Park, JJ Colony Srinivaspuri Ward 103 II) B-Block Park, West New Friends Colony Ward 192, Central Park Sukhdev Vihar Ward No.193 IV) A-Block Children Park Sukhdev Vihar Ward No.193 V) D-Block Senior Citizen Park, New Friends Colony Ward No.193 VI) A Block MCD Park East of Kailash Ward No.194, VII) Slum Flat Double Storey, MCD Park, Garhi East of Kailash Ward No.194, VIII) Nehru Apartment MCD Park, Kalkaji Ward No.194, IX) G-Block MCD Park Malkaji Ward No.194, X) Pocket-4 Kalkaji DDA Flat Ward No.195, XI) Deshbandhu Apartment, Kalkaji Ward No.196, XI) J&N Block Bapu Park, Kalkaji Ward No.196, XIII) South Park Apartment, Kalkaji Ward No.196.

**ESTIMATE**

S. No.	Item Name	Description of Item	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6	7
1	Sky Walker	Providing and fixing Sky Walker made from "C" class G.I Pipe. The main frame pipe is 080mm made from "C" Class G.I pipe. The outer ring of sky walker is, 032mm made from "C" Class G.I pipe. For connecting the handle frame to main pipe 060mm "C" Class G.I pipe is used. The bottom support of M.S. round plate of 0250 mm x 10mm thickness is welded at bottom. The leg movement frame is of 50 x 50mm x 2mm thick CRC square pipe. The handle frame is of 040mm made from "C" Class G.I pipe. The foundation used for fixing is 80 x 40mm x 3mm	13 No.	Each	73300	952900

thickness C-Channel. The footrests is made from Aluminum casting material, Its sizes are 130 X 310 X 5mm. Closing Caps made from top quality FRP material with 2 mm thickness & Plastic cap are used. The pins used are made up of 0 25mm bright bar. The bearings used are "6205zz" & "6203zz" permanent lubricated sealed bearing of reputed make (SKF/FAG). High tensile steel with galvanized nut bolts are used for assembly. The ser clips used for assembly are of 025 mm. The powder coat is done by Poly urethane & Epoxy powder with 60 to 70 micron thickness.

2 Seated Puller	Providing and fixing seated puller made from 1"C" Class G.I pipe. The center pipe is of 100mm NB made from "C" Class G.I pipe, and the bottom support of m.s round plate of 250 mm dia & 10mm thickness is welded at bottom. The remaining frame is made up of 30mm NB "C" class GI pipe. The handle frame is of 25mm NB "C" class GI pipe. The seat frame is of 30mm NB "C" class GI pipe, for the assembly different bushes are used whlcfi is made from seamless pipe of 50mm OD and 3mm thickness & 50mm solid bar is used. The foundation support made up of three equal items i.e. 100mm NB made from "C" Class G.I pipe, M.S. Round Plate of 250mm dia & 10mm thickness & 25 mm X 25mm X 3mm	13 No.	Each	70500	916500
-----------------	---	--------	------	-------	--------

1	2	3	4	5	6	7	
		<p>M.S. angle. The seats are made up of high quality FRP material of size 330 mm X 330 mm of thickness 3 mm &amp; M.S. Plate of size 250mm X 200mm X 5mm is used to support it. Closing caps made from high quality FRP material which is of 2 mm thickness. The pins used are made up of 17mm diameter solid bar. The bearings used are of "6203" permanent lubricated sealed bearing of reputed make. The nut bolts used for assembly are made from S.S. material. The surclips used for assembly are of 17mm diameter. The Foundation pipes are embedded in CC. stock and painting is done by attractive color spraying after Iproper surface treatment, Shot blasting and initial coat of yellow primer surface is applied before top coat. The topcoat is done using the best quality brand paint or duly powder coated.</p>					
	3	Air Walker	Providing and fixing Air Walker made from "C" class G.I Pipe. The center pipe is of 80mm NB made from "C" Class G.I pipe, and the bottom support of M.S, round plate of 250 mm dia & 10mm thickness is welded at bottom. The leg movement frame is of 40mm NB made from "C" Class G.I pipe. The handle frame is of 25mm NB made from "C" Class G.I pipe. The foundation used for fixing consists of three equal Items i.e. 80mm NB made from "C" Class G.I pipe, M.S. Round Plate of 250	13 No.	Each	49900	648700

mm dia & 10mm thickness & 25 mm X 25mm M.S. angle of 3 mm thickness. To join the centre pipe & leg movement frame seamless pipe of 60 mm dia & 3mm thickness of 60mm dia solid bar is used. The bending M.S. plate is jused to join the centre pipe & leg movement frame is of 6 mm thickness. The footrests is made from FRP/CUAIL.inlnum casting material, its sizes are 130mm X 300mm X 5mm. For the support 50 X 50mm X 2mm CRC square pipe is used. Closing Caps made from top quality FRP material with 2 mm thickness. The pins used are made up of 25mm diameter bright bar. The bearings used an "6205" permanent lubricated sealed bearing of reputed make. The nut bolts used for assembly are made from S.S. material. The serclips used for assembly are of 25 mm diameter. The foundation pipes are embedded in CC. stock and painting is done by attractive color spraying after proper surface treatment, Shot blasting and initial coat of yellow primer surface is applied before top coat. The top coat is done using the best quality brand paint or duly powder coated.

4	Rower	Providing and fixing rower made from "C" Class G.I	13 No	Each	36500	474500
		Pipe. The Main frame is of 80mm X 40mm & 40mmx 40mm CRC Pipe with 2 mm thickness. The handle framfe is of 25 NB made from "C" class G.I pipe. The Foundation				

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

used for Fixing consists of three equal Items i.e. 40mm NB made from "C" Class GI pipe, C channel of 75mm X 40mm X 5mm & 25mm X 25mm X 3mm M.S. angle. To Join the movement frame to main frame seamless pipe of 50mm dia & 3mm thickness is used. The seats which are fitted on the main frame is made up of high quality FRP material of size 330mm X 330mm of thickness 3 mm & M.S. plate of size 250mm X 200mm X 5mm U used to support it. Closing caps are made from top quality FRP material which is of 2 mm thickness. The pins used are made up of 17mm diameter hardened bright bar. The bearings used are of "6203" permanent lubricated sealed bearing of reputed make. The handles used are of Rubber grip. The nut bolts used for assembly are made from S.S. material. The bushes (Stopper) used to avoid the collision made from Poly Urethane Plastic material of 50 mm dia. The serclips used for assembly is of 17 mm dia. The foundation pipes are embedded in CC. stock and painting is done by attractive color spraying after proper surface treatment, Shot blasting and initial coat of yellow primer surface is applied before top coat. The top coat is done using the best quality brand paint or duly powder coated.



5	<p>Leg Press Providing and fixing Leg Press made from "C" Class GI pipe. The center pipe is of 100mm NB made from "C" Class GI pipe, and the bottom support of M.S. Round plate of 250 mm diameter &amp; 10mm thickness is welded at bottom. The remaining outer frame is of 40mm NB made from "C" class GI pipe. The foundation used for fixing is consist of three equal items i.e. 80mm NB made from "C" class GI pipe. M.S. Round plate of 250mm dia x 10mm thickness, 25 mm X 25 mm X 3mm M.S. angle. To join the centre pipe &amp; outer frame seamless pipe of 130 mm dia &amp; 3mm thickness is used. The seats are fitted on the outer frame is made up of FRP material of size 330 mm X 330 mm of thickness 3 mm &amp; M.S. Plate of thickness 5mm and Size 250 mm X 200 mm is used to support) it. The footrests is made from FRP/C.I./Aluminum icasting material, Its sizes are 130 mm X 300 mm &amp; 5 mm thickness. The frame of footrests consists of 25 NB made from "C" class GI pipe. Closing japs made from top quality FRP material which is of 2 mm thickness. The inner bushes are made from seamless pipe, its diameter is 60mm &amp; 8mm thickness. The pins used in are made up of 25 mm diameter hardened bright bar. The bearingjs used are of "6205" permanent angle, done by attractive color spraying after proper surface</p>	13 No.	Each	49150	638950
---	--	--------	------	-------	--------

1	2	3	4	5	6	7
		<p>treatment, Shot blasting and initial coat of yellow primer surface is applied before top coat. The top coat is done using the best quality brand paint or duly powder coated. To join the centre pipe &amp; outer frame seamless pipe of 130 mm dia &amp; 3mmthickness is used. The seats are fitted on the outer frame is made up of FRP material of size 330 mm X 330 mm of thickness 3 mm &amp; M.S. Plate of thickness 5mm and Size 250 mm X 200 mm is used to support it. The footrests is made from FRP/C.I./Aluminum casting material, its sizes are 130 mm X 300 mm &amp; 5 mm thickness. The frame of footrests consists of 25 mm made from "C" class G.I pipe. Closing caps made from top quality FRP material which is of 2 mm thickness. The inner bushes are made from seamless pipe, Its diameter is 60mm &amp; 8mm thickness. The pins used in are made up of 25 mm diameter hardened bright bar. The bearings used are of "6205" permanent lubricated sealed bearing of reputed make. The handles used are of Rubber/grip. The Nut Bolts used for assembly are made from S.S material. The bushes (stopper) used to avoid the collision made from Poly Urethin Plastic material of 50 mm Idiameter. The ser clip used for assembly are of 25 mm diameter. The Foundation pipes are embedded In C.C. sftock and painting is lubricated sealed bearing of</p>				

reputed make. The handles used are of Rubber grip. The Nut Bolts used for assembly are made from S.S. material. The bushes (stopper) used to avoid the collusion made From Poly Urethin Plastic material of 50 mm diameter. The ser clip used for assembly are of 25mm diameter. The Foundation pipes are embedded in C.C. stock and paintings

6 Chest Press	Providing and fixing chest press made from "C 1 Class G.I pipe. The center pipe is of 100mm NB made from "C" Class G.I pipe, and the bottom support of M.S round plate of 250 mm dia & 10mm thickness is welded fat bottom. The remaining frame is made up of 40mm NB "C" class G.I pipe. The handle frame is made up of 25mm NB "C" class G.I pipe. The seat frame is made up of 40mm NB & 50mm NB "C" class G.I pipe. For the assembly different bushes are used which is made from 50mm with 3mm thickness seamless pipe & 50mm, solid bar is used. The foundation used for fixing is consists of three equal items i.e. 100mm NB made from "C" Class G.I pipe, M.S. Round plate of 250 mm dia & 10mm thickness & 25 mm X 25mm X 3mm M.S. angle. The seats is fitted on the outer frame is made up of high quality FRP material of size 330 mm X 330 mm of thickness 3 mm & M.S. plate of thickness 5 mm and Size 250 mm	13 No.	Each	74250	965250
---------------	---	--------	------	-------	--------

1	2	3	4	5	6	7
		<p>X 200 mm is lused to Support it. Closing Caps are made from top quality FRP material which is of 2 mm thickness. The pins i sed are made up of 25 mm &amp; 17mm dia solid bar. The hearings used are of "6205" &amp; "6203" permanent lubricate sealed bearing of reputed make. The nut bolts uked for assembly are made from S.S. material. The serclips used for assembly is made up of 25 mm &amp; 17mm Idia. The foundation pipes are embedded in C.C. stick and paining is done by attractive color spraying after proper surface treatment, Shot blasting and initial coat of yellow primer surface is applied before top coat. The top coat is done using the best quality brand paint or duty powder coated.</p>				
7	Shoulder Builder	<p>Providing and fixing Shoulder Builder made from "C" Class GI pipe. The Center Pipe Ik of 100mm NB made from "C" Class GI pipe, and the bottom support of M.S. Round plate of 250 mm diameter &amp; 10mm thickness is welded at bottom. The handle movement frame is of 25 NB &amp; 20 NB made from "C" Class GI pipe. To Join the centre pipe &amp; handle movement frame seamless pipe of 130mm dia &amp; 3mm thickness is used. The foundation used for fixing consists of three equal items I.e. 100mm NB made from "C" class GI Pipe, M.S. Round Plate of</p>	13 No.	Each	49450	642850

250 mm dia & 10mm thickness & 25 mm X 25mm X 3mm M.S. angle. Closing caps made from top quality FRP material which is of 2 mm thickness. The pins used are made up of 25 mm dia bright bar. The bearing used are of "6201" & "6205" permanent lubricated sealed tearing of reputed make. The nut bolts used for assembly are made from S.S. material. The serclips used for assembly is of 25 mm diameter. The Poly Urethln plastic bush is used for handling. The foundation pipes are embedded in C.C. stock and painting is done by attractive color spraying after proper surface treatment, Shot blasting land initial coat of yellow primer surface is applied before top coat. The top coat is done using the best quality brand paint or duly powder coated.

8 Cross Trainer	Providing and fixing cross trainer made from "C" Class G.I Pipe. The Center Pipe is of 80mm NB made from "C" Class G.I Pipe, and the bottom support of M S. Round plate of 250 mm diameter & 10mm thickness In welded at bottom. The Handle Frame is made up of 25mm NB "C" Class G.I Round Pipe. The Foundation used for fixing is consists of three equal items i.e. 100mm NB Imade from "C" Class G.I Round Pipe, M.S. Round Plate of 250 mm diameter & 10mm thickness, 25 mm X 25 mmjM.S. Angle of 3 mm Thickness. To Join the Centre	13 No.	Each	49900	648700
-----------------	---	--------	------	-------	--------

1	2	3	4	5	6	7
		<p>pipe &amp; handle Frame Seamless Pipe of 50mm OD &amp; 3mm Thickness is used. For the movement, Bushes are used &amp; for It 60mm OD &amp; 3mm thickness. The footrests is made from FRP/C.I./Aluminum casting material, its sizes are 130 mm X 300 mm &amp; 5 mm thickness. For support of Footrest of Cross trainer 130mm X 300mm with 5mm thickness M.S. Plate and 50mm X 50mm CRC Square pipe with 3mm thickness is used. Closing Caps made from top quality FRP material which is of 2 mm thickness. The Pinjs used is made up of 25 mm diameter Harden bright b?r. The Bearings used are of "6205" permanent lubricated isealed bearing of reputed make. The handles used fori cross trainer are of Rubber grip. The Nut Bolts usjed for assembly are made from S.S. material. The Foundation pipes are embedded in CC. stock and painting is done by attractive color spraying after proper surface treatment, Shot blasting and initial coat of yellow primer surface is applied before top coat. The top coat is done using the best quality brand paint or duly powder coated.</p>				
9	Sit Up Boards	Providing and fixing Sit up Board made from "C" Class GI pipe. The main frame is of 25mm NB made from "C" Class GI pipe. FRP sheet of 3mm thickness is moulded on main frame. The remaining frame of the sit up board is of 32mm NB made from "C" class GI pipe.	13 No.	Each	33900	440700

The foundation pipes are embedded In CC. stocjk and painting is done by attractive color spraying after iproper surface treatment. The top coat is done using the best quality brand paint or duly powder coated.

10 Horse Rider	<p>Providing and fixing Horse rider made from "C" class GI Pipe. The main frame of 060mm made from "C" Class GI pipe, and The bottom support of M.S. round plate of 0250 mm &amp; 10mm thickness is welded atbottom. The leg movement frame is of 040mm made from "C" Clpss GI pipe. The handle frame is of 032mm made frqm "C" Class GI pipe. The foundation used for fixing is consists of three equal items i.e. 90mm made from "C"Class GI pipe, M.S. Round Plate of 0250 mm &amp; 10mm thickness &amp; 25 mm X 25mm M.S.angle of 3 mm thickness. The footrests is made from FRP/C.I./Aluminum pasting material, its sizes-are 130mm X 310mm X 5mm.If for the support 50 X 50mm X 2mm CRC square pipe m used. Closing Caps made from top quality FRP material with 2 mm thickness. The pins used are made up of 0 25mm bright bar. The bearings used are "6205zz" permanent lubricated sealed bearing of reputed make(SKp/FAG). High tensile steel with galvanized nut bolts are ufed for assembly. The serclips used for assembly are of 025 mm. The powder coat is done by Poly urethane &amp; Epoxy powder with 60 to 70 micron thickness.</p>	13 No.	Each	51200	665600
Total					6994650/-

**31. श्री नरेश यादव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा विधायकों से एमएलए लैंड फंड के अंतर्गत उन कामों के लिए विधायक फंड की मांग की गई थी जिनके लिए विधायकों ने कोई अनुरोध नहीं किया था;

(ख) यदि हां, तो उन अनुरोध पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा विधायकों से एमएलए लैंड फंड के उन कामों के लिए भी विधायक फंड देने का अनुरोध किया गया है जिसके लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पास पर्याप्त फंड नहीं है; कृपया उन मांग-पत्रों की प्रति उपलब्ध कराई जाएं;

(घ) विधायक फंड से विधान सभा क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के विषय में निर्णय किसके द्वारा लिया जाना चाहिए;

(ङ) विधायक फंड का शीघ्र एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या दिशा-निर्देश हैं; और

(च) विधायक फंड का समुचित एवम् सामयिक उपयोग सुनिश्चित करने में आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम की क्या भूमिका है; पूर्ण विवरण दें?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) दक्षिण दिल्ली नगर निगम : इस संदर्भ में सूचना संबंधित विभागों से एकत्रित की जा रही है।



**दक्षिण दिल्ली नगर निगम**  
**प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय (सदन एवं समिति)**  
**द्वितीय तल, सिविक सेंटर, नई दिल्ली-110002**

क्र.एफ.33/164/अतारां प्रश्न-31/सं. एवं सं./2017/560 दिनांक 17.01.17

उप-सचिव

शहरी विकास विभाग, (संसदीय शाखा)

09वां तल, दिल्ली सचिवालय,

आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली

**विषय :** विधान सभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 31 दिनांक 18.01.2017 के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा विधायकों से एम.एल.ए. लैंड फंड के अंतर्गत किन कार्यों के लिए फंड का अनुरोध किया के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या एफ. 53(04)/अतारां प्रश्न-31/बजट सत्र 2017/दि.वि.स./श.वि./2173-2178 दिनांक 14.01.2017 के संदर्भ में विधायक श्री नरेश यादव द्वारा उठाए गए मामले के संदर्भ में विभागीय उत्तर निम्नलिखित है :

**प्रश्न**

(क) क्या यह सत्य है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा विधायकों से एमएलए लैंड फंड के अंतर्गत उन कामों के लिए विधायक फंड की मांग की गई थी जिनके लिए विधायकों ने कोई अनुरोध नहीं किया था;

(ख) यदि हां, तो उन अनुरोध पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराई जाए;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा विधायकों से एमएलए लैंड फंड के उन कामों के लिए भी विधायक फंड देने का अनुरोध किया गया है जिसके लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पास पर्याप्त फंड नहीं है; कृपया उन मांग-पत्रों की प्रति उपलब्ध कराई जाए;

(घ) विधायक फंड से विधान सभा क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के विषय में निर्णय किसके द्वारा लिया जाना चाहिए;

(ङ) विधायक फंड का शीघ्र एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या दिशा-निर्देश हैं; और

(च) विधायक फंड का समुचित एवम् सामयिक उपयोग सुनिश्चित करने में आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम की क्या भूमिका है; पूर्ण विवरण दें?

#### उत्तर

(क) से (च) इस संदर्भ में सूचना संबंधित विभागों से एकत्रित की जा रही है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से अनुमोदित है।

**32. श्री नरेश यादव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एमएलए लैंड फंड से किए जाने वाले कार्यों पर रोक लगाने संबंधी दाणी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी, एवं सदन द्वारा 1 जनवरी, 2014 एवं 31 दिसंबर, 2016 के मध्य पास किए गए संकल्प की प्रति प्रदान करें;

(ख) क्या उक्त संकल्प आयुक्त-दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर कानूनी रूप से बाध्य है;

(ग) कृपया उपरोक्त में से आयुक्त-दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर बाध य ऐसे सभी संकल्पों का विवरण उपलब्ध करें.

(घ) क्या आयुक्त-दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एवं शहरी विकास विभाग ऐसे संकल्पों के समाधान तलाश करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं; और

(ङ) उप मुख्यमंत्री द्वारा उक्त संकल्पों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश जारी करने के बाद शहरी विकास विभाग द्वारा विधायक फंड से होने वाले कामों को लेकर क्या कार्रवाई की गई है; इसकी फाइल नोटिंग की प्रति उपलब्ध करें?

**शहरी विकास मंत्री (श्री नरेश यादव) :** (क) से (घ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से मांगी गई सूचना का विवरण संबंधित विभागाध्यक्षों से एकीकृत किया जा रहा है।

(ङ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार।

**शहरी विकास विभाग (योजना/एम.एल.ए. लैंड शखा) :** दिनांक 7.12.2016 को एक बैठक माननीय उप-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई जिसकी मिनट्स की प्रतिलिपि संलग्न है।

**ANNEXURE-VI**

**Urban Development Department  
Govt. of NCT of Delhi  
9th Level, C-Wing, Delhi Sectt., New Delhi  
Minutes of the meeting**

A meeting was convened on 07.12.2016 under the chairmanship of Hon'ble Dy. CM to discuss the implication of Resolutions No. 192 & 193 and other matters passed by the SDMC relating to MLALAD scheme. A list of officers who attended the meeting is enclosed.

Hon'ble Dy. CM expressed his deep concern and displeasure on the manner in which the said Resolutions have been passed by the SDMC. He observed that it is not acceptable and that these Resolutions are violative of the constitutional structure. He wondered how a Local Body (SDMC) can pass such a resolution wherein it can refuse developmental works under MLALAD scheme as it is not an independent entity.

Mr. Saurabh Bhardwaj, MLA enquired about the legal sanctity of these resolutions on which MCD officials were not very clear. However, Mrs. Meeta Singh, Addl. Commissioner, SDMC informed that these Resolutions have been passed by the Standing Committee while the minutes of the Resolution passed by the house have not yet been received. However, it seems that based on the Resolutions passed by the Standing Committee and by the word of mouth the work relating to MLA fund must have been stopped. Hon'ble Dy. CM observed that this is not acceptable.

He further observed that if SDMC does not annul these unconstitutional Resolutions- or if the Commissioner choose to act on

these resolutions this Government may be constrained to limit the flow of funds to the SDMC. He further observed that if required appropriate directions shall be issued by the Director, Local Body to the SDMC with immediate effect for the needful. ,

(Dharam Pal)

Asstt. Director (Plg.)

No. F.18/470/A7UD/Plg./2016-17/1689-1698 Dated:07.12.2016

Copy to:

1. Secretary to Hon'ble Dy. CM, Delhi Secretariat, New Delhi.
2. Secretary to Hon'ble Minister (UD), Delhi Secretariat, New Delhi.
3. Sh. Saurabh Bhardwaj, Hon'ble MLA, H. No. 678, Chirag Delhi, New Delhi-17
4. Sh. Praveen Deshmukh, Hon'ble MLA, H. No. E-24/3, Sidharth Basti, Near Budha Mandir, Ashram, Delhi.
5. Pr. Secy. (UD)/ Director, Local Bodies, Govt. of NCT of Delhi.
6. Commissioner, South DMC/North DMC/ East DMC
7. Divisional Commissioner, Govt, of NCT of Delhi.

(Dharam Pal)

Asstt. Director (Plg.)

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम  
प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय (सदन एवं समिति)  
द्वितीय तल, सिविक सेंटर, नई दिल्ली-110002**

क्र. एफ.33/162/अतारां प्रश्न-32/स.एवं. सं./2017/552 दिनांक 17.1.2017

उप-सचिव

शहरी विकास विभाग, (संसदीय शाखा)

09वां तल, दिल्ली सचिवालय,

आई.पी.एस. इस्टेट, नई दिल्ली

**विषय :** एमएलए लैंड फंड के किए जाने वाले कार्यों पर रोक लगाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या एफ. 53(05)/आतारां प्रश्न-32/बजट सत्र 2017/दि.वि.स./श.वि./2179-2184 दिनांक 18.01.2017 के संदर्भ में विधायक श्री नरेश यादव जी द्वारा उठाए गए मामले के संदर्भ में विभागीय उत्तर निम्नलिखित हैं :

**प्रश्न**

(क) एमएलए लैंड फंड से किए जाने वाले कार्यों पर रोक लगाने संबंधी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी, एवं सदन द्वारा 1 जनवरी, 2014 एवं 31 दिसंबर, 2016 के मध्य पास किए गए संकल्प की प्रति प्रदान करें;

(ख) क्या उक्त संकल्प आयुक्त-दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर कानूनी रूप से बाध्य है;

(ग) कृपया उपरोक्त में से आयुक्त-दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर बाध्य ऐसे सभी संकल्पों का विवरण उपलब्ध करें.

(घ) क्या आयुक्त-दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एवं शहरी विकास विभाग ऐसे संकल्पों के समाधान तलाश करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं; और

(ङ) उप मुख्यमंत्री द्वारा उक्त संकल्पों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश जारी करने के बाद शहरी विकास विभाग द्वारा विधायक फंड से होने वाले कामों को लेकर क्या कार्रवाई की गई है; इसकी फाइल नोटिंग की प्रति उपलब्ध करें?

#### उत्तर

इस प्रश्न की सूचना सभी संबंधित विभागों से एकत्रित की जा रही है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से अनुमोदित है।

**33. श्री शरद कुमार :** क्या उप मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की तिलक बाजार और लाल कुआं की कैमिकल मार्केट को नरेला विधान सभा क्षेत्र में शिफ्ट करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इन्हें शिफ्ट न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कैमिकल मार्केट्स को कब तक नरेला विधान सभा क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा?

**उपमुख्यमंत्री :** (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : जी हां।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : कार्यालय में रखे रिकार्ड के अनुसार 883 कैमिकल मर्चेनट्स में से डी. डी. ए. के अनुसार 640 कैमिकल मर्चेनट्स को पोजेशन दिया जा चुका है। लेकिन ज्यादातर केस में बिल्डिंग प्लान के सेंकशन ना हो जाने की वजह से एवं बुनियादी सुविधाओं के विवकसित ना होने की वजह से इनका स्थानांतरण अभी नहीं हो सका है। शेष 240 कैमिकल मर्चेनट्स की लिस्ट भी वेरिफाई करके डिप्टी डारेक्टर (सी. एल.) डी.डी.ए. को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : यह प्रश्न डी. डी. ए. से संबंधित है।

**34. सुश्री अलका लाम्बा :** क्या उप मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बहुत ही प्राचीन और प्रतिष्ठित संस्था 'दिल्ली अंजुमन' द्वारा ऐतिहासिक जामा मस्जिद परिसर में जन सुविधा के लिए शौचालय निर्माण हेतु प्रशासनिक इकाइयों से अपील की गई है;

(ख) क्या सरकार की उक्त स्थल पर समुचित शौचालय व्यवस्था प्रदान करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?



**उप मुख्यमंत्री :** (क) शहरी विकास विभाग को उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना अनुसार सूचित किया जाता है कि पर्यावरण एवं प्रबंधन सेवाएं विभाग शहरी क्षेत्र उत्तरी दिल्ली नगर निगम को इस प्रकार का प्राचीन और प्रतिष्ठित संस्था दिली अंजुमन द्वारा ऐतिहासिक जामा मस्जिद परिसर में जन सुविधा के लिए शौचालय निर्माण हेतु प्रशासनिक इकाइयों से अपील नहीं हुई है।

(ख) शहरी विकास विभाग को उत्तरी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना अनुसार वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

शहरी विकास विभाग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के अनुसार जामा मस्जिद केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल नहीं हैं। एवं यह सरकार का नतिगत मामला है जिसके संबंध में इस कार्यालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

**35. सुश्री अलका लाम्बा :** क्या उप मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के एस्प्लेनेड रोड, लाजपत राय मार्केट से एच. सी. सेन मार्ग, मोर सराय, मोर बाग की दीवार के आस पास और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ख) इसका पूर्ण विवरण दें?

**उप मुख्यमंत्री :** (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम: चांदनी चौक विधानसभा के एस्पलेनेड रोड, लाजपत राय मार्किट से एच. सी. सेन रोड, मोर सराय, मोर बाग की दीवार के आस पार और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए लाईसेंसिंग विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : दिनांक 01.04.2016 से 15.01.2017 तक उपरोक्त स्थानों पर कुल 30 बार कार्यवाही की गई और इस दौरान कुल 1745 सामान जब्त किये गये।

**36. सुश्री अलका लाम्बा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नं. 79 और 80 की संकरी गलियों की मरम्मत का कार्य लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक कर दिया जाएगा?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं. 79 व 80 में संकरी गलियों की मरम्मत के 21 कार्य लंबित है।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : 21 में से चार कार्य जल बोर्ड की सीवर व पानी की लाईन के कारण लंबित हैं व 17 कार्यों की फाइलें प्रक्रिया में हैं।

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : चार कार्य जल बोर्ड के कार्य समाप्ति के बाद कराये जायें तथा 17 कार्यों के वर्क आर्डर करके 1 माह के अंदर शुरू करा दिये जायेंगे।

37. सुश्री अलका लाम्बा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की बहुत ही पुरानी प्रियदर्शिनी जैसी एमसीडी कालोनियों के जीर्णोद्धार की सरकार की क्या योजना है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इसका कोई सर्वे किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस कालोनी का जीर्णोद्धार कब तक कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री : (क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : इस कॉलोनी के जीर्णोद्धार का कार्य समय-समय पर किया जाता रहता है। तथा कुछ ब्लॉकों के जीर्णोद्धार के लिए निविदाएं की जा चुकी हैं। जिसका कार्य अतिशीघ्र कर दिया जायेगा।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : समय-समय पर सर्वे किया जाता रहता है।

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : निविदाएं प्राप्त की जा चुकी हैं तथा जीर्णोद्धार का कार्य अतिशीघ्र कर दिया जायेगा।

38. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रोहिणी विधान सभा के अंतर्गत अनधिकृत कालोनी राजा विहार में आवागमन का कोई रास्ता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि डी. एस. आई. डी. सी. द्वारा यहां रास्ते की व्यवस्था किए जाने का निर्णय लिया गया था;

(ग) इस कार्य में देरी का प्रमुख कारण क्या है और यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा; और

(घ) इस अनाधिकृत कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, पूर्ण विवरण दें?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) राजा विहार में अनाधिकृत कॉलोनी में आवागमन के लिए रास्ते के बारे में डी. एस. आई. डी. सी. के पास जानकारी नहीं है।

(ख) हालांकि अनाधिकृत कॉलोनी के निवासियों के अनुरोध पर एम-1 प्लॉट बादली औद्योगिक क्षेत्र से एक रास्ता दिये जाने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार को प्राप्त हुआ है।

(घ) शहरी विकास विभाग ने अपने बजट में संशोधित अनुमान में उपरोक्त कार्य हेतु प्रावधान किया है।

(ङ) शहरी विकास विभाग ने उक्त अनाधिकृत कॉलोनी के सड़क व नालियों के विकास के लिए वर्ष 2007-08 से 2015-16 के दौरान पांच करोड़ तीन लाख रूपये स्वीकृत हुए हैं।

**39. श्री विजेन्द्र गुप्ता :** क्या उप मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवें दिल्ली वित्त आयोग की रिपोर्ट कब तक लागू की जाएगी;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के नगर निगमों में बार-बार वित्तीय संकटों के कारण हड़ताल हो रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है?

**उप मुख्यमंत्री :** (क) शहरी विकास विभाग (एम. बी. ब्रांच) : पांचवें दिल्ली वित्त आयोग का गठन दिल्ली सरकार के अधिसूचना संख्या-R.No.13/73/V-DFC/MB/UD/2016/643 Dated 26.4.2016 के द्वारा गठित किया गया जिसकी रिपोर्ट अधिसूचना जारी करने से 18 माह के अंदर तक उपलब्ध कराएगा।

(ख) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत गत वर्ष 2015-16 के दौरान निगम कर्मचारियों द्वारा समय पर वेतन ना मिलने के कारण हड़ताल की गई थीं

(ग) उत्तरी दिल्ली नगर निगम : उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा यह प्रयास किया गया है कि कर्मचारियों समय वेतन भुगतान किया जा सके। इसके लिए दिल्ली सरकार से चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध किया गया है।

नोट—उपरोक्त (ग) के संदर्भ में शहरी विकास विभाग (लेखा शाखा)  
(1) तृतीय वित्त आयोग की अनुशंसा की स्वीकृति के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में देय अनुदान राशि (गैर योजना) रिवाइज एस्टीमेट जारी करने से पूर्व ही पूरी राशि दोनों निगमों उत्तरी नगर निगम को रू. 948.61 करोड़, पूर्वी दिल्ली नगर निगम को रू. 493.92 तथा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को रू. 685.09 करोड़ (75% of BE) जारी कर दी गई है।

- (2) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में तीनों निगमों को म्युनिशिपल रिफार्म फंड उत्तरी दि. न. निगम को रूपये 145.30 करोड़, पूर्वी दिल्ली न. निगम को रूपये 1 10.70 करोड़ और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को 118 करोड़ जारी किये जा चुके हैं। जबकि उत्तरी/पूर्वी दिल्ली नगर निगम इस फंड के योग्य न होते हुए भी इनके वित्तीय संकट को देखते हुए मंत्रीमंडल के आदेशानुसार म्युनिशिपल रिफार्म फंड दोनों निगमों सहित जारी किया गया है।
- (3a) वित्त वर्ष 2015-16 में वेतन भुगतान के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को रूपये 314 करोड़ और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को रूपय 237 करोड़ का ऋण जारी किया गया।
- (3b) इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015-16 और चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में शेष ऋण तथा उस पर ब्याज भी वापस नहीं लिया गया है।

**40. श्री पंकज पुष्कर :** क्या उप मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2015-16 में 'सीएलएडी-स्वराज फंड' के लिए कितना बजट आबंटित किया गया तथा इसमें से कितना पुंड वास्तव में खर्च किया गया;

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष में 'विधायक फंड' एवं 'स्वराज फंड' के लिए निर्धारित बजट, आबंटित बजट एवं अब तक व्यय की गई राशि का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि सीएलएडी-स्वराज फंड' के अंतर्गत डी. सीज के पास 5 करोड़ रूपये जमा करा दिये जाते हैं;

(घ) क्या यह भीस त्थ है कि वर्तमान वित्त-वर्ष में सीएलएडी-स्वराज फंड' कुछ चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में ही उपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो अन्य विधानसभा क्षेत्रों में इस फंड का उपयोग न किए जाने के कानूनी एवं तकनीकी कारण क्या है?

**उपमुख्यमंत्री :** (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** वर्ष 2015-16 में सीएलएडी-स्वराज फंड के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आवंटित बजट एवं वास्तव में खर्च किये गये फंड का विवरण निम्न प्रकार है—

AC No.	Fund Allocated Rs. In Lacs	Expenditure Rs. In Lacs
57	333-85	0
60	1-68	0
62	888-21	0
70	2-01	0

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम को वर्ष 2015-16 में मोहल्ला सभा स्वराज फंड के अंतर्गत आवंटित राशि एवं व्यय का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** प्रमुख अभियंता को संबंधित अधीशासी अभियंता द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार—वर्ष 2015-16 में सीएलएडी-स्वराज

फंड में कुल रूपये 190.69 लाख का आवंट हुआ। अभी तक इस मद में खर्च शून्य है।

निदेशक उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार—वर्ष 2015-16 में सीएलएडी-स्वराज फंड के लिए कोई भी पुंड आवंटित नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापाल विभाग के अनुसार—वर्ष 2015-16 में सीएलएडी-स्वराज फंड का बजट आबंटन इस विभाग से संबंधित नहीं है तथा इस विभाग द्वारा सीएलएडी में कोई भी खर्च नहीं हुआ है।

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : वांछित सूचना संलग्न सूची में दर्शायी गई है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : वर्तमान वित्त वर्ष में विधायक फंड एवं स्वराज फंड के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्रवार आवंटित राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण अनुलग्न 'ख' पर संलग्न है।<sup>2</sup>

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : प्रमुख अभियंता को संबंधित अधीशासी अभियंता द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार—वर्तमान वर्ष में विधायक फंड से संबंधित बजट एवं व्यय की सूची विधानसभा क्षेत्रवार 'क' पर संलग्न है तथा वर्तमान वर्ष में स्वराज फंड से आवंटित बजट एवं व्यय की विधान सभा क्षेत्रवार सूची 'ख' पर संलग्न है।<sup>3</sup>

मुख्य लेखापाल विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार—वर्तमान वित्त वर्ष में विधायक फंड एवं स्वराज फंड के लिए निर्धारित बजट, आवंटित बजट इस विभाग से संबंधित नहीं है तथा आवंटित बजट में से इस विभाग द्वारा कोई भी खर्च नहीं किया गया है।

---

1. पुस्तकालय में संदर्भ आर. आर. -16947 पर उपलब्ध।



(ग) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : इस प्रश्न का उत्तर दिल्ली सरकार के विभाग से एकत्रित किया जा रहा है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम : यह प्रश्न उत्तरी दिल्ली नगर निगम से संबंधित नहीं है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : प्रश्न दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से संबंधित नहीं है।

(घ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : इस प्रश्न का उत्तर दिल्ली सरकार के विभाग से एकत्रित किया जा रहा है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्त 'ग' अनुसार।

(ङ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : इस प्रश्न का उत्तर दिल्ली सरकार के विभाग से एकत्रित किया जा रहा है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्त 'ग' अनुसार।

41. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि निम्नलिखित सड़कें जिसे डी. डी. ए. ने विभिन्न एजेंसियों को अपन रिकार्ड पर दर्शाया है, वास्तव में ये अस्तित्व में हैं;

(i) डी. यू. सी. को 29/09/2005 को प्रस्तुत नक्शे शीर्षक "Circulation (Vehicular and Pedestrian)" और प्रोजेक्ट शीर्षक "Com-

munity Centre at Kalkaji Alaknanda New Delhi" में "C" चिह्नित सड़क। इस सड़क को अलकनंदा रोड से "I Sudershan Munjal Road" को जोड़ते हुए दिखाया गया है;

- (ii) सड़क जिसे "I Sudershan Munjal Road" दिखाया गया है (देशबंधु कालेज और चितरंजन पार्क के बीच)। उपरोक्त सड़क "C" को इस सड़क से जुड़ा दिखाया गया है।
- (iii) सड़क जसे रोड नं. 2 दिखाया गया है जिसे डी. डी. ए. के जोन एफ-9 के जोनल प्लान में दिखाया गया है। इस सड़क को चितरंजन पार्क के कोने से शिवालिक अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए दिखाया गया है; और

(ख) कृपया इन सड़कों की वास्तविक स्थिति, विभाग जिसके नियंत्रण में इसका स्वामित्व है और संबंधित डिवीजनल कार्यकारी अभियंता का संपूर्ण ब्यौरा दें।

**शहरी विकास मंत्री : (क)**

- (i) दिल्ली विकास प्राधिकरण—यह जानकारी इस विभाग से संबंधित नहीं है। इसलिए उपलब्ध नहीं है।
- (ii) क्षेत्रीय विकास योजना, जोन-एफ 2021 में केवल 30 मीटर और अधिक चौड़ी सड़कें दर्शायी गई है, परंतु क्षेत्रीय विकास योजना, जोन-एफ 2001 में सुदर्शन मुजाल रोड (देशबंधु कॉलेज और चितरंजन पार्क के बीच) की सड़क 24 मीटर चौड़ी दर्शायी गई है।

(iii) क्षेत्रीय विकास योजना, जोन-एफ, 2021, उप-जोन-9 में केवल 30 मीटर और अधिक चौड़ी सड़कें दर्शायी गई है। परंतु क्षेत्रीय विकास योजना जोन-एफ, 2001 में यह सड़क 24 मीटर चौड़ी दर्शायी गई है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण यह प्रश्न दिल्ली विकास प्राधिकरण से सं बंधित नहीं है। यह क्षेत्र छिनोटिफाइड है। सभी सड़कें जिनकी जानकारी प्रश्न में पूछी गई है, उन्हें पूर्वी दिल्ली नगर निगम/दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/लोक निर्माण विभाग (दिल्ली सरकार) को दिया जा चुका है। इसलिए यह जानकारी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/लोक निर्माण विभाग (दिल्ली सरकार) से संबंधित है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम-सुदर्शन मुजाल मार्ग जो रिंग रोड भैरों मंदिर से शुरू हो कर कालकाजी एक्सटेंशन से गुजरते हुए हंस राज साथी मार्ग (देशबंधु कालेज) पर मिलती है (A & B) वह दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मध्य क्षेत्र के खंड-2 के अधीन है। और इस मार्ग की स्थिति संतोषजनक है।

हंस राज सेठी मार्ग जो देश बंधु कालेज के आगे से गुजरता है जो कि लोक निर्माण विभाग के अधीन (B to C) और हंस राज सेठी मार्ग से EPDP Road (मलक राम इस्सर मार्ग) को जो सड़क जोड़ती है दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मध्य क्षेत्र के खंड-2 के अधीन है (C to D) और इस मार्ग की स्थिति संतोषजनक है।

मलक राम इस्सर मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन है (D to E) मलक राम इस्सर मार्ग से जो सड़क विपिन चंद पाल मार्ग को जोड़ती है दक्षिणी

दिल्ली नगर निगम के मध्य क्षेत्र के खंड-प्रथम के अधीन है। (E to F) और इस मार्ग की स्थिति संतोषजनक है।

विपिन चंद पाल मार्ग से जो सड़क शिवालिक अपार्टमेंट को जोड़ता है यह सड़कें भी लोक निर्माण विभाग के अधीन है। (F to G) दक्षिणी दिल्ली (एम)-प्रथम का कार्यालय अर्जुन मार्ग डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024

दक्षिणी दिल्ली नगर के मध्य क्षेत्र के खंड द्वितीय का पता : अधिशासी अभियंता (एम) द्वितीय का कार्यालय शिव मंदिर मार्ग जल विहार जालपत नगर, नई दिल्ली-110024

**42. श्री सौरभ भारद्वाज :**

**श्री सोमनाथ भारती :**

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 1 जनवरी, 2012 से दिसंबर 2016 तक ग्रेटर कैलाश और मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में किन सड़कों के रेस्टोरेशन के लिए द. दि. नगर निगम को कितनी रोड रेस्टोरेशन मनी दी गई और कब; इसका नक्शा भी उपलब्ध करें;

(ख) 1 जनवरी, 2012 से दिसंबर 2016 तक ग्रेटर कैलाश और मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा किये गए उक्त रोड रेस्टोरेशन के कार्य आदेश का विवरण, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए रोड रेस्टोरेशन का नक्शा और रेस्टोरेशन के कार्य की वर्तमान स्थिति का विवरण क्या है; और

(ग) क्या यह सत्य है कि 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसंबर, 2016 तक उक्त सड़कों की strengthened/relaid/CC/RCC/Bitmen CC की गई है,

(घ) यदि हां, तो वक्र आर्डर की प्रति उपलब्ध करें?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** प्रमुख अभियंता द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार-1 जनवरी 2012 से दिसंबर 2016 तक ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम को विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न सड़कों की रेस्टोरेसन के लिये मध्य क्षेत्र में 9,07,33,676/- रूपये एवं दक्षिणी क्षेत्र में 7,75,63,660/- रूपये जमा कराये गये जिसमें 23.75 प्रतिशत विभागीय शुल्क भी सम्मिलित है। उपलब्ध संबंधित सड़कों के नक्शे अनुलग्नक "ख" पर संलग्न है।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** प्रमुख अभियंता द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार-1 जनवरी, 2012 से दिसंबर 2016 तक ग्रेटर कैलाश और मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम कुल 146 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 122 कार्य सम्पन्न हो गए हैं, 12 कार्य प्रगति पर है, 7 कार्य शुरू होने है, 1 कार्य बंद कर दिया गया है तथा 4 कार्य के रेस्टोरेसन का अनुमान स्वीकृति हेत प्रस्तावित है। जिनका विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है तथा रोड रेस्टोरेसन का नक्शे अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है। रेस्टोरेसन के कार्य की वर्तमान स्थिति का विवरण भी अनुलग्नक 'क' पर उपलब्ध है।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** प्रमुख अभियंता द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार-इस दौरान उक्त सड़कों के कटे हुए भागों का रेस्टोरेसन कार्य किया गया है।

---

\* पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-16948 पर उपलब्ध।

(घ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार।

43. श्री सोमनाथ भारती : क्या उप मुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में पार्षद, मेयर, चेयरमेन स्टैंडिंग कमेटी, सांसद, विधायक के प्लान एवं नॉन-प्लान हेड से चिल्ड्रन प्ले इक्युपमेंट एवं आउटडोर जिम इक्युपमेंट लगाने हेतु प्रक्रिया पूरी होने/जारी रहने, इंस्टालेशन का स्थान एवं तिथि, द. दि. न. नि. को संबंधित जन-प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध भेजने की तिथि, हॉर्टीकल्चर विभाग द्वारा अनुमान तैयार करने की तिथि, कुल फंड तथा फंड आवंटन की तिथि, फंड ट्रांसफर करने की तिथि/आरएफपी, टेंडर की तिथि, वर्क आर्डर की तिथि आदि का पूर्ण विवरण दें?

उपमुख्यमंत्री : (क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : दक्षिण दिल्ली नगर निगम, द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में पार्षद, मेयर चेयरमेन स्टैंडिंग कमेटी, सांसद, विधायक के प्लान एवं नॉन-प्लान हेड से चिल्ड्रन प्ले इक्युपमेंट एवं आउटडोर जिम इक्युपमेंट लगाने हेतु प्रक्रिया पूरी होने/जारी रहने, इंस्टालेशन का स्थान एवं तिथि, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को संबंधित जन-प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध भेजने की तिथि हॉर्टीकल्चर विभाग द्वारा अनुमान तैयार करने की तिथि, कुल फंड आवेदन की तिथि, फंड ट्रांसफर करने की तिथि/आरएफपी, टेंडर की तिथि, वर्क आर्डर की तिथि आदि का पूर्ण विवरण वृहत रूप में है जिसकी सूचना एकत्रित की जा रही है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**  
**प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय (सदन एवं समिति)**  
**द्वितीय तलय, सिविक सेंटर, नई दिल्ली-110002**

क्र. एफ.33/161/अतारां प्रश्न-43/स.एवं सं./2017/544 दिनांक 17.01.2017

उप-सचिव

शहरी विकास विभाग, (संसदीय शाखा)

09वां तल, दिल्ली सचिवालय,

आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली

**विषय :** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 201 4-15, 2015-16 तथा 2016-17 के विधायक के प्लान एवं नान प्लान से चिल्ड्रन प्ले एक्ज्युपमेंट लगाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या एफ, 53(1)/अतारां प्रश्न-432बजट सत्र 2017/दि.वि.स./श.वि./2253-2258 दिनांक 14.01.2017 के संदर्भ में विधायक श्री विजेन्द्र गुप्ता जी द्वारा उठाये गये मामले के संदर्भ में विभागीय उत्तर निम्नलिखित है :

(क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में पार्षद, मेयर, चेयरमेन स्टैंडिंग कमेटी, सांसद, विधायक के प्लान एवं नॉन-प्लान हेड से चिल्ड्रन प्ले इक्ज्युपमेंट एवं आउटडोर जिम इक्ज्युपमेंट लगाने हेतु प्रक्रिया पूरी होने/जारी रहने, इंस्टालेशन का स्थान एवं तिथि, द. दि. न. नि. को संबंधित जन-प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध भेजने की तिथि, हार्टीकल्चर

विभाग द्वारा अनुमान तैयार करने की तिथि, कुल फंड तथा फंड आवंटन की तिथि, फंड ट्रांसफर करने की तिथि/आरएफपी, टेंडर की तिथि, वर्क आर्डर की तिथि आदि का पूर्ण विवरण दें?

दक्षिण दिल्ली नगर निगम, द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में पार्षद, मेयर चेयरमेन स्टैंडिंग कमेटी, सांसद, विधायक के प्लान एवं नॉन-प्लान हेड से चिल्ड्रन प्ले इक्युपमेंट एवं आउटडोर जिम इक्युपमेंट लगाने हेतु प्रक्रिया पूरी होने/जारी रहने, इंस्टालेशन का स्थान एवं तिथि, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को संबंधित जन-प्रतिनिधि द्वारा अनुरोध भेजने की तिथि हार्टीकल्चर विभाग द्वारा अनुमान तैयार करने की तिथि, कुल फंड आवेदन की तिथि, फंड ट्रांसफर करने की तिथि/आरएफपी, टेंडर की तिथि, वर्क आर्डर की तिथि आदि का पूर्ण विवरण वृहत रूप में है जिसकी सूचना एकत्रित की जा रही है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से अनुमोदित है।

भवदीय

प्रशासनिक अधिकारी  
सदन एवं समिति, द.दि.न.नि.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :

1. निजी सहायक, विशेष सचिव (शहरी विकास)
2. अति. निदेशक, स्थानीय निकाय, 09 वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

प्रशासनिक अधिकारी  
सदन एवं समिति, द.दि.न.नि.



44. श्री जगदीप सिंह :  
श्री राजेश गुप्ता :  
श्री नितिन त्यागी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में एमएलए लैंड फंड से किये गये कार्यों के लिये आवंटित पूर्ण/आंशिक फंड, कार्य का नाम, अनुमानित राशि एवं फंडआ वंटन की तिथि, वर्क आर्डर की तिथि और कार्य की वर्तमान स्थिति, कार्य पूर्ण होने की तिथि सहित विवरण दें;

(ख) ऐसे कार्यों का पूर्ण विवरण दें जिनके फंड रिलीज होने के 60 दिनों के भीतर वर्क आर्डर नहीं किये गये; और

(ग) शहरी विकास विभाग द्वारा फंड रिलीज किये जाने के 60 दिनों के भीतर वर्क आर्डर किये जाने संबंधी आदेशों की अवहेलना किए जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण दें?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) तीनों नगर निगमों के अन्तर्गत आने वाले सभी राजस्व विभाग के जिलों के अंतर्गत आने वाले विधान सभा क्षेत्रों में एम. एल.ए. लैंड फण्ड से किये गये कार्यों के आवंटित पूर्ण/आंशिक फण्ड, कार्य का नाम, अनुमानित राशि एवं फण्ड आवंटन तिथि विधान सभा क्षेत्र के अनुसार कार्यों की सूची संलग्न है।

(ख) सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्ट में फण्ड आवंटन एवं वर्क आर्डर की तिथियों का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) राजस्व विभाग में इस संबंध में कोई शिकायत की जानकारी नहीं है अतः कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अगर कोई शिकायत विभाग के संज्ञान में लायी जाएगी तो नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

45. श्री राजेश गुप्ता :  
श्री अनिल कुमार वाजपेयी :  
श्री पवन कुमार शर्मा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2015-16 व 2016-17 में दिल्ली के सभी विधान सभा क्षेत्रों में तीनों निगमों द्वारा एमएलए लेड फंड के अंतर्गत किए कार्यों का, आवंटित पूर्ण/आंशिक फंड का विवरण देते हुए इन कार्यों की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट उपलब्ध की जाए;

(ख) एक्जीक्यूटिंग एजेंसी/डूडा द्वारा कराये गए क्वालिटी चैक पास न होने वाले ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स/कार्यों का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) एक्जीक्यूटिव एजेंसी/डूडा द्वारा निम्न गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल करने के लिए दोषी कर्मचारियों/कॉन्ट्रैक्ट/वेनडर्स के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण क्या है;

(घ) इन कार्यों की अनुमानित लागत, कुल फंड, पुंड आबंटन की तिथि एवं कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार प्रोजेक्ट पूरा होने की अनुमानित तिथि तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि का विवरण देते हुए इनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी दें;

(ङ) कॉन्ट्रैक्ट अनुसार निर्धारित समयावधि में पूरे न होने वाले प्रोजेक्ट्स का विवरण और इसमें देरी के कारणों का पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री : (क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : वांछित सूचना संलग्न सूची में दर्शायी गई है।

मंडलायुक्त कार्यालय (राजस्व) : वर्ष 2015-16 व 2016-17 में सभी 11 डूडा द्वारा एमएलए लैड फंड के अंतर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों उनके लिए आवंटित फंड, कार्य का नाम, अनुमानित लागत व फंड आबंटन की तिथि

और कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न है। गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट क्रियान्वित विभाग द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है?

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** प्रमुख अभियंता दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार—एमएलए लेड फंड के अंतर्गत वर्ष 2015-16 व 2016-17 में कराए गए कार्यों के विवरण की सूची 'ए' पर संलग्न है।

निदेशक उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार—विभाग द्वारा 2015-16 व 2016-17 में कोई कार्य एमएलए लैड फंड के अंतर्गत नहीं किए गए हैं।\*

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** डूडा द्वारा कोई भी क्वालिटी चैक नहीं कराया जाता है। विभाग स्वयं क्वालिटी चैक कराता है, तथा उसकी रिपोर्ट डूडा को भेजी जाती है। कोई भी कार्य का सैम्पल फेल नहीं हुआ है।

**मंडलायुक्त कार्यालय (राजस्व) :** ऐसी कोई जानकारी संबंधित डूडा के पास नहीं है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** प्रमुख अभियंता दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार—एक्जीक्यूटिंग एजेंसी/डूडा द्वारा कराये गये क्वालिटी चैक पास न होने से संबंधित कोई भी कार्य नहीं है।

**निदेशक उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार—** उपरोक्त 'क' में दिए प्रश्नोत्तरनुसार।

(घ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** उपरोक्त (क) के अनुसार।

**मंडलायुक्त कार्यालय (राजस्व) :** सभी 11 डूडा द्वारा एमएलए लैड फंड के अंतर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों उनके लिए आवंटित फंड, कार्य का नाम, अनुमानित लागत व फंडआबंटन की तिथि और कार्यों की वर्तमान स्थिति

1. पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर. 16949 पर उपलब्ध।

का विवरण संलग्न है। गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट क्रियान्वित विभाग क्षरा अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गयी है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** प्रमुख अभियंता दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार—इसका विवरण सूची 'ए' पर संलग्न है।

**उद्यान विभाग—**उपरोक्त 'क' में लिए प्रश्नोत्तरनुसार।

(ड) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** उपरोक्त (क) के अनुसार।

**मंडलायुक्त कार्यालय (राजस्व) :** कॉन्ट्रैक्ट अनुसार निर्धारित समयावधि में पूरे न होने वाले प्रोजेक्ट्स का विवरण और इसमें देरी के कारणों का विवरण क्रियान्वित विभाग से संबंधित है और क्रियान्वित विभाग द्वारा यहां जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** प्रमुख अभियंता दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार—इसका विवरण सूची 'ए' पर संलग्न है।

**उद्यान विभाग—**उपरोक्त 'क' में दिए प्रश्नोत्तरनुसार।

**46. श्री राजेश गुप्ता :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015-6 एवं वर्ष 2016-17 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्कों में लाईट लगाने के लिये दी गयी निविदाओं का पूर्ण विवरण क्या है?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **दिल्ली विकास प्राधिकरण :** वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्कों में लाईट लगाने के लिए कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गई है तथा वित्त वर्ष 2016-17 में महर्षि दयानंद पार्क केशवपुरम में लाईट लगाने के लिए निविदा आमंत्रित की गयी थी जिसका करारनामा हो चुका है तथा पार्क में कार्य चल रहा है और फरवरी तक समाप्त हो जाएगा।

**47. श्री नितिन त्यागी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वास नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक विकास निधि से वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में कौन से कार्य कराये जाने प्रस्तावित थे; और

(ख) उपरोक्त 'क' के संदर्भ में कार्य का नाम, कार्य करने वाली एजेंसी का नाम, अनुमानित लागत, तिथि तथा आवंटित राशि, वक्र आर्डर की तिथि एवं उसकी वर्तमान स्थिति तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि का पूर्ण विवरण दें?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) एवं (ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम

विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधायक निधि से वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की सूची एवं अन्य विवरण संलग्न है।

**48. श्री जगदीप सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014-15 व 2015-16 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न मदों में आवंटित फंड का विवरण क्या है;

(ख) उक्त कार्यों की अब तक की प्रगति का विवरण क्या है; और

(ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के प्रत्येक वार्ड को दी गई राशि का विवरण क्या है?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : प्रमुख अभियंता द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर वांछित रिपोर्ट निम्नलिखित है—

मद	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16
1. शहरी विकास	31600.00 लाख	30514.66 लाख
2. यातायात	4875.00 लाख	4163.00 लाख

मुख्य लेखापाल विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार—वर्ष 2014-15 व 2015-16 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को विभिन्न कार्यों के लिए निम्न मदों में आवंटित फंड का ब्यौरा निम्न प्रकार से है—

(रूपये लाख में)

मद	2014-15	2015-16
शहरी विकास	31600.00	30514.66
यातायात	4875.00	4163.00
शिक्षा एवं अल्पआहार	14922.00	12702.40
स्वास्थ्य	4600.00	5000.00
ग्रामीण विकास	1000.00	2918.42
विधायक (MILALAD)	4973.09	327.18

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : प्रमुख अभियंता को संबंधित अधीशासी अभियंता द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार विवरण 'ए' पर संलग्न है।

निदेशक, उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार—विवरण संलग्न है।<sup>1</sup>

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : प्रमुख अभियंता द्वारा प्राप्त रिपोर्टनुसार—इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा वार्ड अनुसार फंड का वितरण नहीं किया जाता है। अपितु फंड का आवंटन

1. पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर. 16953 पर उपलब्ध।

विभिन्न प्लान मदों में किया जाता है। जिसका विवरण उपरोक्त 'क' में दे दिया गया है।

इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा वार्ड अनुसार फंड का वितरण नहीं किया जाता है। अपितु फंड का आवंटन विभिन्न प्लान मदों में किया जाता है। जिसका विवरण उपरोक्त 'क' में दे दिया गया है ।

**उद्यान विभाग—पार्षद फंड उद्यान विभाग दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को आबंटित नहीं किए जाते हैं।**

**49. श्री पवन कुमार शर्मा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 व 2016-17 में एमएलए लैंड फंड के अंतर्गत किए गए कार्यों के विवरण के साथ-साथ कार्य करने वाली एजेंसी, अनुमानित लागत, कुल राशि, कुल फंड और उसके आबंटन की तिथि, वक्र आर्डर की तिथि और कार्य की वर्तमान स्थिति का पूर्ण विवरण दें?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड : इस विभाग द्वारा रोहिणी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 व 2016-17 में एम एल ए लैंड फंड के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं कराया गया है।

**मंडलायुक्त कार्यालय (राजस्व) :** सूची संलग्न है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा एमएलए लैंड फंड के अंतर्गत 2015-16 व 2016-17 में अभियांत्रिक विभाग तथा उद्यान विभाग द्वारा किए गए कार्यों/बुकार्यों की विस्तृत सूची संलग्न है।\*

\* पुस्तकालय में संदर्भ उपलब्ध।

**50. श्री अनिल कुमार वाजपेयी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बायोमैट्रिक मशीनें लगाई गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो ये मशीनें कब और कितनी राशि की खरीदी गयी;

(ग) इनके रख-रखाव के लिये कितना भुगतान किया गया था;

(घ) क्या यह सत्य है कि इन मशीनों के रख-रखाव का भुगतान आज भी किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाये; और

(च) क्या यह सत्य है कि अब इन मशीनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(छ) यदि हां तो इसका क्या कारण हैं; पूर्ण विवरण दें;

(ज) क्या यह सत्य है कि बायोमैट्रिक मशीनों का इस्तेमाल हाजरी लगाने का किया गया है; और

(झ) यदि हां, तो उसका पिछले तीन साल का बायोमैट्रिक डाटा उपलब्ध करायें?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : हां

(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : एकीकृत दिल्ली नगर निगम के कार्य



आदेश संख्या D/EE(DEMS)II/08-09/09 dated 29-12-2008 द्वारा खरीदी गयी थी (कार्य आदेश की प्रति संलग्न है)

(ग) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : इन मशीनों के रख रखाव का भुगतान उपरोक्त कार्य आदेश की विभिन्न नियम एवं शर्तों के अधीन किया गया है जिसकी विस्तृत जानकारी माननीय विधायक जी का कुछ दिनों के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी।

(घ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : नहीं, चूंकि माह अप्रैल, 2016 का संबंधित पुर्म को दिया गया रख रखाव का कार्य आदेश समाप्त हो गया था।

इसके पश्चात्, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत संबंधित कंपनी M/s Transline Technologies PVT Ltd को इन biometric machines की AMC का पुनः 3 माह का AMC का नवीनकरण दिनांक 21.11.2016 से 20.2.2017 से मौजूदा नियम एवं शर्तों के आधार पर पत्र दिनांक 16.11.2016 के द्वारा किया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न)<sup>1</sup>

(ङ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : उपरोक्तानुसार।

(च) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : इन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के उपरांत कंपनी M/s Transline Technologies PVT Ltd. को इन biometric machines की AMC का पुनः 3 माह का AMC का नवीनकरण दिनांक 21.11.2016 से 20.2.2017 से मौजूदा नियम एवं शर्तों के आधार पर पत्र दिनांक 16.11.2016 के द्वारा किया

<sup>1</sup> पुस्तकायलय में संदर्भ सं. आर-16954 पर उपलब्ध।

गया है। (पत्र की प्रति संलग्न) चूँकि आधार आधारित बायोमैट्रिक attendance सिस्टम की निविदा आमंत्रित की गई है। जिसकी प्रक्रिया जारी है।

(छ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार

(ज) हां

(झ) चूँकि माननीय विधायक जी द्वारा मांगी गई जानकारी बहुत ही ज्यादा है जिसको उपलब्ध करने के लिए हजारों Pages की आवश्यकता होगी। अतः माननीय विधायक जी द्वारा मांगी गई समग्र जानकारी कुछ दिनों के अंदर CD में उपलब्ध करा दी जाएगी।

51. श्री अनिल कुमार वाजपेयी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत कितने अस्पताल और डिस्पेन्सरीज हैं;

(ख) पिछले तीन साल में की गई दवाइयों की फरोख्त का पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) इन अस्पतालों और डिस्पेन्सरीज में कितने डॉक्टर और अन्य स्टाफ है;

(घ) इनकी तनख्वाह और सुविधाओं पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है; पूर्ण विवरण दें;

(ङ) इन अस्पतालों में और डिस्पेन्सरी में तीन सालों में प्रतिदिन कितनी ओपीडी की गयी; उसका पूर्ण डाटा उपलब्ध करायें; और

(च) इन अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों के रख-रखाव के लिए कितन प्राईवेट एजेंसियों से अनुबंध किया गया है; अनुबंध पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध की जाए?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 01 अस्पताल, 01 चेस्ट क्लीनिक, 08 डिस्पेन्सरीज, 08 मोबाइल डिस्पेन्सरीज तथा एक लैप्रोसी होम है।

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** पिछले तीन साल में की गई दवाइयों की खरीद-फरोख्त का विवरण निम्न प्रकार है : (लाख में)

	स्वामी दयानन्द अस्पताल	लैप्रोसी होम	सेंटर मेडिकल स्टोर
2014-14	555.86	29.47	78.14
2014-15	936.83	39.14	175.38
2015-16	788.45	34.66	196.38

(ग) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :**

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	ग्रुप ए(डाक्टर)	278	90
2	ग्रुप बी	306	93
3	ग्रुप सी	515	174
4	ग्रुप डी	622	207

(घ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : इनकी तनख्वाह और सुविधाओं पर प्रतिवर्ष खर्च की जा रही धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:

(लाख में)

स्वामी दयानन्द अस्पताल	लैप्रोसी होम	डिस्पेन्सरीज
8437	124.49	251.81

(ङ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : इन अस्पतालों और डिस्पेन्सरीज में तीन सालों में ओपीडी निम्न प्रकार है :

	स्वामी दयानन्द अस्पताल	डिस्पेन्सरीज
2013-14	486051	379444
2014-15	561232	363807
2015-16	550230	368378

(च) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : इन अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों के रख-रखाव के लिए दो प्राईवेट एजेंसियों से अनुबंध किया गया है, जो इस प्रकार है :

1. मैसर्स सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन (स्वच्छता हेतु)
2. एमवन2सी सिक्योरिटी सर्विसीज हेतु

इन अनुबंध पत्रों की प्रमाणित प्रति Annexure 1 एवं 2 पर संलग्न है।

**EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION**  
(HEALTH DEPARTMENT)

Office of the Addl. DHA  
A2-002419, FIE, Udyog Sadan,  
Patparganj, Delhi-110092

No. 18/Addl. DHA/2017/EDMC

Date : 16.01.17

विषय : विधान सभा के तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 51 दिनांक 18/01/2017 के लिए। निगम के अंतर्गत कितने अस्पताल और डिस्पेन्सरीज हैं व पिछले तीन साल में की गई दवाइयों की खरीद के संबंध में जो कि श्री अनिल कुमार वाजपेयी द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर निम्न प्रकार है :

**प्रश्न**

(क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत कितने अस्पताल और डिस्पेन्सरीज हैं;

(ख) पिछले तीन साल में की गई दवाइयों की फरोख्त का पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) इन अस्पतालों और डिस्पेन्सरीज में कितने डॉक्टर और अन्य स्टाफ है;

(घ) इनकी तनख्वाह और सुविधाओं पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है; पूर्ण विवरण दें;

(ड) इन अस्पतालों में और डिस्पेन्सरी में तीन सालों में प्रतिदिन कितनी ओपीडी की गयी; उसका पूर्ण डाटा उपलब्ध कराये; और

(च) इन अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों के रख-रखाव के लिए कितन प्राईवेट एजेंसियों से अनुबंध किया गया है; अनुबंध पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध की जाए?

(क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 01 अस्पताल, 01 चेस्ट क्लीनिक, 08 डिस्पेन्सरीज, 08 मोबाइल डिस्पेन्सरीज तथा एक लैप्रोसी होम है।

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : पिछले तीन साल में की गई दवाइयों की खरीद-फरोख्त का विवरण निम्न प्रकार है :

(लाख में)

	स्वामी दयानन्द अस्पताल	लैप्रोसी होम	सेंटर मेडिकल स्टोर
2014-14	555.86	29.47	78.14
2014-15	936.83	39.14	175.38
2015-16	788.45	34.66	196.38

(ग) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	ग्रुप ए (डाक्टर)	278	90
2	ग्रुप बी	306	93
3	ग्रुप सी	515	174
4	ग्रुप डी	622	207

(घ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम

इनकी तनख्वाह और सुविधाओं पर प्रतिवर्ष खर्च की जा रही धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है : (लाख में)

स्वामी दयानन्द अस्पताल	लैप्रोसी होम	डिस्पेन्सरीज
8437	124.49	251.81

(ङ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम

इन अस्पतालों और डिस्पेन्सरीज में तीन सालों में ओपीडी निम्न प्रकार है:

	स्वामी दयानन्द अस्पताल	डिस्पेन्सरीज
2013-14	486051	379444
2014-15	561232	363807
2015-16	550230	368378

(च) पूर्वी दिल्ली नगर निगम

इन अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों के रख-रखाव के लिए दो प्राईवेट एजेंसियों से अनुबंध किया गया है, जो इस प्रकार है :

1. मैसर्स सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन (स्वच्छता हेतु)
2. एमवन2सी सिक्योरिटी सर्विसीज हेतु

इन अनुबंध पत्रों की प्रमाणित प्रति Annexure 1 एवं 2 पर संलग्न है।

अतिरिक्त आयुक्त : स्वास्थ्य

निदेशक अस्पताल प्रशासन

प्रशासनिक अधिकारी : स.व.स.द्ध

अतारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 358

18 जनवरी, 2017

**EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION  
HEALTH DEPARTMENT**

OFFICE OF THE ADDL. DHA (M&CW+SHS)  
419, UDYOG SADAN, GROUND FLOOR  
PATPARGANJ INDUSTRIAL AREA  
DELHI-110092

No. 429/Addl DHA/M&CW+SHS/EDMC/HQ/2016-17

Dated 13-10-2016

**WORK ORDER**

To,

M/s Sulabh International  
Social Service Organization  
Sulabh House 74. K-1, Extension,  
Mohan Garden, New Delhi- 110069.

**Sub:- Outsourcing of services at various Health Units functioning under DHA.**

Sir,

In reference your loiter no SISSO/SS/1734/2016 dt. 22.00.2016, Competent Authority vide order dt 00.09.2016 has approved 22 (Twenty two ) voluntary social worker and 1 (One) supervisor Voluntary Social worker for the outsourcing of certain services at the various Health Units of EDMC functioning under DHA on the following terms & condition. The department requires Voluntary Social Workers for these services that are deployed at various health units as per the list given below:-

S.No.	Name of places	No.Voluntary Social Worker	Name of post against which honarium draw	No. of Vacant post	Budget Head
1	2	3	4	5	6
1.	Mty. Home Chandiwala	1	S.K.	1	54-1004
2.	Mty. Home Khichripuri	2	Warden, S.K.	1, 1	54-1004



1	2	3	4	5	6
3.	Mty. Home Patparganj	1	S.K.	1	54-1004
4.	Mty. Home Geeta Colony	1	Warden	1	54-1004
5.	Mty. Home Karawal Nagar	1	Warden	1	54-1004
6.	M&CW Centre GRD Nagar	1	Peon	1	54-1004
7.	M&CW Centre Ghonda(OLD)	1	S.K.	1	54-1004
8.	Mty. Home Yamuna Vihar	1	Cleaner	1	54-1004
9.	Health Centre Vishkarma Park	1	S.K.	1	54-1004
10.	SHS (Shahdara North)	1	Ward Boy	1	26-1004
11.	SHS (Shahdara South)	2	Ward Boy	2	20-1004
12.	Dr SPM chest hospital, Patparganj	4	Ward Aya, Ward Boy. S.K., Bhisti	1,1, 1,1	52-1004
13.	Chest Clinic Shahdara	1	S.K.	1	52-1004
14.	Poly Clinic Shahdara	4 (1, Supervisor Social worker)	Chowkidar, S.K.	3, 1	42-1004
16.	M&CW Centre Sonia Vihar with delivery facility	1	---	from out sourced	As per res. no. 137 dt. 23.10.2012 (i.e. from Misc expend- iture)
Total		23			

1. Voluntary Social Worker will be required for the period of six months from 03.10.2016 to 31.03.2017 (with one day mandatory break on 01.10.2016 & 02.10.2016 being Holiday/Sunday).
2. The honorarium will be paid @ Rs. 10364/- per person per month for Voluntary Social Worker and Rs. 13772/-per month for supervisor voluntary social worker (including admn. charge and uniform allowance) against the bill raised by your organization.
3. The payment will be made by cheque /draft/ECS in favour of Sulabh International Social Service Organization.

4. They will report to M.O.I/Cs of above said health units. They will mark their attendance at the place of posting performance report from oil concerned will be obtained before payment.
5. They will work as per the EDMC timing including Saturday.
6. Supervisor will report at HQ to the undersigned.
7. Any Kinds of leave not admissible.
8. Detail of work of the worker is:-
  - (i) Cleanliness & Sanitation of Health Units
    - a. Wards toilets and the salary area to be cleaned regularly in order to maintain cleanliness throughout day.
    - b. Maintaining cleanliness of floors as well as wells furniture's equipments etc.
    - c. Proper safe disposal of Bio-Medical Waste.
    - d. Any other related duties assigned by the office.
  - (ii) Transport of patients as requirrd.
  - (iii) Transport of blood and other samples to laboratory as required.
9. Please execute an agreement on a non judicial stamp paper of Rs. 100/- only within seven days from the date of receipt of (his order to undertake the service contract for the said purpose providing Manpower for Sanitation and other related work in the various Health Units for a period of six months from 03.10.2016 to 31.03.2017 (with one day mandatory break on 01.10.2016 & 02.10.2016 being Holiday/Sunday).
10. The contract shall stand terminated on 31.03.2017 or earlier without prior intimation.

ADDL. DHA (M&CW/SHS)

Copy to:

1. All Concerned MO/IC. CAMO's. DHOs Schools
2. Addl. DHA (Medical & T.B.)
3. Office Copy
4. G/F

**EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION**

Office of the Care Taker (HQ)

419, Udyog Sadan, Patparganj Industrial Area, Delhi-92

No CT/HQ/EDMC/2015/54

Dated 30-11-2015

**M/S Mi2C,**  
8/40, UGF,  
South Patel Nagar,  
NewDelhi-08.

**Sub :** Extension of contract of security services in the jurisdiction of EDMC.

**Ref:-E. Tender no. 13975, Dated 22.07.2014**

With reference to the above, competent authority is pleased to extend your existing contract for providing security services for different building/premises/Hospitals/Offices in the jurisdiction of EDMC on the same rate and Terms & Conditions duly agreed by you for further one year i.e 01st Dec 2015 to 30s Nov. 2016. The deployment of Security Guard & Supervisor will be as under:

S.No	Location	Security Guards	Security Supervisor
01	EDMC/HQ	13	01
02	Swami Dayanad Hospital	100	08
03	Health unites/Centres	102	08
04	Veer Savarker Arogya Hospital	20	02
	Total	235	19

This is for your information and further necessary action.

**Care-taker**

**Copy to:**

- OSD to Commissioner
- DHA/EDMC for information & n/a please

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 362

18 जनवरी, 2017

विधानसभा मामला

अति शीघ्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
राज्य स्वास्थ्य अन्वेषण ब्यूरो  
एफ-17, कडकडडूमा, दिल्ली-32  
महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

पत्रा. सं.: 21 (एलए-698)/DGHS/SHIB/2017/190594

दिनांक 16/01/17

सेवा में,

उप-सचिव (Question Cell)  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
9वां तल, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय,  
आई.पी.इस्टेट, नई दिल्ली-110002.

**विषय: Vidhan Sabha Unstarred Question No. 51 asked by Sh. Anil Kumar Vajpai**

महोदय,

उप-सचिव (Question Cell) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ईमेल दिनांक 16.01.2017 के संदर्भ में विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 51 दिनांक 18/01/2017 के उत्तर के लिए इस महानिदेशालय में उपलब्ध जानकारी निम्नलिखित है:-

**प्रश्न सं. 51**

(क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत कितने अस्पताल और डिस्पेन्सरीज हैं;

(ख) पिछले तीन साल में की गई दवाइयों की खरीद फरोख्त का पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) इन अस्पतालों और डिस्पेंसरिज में कितने डॉक्टर और अन्य स्टाफ है;

(घ) इनकी तनख्वाह और सुविधाओं पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है; पूर्ण विवरण दें;

(ड.) इन अस्पतालों में और डिस्पेन्सरी में तीन सालों में प्रतिदिन कितनी ओपीडी की गयी; उसका पूर्ण डाटा उपलब्ध कराये; और

(च) इन अस्पतालों और डिस्पेन्सरियों के रख-रखाव के लिए प्राईवेट एजेंसियों से अनुबन्ध किया गया है; अनुबंध पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध की जाए?

#### उत्तर

(क) से (च) यह सूचना इस महानिदेशालय से संबंधित नहीं है।

यह उत्तर, महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के अनुमोदन से प्रेषित किया गया है।

भवदीय,

(डा. सुनील भटनागर)

**52. श्री अनिल कुमार बाजपेयी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम की कुल कितनी पार्किंग हैं; उनका ब्यौरा उपलब्ध किया जाए;

(ख) इनमें से कौन-कौन सी पार्किंग किसको एलाट की गयी है, उनका पूर्ण विवरण दें;

(ग) गांधी नगर मार्केट में पुश्ता रोड की पार्किंग किसे एलाट की गयी, टैंडर का पूर्ण विवरण दें;

(घ) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी कांती नगर में पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा पार्किंग बनायी गयी जिसकी निविदा आज से आठ माह पहले समाप्त हो गयी थी ले किन उसके बाद भी यह पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नाम पर यह पार्किंग चलती रही ;

(ङ) यदि हां, तो विभाग द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कुल 83 पार्किंग साईट है जिनकी सूची संलग्न।

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** सूची संलग्न है।

(ग) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** गांधी नगर पुस्ता रोड की पार्किंग श्री जगदम्बा सिंह को दो वर्ष के लिए रु. 6,17,000/- प्रति माह पर दिनांक 11.08.2015 को आवंटित की गयी थी।

(घ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : पूर्वी दिल्ली नगर निगम आर. पी. सेल द्वारा पश्चिमी कांती नगर में व नाम से कोई पार्किंग नहीं बनाई गई। किंतु एक पार्किंग साईट जोकि नियर बी. एस. ई. एस. ऑफिस, आजाद नगर में आबंटित की गई थी को दिनांक 18.10.2016 को निरस्त कर दिया गया था जिसकी सूचना सभी संबंधित विभागों को दी गयी थी, इसके उपरांत दिनांक 23.12.2016 को पुनः सभी संबंधित विभागों को एक्सन लेने के लिए पत्र भेजा गया तथा अंत में दिनांक 26.12.2016 का संबंधित थाना अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि यह पार्किंग निरस्त कर दी गयी है तथा फ्री पार्किंग के बोर्ड इस पार्किंग साईट पर लगा दिए गए थे। पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

(च) उपरोक्तानुसार।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**  
(लाभकारी परियोजना कक्ष)

प्रथम तल, उद्योग सदन,  
419, पटपड़गंज ओद्योगिक क्षेत्र,  
दिल्ली-110092

क्र.वा. अधि./वि.वि./पू.दि.न.नि/2016/डी.- दिनांक 01.2017

**विषय :** विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 52 दिनांक 18.01.2017 के लिए। निगम की कुल कितनी पार्किंग है, कौन-कौन सी पार्किंग किस को अलॉट है के संबंध में।

माननीय श्री अनिल कुमार बाजपेयी द्वारा पूछे गये उपरोक्त विषयक प्रश्नों के संदर्भ में क्रमानुसार उत्तर निम्नलिखित है :

(क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम की कुल कितनी पार्किंग हैं; उनका ब्यौरा उपलब्ध किया जाए;

(ख) इनमें से कौन-कौन सी पार्किंग किसको एलाट की गयी है, उनका पूर्ण विवरण दें;

(ग) गांधी नगर मार्किट में पुश्ता रोड की पार्किंग किसे एलाट की गयी, टैंडर का पूर्ण विवरण दें;

(घ) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी कांती नगर में पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा पार्किंग बनायी गयी जिसकी निविदा आज से आठ माह पहले समाप्त हो गयी थी ले किन उसके बाद भी यह पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नाम पर यह पार्किंग चलती रही ;



(ड) यदि हां, तो विभाग द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) कार्रवाई का पूर्ण विवरण क्या है?

**उत्तर**

(क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कुल 83 पार्किंग साईट है जिनकी सूची संलग्न।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) गांधी नगर पुस्ता रोड की पार्किंग श्री जगदम्बा सिंह को दो वर्ष के लिए रू. 6,17,000/- प्रति माह पर दिनांक 11.08.2015 को आवंटित की गयी थी।

(घ) पूर्वी दिल्ली नगर निगम आर. पी. सेल द्वारा पश्चिमी कांती नगर में व नाम से कोई पार्किंग नहीं बनाई गई। किंतु एक पार्किंग साईट जोकि नियर बी. एस. ई. एस. ऑफिस, आजाद नगर में आवंटित की गई थी को दिनांक 18.10.2016 करे निरस्त कर दिया गया था जिसकी सूचना सभी संबंधित विभागों को दी गयी थी, इसके उपरांत दिनांक 23.12.2016 को पुनः सभी संबंधित विभागों को एक्सन लेने के लिए पत्र भेजा गया तथा अंत में दिनांक 26.12.2016 का संबंधित थाना अध्यक्ष को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि यह पार्किंग निरस्त कर दी गयी है तथा फ्री पार्किंग के बोर्ड इस पार्किंग साईट पर लगा दिए गए थे। पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(ड) उपरोक्तानुसार।

(च) उपरोक्तानुसार।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त जारी किया गया है।

**List of EDMC authorized parking sites**

S.N	Name of Parking Sites	Name of parking contractor
1	Ramesh Park, Laxmi Nagar	Sh. Jagdamba Singh
2	Gazipur Subji Mandi.	Shree Pal Nagar
3	Shmshan Ghat Under Boundary Geeta Colony	Sh. Jagdamba Singh
4	Near Community Hall/Subzi Mandi Geeta Colony	Sh. Jogeinder Kumar Sharma
5	Gandhi Nagar Pusta	Sh. Jagdamba Singh
6	Under Flyover Seelampur	Smt. Sukhvinder Kaur
7	Mix Water Pump House Shahdara Marginal Bandh EDMC	Sh. Prem Narayan Tiwari
8	Vardhman Master Plaza Main Gazipur Road	M/s S. S. Services
9	Adjacent Delhi Police Apartment Mayur Vihar Phase-I	M/s Om Sai Enterprises
10	E-4 Block, Nand Nagri	M/s Om Sai Enterprises
11	C-3 Block Nand Nagri	M/s Insta India Teleservices
12	Preet Vihar Commercial Complex	M/s Bala Ji 8s Sons
13	Plot No. 4, DDA Bldg. Distt. Centre Laxmi Nagar.	Sh. Rajesh Tiwari
14	Community Centre Karkardooma.	M/s Neo Urban
15	Around Plot No. 10, Distt. Centre Laxmi Nagar.	M/s Neo Urban

S.N	Name of Parking Sites	Name of parking contractor
16	In front of Mayur Place Distt. Centre Mayur Vihar, Ph-I.	Sh. Minesh Chopra
17	In front of Kiosk No. 15 to 19, Distt. Centre Laxmi Nagar.	Sh. Sunil Kumar
18	Underground parking on Building plot No.4, Distt. Centre Laxmi Nagar.	Sh. Shobhit Sharma
19	Tanga Stand Seelampur near Sanatan Dharm minder	Sh. Shobhit Sharma
20	In Front of Central Ware House, Gazipur Village	Sh. Joginder Nagar
21	Opposite Chacha Nehru Hospital, Geeta Colony	M/s Sai Nath Enterprises
22	Near Shakarpur Thana	Sh. Sikander Kumar Singh
23	Near Jain Mandir, Gali No.-9, Bihari Colony Shahdara	M/s Active Media Services
24	South Ganesh Nagar Chowk Patparganj Road	Sh. Sunil Kumar
25	Near Anand Vihar Bus Stand	M/s Sai Nath Enterprises
26	Opposite Shri Pashupatinath Mandir Karkardooma	Sh. Sikander Kumar Singh
27	Adjoining Saraswati Kunj Society, Patparganj	Sh. Rajkishor Tyagi
28	Near Laxmi Nagar Metro Station Adjacent to MCD Primary School	M/s Sai Nath Enterprises

S.N	Name of Parking Sites	Name of parking contractor
29	Near Community Centre Usmanpur	Sh. Shobhit Sharma
30	Under flyover Khajouri Chowk	Sh. Shobhit Sharma
31	Covered Parking B-3 Block Nand Nagari	M/s Active Media Services
32	Covered Parking, New Jafrabad west Gorakh Park Extn. Shahdara	M/s Active Media Services
33	Mayur Vihar Extn. Phase-I, near Holledan Hotel	Sh. Sunil Chaudhary
34	Pankaj Plaza Mayur Vihar, A-Block, Phase-III	Sh. Joginder Nagar
35	Outer Road Gazipur Paper market road between Khoda Colony and paper market Gaizipur	Tender invited
36	In Front of Parmanand Hospital West Vinod Nagar.	Tender invited
37	Community Centre Mayur Vihar Phase-III, Kondli Village.	Tender invited
38	Around Scope Minar Plot No. 02 Distt. Centre, Laxmi Nagar.	Tender invited
39	Crystal Coffee Home Plot No. 14, Laxmi Nagar	Tender invited
40	Covered Parking Near Shastri Park Red Light	Tender invited
41	Opposite Chilla Sports Complex	Tender invited

S.N	Name of Parking Sites	Name of parking contractor
42	Gali No.-9, 10 Opposite Shiv Kutir Mandir, Raghupura	Tender invited
43	Near Murga Mandi Gazipur	Tender invited
44	Covered Parking Mondoli Extn.	Tender invited
45	Kishan Kunj Adjoining in front of Shakarpur Thana	Tender invited
46	Adjacent area of competent authority Maruti Work Shop	Tender invited
47	DDA Shopping Center Rajdhani Enclave	Tender invited
48	Near Pankaj Plaza Joshi Colony, IP Extn., Patparganj	Tender invited
49	Behind Gaurav Appartment, IP Extn. Patparganj	Tender invited
50	Near Mandawali Pulia & Chander Vihar	Tender invited
51	Opposite DDA Community Centre, A-Block, New Seemapuri	Tender invited
52	Janta Flats GTB Enclave Dilshad Garden	Tender invited
53	Near Shastri park Red Light Opposite IT park	Tender invited
54	4.5 Pusta Sonia Vihar Opposite Shri Shyam Vihar	Tender invited
55	Basti Vikas Kendra (Delhi Govt.) F- Block New Seemapuri	Tender invited

S.N	Name of Parking Sites	Name of parking contractor
56	Near Eid-Gaah, C Block, Welcome.	Tender invited
57	Covered Parking A- Block, Nand Nagari	Tender invited
58	K- Block, Sunder Nagari	Tender invited
59	J-Block, Sunder Nagari	Tender invited
60	M-Block, Sunder Nagari	Tender invited
61	Opposite Nand Nagri Depot	Tender invited
62	EDMC Hospital Karawal Nagar	Tender invited
63	Opposite DDA Market F-block Nand Nagri	Tender invited
64	L-Block, Janta Colony, Seelampur	Tender invited
65	Boundary Wall at Babarpur Road	Tender invited
66	Old Usmanpur Village, 3rd Pusta.	Tender invited
67	DDA land 2nd Pusta road old Usmanpur Village.	Tender invited
68	Under Flyover Shahdara	Tender invited
69	In-front of Plot No. 05 to 09 Distt. Centre Laxmi Nagar	Tender invited
70	In-front of Kiosk No. 05 to 09 Distt. Centre Laxmi Nagar	Tender invited
71	Near Mayur Vihar Phase-I, Police Station	Tender invited
72	Near Primary School, Railway Colony Mandawali.	Tender invited

S.N	Name of Parking Sites	Name of parking contractor
73	Near New Kondli	Tender invited
74	Vikas Marg Near BSES office Laxmi Nagar	Tender invited
75	Lalita Park, Vikas Marg, Laxmi Nagar	Tender invited
76	Pandav Nagar Park Near Mother Dairy	Tender invited
77	Near Gazipur Sanitary Landfill, Gazipur	Tender invited
78	A-Block, Gokal Puri	Tender invited
79	Jag Pravesh Chandra Hospital, Shastri Park	Tender invited
80	Central Ware House Godown Gazipur	Tender invited
81	Near BSES Azad Nagar	Tender invited
82	In-front of Plot No. 15 to 19 Distt. Centre Laxmi Nagar	Tender invited
83	Under flyover Mansarover Park Metro Station Near Railway crossing	Tender invited

**EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION**

(Remunerative Project Cell)

*419, Udyog Sadan, First Floor,  
Patparganj Industrial Area,  
Delhi-110092*

No. AO (R.P Cell)/EDMC/2016/D.430

Dated: 18.10.2016

To,

*M/s Keshav Enterprises,*

(Parking Contractor)

01/742 B, Street No. 12 C,

Shahdara, Delhi-110032.

(e-mail: keshav kumar85200@yahoo.com)

**Sub: Cancellation/withdrawn the contract/allotment letter No. D-401 dated 17.08.2015 in respect of parking site at near BSES Azad Nagar.**

Whereas you were awarded contract of parking site at near BSES Azad Nagar for a period of one year, extendable for 2nd vide this office letter No. AO/RP Cell/EDMC/2015/D-401 dated 17.08.2015 on a monthly licence fee of Rs. 1,67,000/- + applicable taxes per month.

Whereas you have not deposited **six monthly advance license fee (MLF) & previous dues + penal interest @ 2% p.m.**, which has accumulated dues amounting to **Rs. 14,09,286/-** (Rupees Fourteen Lakh Nine Thousand Two Hundred Eighty Six Only) on account of Six Monthly Advance License fee, applicable Tax (TCS @ 2.244%) and penal



interest **upto 17.10.2016** i.e the date of completion of maximum deky of two months, which is clear violation of the terms 8s conditions to contract agreement of parking and thereby rendered yourself for action for cancellation of the contract/allotment, forfeiture of all type security deposit and other consequential action.

Whereas vide this office demand notices dated 18.07.2016, 16.08.2016, 01.09.2016 and Show Cause Notice dated 14.09.2016, you were directed to deposit/clear the outstanding dues of **Rs.14,09,286/- (Rupees Fourteen Lakh Nine Thousand Two Hundred Eighty Six Only)** pending against you immediately. But you failed to clear the above mentioned outstanding dues.

In view of the above, since ample opportunities have been granted to you by EDMC through above mentioned Demand Notices/Show Cause Notice and in view of your failure to deposit the outstanding dues amounting to **Rs. 14,09,286/- (Rupees Fourteen Lakh Nine Thousand Two Hundred Eighty Six Only)**, the competent authority has cancelled/withdrawn your contract/allotment dated 17.08.2015 in respect of parking site at near BSES Azad Nagar with immediate effect, all the security deposits in the form of FDR forfeited.

अतारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 376

18 जनवरी, 2017

**EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION**  
(Remunerative Project Cell)

1st Floor, Udyog Sadan,  
419, Patparganj Indl. Area,  
Delhi-110092

No. AO/RP Cell/EDMC/2016/D-573

Dated: 23.12.2016

To,

The Dy. Commissioner of Police,  
District East, PS, Mandawali,  
Delhi Police, Delhi-110092.

**Sub: Regarding cancelled parking site at BSES Azad Nagar and the same is being run unauthorizely.**

Sir,

On the subject noted above, I am directed to inform you that the said parking-site has been cancelled vide this office letter dated 18.10.2016 (copy enclosed).

This deptt. inspected the said parking site on 21.12.2016 and during the course of inspection, it was noticed that a large number of vehicles were parked in the parking area.

You are, requested to direct to the concerned area inicharge to takes appropriate action as per law against the unauthorizely parked vehicles in the said parking area.

End: Map of parking site.

**Administrative Officer**  
R.P. Cell  
EDMC.

**Copy for kind information and necessary action to:**

1. DCP Crime Branch, Kamla Market Police Station, 2ndFloor, New Delhi-02.
2. DCP Vigilance, Barakhamba Road Police Station, 6th New Delhi-01.
3. Dy. Commissioner Shahdara, South, EDMC with the request to kindly direct the concerned area in-charge to keep vigil on the said location and also ensure that no one collect any charges from commuters.
4. ACP (Traffic), East District, First Floor, Shakarpur Thana, Delhi- with the request to kindly direct the concerned area in-charge to keep vigil on the said location and also ensure that no one collect any charges from commuters;
5. Addl. Dy. Commissioner (RP Cell), EDMC.
6. Director, Enforcement Cell, Civil Line, Rajpur Road, Delhi-54- with the request to kindly direct the concerned area in-charge to keep vigil on the location and also ensure that no one collect any charges from commuters.
7. SHO, PS, Krishna Nagar, Delhi Police, Krishna Nagar, Delhi- with the request to kindly direct the concerned area in-charge to keep vigil on the said location and also ensure that no one collect any charges from commuters.

**Administrative Officer**

R.P Cell/EDMC

Admin. Officer

R.P. Cell

East Delhi Municipal Corporation

**EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION**  
(Remunerative Project Cell)

1st Floor, Udyog Sadan,  
419, Patparganj Indl. Area,  
Delhi-110092

No. AO/RP Cell/EDMC/2017/D-591

Dated: 09.01.2017

**Sub: Regarding status of parking site BSES Azad Naaar, Delhi.**

With reference to the subject cited above, it is to inform you that the subjected parking site has been cancelled w.e.f 18.10.2016 vide this office letter No. D-430 dated 18.10.2016. The same has also been informed to the all concerned (copy enclosed). Since 18.10.2016, the said parking site is free for all and it is assumed that it is running free to all. This deptt. has also displayed free parking board there. The parking contractor has also informed to this deptt. accordingly.

Enclosed: As above

**Administrative Officer**  
R.P Cell/EDMC.  
Admin. Officer  
R.P. Cell  
East Delhi Municipal Corporation

***SI, PS, Krishna Nagar, Delhi.***

**EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION**  
(Remunerative Project Cell)

1st Floor, Udyog Sadan,  
419, Patparganj Indl. Area,  
Delhi-110092

No. AO/RPCell/EDMC/2016/D-575

Dated: 26.12.2016

**Sub: Regarding status of parking site BSES Azad Nagar, Delhi.**

With regard to the subject cited above, it is to inform you that the subject parking site has been cancelled w.e.f 18.10.2016 vide this office letter no. D-43 dated 18.10.2016. The same has also been informed to the all concerned (copy enclosed). Since 18.10.2016, the said parking site is free for all. This dept has also displayed free parking board there. If anybody takes/collect parking charges there, he is unauthorized/illegal, take legal action against him accordingly.

Enclosed: As above

Administrative Officer  
R.P Cell/EDMC

*SHO, PS, Krishna Nagar, Delhi.*

**List of EDMC authorized parking sites.**

S. No.	Name of Parking Sites
01	Ramesh Park, Laxmi Nagar
02	Vikas Marg Near BSES Office
03	Pandav Nagar Park Near Mother Dairy
04	Shmshan Ghat Under Boundary Geeta Colony
05	Geeta Colony Near Samudai Bhawan Sabzi Mandi
06	Gandhi Nagar Pusta
07	Under Flyover Seelampur
08	Mix Water Pump House Shahdara Marginal Bandh EDMC
09	Vardhman Master Plaza Main Gazipur Road
10	Near Gazipur Sanitary Landfill
11	Adjacent Delhi Police Apartment Mayur Vihar Phase-I
12	E-4 Block, Nand Nagri
13	C-3 Block Nand Nagri
14	Preet Vihar Commercial Complex
15	Plot No. 4, DDA Bldg. Distt. Centre Laxmi Nagar.
16	Community Centre Karkardooma.
17	Around Plot No. 10, Distt. Centre Laxmi Nagar.

S. No.	Name of Parking Sites
18	In front of Mayur Place Distt. Centre Mayur Vihar, Ph-I.
19	In front of Kiosk No. 15 to 19, Distt. Centre Laxmi Nagar.
20	Coffee Home Plot No. 14, Distt. Centre Laxmi Nagar.
21	Underground parking on BuUding plot No.4, Distt. Centre Laxmi Nagar.
22	Around Scope Minar Plot No. 2, Distt. Centre Laxmi Nagar
23	In Front of Central Ware House, Gazipur Village
24	Opposite Chacha Nehru Hospital, Geeta Colony
25	Near Shakarpur Thana
26	Near Jain Mandir, Gali No.-9, Bihari Colony Shahdara
27	South Ganesh Nagar Chowk Patparganj Road
28	Near An and Vihar Bus Stand
29	Opposite Shri Pashupatinath Mandir Karkardooma
30	Adjoining Saraswati Kunj Society, Patparganj
31	Near Community Hall/Subzi Mandi Geeta Colony
32	Near Community Centre Usmanpur
33	Under flyover Khajouri Chowk
34	Near BSES Office Azad Nagar.

S. No.	Name of Parking Sites
35	Covered Parking B-3 Block Nand Nagari
36	Covered Parking, New Jafrabad west Gorakh Park Extn. Shahdara
37	Mayur Vihar Extn. Phase-I, near Holledan Hotel
38	Pankaj Plaza Mayur Vihar, A-Block, Phase-III
39	Near Laxmi Nagar Metro Station Adjacent to MCD Primary School
40	In-front to Kiosk No. 05 to 09, Distt. Centre, Laxmi Nagar.
41	In-front to Plot No. 05 to 09, Distt. Centre, Laxmi Nagar.
42	In front of Plot No. 15 to 19, Distt. Centre Laxmi Nagar
43	Gazipur Subji Mandi.
44	Central Ware House Gazipur



**53. श्री श्रीदत्त शर्मा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्ताफाबाद विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 व 2016-17 में एमएलए लैंड फंड के कार्यों का, कार्य करनेवाली जे.एस.आई., कार्यों की अनुमानित लागत, कुल राशि, कुल फंड एवं उसके आबंटन की तिथि वर्कआर्डर की तिथि और कार्य की वर्तमान स्थिति सहित पूर्ण विवरण दें?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड— इस विभाग द्वारा मुस्ताफाबाद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 व 2016-17 में एम एल ए लैंड फंड के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं कराया गया है।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** मुस्ताफाबाद विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015-16 व 2016-17 में एमएलए फंड द्वारा कोई भी कार्य पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सिविल अभियांत्रिक विभाग के द्वारा नहीं कराया गया है, न ही कोई अनुशंसा माननीय विधायक द्वारा दी गई है।

**शहरी विकास विभाग ( योजना/एम.एल.ए. लैंड शाखा )—** रूपये 96.60 लाख सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को 25-5-2015 को एम. एल. ए. लैंड के अंतर्गत स्वीकृत किया गया था।

**मंडलायुक्त कार्यालय ( राजस्व )—** सूची संलग्न है।

**MLA LAD AC-69 Mustafabad (Sh. Jagdish Pradhan) MLA Fund During 2015-16**

S. No.	Name of Work	Fund Allotted (Lakh)	Name of Agency	Estimate Received Amount	Sanctioned Date	Amount Released	Date of Cheque issued	Date of NIT	Date of Work Order	Date of Start per work order	Date of completion as per work order	Present Status in %	Remarks/ Delay
1	Re-construction of out falling drain from Karawal Nagar Road to Karawal Nagar drain in Mustafabad Constituency	20340000	I&FC	11/1/2016	12776000	2/2/2016	6388000+	22/2/16,	30/3/16	5/4/2016	1/9/2016	100	work completed
					30/5/16	3832800 =	30/5/16						
						10220800							
2	Providing and Laying Bitumen Mastic Wearing Course from Karawal Nagar road to Bridge at RD 1700M of Karawal Nagar drain in Mustafabad Constituency-69		I&FC	11/1/2016	5952000	4/2/2016,	2979000 +	22/2/16,	29/3/16	1/4/2016	30/4/2016	90	-
					18/5/2016	1785600 =	18/5/16						
						4761600							
18728000													

MLA LAD AC-69 Mustafabad (Sh. Jagdish Pradhan) MLA Fund During 2016-17

S. No.	Name of Work	Fund Allotted (Lakh)	Name of Agency	Estimate Received Date	Estimate Amount	Sanctioned Date	Amount Released	Date of Cheque issued	Date of NIT	Date of Work Order	Date of Start as per work order	Date of completion as per work order	Present Status in %	Remarks/ Delay
1	Construction of inlets on the right bank of I.D. No. 1 between RD 12687m to RD 1300m in Mustafabad constituency	40000000 + 1612000 = 41612000	I&FC	21/12/16	3520000	2/2/16, 1/7/2016	1760000+ 1056000 = 2816000	1/7/2016	-	19/4/16	23/4/16	20/8/19	100	Work completed
2	Raising of Culvert of Karawal Nagar Extn. & Nehru Vihar in Mustafabad Constituency		I&fc	5/8/2016	1942000	10/8/16 8/12/16	971000 + 582600 = 1553600	10/8/2016	-	29/9/16	11/10/2016	8/1/2017	80	
3	Raising of RCC Culvert from gali no.6 to gali no. 14 of shiv vihar, Phase 4, Shiv Vihar in Mustafabad Constituency		I&FC	5/8/2016	4376000	10/8/16 8/12/16	2188000 + 1312800 = 3500800	10/8/2066	-	29/9/16	10/2016	81/2017	80	
4	Raising of RCC Culvert of Ambika Vihar and Prem Vihar in Mustafabad Constituency		I&FC	5/8/2016	2359000	10/8/16 8/12/16	1179500+ 707700 = 1887200	10/8/2016	-	29/9/16	1/10/2016	8/1/2017	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Raising of RCC Culvert to cross the streets of Brijpuri in Mustafabad Constituency	I&FC	5/8/2016	2862000	10/8/16	1431000 + 858600 = 2289600	10/8/2016	-	29/9/16	11/10/2016	8/1/2017	80		
6	Chhat Pooja Festival at (30 Feet Wide Street) at Panchsheel Vihar	I&FC	1/11/2016	5100000	2/11/2016	270000	2/11/2016	-	2/11/2016	2/11/2016	5/11/2016	100	Work completed	
7	Raising of street of D-3 Block Nehru Vihar in 69, Mustafabad Constituency	I&FC	16/11/16	12812000	16/11/16	6406000	21/11/16	Tender process	-	-	-	-	-	U/Award
8	Raising of street of E-Block, Dayalpur in 69, Mustafabad Constituency	I&FC	16/11/16	124000	16/11/16	4212000	21/11/16	Tender process	-	-	-	-	-	U/Award
9.	Rasing of culvert F-Block Old Mustafabad & A-Block, Guru Nanak Nagar in 69, Mustafabad Constituency	I&FC	19/12/16	3230000	21/12/16	1615200	23/12/16	Tender process	-	-	-	-	-	U/Award

**54. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम में यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि निगम पार्श्व को आबंटित मोबाइल नंबर को अपने नाम पर परिवर्तित कर लें;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रति उपलब्ध करायें;

(ग) क्या यह प्रस्ताव आचार संहिता के नियमों के विरुद्ध नहीं है;

(घ) क्या निगम आयुक्त इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए बाधय है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि इस निर्णाय से आम जनता और निगम के अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा; और

(च) सरकार इस संकल्प के विरुद्ध क्या कदम उठा रही है?

**शहरी विकास मंत्री (श्री अखिलेशपति त्रिपाठी) :** (क) दक्षिण दिल्ली नगर निगम : निगम पार्श्व को आबंटित मोबाइल नंबर को पेन नाम पर परिवर्तित करने हेतु मामले पर स्थाई समिति कि सभा दिनांक 26.09.2016 में चर्चा हुई थी। इस विषय में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

(ख) दक्षिण दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार

(ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार

(घ) दक्षिण दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार

(ङ) दक्षिण दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार

(च) दक्षिण दिल्ली नगर निगम : उपरोक्तानुसार।

**55. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी :** क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों नगर निगमों द्वारा स्थाई एवं अस्थाई सफाई कर्मचारियों को वर्ष 2012-13 से 2016-17 दिये गये वेतन एउवं बकाया राशि का कुल भुगतान का ब्यौरा दें;

(ख) वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा तीनों नगर निगमों को अलग-अलग मदों में कितनी राशि आवंटित की गई;

(ग) वर्ष 2012-13 से 2016-17 में तीनों नगर निगमों द्वारा दिल्ली सरकार को बकाया ऋण की कितनी राशि जमा की गई;

(घ) क्या सफाई कर्मचारियों की रेट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट से नियमित नियुक्ति का फैसला, उमा देवी -बनाम- भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध है?

**उपमुख्यमंत्री ( श्री अखिलेशपति त्रिपाठी ) :** (क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक दिये गये वेतन एवं बकाया राशि रूपये 2 109.91 करोड़ केवल स्थाई, अस्थाई सफाई कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दिया गया।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा स्थाई एवं अस्थसाई सफाई कर्मचारियों को वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के दौरान दिये गये वेतन एवं बकाया राशि का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न हैं

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी विभाग द्वारा प्राप्त प्रश्न (क) (ख) एवं (ग) का उत्तर संलग्न है।

(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : विवरण संलग्न है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** दिल्ली सरकार द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम को वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 के दौरान अलग-अलग मदों में आवंटित

की गई राशि का विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी विभाग द्वारा प्राप्त प्रश्न (ख) एवं (ग) का उत्तर संलग्न है।

(ग) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : विवरण संलग्न है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 20.1 2-13 से वर्ष 2 016-17 के दौरान दिल्ली सरकार को बकाया ऋण की जमा की गई राशि का विवरण अनुलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी विभाग द्वारा प्राप्त प्रश्न (क) (ख) एवं (ग) का उत्तर संलग्न है।

(घ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** : सफाई कर्मचारियों की रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से नियुक्त नगर निगम की नियमिमकरण नीति फेसड मैनर पॉलिसी के अंतर्गत किया जाता है। अभी 31-3-1998 तक (अनुकम्पा पर 31-3-2003 तक) लिए गए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण ही किया जा रहा है जबकि उमा देवी बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय उच्चतम नयायालय का निर्णय अप्रैल 2016 से लागू है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : जी नहीं, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं विभाग द्वारा निगम की नीति अनुसार वर्ष 1996-1998 तक लगाये गये दैनिक वेतन भोगी व एवजीदार सफाई कर्मचारियों को नियमित किया गया है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : पर्यावरण एवं प्रबंधक विभाग द्वारा प्राप्त उत्तर के अनुसार निगम के सभी दैनिक सफाई कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से नियमित ककिये जाते हैं। वर्तमान में, 31-01-1998 तक लगाए गए सभी दैनिक भोगी सफाई कर्मचारियों को दिनांक 01-01-2004 उचित ढंग से से नियमित किये गये हैं। उमा देवी केस का निर्णय दिनांक 10.04.2006 को आया। अतः दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों के नियमतिकरण पर लागू नहीं होता।

अतारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 390

18 जनवरी, 2017

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम  
SOUTH DELHI  
MUNICIPAL  
CORPORATION

OFFICE OF  
Chif Accountant cum Financial  
Advis Finance Management &  
Budget section 23rd Floor  
Civic Centre New  
Delhi-110002

क्रमांक-सीएफए/फमब/2016-17/D-235

दिनांक 17.1.17

विषय : विधान सभा प्रश्न संख्या 55 दिनांक 18.01.2017 के लिए

प्रश्न (क) (ख), (ग) का उत्तर संलग्न है।

प्रश्न (घ) वित्त विभाग से संबंधित नहीं है।

उप नियंत्रण लेखापाल

प्रशासनिक अधिकारी सी एंड सी



**Expenditure on Salary & Arrears of sanitation staff by South DMC**

Expenditure Groups	Actual Expenditure				In lakh
	2012-13 on salary	2013-14 on salary	2014-15 on salary	2015-16 on salary	
सफाई Sanitation	29902.09	39945.32	48476.01	68508.67	50721.88
					Expenditure 2016-17 up to Nov 2016

**B. Grant in Aid (Non Plan) received from Delhi Govt. by South DMC**

आय ( रुपये लाखों में ) Income (Rs. In lakhs)	Actual Income				In lakh
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
1	2	3	4	5	6
					Income 2016-17 up to Nov 2016

**सरकार द्वारा अनुदान**

**Contribution from Govt. Grants**

सरकार से दिल्ली वित्त आयोग	35935.00	34670.28	38828.51	39835.59	19205.94
----------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

1	2	3	4	5	6
की सिफारिश Global Share of Assigned Taxes on recommendation of Delhi Finance Commission from Govt.	6000.00	0.00	0.00	0.00	11800.00
निगम सुधार निधि Municipal Reforms Fund	31394.00	34565.67	35346.36	36350.40	30166.90
सरकार से शिक्षा के लिए सहायता अनुदान Grant-in-aid for education from Govt.	1289.00	1426.37	1597.44	1638.88	1352.25
विधालय भवनों के रखरखाव हेतु अनुदान Grant in aid for maintenance of School Buildings	1455.00	1610.76	1803.95	1850.73	1526.25
निगम परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु Grant in aid for maintenance of Mpl. Assets	76073.00	72273.08	77576.26	79675.60	64051.33
<b>योग बाह्य राजस्व</b>	<b>76073.00</b>	<b>72273.08</b>	<b>77576.26</b>	<b>79675.60</b>	<b>64051.33</b>

**Total External (I-  
Contribution from  
Govt. Grants**

<b>C. Loan Repayment by South DMC to GNCTD</b>							In lakh
व्यय समूह	Actual Expenditure 2012-13	Actual Expenditure 13-14	Actual Expenditure 2014-15	Actual Expenditure 2015-16	Actual Exp 2017-18 upto Nov 16	Actual Exp 2015-16	13626.20
<b>कर्ज भुगतान</b>	36784.00	31909.14	16934.45	14728.91			
Loan Repayment							

**Expenditure on Salary and Arrears of Safai Karamcharls of North DMC  
2012-13 to 2016-17**

Year	Amt. in lacs							Total
	61/1004	62/1004	63/1004	64/1004	65/1004	65/1004	65/1004	
01.05.2012 to 31.03.2013	39671.24	31.27	851.09	293.79	358.71	358.71	358.71	41206.10
2013-14	50236.28	38.51	760.35	314.72	441.93	441.93	441.93	51791.79
2014-15	53280.72	44.14	738.71	335.31	497.48	497.48	497.48	54896.36
2015-16	60986.19	37.76	1060.43	378.95	534.35	534.35	534.35	62997.68
2016-17 (30.09.2016)	34392.24	21.10	421.26	227.51	297.94	297.94	297.94	35360.05

**Allocation of Funds by Delhi Govt, in various heads under Non-Plan  
2012-13 to 2016-17**

Particulars	Amt. in lacs				
	Actual Income 2012-13	Actual Income 2013 14	Actual Income 2014 15	Actuals 2015-16	Actuals 2016-17 (17.01.17)
Income - Tax Share From GNCTD	28011.00	27025.12	30266.42	33293.06	33264.28
Income - Non Plan Grant-in- Aid - Mpl. Reform Fund	6000.00	0.00	0.00	0.00	14530.00
Income - Education Grants	41107.00	45258.95	46281.16	47595.80	52796.00
Income -Maintenance of school bldg.	1687.00	1867.63	2031.62	2145.88	2360.00
Income -Grant-in-aid Maintenance of Capital Assets	1455.00	1610.76	1803.95	1850.73	2035.00
Resettlement Colonies	4406.00	4406.00	4406.00	4406.00	4406.00
External Revenue	02665.00	30168.46	84849.15	39291.47	109391.28

**Loan Repayments by North DMC 2012-13 to 2016-17**

		Amt. in lacs						
Loan Repayments		01.05.2012 to 31.03.2013	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (30.09.2016)		
1	2	3	4	5	6	7		
91/2001	Repayment of Plan loans	5593.28	5454.23	0.00	0	0		
91/2002	Repayment of Principal Ways & Means Advance	9445.35	2749.72	0.00	0	0		
91/2006	Repayment of Development fund loan(UDF)	0.00	0.00	0.00	0	0		
91/2007	Loan NCRPB- Repayment	4628.25		0.00	0	0		
91/2013	Repayment of Ways & Means Advance for NDMC	6000.00		11514.15	0	0		
91/2651	Interest charges other loans- NCRPB Loan	49.55		4452.76	0	0		
91/2551	Interest Charges of other loan (Plan) (Erstwhile MCD)	7870.98	5307.65	4715.05	0	0		

1	2	3	4	5	6	7
91/2552	Interest charges of Ways & Means Advance (Erstwhile MCD)	1086.22	2658.96	985.55	0	0
91/2014	Other Loans (Plan)- from GNCTD (North DMC)		871.67	1658.32	0	0
91/2649	Repayment of Interest on Other Loans (Plan)(GNCTD) (North DMC)		1372.88	2638.35	0	0
91/2650	Provision for payment of Interest on Ways & Means Advance NDMC	0.00	5880.00	8755.00	0	0
	<b>Total Loan Repayments</b>	<b>34673.63</b>	<b>24295.11</b>	<b>34719.18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**प्रश्न संख्या 55**

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

कृपया निम्नलिखित पत्र सं. एक/3/345/प्र. अधि./म.एक्स 2017/2105 वि. 1 4.01.17 का अवलोकन करे एवं निम्नलिखित पत्र में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अनुमोदनीय प्रस्तुत है।

(क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक दिये गए वेतन एवं बकाया राशि रू. 2109.91 करोड़ केवल स्थाई, अस्थाई सफाई कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को दिया गया।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) सफाई कर्मचारियों की रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से नियमित नियुक्ति नगर निगम की ये बद्ध नियमितीकरण नीति के अंतर्गत किया जाता है कि अभी 31/3/1998 तक (अनुकंपा पर 31.3.2003 तक) लिए गए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का नियमितीक रूप ही किया जा रहा है। जबकि की बनाम भारत सरकार के मामले में मानवीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय अप्रैल 2006 से लागू है।

Nonplan grants in Cr.						
S.No.	Fund (InCr)	2012-13 Netreceipt	2013-14 Netreceipt	2014-15 Netreceipt	2015-16 Netreceipt	2016-17 Received
1	2	3	4	5	6	7
1	Grant in aid for primary education	207.41	228.20	201.47	240.78	267.09
2	Maintenance of School buildings	8.54	9.44	8.52	10.85	11.94
3	Maintenance of resettlement colonies	22.29	22.29	16.71	22.29	22.29

1	2	3	4	5	6	7
4	Maintenance of Capital Assets - DFC Devolution	9.19	10.17	9.18	11.69	12.85
5	Basic Tax Assignment	21.47	0.00	87.30	179.91	179.75
6	Municipal Reforms Fund	30.00	0.00	0.00	0.00	110.70
Total		298.90	270.10	323.18	465.52	604.62

**Loan repayment by EDMC**

2012-13	129.66 Cr.
2013-14	129.19 Cr.
2014-15	76.25 Cr.

**56. श्री अमानतुल्लाह खान :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा पंचवर्षीय योजना 2012-17 के अंतर्गत प्राइमरी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु फंड की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक दिए गए फंड का विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि निगम द्वारा उक्त फंड उसी कार्य पर खर्च किया गया;

(घ) यदि हां, तो कृपया सभी कार्यों का युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध करें?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा की मांग पंचवर्षीय योजना 2012-17 के अंतर्गत प्राइमरी स्कूलों में नहीं की गई थी। लेकिन कम्प्यूटर द्वारा बच्चों को शिक्षा दिये जाने के लिए फंड की मांग की गई थी।



**पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा पंचवर्षीय योजना 2012-17 के अंतर्गत प्राइमरी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु फंड की मांग नहीं की गई थी।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** शिक्षा विभाग, उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा पंचवर्षीय योजना 2012-17 के अंतर्गत प्राइमरी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु फंड की मांग नहीं की गई थी।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** अभी तक कम्प्यूटर द्वारा शिक्षा दिये जाने के लिए कोई फंड नहीं मिला है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** प्रश्न संख्या (क ) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपरोक्त प्रश्न (ख) अनुसार

(घ) उपरोक्त प्रश्न (ख) अनुसार।

**57. श्री अमानतुल्लाह खान :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कि सफाई कर्मचारियों का उनका वेतन प्रत्येक माह के 7 तारीख को दिया जाए, पू. दि. न. नि. द्वारा सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सफाई कर्मचारियों का वेतन किस मद से दिया जाता है;

(घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार में वर्ष 2014-15 में 395.12 करोड़ रूपये और 2015-16 में 702 करोड़ रूपये तीनों निगमों को दिये थे; और

(ङ) यदि हां, तो कर्मचारियों को वेतन समय पर देने के क्या कारण हैं?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** कई महीनों में माह की 7 तारीख तक समस्त सफाई कर्मचारियों को वेतन देने में पूर्वी दिल्ली नगर निगम असमर्थ था।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत सभी सफाई कर्मचारियों का वेतन माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिसंबर माह को छोड़कर (1) प्रत्येक माह की 10 तारीख तक दिया जा रहा है। (2) दिसंबर मास में भी वेतन 10 तारीख तक दे दिया गया था।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सभी सफाई कर्मचारियों को वेतन प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मिल जाता है।

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** फंड की कमी की वजह से पूर्वी दिल्ली नगर निगम वेतन समय पर देने में असमर्थ था।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उपरोक्तानुसार।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** उपरोक्त अनुसार इस निगम से संबंधित नहीं है।

(ग) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** सफाई कर्मचारियों का वेतन गैर योजना मद से दिया जाता है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** सफाई कर्मचारियों का वेतन गैर योजना मद से दिया जाता है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** सफाई कर्मचारियों का वेतन प्लान एवं नॉन प्लान मद से दिया जाता है।

(घ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** दिल्ली सरकार द्वारा पूर्वी नगर निगम को 2014-15 में रूपये 720.24 करोड़ एवं वर्ष 2015-16 में रूपये 1512.81 करोड़ योजना एवं गैर योजना मद में ऋण सहित दिये गये थे।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** दिल्ली सरकार द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम को वर्ष 2014-15 में 1 317.24 करोड़ एवं वर्ष 2015-16 में रूपये 1512.81 करोड़ योजना एवं गैर योजना मद में ऋण सहित दिए गए थे।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** दिल्ली सरकार द्वारा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को वष्र 2014-15 में रूपये 11174.16 करोड़ एवं वर्ष 2015-16 में रूपये 1121.94 करोड़ योजना एवं गैर योजना मद में दिए गए थे।

**शहरी विकास विभाग (लेखा शाखा) :** शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार ने वर्ष 2014-15 में योजना व गैर योजना मद के अंतर्गत कुल धनराशि रूपये 3212-37 करोड़ एवं वर्ष 2015-16 में योजना एवं गैर योजना मद में ऋण सहित कुल रूपये 3543-29 करोड़ की धनराशि तीनों दि. न. निगमों को आवंटित की गयी थी इसमें सी. एस. एस. स्कीम सम्मिलित नहीं है।

(ङ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये अनुदान राशि में वेतन के लिए 2014-15 में रूपये 262.28 करोड़ उपलब्ध कराया गया था जोकि वेतन के लिए अपर्याप्त था।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उपरोक्त उत्तर (क) के अनुसार

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सभी सफाई कर्मचारियों को वेतन समय पर मिल जाता है।

**58. श्री अमानतुल्लाह खान :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों नगर निगमों को आउट डोर विज्ञापनों; यूनी पोलस, बिल बोर्डस, होर्डिंग्स आदि, से राजस्व प्राप्त करने के कौन से स्रोत हैं;

(ख) वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में प्रत्येक साइट से कितना राजस्व प्राप्त हुआ;

(ग) ऐसी कौन सी साइट हैं, जहां अवैध तरीके से यूनीपोल्स और बाईपोल्स लगे हुए हैं जिसका राजस्व निगमों को प्राप्त नहीं हो रहा है;

(घ) तीनों नगर निगमों के विज्ञापन स्थलों का पते सहित पूरा ब्यौरा दें; और

(ङ) अवैध विज्ञापनों के कारण हो रही राजस्व की क्षति और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** आउट डोर विज्ञापन पोलिसी 2007 के अनुसार निम्नलिखित स्रोतों पर विज्ञापन हेतु अनुमति दी जा सकती है। यूनीपोल, वालरैप, सैल्फ सयाइनेज, पोल कियोस्क, ढलाव, यू रिनल, वाहन, बस क्यू शेल्टर व स्ट्रीट फर्नीचर आदि।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम को आउट डोर

विज्ञापनों (युपोल्स, बिल बोर्डस, होर्डिंग्स आदि से मासिक Licence Fees एवं A dvertisement Tax के रूप में राजस्व प्राप्त होता है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : यूनीपोल्स, जनसुविधाएं, भूमिगत पैदल पार पथ, सेल्फ साइनेज, प्रवेश द्वार, कूड़ेदान, विभिन्न निगमों। संगठनों से राजस्व सहभागिता, वाहनों आदि पर विज्ञापनों से राजस्व की प्राप्ति होती है।

(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम

वित्तीय वर्ष	आय करोड़ में
2015-16	10.62
2016-17 (दिसंबर 16 तक)	13.21

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : विज्ञापन स्थलों से उत्तरी दिल्ली नगर निगम को वित्त वर्ष 2015-16 में रू. 16.97 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। तथा वित्त वर्ष 2016-17 (दिसंबर माह तक) रू. 31.02 करोड़ की आय प्राप्त हो चुकी है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : वर्ष 2015-16 में प्रत्येक साइट से कुल रू. 43,81,15,811/- का राजस्व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को प्राप्त हुआ था। वर्ष 2061 में प्रत्येक साइट से आज की तिथि तक कुल 89 करोड़ रूपये से अधिक राजस्व प्राप्त हो चुका है।

(ग) पूर्वी दिल्ली नगर निगम : विभाग के संज्ञान में ऐसी कोई भी साइट नहीं है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम** : विज्ञापन विभाग उत्तरी दिल्ली नगर निगम के संज्ञान में ऐसी कोई साइट नहीं है जहां अवैध तरीके से युनीपोल और बाईपोल

लगे हुए हैं जिसका राजस्व निगम को प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि विभाग द्वारा समय-समय पर क्लस्टर आबंटित किये जाते हैं।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** वर्तमान में विभाग के पास ऐसी किसी भी साइट के होने की सूचना उपलब्ध नहीं है। जब कभी भी विभाग को इस संदर्भ में सूचना मिलती है तो उस पर विभाग द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाती है।

(घ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** सूची संलग्नक 'क' के अनुसार

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** विज्ञापन विभाग उत्तरी दिल्ली नगर निगम की सूची संलग्न है।\*

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा निविदा से आवंटित साइटों का पता उनके ब्यौरे के साथ संलग्न है।

(ङ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** संबंधित विज्ञापन निरीक्षक के द्वारा समय-समय पर अपने क्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है व अवैध विज्ञापनों के खिलाफ उचित कार्यवाही करके उन्हें हटाया जाता है। मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भी अवैध विज्ञापनों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जाती है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम :** उत्तरी दिल्ली नगर निगम की नयी नीति के अनुसार निगम के छः क्षेत्रों को 15 क्लस्टरों में बांटा गया है। क्लस्टर धारक O A P -2007 के अनुरूप ही विज्ञापन लगायेंगे वक्लस्टर नीति के तहत क्लस्टर धारकों को अवैध विभाग (Media) हटाने का अधिकार है अतः अवैध विज्ञापनों के लगाये जाने की संभावना खत्म हो जाती है।

---

\* पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर-16955 पर उपलब्ध।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम :** जहां तक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का संबंध है, निगम अवैध विज्ञापनों को हटाने के लिए सतत् रूप से कार्यरत है तथा इस विषय में निगम ने विधिवत दंडात्मक कार्यवाही भी की है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने यूनोपोल आबंटन के लिए क्लस्टर पद्धति के अपनाने से अवैध विज्ञापनों पर भी आशातीत रोक लगी।

**59. श्री सौरभ भारद्वाज :** क्या जल एवं पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ग्रेटर कैलाश विधान सभा क्षेत्र में 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर 2016 तक वर्कआर्डर किए गए कार्यों का विवरण, उनके साईट प्लान/नक्शा और कॉन्ट्रैक्ट अनुसार कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि का विवरण एवं इन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार समय पर पूर्ण न होने वाले प्रोजेक्टों का विवरण एवं विलंब के कारणों का विवरण दें;

(ग) विलंब के लिए दोषी अधिकारियों/कांट्रैक्टर/वैंडर्स के खिलाफ विलाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण दें; और

(घ) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर तक ग्रेटर कैलाश विधान सभा क्षेत्र के कार्यों के लिए तैयार किए गए अनुमानों का विवरण, कार्य का नाम, अनुमान तैयार करने की तिथि, विभिन्न स्वीकृतियों की तिथि/कार्य की संस्तुति, एनआईटी की तिथि (यदि कोई है), वर्क आर्डर की तिथि (यदि कोई है) कार्य पूर्ण होने की तिथि तथा इसकी वर्तमान स्थिति का पूर्ण विवरण दें?

**जल एवं पर्यटन मंत्री :** (क) से (घ) कार्यों का विवरण अनुलग्नक “अ” तथा नक्शे अनुलग्नक “ब’8 के रूप में सलग्न हैं\*।

**60. श्री कर्नल देवेद्र सहरावत :** क्या जल एवं पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जल बोर्ड नजफगढ़ नाले में कई स्थानों पर सीवर गिरा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि मुखर्जी नगर वार्ड में एस. ए. फ. एस. प्लैट के अंदर और नेहरू विहारपुल के पास जल बोर्ड पम्प लगा कर सीवर नाले में डाल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**जल एवं पर्यटन मंत्री :** (क) जी नहीं।

(ख) कई स्थानों पर सीवर व्यवस्था न होने के कारण कॉलोनी का अवजल नाले में जाता है। अवजल प्रणाली की स्थापना के उपरांत यह अवजल शोधन संयंत्र पर भेजा जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) लागू नहीं।

---

\* पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर-16956 पर उपलब्ध।



61. श्री पंकज पुष्कर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डीयूएसआईबी द्वारा 4 दिसंबर 2016 को कई जनसुविधा परिसरों का उद्घाटन किया गया था;

(ख) क्या यह सत्य है कि इस उद्घाटन का आधे पेज का विज्ञापन अनेक समाचार पत्रों में संबंधित विधानसभा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए दिया गया था;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस विज्ञापन में तिमारपुर विधानसभा विधायक का उल्लेख नहीं किया गया;

(घ) इस अवसर पर किए गए सभी विज्ञापनों पर कुल कितना व्यय हुआ; विवरण सहित उत्तर दें; और

(ङ) इस विज्ञापन में एक विधायक को स्थान न देने का क्या कारण रहा है?

शहरी विकास मंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) जी हां यह सत्य है।

(ग) जी हां यह सत्य है।

(घ) इस विज्ञापन का व्यय दिल्ली सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाना है। सूचना एवं प्रचार निदेशालय की प्रिंट विज्ञापन शाखा को 4 दिसंबर 2016 को प्राकशित विज्ञापन का बिल भुगतान के लिए प्राप्त नहीं हुआ है।

(ड) विज्ञापन में तिमारपुर विधान सभा के विधायक का नाम अनजाने में छूट जाने गया है, जिसके लिए खेद प्रकट किया जाता है।

**62. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी :** क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2012 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार नागरिक सहकारी बैंक दिल्ली के कर्मचारियों के भर्ती और पदोन्नति के मामले में तीन माह में कार्य नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में डी. सी. एस. एक्ट की धारा 61 एवं 62 इसके लिए जिम्मेदारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, निर्वाचित निदेशक के विरुद्ध की गई कार्रवाई का फाइल नोटिंग की प्रति सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि ऋण देने के लिए नागरिक सहकारी बैंक द्वारा जली आई टी आरएस और जाली सरकारी दस्तावेजों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की आरसीएस को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई, फाइल नोटिंग की प्रतियों सहित पूर्ण विवरण दें?

**उपमुख्यमंत्री :** (क) और (ख) इस विषय में यह कहना कि धारा 61 डीसीएस एक्ट 2003 के अंतर्गत कार्यवाही की गई थी। उसकी रिपोर्ट मिलने के उपरांत आरसीएस ने धारा 62 के अंतर्गत कार्यवाही करने का आदेश दिया है। धारा 62 की रिपोर्ट मिलने पर उसकी जांच की गई और उसके बाद उसे

आरसीएस की कोर्ट में उचित कार्यवाही हेतु भेजा गया। आज की तारीख में आरसीएस की कोर्ट में अंतिम निर्णय हेतु लंबित है।

(ग) और (घ) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक की ऑडिट रिपोर्ट और आरबीआई के आ देश के तहत धारा 62 में जांच की कार्रवाई जारी है।

**63. श्री राजेंद्र पाल गौतम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कन्फर्मिंग एवं नॉन कन्फर्मिक औद्योगिक क्षेत्र कौन-कौन से हैं?

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के कन्फर्मिंग एवं नॉन कन्फर्मिक औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाईयों के मालिक, कर्मचारी एवं मजदूर क्षतिग्रस्त सड़कें, अस्वच्छता, प्रदूषण, अवैध-पार्किंग तथा पब्लिक-टॉयलेट की अनुपलब्धता आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं?

(ग) यदि हां, तो इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि विशेषकर रसायनों का प्रयोग होने वाली औद्योगिक इकाईयों में प्रयोग किये जाने वाले जनरेटर्स में सामान्यतः वायु-प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली डिवाइस का प्रयोग न किये जाने के कारण इन औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक प्रदूषण रहता है?

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस पर रोक हेतु उद्योग विभाग द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो दोषी मालिकों के खिलाफ विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

**उद्योग मंत्री :** (क) दिल्ली कन्फर्मिंग क्षेत्रों की सूची संलग्नक 'क' पर संलग्नक है एवं पुनर्विकास हेतु अधिसूचित समूह वाले क्षेत्रों की सूची संलग्नक 'ख' पर संलग्न है।

(ख) और (ग) दिल्ली के ऐसे कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्र जो डी.एस. आई.आई.डी.सी. के अधीन रख-रखाव हेतु हैं में सड़क, नालियों, स्वच्छता इत्यादि का कार्य बारी-बारी से चल रहा है।

पुनर्विकास हेतु अधिसूचित औद्योगिक समूह वाले क्षेत्रों का पुनर्विकास का कार्य मास्टर प्लान व संबंधित अधिनियामवली के तहत उन क्षेत्रों के औद्योगिक समिति द्वारा एम. सी. डी. से ले आउट प्लान स्वीकृति के पश्चात ही उन्हें पुनर्विकास करना है।

कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव के लिए 231 करोड़ रुपये डी. एस. आई. आई. डी. सी. को उपलब्ध कराये गये हैं। जिसमें से लगभग 200 करोड़ रुपये का कार्य सम्पन्न हो चुका है। बाकी का कार्य चल रहा है।

(घ) से (च) औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले उपकरण/संयंत्र न लगाने पर डी. पी. सी. सी. द्वारा पर्यावरण संरक्षण के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

इन कार्यवाही में आर्थिक दंड/बिजली, पानी के कनेक्शन काटना एवं औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश जारी किया जाता है।

दिल्ली सरकार  
कार्यालय उद्योग आयुक्त  
उद्योग सदन औद्योगिक क्षेत्र,  
पटपड़गंज, दिल्ली-110092

कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों की सूची - संलग्नक 'क'

1. जी. टी. करनाल रोड औद्योगिक क्षेत्र।
2. राजस्थानी उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र।
3. एस. एम. ए. औद्योगिक क्षेत्र।
4. एस. एस. आई. औद्योगिक क्षेत्र।
5. वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र ।
6. लावरान्स रोड औद्योगिक क्षेत्र
7. उद्योग नगर औद्योगिक क्षेत्र
8. मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र (डीडीए एवं डीएसआईआईडीसी)
9. बादली औद्योगिक क्षेत्र।
10. नरेला औद्योगिक क्षेत्र।
11. बवाना औद्योगिक क्षेत्र।
12. ओखला औद्योगिक राज्य, फेस-I & फेस-II
13. ओखला औद्योगिक राज्य, फेस-III

14. कार्यात्मक औद्योगिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, एस-ब्लॉक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-II
15. कार्यात्मक औद्योगिक क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, ए-ब्लॉक, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस -II
16. मोहन सहकारी औद्योगिक क्षेत्र।
17. रानी झांसी रोड।
18. शाहजेदा बाग औद्योगिक क्षेत्र।
19. झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र।
20. फ्रैंडस कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र, शाहदरा।
21. पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र।
22. शाहदरा औद्योगिक क्षेत्र।
23. नारायना औद्योगिक क्षेत्र फेस-I & फेस-II
24. मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र फेस-I & फेस-II
25. तिलक नगर औद्योगिक क्षेत्र।
26. कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र।
27. डी. एल. एफ. औद्योगिक क्षेत्र, मोती नगर।
28. नजफगढ़ रोड औद्योगिक क्षेत्र।
29. फ्लेटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, रानी झांसी रोड।
30. फ्लेटेड फैक्ट्रीज, कॉम्प्लेक्स, ओखला।
31. फ्लेटेड फैक्ट्रीज, लेथार गूड्स, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र।
32. फ्लेटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र।

दिल्ली सरकार  
कार्यालय उद्योग आयुक्त  
उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र,  
पटपड़गंज, दिल्ली-110092

एम. पी. डी. 2021 में नियमित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों की सूची-संलग्न 'ख'

1. आनंद पवर्ती।
2. शाहदरा।
3. समयपुर बादली।
4. जवाहर नगर।
5. सुल्तानपुर माजरा।
6. हस्ताल पॉकेट-ए।
7. नरेश पार्क एक्सटेंशन।
8. लिबासपुर।
9. पीरागढ़ी विलेज।
10. ख्याला।
11. हस्ताल पॉकेट-डी
12. शालामार विलेज
13. न्यू मंडोली

14. नवादा
15. रिठाला
16. स्वर्ण पार्क मुंडका
17. हैदरपुर
18. करावल नगर
19. डाबरी
20. बसई दारापुर
21. मुडका साउथ ऑफ रोहतक रोड
22. पहलादपुर बांगर
23. मुंडका साउथ ऑफ फिरनी रोड/

64. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में किस-किस श्रेणी के कितने पेंशनधारी हैं;

(ख) इनमें से किस श्रेणी के कितने पेंशनधारियों को कब तक की पेंशन जारी कर दी गई है तथा शेष को अब तक की पेंशन जारी कर दी गई है तथा शेष को अब तक की पेंशन कब तक जारी कर दी जायेगी;

(ग) क्या यह सत्य है किस रकार ने कुछ श्रेणी के पेंशनधारियों की पेंशन में वृद्धि की है;

(घ) यदि हां, तो किस श्रेणी की कितनी पेंशन बढ़ाई गई है;



(ड) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा पेंशनधारियों की कैप की संख्या में वृद्धि की गई है;

(च) यदि हां, तो कितनी ; और

(ज) नये पेंशनधारियों को पेंशन देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

**उप मुख्यमंत्री :** (क) दिल्ली में पेंशनधारियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

वृद्धावस्था लाभार्थी 3,81,843

विकलांग लाभार्थी 69,729

विधवा लाभार्थी 1,79,948

(ख) वृद्धावस्था एवं विकलांग लाभार्थियों की दिसंबर माह तक कह पेंशन प्रेषित कर दी गयी है।

विधवा पेंशन के लाभार्थियों को नवंबर 2016 तक की पेंशन जारी की चुकी है दिसंबर की पेंशन 25 जनवरी 2017 तक जारी कर दी जायेगी।

(ग) जी हां।

(घ) वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत रूपये 1000/- प्रति माह प्रति लाभार्थी की बढ़ोत्तरी की गयी है।

(ड) से (च) जी हां।

वृद्धावस्था पेंशन में एक लाख लाभार्थियों की संख्या बढ़ा दी गयी है।

(छ) बढ़ायी गई क्षमता सीमा संख्या के विधानसभा क्षेत्रानुसार आवंटन व आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया जारी है।

**65. श्री महेंद्र गोयल :** क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्य है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र में आशा किरण के नाम से मंदबुद्धि बच्चों का विद्यालय चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस विद्यालय कि नयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**उपमुख्य मंत्री :** (क) विद्यालय नहीं चलाया जा रहा है, अपितु समाज कल्याण विभाग मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए आशा किरण आवासीय संस्था चला रहा है। आशा किरण परिसर में निम्नलिखित संस्थाएं हैं—

1. Home for Mentally Retarded Persons (HMRP-C) (Male Children). Asha Kiran Complex, Avantika, Sector-1, Rohini, New Delhi.
2. Home for Mentally Retarded Persons (HMRP-A)(Male Adult), Asha Kiran Complex, Avantika, Sector-1, Rohini, New Delhi.
3. Institutions for Severally & Profoundly Mentally Retarded (I SSPMR) (for Female Childern & Adult), Asha Kiran Complex, Avantaika, Sector-1, Rohini, New Delhi.
4. School and Home for Mentally Retarded (SHMR) for Femal (A nnexe), Asha Krian Comple x, Avantika, Sector-1, Rohini, New Delhi.

उपरोक्त सभी आवासीय संस्थाएं सरकारी हैं एवं दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**66. श्री गिरीश सोनी :** क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन का कार्य पिछले एक साल से बंद है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू किया जाएगा;

(ग) क्या यह सत्य है कि अब वृद्धावस्था पेंशन के फार्म ऑन लाइन भरे जायेंगे;

(घ) साल 2015-16 और 2016-17 में ऐसे कितने पेंशन धारक हैं जो विभिन्न योजनाओं में पेंशन ले रहे हैं; और

(ङ) मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग के लाभान्वितों की संख्या कितनी है?

**उपमुख्यमंत्री :** (क) और (ख) 29.09.2016 को केबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन की संख्या एक लाख बढ़ाई है। इसकी प्रक्रिया का प्रस्ताव मा. उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है।

(ग) जी हां। प्रस्तावित निर्णय क्रियान्वित की प्रक्रिया में है।

(घ) साल 2015-16 और 2016-17 में पेंशनधारियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष 2015-16	
वृद्धावस्था लाभार्थी	388471
विकलांग लाभार्थी	63431
विधवा लाभार्थी	158603
वर्ष 2016-17	
वृद्धावस्था लाभार्थी	381843
विकलांग लाभार्थी	69729
विधवा लाभार्थी	179948
(ड) मादीपुर विधान सभा क्षेत्र की लाभान्वितों का ब्यौरा निम्न प्रकार है—	
वृद्धावस्था लाभार्थी	6746
विकलांग लाभार्थी	904
विधवा लाभार्थी	2775

67. श्री जितेंद्र सिंह तोमर : क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन पाने वाले लाभान्वितों की नाम पते सहित सूची दी जायें;

(ख) इस क्षेत्र से मार्च, 2015 से आज तक वृद्धावस्था पेंशन, विधवा तथा विकलांग पेंशन के कितने फार्म जमा हुए हैं;

(ग) इन तीनों श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी के कितने आवेदनकर्ताओं की पेंशन जारी कर दी गई है;

(घ) क्या यह सत्य है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या पूर्व-निर्धारित क्षमता सीमा (Capping Limit) से अधिक हो जाने के कारण पूरी दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के नये पेंशन फार्म जमा नहीं किए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां तो निकट भविष्य में (Capping Limit) क्षमता सीमा बढ़ाने की सरकार की क्या कोई योजना है?

**उप मुख्यमंत्री :** (क) सूची संलग्न है।<sup>1</sup>

(ख) एवं (ग) का विवरण निम्ननुसार है—

योजना	प्राप्त फार्म	पेंशन जारी की गयी
वृद्धावस्था	209	209
विकलांग	237	188
विधवा	380	332

(घ) और (ङ) 29.09.2016 को केबिनेट ने वृद्धावस्था पेंशन की संख्या एक लाख बढ़ाई है। इसकी प्रक्रिया का प्रस्ताव मा. उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है।

**68. श्रीमती प्रमिला टोकस :** क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर. के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में अभी तक वृद्धावस्था पेंशनजारी न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) इस विधानसभा में वृद्धावस्था पेंशन कब तक जारी कर दी जाएगी; और

(ग) पेंशन दफ्तर के कर्मचारियों द्वारा पेंशन धारकों/आवदकों के साथकिये जा रहे कथित दृर्व्यवहार की शिकायतों के समाधान एवं बुजुर्ग पेंशन धारकों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के हेतु सरकार द्वारा क्या उठाए गए हैं?

**उपमुख्यमंत्री :** (क) और (ख) लाभार्थियों को वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन दिसंबर माह 2016 तक की पेंशन भेजी जा चुकी है।

(ग) विभाग द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं जिससे वे जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहे। किसी भी प्रकार की शिकायत का तुरंत जिला स्तर तथा मुख्यालय स्तर पर निवारण किया जाता है।

**69. श्री पंकज पुष्कर :** क्या उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सामान्य एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभान्वितों को वृद्धावस्था पेंशन जारी करने के अलग-अलग शैड्यूल बनाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 216-17 में इस पेंशन योजना के लिए सामान्य एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए फंड रिलीज करने का मासिक शैड्यूल क्या है;

(घ) वित्त वर्ष अनुसार पिछले 4 वित्त वर्षों में और इस वर्ष अब तक

सामान्य एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के वृद्धावस्था पेंशन के कुल लाभान्वितों की संख्या क्या है;

(ड) वित्त वर्ष के अनुसार पिछले 4 वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष में सामान्य एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के वृद्धावस्था पेंशन के पात्र वास्तविक लाभान्वितों की संख्या बताएं;

(च) क्या सरकार इस योजना के लाभान्वितों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**उपमुख्यमंत्री :** (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सभी वृद्धावस्था पेंशन चाहे वह जिस वर्ग से भी संबंधित हो, प्रत्येक माह एक साथ ही DBT एवं ECS के माध्यम से भेजी जाती है।

(घ)

वित्त वर्ष	सामान्य लाभार्थी	अनु./जन लाभार्थी
2013-14	378075	2730
2014-15	3583471	3187
2015-16	388471	4231
2016-17	381843	4443

(ड) उपरोक्त (घ) के अनुसार।

(च) इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को स्वयं का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।

अल्पसंख्यक वर्ग को एक उद्घोषणा के द्वारा अपने को अल्पसंख्यक दर्शाना आवश्यक है।

(छ) उपरोक्त (च) के अनुसार।

(ज) उपरोक्त (च) के अनुसार।

**70. श्री राजेंद्र पाल गौतम :** क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दिल्ली में इस समय विधानसभा क्षेत्रवार कितने आंगनवाड़ी केंद्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में कार्य करने वाले स्टाफ में किस पद पर कुल कितने कर्मचारी कार्य करते हैं, तथाइ नकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या इन आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या में वृद्धि कर ने की सरकार की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो नए आंगनवाड़ी केंद्र कब और कहां कहां खोले जाएंगे तथा उसका ब्यौरा क्या है?

**उप मुख्यमंत्री :** (क) दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दिल्ली में इस समय 10897 विधानसभा क्षेत्रवार आंगनवाड़ी केंद्र कार्य कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रवार सूची संलग्न है।

(ख) प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं एक सहायिका कार्य करती है। आंगनवाड़ी कायकर्ता नियुक्ति हेतु जिला अधिकारी के संरक्षण में चयन कमेटी बनाई जाती है। सहायिका का चयन प रियोजना अधिकारी स्तर पर किया जाता है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपरोक्तानुसार।



S. No.	Constituency	No. of Aanganwadis
1	Narela	340
2	Burari	245
3	Timar pur	127
4	Adarsh Nagar	101
5	Badli	247
6	Rithala	111
7	Bawana	273
8	Mundka	302
9	Kirari	366
10	Sultanpur Majra	193
11	Nangloi Jat	280
12	Mangol Puri	173
13	Rohini	55
14	Shalimar Bagh	98
15	Shakur Basti	59
16	Tri Nagar	202
17	Wazir Pur	149
18	Model Town	76
19	Sadar Bazar	238

S. No.	Constituency	No. of Aanganwadis
20	Chandni Chowk	98
21	Matia Mahal	152
22	BalliMaran	103
23	Karol Bagh	145
24	Patel Nagar	125
25	Moti Nagar	119
26	Madipur	219
27	Rajouri Garden	168
28	Hari Nagar	64
29	Tilak Nagar	67
30	Jahak Puri	87
31	Vikas Puri	267
32	Uttam Nagar	148
33	Dwarka	160
34	Matiala	243
35	Najafgarh	152
36	Bijwasan	143
37	Palam	144
38	Delhi Cantt	52

S. No.	Constituency	No. of Aanganwadis
39	Rajinder Nagar	138
40	New'Delhi	12
41	Jang Pura	56
42	Kasturba Nagar	44
43	Malviya Nagar	57
44	R.K. Puram	64
45	Mehrauli	105
46	Chhatarpur	191
47	Deoli	254
48	Ambedkar Nagar	112
49	Sangam Vihar	163
50	Greater Kailash	3?
51	Kalkaji	53
52	Tughlakabagh	221
53	Badarpur	432
54	Okhla	242
55	Trilok Puri	159
56	Kondli	129
57	PatparGanj	84

S. No.	Constituency	No. of Aanganwadis
58	Laxmi Nagar	76
59	Vishwas Nagar	69
60	Krishana Nagar	62
61	Gandhi Nagar	138
62	Shahdra	87
63	Seema Puri	201
64	Rorrtash Nagar	132
65	Seelampur	199
66	Ghonda	200
67	Babarpur	157
68	Gokulpur	314
69	Mustafabad	223
70	Karawal Nagar	195
		10897

71. श्री महेंद्र गोयल : क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिठाला विधानसभा के अंतर्गत कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं;

(ख) सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के पते की सूची उपलब्ध करें;

(ग) इन आंगनवाड़ियों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की सूची उनके पद नाम सहित उपलब्ध करें?

उप मुख्यमंत्री : (क) रिठाला विधानसभा के अंतर्गत कुल 111 आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं।

(ख) और (ग) रिठाला विधानसभा की सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के पते एवं कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

Sl. No.	11 digit code	Project name	Worker's Name	Contact No. AWW	District Name	Consistency No.
1	2	3	4	5	6	7
1	7090070116	Meer Vihar	Kusum	9717514088	North- west	AC-6, Rithala
2	7090070101	Meer Vihar	Bhawna	9953781709	North- west	AC-6, Rithala
3	7090070136	Meer Vihar	Tripti	9013497363	North- west	AC-6, Rithala
4	7090070137	Meer Vihar	Kiran	9250524016	North- west	AC-6, Rithala
5	7090070135	Meer Vihar	Aarti Garg	9818982494	North- west	AC-6, Rithala
6	7090070134	Meer Vihar	Anuradha	9818982494	North- west	AC-6, Rithala
7	07090150205	Rohini -II	Tanuja	9289773542	North- west	AC-6, Rithala
8	07090150206	Rohini -II	Madhu	9873245686	North- west	AC-6, Rithala
9	07090150207	Rohini-II	Sunita	9990280811	North- west	AC-6, Rithala
10	07090150208	Rohini -II	Neha	7503756803	North- west	AC-6, Rithala
11	07090150209	Rohini -II	Chanderkanta	9210268962	North- west	AC-6, Rithala
12	07090150210	Rohini -II	Mamta-	9582077217.	North- west	AC-6, Rithala

13	07090150211	Rohini -II	Neelam	9582092185	North- west	AC-6, Rithala
14	07090150212	Rohini -II	Sarita	9999903317	North- west	AC-6, Rithala
15	07090150213	Rohini-II	Sunita Shurma	9268015696	North- west	AC-6, Rithala
16	07090150214	Rohini -II	Seema	9868921100	North- west	AC-6, Rithala
17	07090150215	Rohini -II	Poonam	9718341551	North- west	AC-6, Rithala
18	07090150216	Rohini-II	Meenakshi	9278092698	North- west	AC-6, Rithala
19	07090150217	Rohini -II	Sunita	8826680245	North- west	AC-6, Rithala
20	07090150218	Rohini -II	Reena	8375847584	North- west	AC-6, Rithala
21	07090150219	Rohini -II	Madhu	9990082727	North- west	AC-6, Rithala
22	07090150220	Rohini -II	Renu	9560499969	North- west	AC-6, Rithala
23	07090150221	Rohini -II	Rita Suri	9289908991	North- west	AC-6, Rithala
24	07090150222	Rohini-II	Anita	9582931503	North- west	AC-6, Rithala
25	07090150223	Rohini -II	Gayatri	8587084256	North- west	AC-6, Rithala
26	07090150301	Rohini -II	Kusum Lata	9211848669	North- west	AC-6, Rithala
27	07090150302	Rohini -II	Chanderakala	9211874482	North- west	AC-6, Rithala
28	07090150303	Rohini-II	Mamta	9958125067	North- west	AC-6, Rithala

1	2	3	4	5	6	7
29	07090150304	Rohini -II	As Ha	9811821590	North- west	AC-6, Rithala
30	07090150305	Rohini -II	Nirmala	9654776595	North- west	AC-6, Rithala
31	07090150306	Rohini -II	Bimla	9873608758	North- west	AC-6, Rithala
32	07090150307	Rohini-II	Babita	9213210676	North- west	AC-6, Rithala
33	07090150308	Rohini -II	Savitri	9873861984	North- west	AC-6, Rithala
34	07090150416	Rohini -II	Kavita	9015744797	North- west	AC-6, Rithala
35	07090150417	Rohini -II	Kiran	8287311352	North- west	AC-6, Rithala
36	07090150418	Rohini -II	Ranjana	9560939834	North- west	AC-6, Rithala
37	07090150419	Rohini-II	Meena	9717445004	North- west	AC-6, Rithala
38	07090150420	Rohini -II	Rakhi	9711972356	North- west	AC-6, Rithala
39	7090180505	Sultanpuri	Asha	7503556652	North West-I	AC-6, Rithala
40	7090180506	Sultanpuri	Vacant	North West-I	AC-6, Rithala	
41	7090180507	Sultanpuri	Neeraj	8510008091	North West-I	AC-6, Rithala
42	7090180508	Sultanpuri	Murti Devi	9717448865	North West-I	AC-6, Rithala



43	7090180509	Sultanpuri	Farida Khan	9210697868	North West-I	AC-6, Rithala
44	7090180510	Sultanpuri	Preeti		North West-I	AC-6, Rrthala
45	7090180511	Sultanpuri	Vachan Kaur	9711395051	North West-I	AC-6, Rithala
46	7090180512	Sultanpuri	Santosh	9211371772	North West-I	AC-6, Rithala
47	7090180513	Sultanpuri	Usha Rani	9350867999	North West-I	AC-6, Rithala
48	7090180514	Sultanpuri	Shobha	9266852524	North West-I	AC-6, Rithala
49	7090180520	Sultanpuri	Suman Lata	7827609700	North West-I	AC-6, Rithala
50	7090180522	Sultanpuri	Zeba	9990029150	North West-I	AC-6, Rithala
51	7090180523	Sultanpuri	Jagwanti	9953101023	North West-I	AC-6, Rithala
52	7090180524	Sultanpuri	Vacant		North West-I	AC-6, Rithala
53	7090180525	Sultanpuri	Sushila	9313625422	North West-I	AC-6, Rithala
54	7090180527	Sultanpuri	Babita	9250685073	North West-I	AC-6, Rithala
55	7090140125	Rohini-I	Manju	9266968310	North West-II	AC-6, Rithala
56	7090140201	Rohini-I	Saroj	9313550621	North West-II	AC-6, Rithala
57	7090140202	Rohini-I	Anita	9868768336	North West-II	AC-6, Rithala

1	2	3	4	5	6	7
58	7090140203	Rohini-I	Mariju	9350597118	North West-II	AC-6, Rithala
59	7090140204	Rohini-I	Rajni	9999417740	North West-II	AC-6, Rithala
60	7090140205	Rohini-I	Anjana	9250134035	North West-II	AC-6, Rithala
61	7090140206	Rohini-I	Megha	9278024511	North West-II	AC-6, Rithala
62	7090140207	Rohini-I	Rekha Sharma	9213933609	North West-II	AC-6, Rithala
63	7090140208	Rohini-I	Parwati	9289529097	North West-II	AC-6, Rithala
64	7090140209	Rohini-I	Seema	9268462376	North West-II	AC-6, Rithala
65	7090140210	Rohini-I	Reeta	9313329128	North West-II	AC-6, Rithala
66	7090140211	Rohini-I	Shakuntala	8826956010	North West-II	AC-6, Rithala
67	7090140212	Rohini-I	Sushila	9911476097	North West-II	AC-6, Rithala
68	7090140213	Rohini-I	Shashi	9015861790	North West-II	AC-6, Rithala
69	7090140Z14 -	Rohini-I	Pushplata	9899747381	North West-II	AC-6, Rithala
70	7090140215	Rohini-I	Rekha	9899509529	North West-II	AC-6, Rithala
71	7090140216	Rohini-I	Radha Sharma	9211724048	North West-II	AC-6, Rithala

72	7090140217	Rohini-I	Suman	8826956010	North West-II AC-6, Rithala
73	7090140218	Rohini-I	Asha Pundir	9212309830	North West-II AC-6, Rithala
74	7090140219	Rohini-I	Chandani	9999701794	North West-II AC-6, Rithala
75	7090140220	Rohini-I	Meena	8447539847	North West-II AC-6, Rithala
76	7090140402	Rohini-I	Anita	9999313744	North West-II AC-6, Rithala
77	7090140301	Rohini-I	Shobhna	9311236660	North West-II AC-6, Rithala
78	7090140302	Rohini-I	Anu	9818544371	North West-II AC-6, Rithala
79	7090140303	Rohini-I	Sunita	9211334976	North West-II AC-6, Rithala
80	7090140304	Rohini-I	Veervati	9990988375	North West-II AC-6, Rithala
81	7090140305	Rohini-I	Gurmeetkaur	9873891775	North West-II AC-6, Rithala
82	7090140306	Rohini-I	Malti	9015483601	North West-II AC-6, Rithala
83	7090140307	Rohini-I	Manjeet	9911923791	North West-II AC-6, Rithala
84	7090140308	Rohini-I	Pushpa Rani	9268092287	North West-II AC-6, Rithala
85	7090140309	Rohini-I	Nirmala	8585971589	North West-II AC-6, Rithala
86	7090140310	Rohini-I	Sarita	9911397843	North West-II AC-6, Rithala

1	2	3	4	5	6	7
87	7090140311	Rohini-I	Ram Bhateri	9266439899	North West-II	AC-6, Rithala
88	7090140313	Rohini-I	Kanchan	9958141036	North West-II	AC-6, Rithala
89	7090140314	Rohini-I	Vinesh	9015752944	North West-II	AC-6, Rithala
90	7090140315	Rohini-I	Urmila	9015752944	North West-II	AC-6, Rithala
91	7090140316	Rohini-I	Bimla	9278898166	North West-II	AC-6, Rithala
92	7090140317	Rohini-I	Suman	9582196567	North West-II	AC-6, Rithala
93	7090140318	Rohini-I	Samiksha	9289991868	North West-II	AC-6, Rithala
94	7090140319	Rohini-I	Babita	8750675214	North West-II	AC-6, Rithala
95	7090140320	Rohini-I	Sarla Devi	8750675214	North West-II	AC-6, Rithala
96	7090140321	Rohini-I	Renu Rana	9868368740	North West-II	AC-6, Rithala
97	7090140322	Rohini-I	Poonam Mukhija	9555549505	North West-II	AC-6, Rithala
98	7090140323	Rohini-I	Poonam Saxena	9250520611	North West-II	AC-6, Rithala
99	7090190101	Tikri Khurd	Meena	9311358832	North West	AC-6, Rithala
100	7090190102	Tikri Khurd	Saroj	9250828778	North West	AC—6, Rithala

101 7090190103	Tikri Khurd	Manoj	9968520807	North West	AC-6, Rithala
102 7090190104	Tikri Khurd	Sudesh	925013598	North West	AC-6, Rithala
103 7090190105	Tikri Khurd	Usha	8826325849	North West	AC-6, Rithala
104 7090190106	Tikri Khurd	Suman Lata	9868794152	North West	AC-6, Rithala
105 7090190107	Tikri Khurd	Kamla	9268158370	North West	AC-6, Rithala
106 7090190108	Tikri Khurd	Manju Sharma	9910473900	North West	AC-6, Rithala
107 7090190111	Tikri Khurd	Babita Solanki	9873932765	Northwest	AC-6, Rithala
108 7090190121	Tikri Khurd	Geeta	9268435561	North West	AC-6, Rithala
109 7090190122	Tikri Khurd	Santosh Devi	9289501428	North West	AC-6, Rithala
110 7090190123	Tikri Khurd	Sushma	9278143899	North West	AC-6, Rithala
111 7090190126	Tikri Khurd	Sumil	9210007985	North West	AC-6, Rithala

**72. श्री पवन कुमार शर्मा :** क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 2003 से 31 दिसंबर 2013 तक विभिन्न बोर्डों, डिस्काम्स, कारपोरेशन्स बैंक तथा रेगुलेटरी बॉडीज में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मनोनीत व्यक्तियों का, उनके पद नाम, नियुक्ति की अवधि, वेतन, भत्ते, फीस, आवास, कार्यालय वाहन सहित उनके द्वारा लिए गए अन्य भत्तों का पूर्ण विवरण दें; और

(ख) उनकी यात्राओं का खर्चा किस एजेंसी द्वारा वहन किया गया, पूर्ण विवरण दें?

**सामान्य प्रशासन मंत्री :** (क) और (ख) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है/सूचना एकत्रित होने पर सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

**73. श्री पवन कुमार शर्मा :** क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 2013 से 31 दिसंबर 2013 तक विदेश यात्राएं करने वाले दिल्ली सरकार के आईएएस/दानिक्स/आल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स/सेंट्रल सिविल सर्विसेज/प्रोविन्सियल्स सिविल सर्विसेज अधिकारियों के नाम, उनके साथ यात्रा कर रहे व्यक्तियों के नाम, यात्रा पर कुल व्यय राशि, रहने खाने व घूमने के व्यय का पूर्ण विवरण दें;

(ख) 1 जनवरी, 2013 से 31 दिसंबर 2013 तक उक्त सभी अधिकारियों को किसी भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यालय वाहनों का विवरण;

**सामान्य प्रशासन मंत्री (श्री पवन कुमार शर्मा) :** (क) और (ख) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है/सूचना एकत्रित होने पर सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

**74. श्री अनिल कुमार वाजपेयी :** क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 2013 से 31 दिसंबर, 2013 तक मुख्यमंत्री सहित दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष को उपलब्ध कराये गये को-टर्मिनस स्टाफ के पदों के नाम, नियुक्ति की अवधि, वेतन, आवास, भत्ते, कार्यालय वाहन और उनके द्वारा लिए गए अन्य भत्तों का पूर्ण विवरण दें; और

(ख) इनकी यात्रा का खर्च किस एजेंसी द्वारा वहन किया गया?

**सामान्य प्रशासन मंत्री :** (क) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है/सूचना एकत्रित होने पर सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

**75. श्री सोमनाथ भारती :** क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों एवं नेता, प्रतिपक्ष के कार्यालय एवं कैम्प कार्यालयों के 1 जनवरी, 2003 से 31 दिसंबर, 2013 तक कार्यालय खर्च, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट/स्नैक्स, भोजन एवं आवभगत के कुल खर्चों का विवरण दें?

(ख) दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों एवं नेता, प्रतिपक्ष के 1 जनवरी, 2003 से 31 दिसंबर 2013 तक दिल्ली सरकारके किसीभी

विभाग/बोर्ड/कार्पोरेशन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों के खर्च का विवरण क्या हैं?

**सामान्य प्रशासन मंत्री :** (क) दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से सूचना एकत्रित की जा रही है/सूचना एकत्रित होने पर सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

**76. श्री विजेन्द्र गुप्ता :** क्या **खाद्य एवं आपूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी के कितने राशन कार्डधारी हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि बिजली की खपत बढ़ने के कारण बी. पी. एल. के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए थे;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि डिस्कॉम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना बिजली भार बढ़ाया गया ;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि बिजली की खपत बढ़ने बी. पी. एल. कार्ड धारकों के कार्ड रद्द होने पर स्वास्थ्य सुविधाएं तथा ई.डब्ल्यू.एस. सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं;

(ङ) क्या सरकार का बी. पी. एल. कार्ड को बिजली खपत से डी-लिंक करने का प्रस्ताव है; और यदि हां, तो कब तक?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** (क) दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के राशन कार्डधारियों की संख्या निम्न है—



ए.ए.वाई.	पीआर-एस	पीआर	जोड़
76618	192229	1678155	1947002

(ख) जी नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार अयोग्य पाए जाने वाले कार्डधारकों का ही कार्ड निरस्त किया जाता है।

(ग) ऊर्जा विभाग (Power department) से प्राप्त जवाब के अनुसार उपभोक्ता के बिजली के वार्षिक खपत के अधिकतम खपत सूचकांक (Maximum demand index) के उतार चढ़ाव पर दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देशों के आधार पर उसका बिजली भार बढ़ाया या घटाया जाता है।

(घ) जी नहीं (स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार)।

(ङ) जी नहीं।

**77. श्रीमती प्रमिला टोकस :** क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उचित दर दुकानों से आम जनता को समय पर राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार राशन की दुकानों पर बायोमैट्रिक सिस्टम लगाने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो यह कब तक लगा दिए जायेंगे?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** (क) उचित दर दुकानों से आम जनता को राशन समय पर उपलब्ध कराने हेतु किये गए प्रयास निम्न हैं—

गोदाम से उचित दर दुकानों पर राशन पहुंचते ही लाभार्थी को एस. एम. एस. द्वारा सूचित कर दिया जाता है जो कि माह की पहली तारीख से अंतिम तारीख तक कार्डधारी, संबंधित उचित दर दुकान से कभी भी निर्दिष्ट समय पर प्राप्त कर सकता है। विभाग द्वारा उचित दर दुकानदारों को यह निर्देश दिया गया है कि नियमानुसार खाद्यान्न एवं वितरण से संबंधित सभी सूचना पट पर उपलब्ध कराये जैसे कि दुकान खुलने व बंद होने का समय, साप्ताहिक अवकाश, शिकायत रजिस्टर व संख्या आदि।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली में 42 उचित दर दुकानों पर बायोमैट्रिक मशीन लगायी गयी है जिससे संबंधित राशन वितरण के सभी रिकार्ड सार्वजनिक पटल (पब्लिक पोर्टल) पर उपलब्ध है। शेष सभी दुकानों पर बायोमैट्रिक मशीन लगाने की प्रक्रिया जारी है। इस विषय में विभाग द्वारा तीन बार ई-टैंडर किया जा चुका है। पर्याप्त निविदायें न मिलने के कारण यह कार्य अभी पूरा नहीं हो सका है। संशोधित टैंडर फिर से जारी करने की प्रक्रिया चल रही है तथा पूरा होते ही इसे लगा दिया जाएगा।

**78. श्री कर्नल देवेन्द्र सहरावत :** क्या कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उत्तराखंड की भाषाओं (गढ़वाली व कुमाऊनी) के लिए अकादमी गठन करने के संबंध में कोई पहल की गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री :** (क) जी हां। सरकार ने उत्तराखंड की भाषाओं (गढ़वाली व कुमाऊनी) के लिए अकादमी गठन करने के संबंध में निर्णय ले लिया है।

(ख) इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है।

**79. श्री पंकज पुष्कर :** क्या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसरण में दिल्ली सरकार द्वारा शेड्यूल कास्ट सब-प्लान के तहत आने वाली विभिन्न योजनाओं को मानिटर/लागू करने के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लाक स्तर पर स्टैंडिंग कमेटियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में गठित ऐसी समितियों का विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इन समितियों को गठित न करने का क्या कारण है;

(घ) पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वित्त में प्रत्येक विभाग को आबंटित फंड और वास्तव में उपयोग किये गये फंड का विवरण क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों में संशोधना किया है; और

(च) यदि हां, तो तदनुसार प्रत्येक विभाग को आबंटित किये गए फंड का विवरण और चालू वित्त वर्ष में उपयोग की गए राशिका विवरण?

**अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री :** (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ग) चूंकि दिल्ली एक छोटा राज्य/केंद्र शसित प्रदेश है। अतः नीति आयोग द्वारा जारी एस सी एस पी दिशानिर्देशों के अंतर्गत यहां ऐसी समितियों का गठन करना व्यवहारिक नहीं है।

(घ) सूची संलग्न है।

(ङ) जी नहीं।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

**Details of SCSP under Annual Plan 2013-14, 2014-15, 2015-16 & 2016-17**

		(Rs. in Lakh)										
Sl. No.	Agency/Sector/ Department	RE 2012-13	Exp 2012-13	RE 2013-14	Exp 2013-14	RE 2014-15	Exp 2014-15	RE 2015-16	Exp 2015-16	RE 2016-17	Exp 2016-17	BE (Provisional)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
1	Agriculture & Allied Services	0.00	0.00	0.00	13.00	6.20	18.00					
3	Food & Civil Supplies	950.00	503.99	1400.00	1027.56	1.00						
4	General Education	5733.00	5201.34	5770.00	5341.13	9161.00	8061.19	16140.00	10675.90	14430.00		
5	Housing	0.00		0.00		3100.00		2330.00		2220.00		
6	Industries	2.20		0.00		2.20	0.67	1.00	0.49	2.20		
7	Labour & Labour Welfare	30.00		31.00		35.00	27.81	55.00	31.12	61.00		
8	Medical	8995.00	6731.11	8523.43	7548.59	9088.00	6718.38	6965.00	6094.69	8525.00		
9	Nutrition	4229.94	3532.82	2940.30	2701.51	3027.30	2135.99	3125.80	2270.30	3126.80		

10	Rural Development	3609.00	3570.17	3067.00	2915.11	1772.00	1765.38	1800.00	1758.36	3204.00
11	Science, Technology & Environment	25.50	20.90	25.00	20.60	23.00	20.00	23.00	20.00	28.00
12	Social Welfare	5600.00	5600.00	5200.00	5200.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00	6500.00
13	Technical Education	13.00	10.96	13.00	8.68	13.00	10.25	15.00	8.13	15.00
14	Urban Development	3260.00	3727.00	20082.75	18993.49	13153.60	7443.43	11490.00	6066.25	11922.00
15	Water Supply & Sanitation			0.00		250.00		17.50		0.00
16	Welfare of SC/ST/OBC/ Minorities	17422.00	13673.08	15791.00	1265.06	14415.00	11640.96	17482.00	12309.57	18744.00
17	Women and Child Development	2780.00	2531.66	2658.00	2626.60	2667.00	2650.70	3067.30	2626.28	3190.00
	Grand Total	52649.64	45101.03	65501.48	59034.33	63208.10	46974.76	69024.60	48367.29	71986.00

\* Expenditure for the Financial Year 2016-17 is under compilation

\*\* Revised Estimates 2016-17 not yet finalised

**80. श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिनगर विधान सभा क्षेत्र को शकूरपुर जे जे कॉलोनी के रिहायसी घरों के ऊपर से 11 तथा 33 केवी करंट कि हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर गुजर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि सरकार का इन वायर्स को अंडर ग्राउंड कराने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो अब तक इसे अंडर ग्राउंड न किए जाने के क्या कारण हैं; पूर्ण विवरण दें;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर को अंडर ग्राउंड करवाने के लिए विधायक को अपने विधायक कोष से आधा पैसा देना होता है;

(ङ) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र को शकूर पुर जे जे कॉलोनी के रिहायशी घरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर किस एजेंसी की है; और

(च) संबंधित एजेंसी को इन वायर अंडर ग्राउंड करने निर्देश कार्य पर खर्च होने वाले पैसे का एस्टीमेट कब तक तैयार करवा लिया जाएगा ताकि MLA फंड से पैसे दिलाये जा सकें?

**ऊर्जा मंत्री :** (क) जी हां!

शकूरपुर जे जे कॉलोनी इलाके से उत्तरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की 33KV की लाइन गुजरती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) संबंधित डिसकॉम (TPDDL) द्वारा समय समय पर उत्तरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को पत्र लिखे गए हैं जिनमें यह निवेदन किया गया है कि इस लाइन का उचित रखर खाव किया जाए और यदि यह नहीं होता है, तो इस लाइन को निष्क्रिय कर दिया जाए (पत्र की प्रतिलिपि क्रमशः क, ख और ग अनुलग्नक है।)

(घ) जी हां, हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल तारों को विधायक कोष से शिफ्ट करने की नीति दिल्ली सरकार के पत्र संख्या 11 (09)/2007/Power/4040 दिनांक 27.11.2009 द्वारा जारी की गई। यह नीति वर्तमान में लागू है।

(ङ) यह लाइन उत्तरी हरियाणाप विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (हरियाणा सरकार का उपक्रम) की है।

(च) उपरोक्त ग के अनुसार दिल्ली सरकार की नीति इस पर लागू नहीं है।

अतारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 446

18 जनवरी, 2017

अनुलग्नक 'क'

**TATA POWER-DDL**

**TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED**  
(A Tata power and Delhi Govt. Joint Venture)

**NO: ACM (APS) (NCV24/550**

**Dated 21/08/2012**

**To,**

**Executive Engineer (Operations)**  
**Uttari Haryana Bijli Vitran INigam (UHBVN)**  
**132 KV Sub Station Jhajhar Road, Operations division**  
**Bahadurgarli (Haryana)**

**Subject:** Accidents on 33KV BBMB Bahadurgarh pkt in Pitampura and Kirari due to reduced clearances and bad condition of line

This has reference to our earlier correspondence with you regarding the 33KV BBMB, Delhi to Bahadurgarli line of UHBVN. We again bring to your notice that the condition of this line passing through densely populated Pitampura, Kirari and police line area is very bad. The ground clearance of the line at many locations is very less. Recently accident has taken place on this line on 19/08/2012 at K Block, Prem Nagar in Kirari where in one person got injured due to this line. There was one more accident reported on 07/08/2012 on this line in L14-15, Pitampura. Information of these accidents was given to BBMB, Rohtak Road and also to UHBVN control room.

In view of the above major safety concern, we once again request you to take immediate action for rehabilitation of the line and not to keep the line charged till the rehabilitation/revamping work of this line is completed.

Yours faithfully,  
**(D.R. DHARMADHIKARI)**  
**AGM (APS-NORTH CENTRAL)**



अतारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 447

28 पौष, 1938 (शक)

**CC to:- Director Technical, Uttari Haryana Bijli Vitran Nagam  
Shakti Bhavan Sector-6 Panchakula (Haryana)**

**CC to:- (Managing Director, Uttari Haryana Bijli Vitran Nigam  
Office Vidyut Sadan Plot No. C-16 Sector-6 Panchkula -134109  
Haryana**

**CC to:- Sr. Executive Engineer - BBMB, Rohtak Road**

AGM (APS) (NORTH CENTRAL)  
OFFICE 33KV GRID SUB-STATION BUILDING  
TRI NAGAR NEW DELHI-110035  
(NEAR DELHI JAL BOARD WATER TANKI)  
TELEPHONE NO. 9818100634, 27154580

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 448

18 जनवरी, 2017

अनुलग्नक 'ख'

**NO: APSM (NC)/24/550**

**Dated 28/05/2009**

**To**

**Executive Engineer (Operations)  
Uttari Haryana Bijli Vitran Nigam (UBBVN)  
132 KV Sub Station Jhajbar Road, Operations division  
Bahadurgarh (Haryana)**

**Kind Attn. R.N. Hudda (09416178986)**

**Subject.**– Continuous heavy Sparking on 33KV Bahadurgarh Delhi Ckt.No.2 line in police line area in Pitam pura

This has reference to our earlier letter dated 24th May 08 and bur subsequent letters to Managing Director on 12/09/08 by COO. to Director Technical on 25/09/2008 by Head (Technology), Electrical Inspector letter dated 29/05/08 and MLA letter.

We again bring to your notice that the condition of this line is very poor and it is pissing through very densely populated area. For last three days there is heavy sparking observed on this line and lot of complaints arc received by us from nearby residents in Pitam Pura area. This is happening on daily basis and any mishap can take place any time. Please note that if any damage happens to human or equipment due to this line, it will be on UHBVN account.

We requested BBMB to switch off this line for safety reasons but they have expressed their helplessness as this lino belongs to you. Hence

अतारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 449

28 पौष, 1938 (शक)

we request you to urgently switch off the line and take up the rehabilitation of line and not to charge the same till rehabilitation work is completed.

Yours faithfully,  
**(D.R. DHARMADIUKARI)**  
**SR. MANAGER APS (NORTH CENTRAL)**

**CC to: A.K.Taudan Director Technical Uttari Haryana Bijli Vitran  
Nigam Shakti Bhavan Sector-6 Panchakula (Haryana)**

**CC to Mr. Vijayender Singh Managing Director Uttari Haryana  
Bijli Vitran Nigam Office Vidyut Sadan Plot NO. C-16  
Sector-6 Panchkula -134109 Haryana**

AGM (APS) (NORTH CENTRAL)  
OFFICE 33KV GRID SUB-STATION BUILDING  
TRI NAGAR NEW DELHI-110035  
(NEAR DELHI JAL BOARD WATER TANKI)  
TELEPHONE NO. 9818100634, 27154580

अतारंकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 450

18 जनवरी, 2017

अनुलग्नक 'ग'

**NDPL**

ND/Head(Tech.) /F-22/113  
September 26, 2008

**To,**

**Shri A.K. Tandon,  
Director Technical,  
Uttar Haryana Vidyut Prasaran Nigam Ltd,  
Shakti Bhawan, Sector - 6,  
Panchkula (Haryana)**

Sir,

**Sub:** Rohtak Road to Bahadurgarh 33 kV line passing in NDPL area-  
Refurbrication to avoid accidents due to low clearance

We thank you and Mr. S.L. Kansal very much for the kind courtesy extended to the undersigned, Mr. J P Uppal and Mr. Sujay K Saha during our visit to your office at Panchkula on 11th September 2008

During the discussion it was brought to your notice that the 33 KV line, between Rohtak Road (220kV) grid to Bahadurgarh is passing through densely populated area of Rani Bagh, Shakurpur, Mangolpuri and Pitampura etc. The ground clearance of this line is very low and at few places it is crossing over the roofs of private / MCD structures and this line is erected on braced type poles which do not provide for enough ground clearance. The conductor has also sagged due to aging. Few photographs Indicating low clearances are attached herewith.

In the past fatal accidents have taken place due to this line and as this line is passing through NDPL controlled jurisdiction public, police and media squarely accuse NDPL for negligence.

The snapping of live conductor of this line on 24th May 2008 over our Rani Bagh 33 kV grid caused an extensive damage to sophisticated neumerical control equipment at the grid to the extent in excess Rs. 20 lacs.

In the past people in large group staged demonstration at NDPL Zonal office and some of them turned violent. NQPL brought this to the notice of local Superintending Engineer, M&P, UHBVN, Delhi and also approached Executive Engineer, Operation, Jhajjar Road, Bahadurgarh to take remedial measures.

This matter has also been brought to the notice of Chief Electrical Inspector. NCT. Delhi who. In turn, wrote to Executive Engineer Operations, UHBVN, Jhajjar Road Bahadurgarh. However there has been no response from any concerned office so far.

**North Delhi Power Limited**

(A Tata Power and Delhi Government Joint Venture)

अनुलग्नक 'ग'

**NDPL**

This prevailing situation being dangerous to human life and NDPL assets, your immediate corrective action is awaited.

Following remedial measures deserve due consideration.

1. Refurbication and raising of conductor height,
2. If above is not feasible UHBVN may divert its 33 kV loads, being fed from Rohtak Road 220 kV grid to Bahadurgarh 220 kV grid station and make the 33 kV line redundant and dead.

It will not be out of place to reiterate here that snapping of conductor of above line on 24th May 2008 resulted in loss of Rs 20 lacs towards replacement of damaged equipment and, as such, it would be appropriate for UHBVN to reimburse this cost to NDPL.

Copy of correspondence exchanged with UHBVN and other offices is attached herewith.

I earnestly request you to Initiate appropriate immediate action plan as suggested above and make the line electrically safe. Your immediate response shall be highly appreciated.

Thanking You,

Yours Faithfully,  
For North Delhi Power Limited

**(Arunabha Basu)**  
Head (Technology)

End: As above

Cc:-  
COO for info.  
APSM's for info  
HoG (A&NEG) for info.  
HoD (EHV Projects) for info.

**81. श्री जगदीप सिंह :** क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के बगल में स्थित दीनदयाल मैडिकल कालेज के विकास कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने हेतु क्या-क्या कार्य किये गये हैं?

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री :** (क) अगस्त, 2016 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान कर दिया गया है। तथा भूमि अभी तक दिल्ली सरकार को नहीं सौंपी गई है।

(ख) दीनदयाल मैडिकल कालेज में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं—

1. दवाईयां एवं जांच पड़ताल की मुफ्त सुविधा।
2. जारी हेतु OT Days/Table बढ़ाएं जाने से मरीजों का प्रतीक्षा समय कम हो गया है।
3. Trauma/वआपातकालीन मरीजों की सुविधा हेतु आपातकालीन X-ray ट्रॉमा ब्लॉक बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया गया है ।
4. Special Radiology की जांच दैनिक आधार पर आयोजित की जा रही है।
5. सामान्य जनता के लिए तीन अतिरिक्त Pharmacy/Drug ककाउंटर वितरण आरंभ कर दिए गए हैं।

6. DOT केंद्र को भूतल पर चैस्ट क्लिनिक के बराबर में बड़ा एवं सुविधाजनक परिसर में स्थानान्तरित कर दिया गया है।
7. इंजैक्शन रूम को अधिक उपयोगी जगह, अपनी पूर्व स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

### सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

#### प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अब माननीय मनीष सिसौदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली बाल अधि कार संरक्षण आयोग के वर्ष 2015-16 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन की हिंदी और अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे। देखिये, एक घंटा हो गया। एक-दो मिनट आगे। प्लीज, अभी और बहुत कुछ है प्लीज।...नहीं आया, मैं वो देखूंगा। जो ऑन्सर नहीं आया है। सोमनाथ जी, मेरे से एक बार अंदर मिल लेना प्लीज। भई प्लीज। मैं अब इसको एलाउ नहीं कर रहा हूं। अब रूक जाइए। दो मिनट मानिये मेरी बात। भई, हमारा भी इशारा समझ लीजिए। सोमनाथ जी प्लीज।

**श्री सौरभ भारद्वाज :** अध्यक्ष जी, जिन सवालों के जवाब नहीं आये हैं, उनके बारे में क्या किया जायेगा प्लीज, अध्यक्ष जी, बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं आये हैं हमारे पास। उनके लिए क्या किया जायेगा।

**अध्यक्ष महोदय :** देखिये, जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं आये हैं। एक सेकेंड सोमनाथ जी। प्रश्नों के उत्तर नहीं आए ये हैं, मेरे पास लिस्ट आ चुकी है। मैं इसको टेकअप कर रहा हूं। अब सोमनाथ जी प्लीज। वो मेरे से अलग कमरे में मिल लेना प्लीज। वहां मेरे कमरे में आ जाना। अब सोमनाथ जी बैठिये जरा, बैठ जाइए।



**उपाध्यक्ष महोदय :** अध्यक्ष जी, मैं बात कहना चाहती हूँ। जिन भी सदस्यों के सवाल गलत आये हैं या सही से जवाब नहीं दिया गया है वो क्वेश्चन एंड रिफ्रेंस कमेटी में अपनी सवाल भेज दीजियेगा। अपनी समस्या भेज दीजियेगा। अभी सेशन को चलने दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय :** उप मुख्यमंत्री जी।

### सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

**उप मुख्यमंत्री :** अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्ष 29015-16 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन की हिंदी-अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ<sup>2</sup>

**अध्यक्ष महोदय :** अब श्री सत्येंद्र जैन, माननीय परिवहन मंत्री दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2015-16 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन की हिंदी-अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

### विशेष उल्लेख

**परिवहन मंत्री ( श्री सत्येंद्र जैन ) :** अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2015-16 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन की हिंदी-अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ<sup>3</sup>

### विशेष उल्लेख ( नियम 280 )

**अध्यक्ष महोदय :** विशेष उल्लेख, नियम 280 प्रमिला टोकस जी (अनुपस्थित)। सुखबीर सिंह दलाल जी।

**श्री सुखबीर सिंह दलाल :** अध्यक्ष महोदय, पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे डेढ़ साल में पहली बार मौका मिला है।

2. पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर.- 16455

3 पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर-16454

अभी मुझे पंकज पुष्कर जी से शिकायत है, इन्होंने मीडिया को जो खबर दी बीस मिनट की, इन्हें खबर देनी चाहिए थी कि हमारा आधा समय तो विजेन्द्र गुप्ता जी खा जाते हैं क्योंकि हर बार विजेन्द्र गुप्ता जी का नाम होता है 280 में। फिर आप कहोगे पर्शियलिटी है या क्या है...मैं वही कह रहा था, पंकज पुष्कर जी ने गलत इन्फोर्मेशन दी मीडिया को। इन्हें देना चाहिए था कि हमारा 40 मिनट तो विजेन्द्र गुप्ता जी खा जाते हैं। 20 मिनट में किस-किस के जवाब दिये जाये।

**अध्यक्ष महोदय :** दलाल साहब, आप अपनी बात करिये, औरों के न रह जायें। आप प्लीज पढ़िये।

**श्री सुखबीर सिंह दलाल :** मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मैंने अपनी विधान सभा से संबंधित दो तीन दिन क्वेश्चन लगाये थे, है कौन-सा, मुझे पहले तो यह बताया जाये; फलाईओवर का है या डी. डी. ए. का है क्योंकि कभी नंबर तो आता नहीं। मुझे तो अभी मिला है कि आपका नंबर आया है डी. ए. का है क्योंकि कभी नंबर तो आता नहीं। मुझे तो अभी मिला है कि आपका नंबर आया है तो मैं पता कर लेता हूँ किस पर बोलना है। आज की डेट में मैं डी. डी. ए. की मार्किट पर बोल दता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय :** दलाल जी, आप प्लीज पढ़िये।

**श्री सुखबीर सिंह दलाल :** अध्यक्ष जी, मेरे यहां डी. डी. ए. की पी. वी. सी. की मार्किट है जो 1200 एकड़ में फैली हुई है लेकिन वहां डी. डी. ए. के अफसरों में मिली-भगत होने के कारण...

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** बातचीत नहीं, प्लीज।

**श्री सुखबीर सिंह दलाल :** 1100 एकड़ में अवैध कब्जे करके लोगों ने, जो अपने आपको भू-माफिया, बीजेपी का, किसी का बताते हैं और वहां पॉल्यूशन का इतना गंदा वो है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है तो मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि उस पी. वी. सी. मार्किट में जो अवैध कब्जे डी. डी. ए. के अफसरों द्वारा करवाये जा रहे हैं और पूरे एक किलोमीटर में पूरे कचरे का काम ही किया जाता है, उसके लिए मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि डीडीए के अफसरों को बुलाकर या उनके एक एई और जेई जिनका नाम भी मैं इसके अंदर लिख कर बता दूंगा कि वो वहां पर कर रहे हैं। वो अपने आपको बीजेपी का, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी की गवर्नमेंट है और डीडीए भी उन्हीं के अधीन है। वहां कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाये, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, वो ठीक हो जाये, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, धन्यवाद। पंकज पुष्कर जी।

**श्री पंकज पुष्कर :** माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 280 के अंतर्गत मुझे अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, जो एक सार्वजनिक लोक महत्व का विषय मुझको उठाना है, वो राइट टू इन्फोर्मेशन के आर्टिकल 4(बी) के अनुपालन के संदर्भ में है और अपनी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में सूचना तकनीक के सकारात्मक उपयोग के बारे में है। आरटीआई की धारा 4(बी) यह निर्देश करती है कि सरकार के सभी विभाग सभी जन उपयोगी सूचनाओं का स्वैच्छिक प्रकटीकरण करेंगे, वॉलेंटरी डिस्क्लोजर करेंगे और जो दिल्ली की वर्तमान सरकार है, वो एक जन

भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जन आंदोलनों से निर्मित सरकार है तो इस दृष्टि से वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि जन उपयोगी सूचनाओं को जनता के बीच रखने की दिशा में सक्षम और सतत् एक प्रगतिशील व्यवस्था हो। विभिन्न अनुभवों के आधार पर मेरा आकलन यह है कि यह सरकार आरटीआई की धारा 4 (बी) के निर्देश और दिल्ली के जनादेश के बाद भी इस दिशा में पर्याप्त रूप से संकल्पबद्ध नहीं है। और संकल्प रूप से प्रयासरत नहीं है तो इस दृष्टि से सदन में आज मुख्य सचिव महोदय भी उपस्थित हैं तो मेरा अनुरोध है यह है कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को जनता के करीब लाने के लिए, जनहित में यह आवश्यक होगा कि उक्त संदर्भ में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक समिति बने, जो यह सुनिश्चित करे कि प्रशासन में पूर्णतया पारदर्शिता, जन सूचनाओं का वॉलेन्टरी डिस्लोजर और आरटीआई की मूल भावना का अनुपालन करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का रूपांतरण हो और और इस संदर्भ में एक और जो पहलू उल्लेखनीय है वो यह है कि विभिन्न विभागों के पास डीआईपी के पास जो एडवर्टाइजमेंट का बजट होता है, उसकी मूल भावना यह है कि प्रशासन से जुड़ी उपयोगी सूचनाएं, प्रशासन से जुड़ी लोकहित की जानकारियां जनता के दरवाजे तक पहुंचे, आखिरी दरवाजे तक पहुंचे तो इस संदर्भ में यह आवश्यक होगा कि जो भी विज्ञापन का बजट है, वो जनता के सशक्तीकरण के लिए इस्तेमाल हो, न कि किसी भी राजनीतिक दल या किसी नेता के राजनीतिक प्रचार के लिए। तो मैं पूरे मंत्रिमंडल से और प्रशासन से नियम 280 के अंतर्गत इस निवेदन को बढ़ाना चाहता हूं कि जब सूचना तकनीक के वो सभी संभव उपाय उपलब्ध हैं तो दिल्ली का प्रशासन जो एक डिजिटल डेमोक्रेसी का, ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी का जो मॉडल है, उसकी तरफ बढ़े और आरटीआई की धारा जो है वॉलेन्टरी

डिस्कलोजर ऑफ पब्लिक यूटिलिटी इन्फोर्मेशन को मेन्डेटरी बनाती है, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और समयबद्ध तरीके से से हम पारदर्शी प्रशासन की तरफ बढ सकें, धन्यवाद महोदय।

**अध्यक्ष महोदय :** विशेष रवि जी।

**श्री विशेष रवि :** धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं गांव नांगल देवत के 59 परिवारों के साथ हुए अन्याय को सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह गांव नांगल देवत, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के नजदीक एक गांव है। 2007 में इस हवाई अड्डे के विस्तार के लिए इस गांव का अधिग्रहण किया गया था और उस समय वहां पर जितने परिवार रहते थे, उन सभी को जमीन के बदले जमीन देने का नियम बनाया गया था। इसके अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी दिल्ली सरकार से एडीएम और कुछ अधिकारियों को मिला कर एक कमेटी बनाई गई थी। सर, ये लोग 1 95 3 से यहां रह रहे हैं और 2007 में जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह जमीन ली, तो उससे पहले एक दिन पहले, जिस दिन सर्वे होना था, उससे एक दिन पहले गांव में एक नोटिस चिपकाया गया कि अगले दिन यहां पर डिमोलिशन होने वाला है और जो-जो लोग यहां पर हैं, वे अपना सामान यहां से हटा कर दूसरे स्थान पर ले जायें। गरीब लोग थे, दलित लोग थे, समझ कम होने के कारण वो उस पर्चे को सच मानकर वहां से सब लोग अपने-अपने परिवार को लेकर चले गये। अगले दिन वहां पर डिमोलिशन तो नहीं हुआ लेकिन वहां पर सर्वे के लिए टीम आ गई और जब सर्वे की टीम वहां पर, उस समय नहीं थे, ये 300 लोगों का एक गांव था, उसमें से 59 परिवार ऐसे थे, जो उस नोटिस के कारण जगह छोड़ कर चले गये थे और जब सर्वे हुआ तो ये लोग वहां मौजूद नहीं थे। बाद में उस कमेटी ने यह तय किया कि जो लोग हवां पर उस सर्वे के दिन मौजूद नहीं थे, उन लोगों

को जमीन के बदले जमीन नहीं दी जाएगी जबकि इन लोगों के पास 1953 से वहां रहने के सारे कागजात हैं और उसके बाद 2007 से लेकर आज तक ये जगह-जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जगह जगह मंत्रालयों में मंत्री, अधिकारी सबसे मिल चुके हैं लेकिन आज तक भी इनको जमीन के बदले जमीन या न्याय नहीं मिल पाया है। 2008 में ये उस समय के माननीय उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना जी से मिले थे। उन्होंने इनके लिए एक मीटिंग बुलाई थी और अधिकारियों से सुनने के बाद ये तय किया था, लिखित में मिनिट्स में आर्डर किये थे कि इन लोगों को क्योंकि इनके पास 1953 के यहां प्रूफ हैं, कागजात हैं तो ये भी एलिजिबल हैं और इन को भी जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिए। मिनिट्स में होने के बाद भी, आर्डर होने के बाद भी आज तक भी इन लोगों को जमीन के बदले जमीन नहीं मिली है। ये 59 परिवार, आज 40 दिन हो गये हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, वहां पर इस प्रार्थना को लेकर बैठे हुए हैं कि इनको न्याय मिले। इसमें जो और पीड़ा वाली बात ये है सर कि 15-20 दिन हो गये मैंने खुद, जो हमारे नये गवर्नर साहब हैं और जो मंत्री हैं राजू जी, उनसे समय लेने के लिए चिट्ठी डाल रखी है और लगातार फोलोअप के बाद भी अभी तक मुझे समय नहीं मिलता है कि मैं इन लोगों के मामले में वहां जा कर बात कर सकूँ, उनको बता सकूँ कि इनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ है।

तो इस सदन के माध्यम से मेरी प्रार्थना है कि अगर यहां से हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं जिससे इन लोगों को न्याय मिल सके। यहां पर नेता विपक्ष भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि अगर वो ठीक समझें, मुझे समय दें तो आज या कल मैं आपसे मिलके इन लोगों की पीड़ा रखना

चाहूंगा और वो अगर सहायता हमारी कर सकें तो बहुत कृपा होगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** संजीव झा जी।

**श्री संजीव झा :** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, जो मैं आज सवाल रख रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ, मैं मेरे ख्याल से हर सेशन में मैं ये सवाल रखता हूँ। सवाल पर आने से पहले मैं दो बातें आपसे कहूंगा हालांकि पहले भी कई बार बातें हो चुकी हैं। एक तो नियम 280 के अंतर्गत जितने भी सवाल हम लोग पूछते हैं, इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। पहले भी बताया गया कि इसका लिखित जवाब आयेगा, तो कोई लिखित जवाब नहीं आता है। हम लोग जब यहां हाउस में आते हैं, मान लीजिये अगर अलग से ही बात करना है अधिकारी से हम मिलते ही हैं, मंत्री जी से हम मिलते ही हैं और हाउस में जब आते हैं तो हम ये समझते हैं कि हाउस में जब सवाल उठायेंगे, उस पर कोई कार्रवाई होगी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो या तो कोई एक कमेटी बने जो ये जिम्मेदारी ले कि नियम 280 के अंतर्गत जो सवाल पूछे गए हैं, इसका कोई जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है। चूंकि हमने बिजली की समस्या को लेकर तारांकित प्रश्न भी पूछा, अतारांकित प्रश्न भी पूछा, हर सेशन में पूछते हैं और होता कुछ नहीं है। हमारे यहां बुराड़ी चूंकि अनऑथरोइज्ड कालोनीज से बसा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। इसमें कालोनीज का सिस्टम बहुत रैपिडली हो रहा है। अब होता क्या है कि पिछले 2-3 साल से एनडीपीएल ने यह कह दिया कि ये इलैक्ट्रिफाइड एरिया और अन इलैक्ट्रिफाइड एरिया का एक राग अलाप दिया। अब लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। हम जब जाते हैं उनके पास, तो कहते हैं नहीं जी, आपको 50 परसेंट देना पड़ेगा। अब चूंकि बिल्डर कोई

है नहीं, अनॉथराईज कालोनी में लोग अपने आप घर खरीदते हैं और बनाते हैं तो 50 परसेंट कौन देगा, जनता देने के लिए तैयार नहीं है। हमने लगातार मंत्री जी से भी बातचीत की, अधिकारियों से भी बातचीत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज से 6 महीने पहले मुझे किसी ने बताया कि ये 2013 के बाद हुआ। 2013 से पहले ऐसा कुछ नहीं था तो मैंने जब एनडीपीएल के लोगों से पूछा कि 2013 से पहले आप कैसे करते थे तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि जी, हमारे पास मेंटेनेंस हेड हुआ करता था। मेंटेनेंस हेड से हम कर लेते थे। तो अब क्यों नहीं कर पाते हैं तो अब हमारे पास फंड में पैसा नहीं आता है। तो मेरा यह कहना है कि 2013 से पहले जब होता था तो अब क्यों नहीं हो रहा है? हमारे यहां कम से कम 5000 घर ऐसे हैं जिनको मैं पिछले दो साल से कनेक्शन नहीं दे पा रहा हूं और ये बहुत गंभीर विषय है। फिर से जब गर्मियां आएंगी, फिर परेशानी होगी तो इसी लिए अध्यक्ष महोदय, सविनय मेरा आपसे यह निवेदन है कि चूंकि उसको हम इतना कमजोर न बनाये। अब इस पर कोई लेजिस्लेटिव पॉवर हमारा होगा। सिंह साहब बैठे हुए हैं कि अगर हम सवाल पूछते हैं तो उस पर जरूरत पड़े तो मंत्री जी को बुलाइये, अधिकारियों को बुलायें, क्यों नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई हो तो इसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई होनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** विजेन्द्र गुप्ता जी।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** अध्यक्ष जी, आज मैं आपके माध्यम से एक बड़े महत्वपूर्ण मामले पर प्रकाश डालना चाहता हूं। दिल्ली सरकार द्वारा जो सार्वजनिक यातायात की दृष्टि से इस विषय पर अक्टूबर 2015 को एक निर्णय लिया गया था कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, विस्तृत ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाई जाएगी इसके ब्लूप्रिंट पर काम किया जाएगा दिल्ली में जो सार्वजनिक यातायात के साधन हैं, जैसे



दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली परिवहन निगम है, टैक्सीज हैं, आटोरिक्षाज है, ई-रिक्षाज हैं, मैनुअल ड्रिवन रिक्षाज है, ये तमाम जितने भी सार्वजनिक यातायात के साधन हैं इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है और जब कोई सर्वे किया जाता है तो भी अलग-अलग उसी वाहन के हिसाब से किया जाता है जिस वाहन की बात हो रही है अगर बसेज की बात हो रही है तो बसेज को ले के कि बसेज कितनी हैं, कितनी होनी चाहिए लेकिन कम्पलीट सॉल्यूशन कम्पलीट सॉल्यूशन जिसको कहा जा सकता है। यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कि एक व्यक्ति घर से निकला वो अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेगा और उस डेस्टिनेशन से अगले डेस्टिनेशन पर अगर वो कही जाना चाहे तो क्या उसको पहले मेट्रो उपलब्ध है, फिर बस उपलब्ध है फिर कोई फर्दर सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो क्या इसकी कनेक्टिविटी का कोई एक पूरा रोडमैप जो है; उस पर काम करने की बात की गई थी। बहुत ही हैरानी की बात है कि अभी तक इस विषय में कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया है। कोई कन्सल्टेंट एप्वाइंट किया गया कि नहीं किया गया। यहा तक कि स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट ने भी 2013 में ये रिक्मंड किया था कि एनसीआर के लिए यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वो बनाई जाए तो वो भी यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अभी तक कोई नहीं बनी है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अपने इस विशेष उल्लेख के माध्यम से कि सरकार दिल्ली में यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पर काम करे। दिल्ली के अंदर जहां-जहां गैप है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जहां मेट्रो सेवायें टच नहीं कर रही हैं, वो नहीं पहुंच पा रही हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी कैसे हो और एक मॉडल इसका सरकार प्रस्तुत करे, इस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लेकर के। इससे पॉल्यूशन पर भी असर पड़ेगा और जो प्राइवेट व्हीकल्स लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका कारण ये होता

है कि उसकी कनेक्टिविटी के लिए उनके सामने कोई एल्टरनेटिव नहीं होता है। तो उनको लगता है कि अपने वाहन से ही क्यों न जाया जाए क्योंकि एक डेस्टिनेशन के बाद मैं आगे मूव कैसे करूंगा? तो मेरा यह अनुरोध है, मैं मांग करता हूँ सदन से कि यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पर तुरत सरकार काम करे। एक सम्मिलित योजना इसकी पूरी बनाई जाए और दिल्ली की यातायात व्यवस्था में जो गैप है, उसको जो स्वतंत्र रूप से अलग-अलग सर्वे किये जा रहे हैं, वो पूरी स्थिति को न करके एक यूनिफाइड सर्वे इसका किया जाए। कन्सल्टेंट एंवाइंट करने की जो बात थी, उसके बारे में बताया जाए और यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो एक तरह का डिस्पंक्शनल है, जिसमें अभी अक्टूबर 2015 में बाद कोई इस तरह का काम हमारे सामने नहीं आया है, अगर सरकार के पास इसके बारे में कोई त्रिस्तुत योजना है, जो काम हो चुका है, बयान नहीं कि हम कर रहे हैं, हम करेंगे; हम यहां तक पहुंचे हैं, हम वहां तक पहुंचे हैं, उससे नहीं। मेरी बात को स्टेट फॉर्वाड कॉण्ट्राडिक्ट कीजिए कि कन्सल्टेंट एंवाइंट हो गया है यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लिए और उसके नॉर्म्स बनाये जा रहे हैं। कोई ज्वाइंट सर्वे, सम्मिलित एक यूनिफाइड सर्वे तमाम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर से किया जा रहा है, पॉल्यूशन इससे इस प्रकार से कम होगा; उस तरह की कोई योजना अगर आपके पास है लिप सर्विस या सिर्फ कहने के लिए कहना है तो आप कहिये, आपका अधिकार है पर मैं सिर्फ यह कहूंगा सरकार से और देखिये विशेष बात जो आपका मेनिफेस्टो है, प्वाइंट नंबर 50 भी यही है जिसमें आपने कहा था यातायात के साधनों जैसे दिल्ली मेट्रो, बसें, ई-रिक्शा, आटो रिक्शा आदि को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत यातायात नीति बनाएंगे। यह वादा किया था कि आपने खुद अपने मेनिफेस्टो में इस बात को कहा है लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस पूरे मामले पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है जब कि 2013 में पार्लियामेंट

की स्टैंडिंग कमेटी ने भी ये रिक्मंड करके भेजा था कि यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फॉर एनसीआर पर दिल्ली सरकार काम कर रही है, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** हो गया, कुछ कहना चाहेंगे क्या? सत्येंद्र जैन, माननीय मंत्री जी।

**परिवहन मंत्री :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विजेन्द्र गुप्ता जी ने जो प्रश्न रखा है यूनिफाइड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इसके बारे में विचार किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे बिंदु हैं, सिर्फ बस चलाना या टैक्सी, आटो और ई-रिक्शा ही नहीं हैं उसके अंदर। ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कें भी उसका पार्ट हैं, लैंड भी उसका पार्ट हैं, डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर भी उसका पार्ट हैं। आपके संज्ञान में एक छोटी सी चीज लेकर आऊंगा मैं कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी भी दिल्ली का पार्ट है और जिस तरीके से वह काम करती है, आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा; मैं बता देता हूँ कि टीओडी; ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्कीम, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दिया है ट्रांजिट ओरिएंटेड जो कि मेट्रो लाइन के साथ-साथ जितने भी एरियाज हैं, उनको डेवलप करने के लिए नार्म्स बनाये जा रहे हैं, ट्रांजिट से रिलेटेड बनाये जा रहे हैं और उसके अंदर जब उन्हें पता लगा कि दिल्ली सरकार 31 बस डिपो को और 3 आईएसबीटीज को ट्रांजिट ओरिएंटेड के हिसाब से हमने कन्सल्टेंट एप्वाएटमेंट किया, विज्ञापन दिये; जैसे ही डीडीए कोप ता लगा, हो सकता है इनका भी हाथ हो उसके अंदर...

...(व्यवधान)

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** आप दूसरी तरफ चले गये।

परिवहन मंत्री : सर, सुन लीजिये पूरी बात आप बाद में...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उसी से रिलेटिड है, उसी से रिलेटिड है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : यूडी अलग चीज है।

परिवहन मंत्री : आप पहले सुन लीजिये, सुनने की हिम्मत रखियेगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : नार्थ दिल्ली में यूनिफाईड ट्रांसपोर्ट अथोरिटी बननी थी, वो डिस्फंक्शनल क्यों हो गया? पूरा प्रोजेक्ट ये टीओडी आप टीओडी बता रहे हैं मैट्रो के साथ जो टीओडी का, वो एक अलग ईशू है, वो इस चर्चा से रिलेटिड नहीं है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, प्लीज।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैंने जवाब तो नहीं मांगा।

अध्यक्ष महोदय : किसे?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : रिप्लाइ करने के लिये मंत्री जी...(व्यवधान)

परिवहन मंत्री : अरे सर! सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : वो अगर कोई उत्तर देना चाह रहे हैं, मैंने तोन हीं कहा उनसे।

...(व्यवधान)

परिवहन मंत्री : आप सुन लीजिये एक मिनट प्लीज।

**श्री नितिन त्यागी :** अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के पूछता चाहता हूँ ये 280 में भी सप्लीमेंट्री का ऑप्शन इन्हीं के पास क्यों है, हम सब के पास क्यों नहीं है? सर, हमें भी जनता भेजती है इसी काम के लिए।

**अध्यक्ष महोदय :** बैठिए बैठिए...(व्यवधान)

**श्री नितिन त्यागी :** क्या बात है, सर, ऐसी क्या बात है, ये इतना लंबा 280 पूछते हैं।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** त्यागी जी, प्लीज प्लीज। विजेन्द्र जी, आप दोनों बातों को हिला डुला रहे हैं। वो उत्तर दे रहे हैं कुछ तो उत्तर उनको देने दीजिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** ट्रांसपोर्ट से रिलेटिड दे रहें हैं, उनको पूरा सुन तो लो।

...(व्यवधान)

**परिवहन मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, ये सदन से सभी लोगों से रिलेटिड है, इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को पता होना चाहिये कि ये किस तरह की साजिशें करते रहते हैं बैठे हुए और फिर...

...(व्यवधान)

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** साजिश है ये?

**अध्यक्ष महोदय :** भई विजेन्द्र जी, अब नहीं। मैं अब अलाउ नहीं करूंगा आपको।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** विजेन्द्र जी, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मैं उसको अब नहीं अलाउ कर रहा हूँ। एक तो मंत्री जी खड़े हो के जवाब दे रहे हैं। 280 में येज रूरी नहीं, फिर आप उनको उत्तर पूरा तो करने दो ना जी। आप बार बार उठ जाते हैं। उनको बात तो पूरी करने दो।

**परिवहन मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, दरअसल मेरा जवाब पूरा होने से पहले जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो मुझे अब लग रहा है कि जरूर उनको इस बारे में पहले से मालूम था। 31 आईएसबीटी बस डिपो और तीन आईएसबीटी को हम डेवलेप करने के लिए कैसी स्कीम बनाई गई दिल्ली सरकार के द्वारा, तो डीडीए ने, लगता है कि इन्हीं के, क्योंकि मेंबर भी हैं डीडीए के, इन्होंने कुछ किया होगा तो, इसी तरह वो पूछ रहे हैं। कहते हैं जी, टीओडी के अंदर से ट्रांसपोर्ट को निकाल दो, ट्रांसपोर्ट को उसमें से निकाल दिया। मैंने केंद्रीय मंत्री जी को लैटर लिखा कि कर क्या रहे हो, ट्रांसपोर्ट को ही निकाल दोगे तो बचेगा ही क्या? इस तरह की साजिश! मैं आज भी बनाने को तैयार हूँ। उसके तीन पार्ट हैं; एक है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दूसरा है ट्रैफिक डिपार्टमेंट और तीसरा है डीडीए। तीनों को मिला के एक बना लेते हैं और अभी कहेंगे कि एलजी साहब को उसका अध्यक्ष बना दीजियेगा। वो तो पहले भी बना रखा है, यूटी पैक को बना रखा है ना। दिल्ली के अंदर कोई भी योजना आती है; सड़क बनानी है, फ्लाई ओवर बनाना है, तीन-तीन साल से पड़ी हैं वहां पर। तीन साल में एलजी साहब उसको देख

नहीं पाते हैं। उनके पास समय नहीं है। अरे! एलजी साहब होते हैं महामहिम। नहीं, उनका काम ये नहीं है रोज रोज की फाइलें देखना, छोटे-छोटे काम देखना अब महामहिम को आपने बना दिया। कहते हैं कि छोटे क्लेरिकल काम भी देखेंगे वो। यूटी पैक एक छोटा सा काम है कि दिल्ली के अंदर सड़कें बननी हैं, फलाई ओवर बनने हैं। उनको पास करने होते हैं। आपके भाई साहब बैठे हैं। मेरे पास हैं कि जी, पास करा दो। दो साल लगे उसको पास कराने में। डेढ़ साल पूरा लग गया जो आपकी सिग्नेचर ब्रिज से ले के भौपुरा बार्डर तक का है सर, डेढ़ साल लगा उसको पास कराने में एलजी साहब को। क्योंकि टाईम ही नहीं मिलता मीटिंग करने का। मैं तैयार हूँ, डीडीए मेरे अंडर कर दो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मेरे अंडर कर दो, ट्रांसपोर्ट मेरे अंडर है ही। तीनों को मिला कर उसका अध्यक्ष मैं बन जाता हूँ और मैं इसको कर दूंगा तुरंत।

**अध्यक्ष महोदय :** बग्गा जी। श्रीमान बग्गा जी।

**परिवहन मंत्री :** मुख्यमंत्री जी को बना देंगे।

**श्री एस के बग्गा :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बीएसईएस के कारनामों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बीएसईएस के कारनामों से लोग परेशान हैं। बीएसईएस के लोग घरों में चैकिंग के लिए जाते हैं, मीटर बदलने के लिए भी जाते हैं व पुराने उतारते हैं। उस समय बीएसईएस के लोग मीटर की सील तोड़ देते हैं व चोरी का केस बनाकर लाखों रूपये का बिल बनाकर भेज देते हैं। बीएसईएस के लोग पैसे मांगते हैं जो पैसे नहीं देता, उसे धमकी देते हैं कि तेरा लाखों का बिल बनाकर भेज देंगे। बीएसईएस ने जितने मीटर उतारे हैं, क्या वे सारे फॉल्टी होते हैं?

अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि बीएसईएस की गुंडागर्दी से लोगों को राहत दिलाएं तथा बीएसईएस के पिछले पूरे साल की डिटेल्स मंगवायें कि

कितने मीटर उतारें हैं या कितने बदले गये। उनमें से कितने गलत पाये गये तथा कितने ठीक पाये गये। इससे जनता को राहत मिलती। धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** शरद कुमार जी।

**श्री शरद कुमार चौहान :** धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

**अध्यक्ष महोदय :** शरद जी, एक सैकिंड। माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

**ऊर्जा मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, एक सीरियस मैटर उठाया है और जिस तरह के उन्होंने आरोप बताये हैं, अगर जा पा रही है तो जैसे ही डीआरसी का ये मामला सुलट जाता है, उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जायेगी और फिर मुस्कुरा ही रहे हैं, वो करवा ही सकते हैं। चाहे तो दो मिनट में करा देंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** शरद कुमार जी।

**श्री शरद कुमार :** धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। आपने नियम 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका ध्यान आज से बीस पच्चीस तीस साल पहले, अध्यक्ष महोदय, किसानों की जमीनें काफी ली गईं। दिल्ली में जो एक्वायर की गईं, उनको बोला गया कि भई, आप को एल्टरनेट प्लाट दिये जायेंगे तो उसक बाद काफी टाईम तक दिल्ली में कोई कार्य नहीं हुआ। हमारी सरकार बनी अरविंद जी के नेतृत्व में। इन्होंने एक दो महीना इस पालिसी पर थोड़ा सा ध्यान दिया हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। उसके बाद से इन्होंने बिलकुल ही उनको सबको परेशान करके इतने कागजों को थोप दिया गया, किसी पर कुछ, किसी पर कुछ। रोज किसान इतने आते हैं मेरे ख्याल से जितन भी किसानों



की जहां, हमारे विधायक बैठे होंगे जिन जिन के यहां से जमीन एक्वायर हुई तो ये सब के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो इसको एक बार अपने संज्ञान में ले के और मंत्री जी हमारे शहरी विकास मंत्री जी इसको थोड़ा सा ध्यान में देखें कि किस वजह से किसानों को वो क्या कर रहे हैं। आज पच्चीस साल बाद उनसे कहते हैं, उनको एक नोटिस भेजते हैं कि आपका कौंसिल कर दिया गया है। जी, आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, पच्चीस तीस साल बाद। तीस साल लटकाये रखा उनको। उनकी जमीनें कोड़ियों के भाव में ली गई और उनको एक अल्टरनेटिव प्लॉट के लिए बोला गया कि भई, आपको सौ दो सौ गज का जो भी अल्टरनेटिव प्लॉट बनेगा, आपको दे दिया जायेगा। आज तीस साल बाद उनको बुला के, अब ये कह दिया गया कि कोर्ट ने कोई ऐसा आर्डर कर दिया होगा। 2011 में कि भई, उनको प्लॉट नहीं दियाजा सकता। अगर इनके पास घर की भी जमीन है तो एक ये थोड़ा सा अपने संज्ञान में ले के इस चीज को ध्यान में देखें कि किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। पूरी दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है कि उनको प्लॉटों के बारे में, एक बार इसकी थोड़ा सा कोशिश करके प्लॉट दिलवाया जाये, धन्यवाद जी।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री महेंद्र गोयल जी।

**श्री महेंद्र गोयल :** अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद और मैं दिल्ली सरकार का भी और ज्यादा से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज बाहर पेपर में पढ़ रहा था कि आप विधायकों ने सरकार को घेरा, कम से कम आम आदमी पार्टी विधायक तो ऐसे हैं कि वो विपक्ष की भूमिका भी साथ साथ निभाते हैं। विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाता है। क्योंकि जनता की आवाज को उठाना हमारा काम है, इसलिए इस सदन के अंदर आये हैं। डीएसआईडीसी एक एजेन्सी है जो हमारे क्षेत्र में काम करती है; बुद्ध विहार, विजय विहार,

बुद्ध विहार फेज वन, फेज टू, विजय विहार फेज वन, फेज टू, तीन बार लगातार टेंडर हो चुके हैं लेकिन ग्राउंड पर एक बार भी नहीं आया। अभी पीछे था कि 15 तारीख को हम उद्घाटन कर देंगे, उसका नायिरल फोड़ देंगे लेकिन अब पता लगा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं तो ये टेंडर कैसे हो गए, ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना भी चाहूंगा और इसके खिलाफ जो भी एक्शन बनता है क्योंकि जनता के दर्द को हम लोग जानते हैं इस सदन के अंदर आवाज उठाते हैं तो वो आवाज पूरी होनी चाहिए। आपके माध्यम से यही मैं आपसे विनती करता हूँ, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री नरेश बाल्यान जी (अनुपस्थित), आदर्श शास्त्री जी।

**श्री आदर्श शास्त्री :** धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मेरी विधानसभा द्वारका के अंदर उत्पन्न एक समस्या को सदन के सामने लाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, मेरी विधानसभा में घनी आबादी है लगभग तीन बाईं तीन स्केवेयर किलोमीटर की कॉस्टीट्यून्सी है, जिसके अंदर लगभग साढ़े तीन लाख लोग रहते हैं और वहां पर जो सबसे बड़ा नाला बहता था, डीडीए के माध्यम से उसके ऊपर एक पुल बनाया गया। जिसकी डाबड़ी से कैलाश पुरी तक का पुल कहा जाता है और ये पुल डीडीए के माध्यम से बना और उसके बाद नगर निगम को दे दिया गया, मेनेटेन करने के लिए। पिछले डेढ़ वर्ष में जब से ये पुल का उद्घाटन हुआ है, इस पुल के ऊपर तमाम तरीके से अवैध कब्जे, अवैध पार्किंग, रेहड़ी पटरी वाले यहां पर आकर घुसकर बैठ गए हैं और आज उसकी समस्या ये है कि लगभग ये 2400 मीटर, ढाई किलोमीटर

का जो पुल है, उस पुल पर वाहन तो दूर की बात, पैदल चलने की भी जगह नहीं बची है। बार-बार सदन में भी और अलग-अलग मीटिंग में मैं डीडीए के वाईस चेयरमैन से मिला, केंद्रीय मंत्री जी से मिला, उसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से मिला और कमिश्नर, एडीएमसी से कई बार मुलाकात के बावजूद भी इस पर पिछले डेढ़ साल में एक भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। समस्या बढ़ती जा रही है। वहां पर जो नागरिक रहते हैं, उनसे रोज ये सवाल आता है मेरे सामने कि वहां पर चलना मुश्किल हो गया है, वहां पा लॉ एंड आर्डर की प्रोब्लम हो गई है और मेरा ये मानना है कि दिल्ली पुलिस डीडीए और नगर निगम अगर तीनों इसमें एक रूख अपनाकर निर्णय ले ले तो मैं समझता हूं, 24 घंटा भी नहीं लगेगा, इस पर ये अवैध अतिक्रमण और जिस तरह की रेहड़ी पटरी वालों का कब्जा हो गया है, उसको खाली करने में और इस रोड का जो ओब्जेक्टिव था, ढाई किलोमीटर का कि पंखा रोड के साथ ये पैररल सड़क है और पंखा रोड के अलावा जो कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो पंखा रोड को डिक्न्जेस्ट कर दें और डिक्न्जेस्ट होने से ये कॉलोनी की रोड को इस्तेमाल करें। वो इसका सही मायने में उद्देश्य पूरा किया जाएगा। मैं यहीं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस नगर निगम और साथ में डीडीए मिलकर सदन के और द्वारका के रहने वाले लोगों की, नागरिकों की समस्याओं को देखते हुए इस पर उचित कार्रवाई करेंगे, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** जरनैल सिंह जी।

**श्री जरनैल सिंह** (तिलक नगर) : धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में डीयूएसआईबी विभाग द्वारा फ्लैट्स बनाकर इकॉनॉमिकली वीकर सैक्शन लोगों को एलॉट किए गए थे। ये मसला पहले

भी मैं विधानसभा में उठा चुका हूँ। उन फ्लैट्स में क्योंकि सारे इकॉनॉमिकली वीकर सैक्शन के लोगों को दिए गए थे। तो उनकी जो मूल पेमेंट थी वो किश्तें न भर पाने की वजह से, उनसे कई गुणा ज्यादा ब्याज लगते जगते एमाउंट इतना ज्यादा हो चुका है कि अब उनको नोटिस आ रहे हैं कि आपके फ्लैट्स सील कर दिए जाएंगे और कई जगह, एक्शन भी; एक दो जगह विभाग द्वारा लिया जा रहा था, तो हमारी रिक्वेस्ट के पर रोक दिया गया। पर अब इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि क्योंकि डीयूएसआईबी के मंत्री जी भी बैठे हैं कि उनके लिए कोई ब्याज मुक्त या और कम से कम ब्याज करके स्कीम लाई जाए जिससे सरकार का भी पैसा आ जाए और उनको भी मकानों का मालिकाना हक मिले और वो भी सम्मान से जी सकें। तो इसपर कोई न कोई जल्दी कार्रवाई की जाए क्योंकि वो हजारों फ्लैट्स तो मेरी कॉन्सिडरट्यूएन्सी में ही हैं। इसके अलावा भी पूरी दिल्ली में अलग-अलग फ्लैट होंगे। सरकार का भी करोड़ों रूपए का रैवन्यू आ जाएगा अगर कोई स्कीम आ जाती है। लोग भी देने को तैयार हैं। क्योंकि अब नोटिस आ रहे हैं तो लोग भी चाहते हैं कि उन्हें कोई अगर रिलेक्शंसन मिल जाए इंटरस्ट में या वेब ऑफ हो जाए इंटरस्ट तो वो सब भी देने को तैयार हैं। एक आपस में सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल की जाए और लोग भी इसमें मतलब इस काम को करने में इंटरस्टेड हैं तो मैं अपनी तरफ से ये विनती करना चाहता हूँ, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** अनिल बाजपेयी जी।

**श्री अनिल कुमार बाजपेयी :** सर, मैं आपका ध्यान एक बहुत विशेष मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि सर कि ईडीएमसी के अंदर बीजेपी का राज है और मैं ये सर, दिखाना चाहता

हूं कि सारे सदन को, सर आपको भी (मोबाइल पर फोटो दिखाते हुए) दिखाना चाहता हूं। अभी नगर निगम के एक स्कूल उद्घाटन हुआ। उसमें पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी और जो एमसीडी का स्कूल था, उस स्कूल के सारी बाउंडरी के अंदर, बाहर लग जाता तो कोई बात नहीं थी सर, पूरे स्कूल के अंदर बीजेपी के होर्डिंग लगाए गए सारे ये। आज अगर हम लोग जैन साहब यहां बैठे हुए हैं, गोपाल राय साहब बैठे हैं, कपिल भाई मेरे यहां उद्घाटन करके आए हैं, हमने एक भी सरकारी इमारत के अंदर एक भी अपनी पार्टी का होर्डिंग हमने नहीं लगाया है। अगर हमने होर्डिंग लगाए है। तो बाहर लगाए हैं और हम जब एक आदर्श बनने की बात हमारी पार्टी करती है तो इस तरह इडीएमसी के अंदर राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है?

सर, आज से 3 महीने पहले यहां पर इडीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने एमसीडी के यहां पर कम्युनिटी सेंटर का जबरदस्ती ताला खुलवाया और कम्युनिटी सेंटर का ताला खुलवाकर, दबाव डालकर बीजेपी की एग्क्यूटिव कमेटी की मीटिंग यहां पर कराई गई, सारा अखबारों में छपा। मैंने कमिश्नर साहब से बात की, मैंने डीसी साहब से बात की। उन्होंने कहा कि मैं इंक्वायरी सेटअप कर दूंगा लेकिन सर, आज तक कोई सर इंक्वायरी सेटअप नहीं की।

मैं इस सदन के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि आप अपने अधिकार को लेकर इसमें कम से कम कमिश्नर को इस सदन में जरूर हाजिर किया जाए और उनसे पूछा जाए क्या ऐसे ही करेंगे आप लोग। ये अधिकार का मामला नहीं है। मामला ये नहीं है कि आप हमारा होर्डिंग लगाइये। किसी का न लगाइये लेकिन जो सरकारी इमारत है, सर, उसके अंदर किसी भी राजनीतिक दल का होर्डिंग नहीं लगना चाहिए।

दूसरा इश्यू आ रहा है नगर निगम की हर सीट पर दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा 50 लाख रूपये का लोन इलाके में काम करने के लिए एमएलए लैंड फंड से दिया गया। एमएलए का नहीं है वो और उसके अंदर साफ तरीके से जो ईडीएमसी से चीफ इंजीनियर है, उन्होंने साफ तरीके से लैटर लिखा कि कोरपोरेशन के मैम्बर्स से कन्सल्ट करके आप लोग सड़क बना सकते हैं। मैंने कमिश्नर के साथ मीटिंग की। मैंने कहा सर, ये क्या है देखिए आप। बोले हमने कोई ऐसा आर्डर नहीं किया है। मैंने कहा चीफ इंजीनियर का आर्डर है। उसके अंदर साफ लिखा है कि कोरपोरेशंस के मैम्बर से सलाह लेकर आप सड़क बना सकते हैं जबकि सर ऐसा कोई ओदश नहीं है, कोई स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कोई ऐसा प्रस्ताव पास नहीं है। अगर कोई सड़क बननी है तो उसमें एमएलए से भी इसकी कंसर्ट ली जा सकती है और कोरपोरेशन के मैम्बर से भी ली जा सकती है। इसकी जांच होनी चाहिए ये मेरा आपसे निवेदन है सर।

**अध्यक्ष महोदय :** धन्यवाद। अजय दत्त जी, बस अंतिम है ये, अजय दत्त जी।

**श्री अजय दत्त :** धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। कल सुबह मुझे पता चला है कि मेरे पुश्तैनी घर सेदो गलियां दूर, दो लड़कों को मार दिया गया। उससे पहले गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी, उससे एक हफ्ता पहले पता चला कि गोली मारकर दो लोगों की और हत्या कर दी, उससे एक हफ्ता पहले पता चला कि गोली मारकर दो लोगों की और हत्या कर दी थी। करीबन एक महीना पहले मेरी पुश्तैनी गली में, जहां मैं रहता हूं, उससे 8 घर छोड़कर एक युवा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दो महीने पहले मेरे ऑफिस के गेट के सामने उस समय मैं ऑफिस में मौजूद था। उस समय गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्याकर दी। ऐसे रोज कोई न कोई गोली मारने का, चाकू

मारने का, रेप का, खुल्लेआम दारू बिकने का धंधा अंबेडकर नगर में करीबन एक साल से बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी सूचना मैंने दिल्ली के पुलिस अधिकारियों को भी दी, डीसीपी को भी कहा, मैंने लैटर लिखकर उनको अवगत कराया कि दिन रात मेरे क्षेत्र में इस तरीके की गतिविधियां बढ़ रही हैं और पुलिस वहां पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैंने उनको कहा कि पेट्रोलिंग बढ़ा दो, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मैंने उन्हें कहा कि पुलिस की बीट बढ़ा दी। पुलिस की चौकियां बनवा दो, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और ऐसी स्थिति है कि मेरे घर से 20-10 मकान छोड़कर लोगों को मार दिया जाता है। मेरे ऑफिस के गेट के सामने और उसका फुटेज भी मेरे ऑफिस से गया, हत्या कर दी जाती है। तो अंबेडकर नगर की जनता हेतु दहशत में है और पुलिस को बार-बार इत्तेलाह की जा रही है और हो सकता है कि इस तरीके की कार्रवाई मुझ पर भी कभी हो जाए क्योंकि वहां आए दिन चक्कू, छुरी, गोलियां चलती रहती है और पुलिस की कोई भी कार्रवाई नहीं होती।

मुझे लगता है कि एक तो ये बहुत बड़ा पुलिस का निकम्मापन जो देखने में आ रहा है और दिन रात वहां अवैध कब्जे जो रहे हैं। शाम को देखा, जगह खाली थी, सुबह आकर देखा वहां पर एक शेड डल गया है। उनको कहा जाता है कि किसने डाला, पुलिसकी मिली भगत से, एमसीडी की मिली भगत से वो काम हो रहा है। पूरा अंबेडकर नगर एक तो अवैध कब्जे से ग्रस्त है। दूसरा पुलिस की नाकामी से वहां इतना बुरा माहौल है कि कोई भी बेटी घर से नहीं निकल पा रही है और कोई व्यक्ति जो एक अच्छे घर से संबंध रखता है, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि पुलिस कमिश्नर को इसकी इत्तेलाह दी जाए और एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या जो मुझे लग रही है, वो यह है कि मीडिया भी इन चीजों को नहीं उठा रही है। मीडिया में भी सर ये बहुत...

**अध्यक्ष महोदय :** कंकलूड करिए अजय दत्त जी। मैंने आपको समय दिया, भाषण के लिए नहीं।

**श्री अजय दत्त :** सर एक मिनट और। मीडिया भी इसको नहीं ले रही है। ना तो दिल्ली पुलिस इसका संज्ञान ले रही है, ना मीडिया इसको लिख रही है और इस दहशत के माहौल में सारे लोग जी रहे हैं। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि पुलिस कमिश्नर को बुलाकर उससे पूछा जाए या उसको लिखित में दिया जाए कि अंबेडकर नगर में कितने कत्लेआम, कितनी चाकूबाजी हुई, उसका रिकार्ड मंगाया जाए और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, उस के बारे में हमारे सदन को बताया जाए और वहां के लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** जैन साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? माननीय मंत्री जी।

**गृह मंत्री ( श्री सत्येंद्र जैन ) :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है, बहुत ही गंभीर विषय है कि दिल्ली के अंदर क्राइम काफी बढ़ रहा है। साथ ही साथ दुख का विषय ये भी है कि दिल्ली पुलिस को जनता की सुरक्षा से ज्यादा कई तरह के पोलिटिकल कामों में लगाया जाता है। जैसा कि विदित है पिछले लगभग 2 साल के अंदर इसी सदन के 16 लोगों को भी अरैस्ट किया गया डिफरेंट-डिफरेंट चीजों में। बाद में पता लगा कि एक-एक आदमी को अरैस्ट करने के लिए कितनी-कितनी फोर्स लगाई जाती है। अब जो कत्ल कर रहे हैं, जैसा कि बताया कि इनकी विधान सभा में 3 कत्ल हुए, रेप्स हो रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा



है। और तो और जो कई सालों से थाना लेवल कमेटी होती थी, उस थाना लेवल कमेटी को भी आदरणीय पूर्व उप राज्यपाल महोदय ने भंग कर दिया। उस थाना लेवल कमेटी के अध्यक्ष माननीय विधान सभा सदस्य होते थे और जिस तरह की समस्या लोकल एरिया की है, वो अपनी अध्यक्षता में हर महीने में या दो महीने में एक मीटिंग करके सारी चीजों को डिस्कस किया करते थे। उनके ऊपर मॉनिटरिंग किया करते थे, तो वो मॉनिटरिंग का सिस्टम बिलकुल खत्म हो गया। उन्होंने डिस्ट्रक्ट लेवल कमेटी तो रखी है, जिसके अंदर सांसद, उसके अध्यक्ष होते हैं तब भी मैंने अपना विरोध प्रकट किया था। तब मैंने कहा था कि एक घंटे की मीटिंग के अंदर आप 20 थानों की डिस्कशन, मतलब एक थाने के अंदर तीन महीने में एक बारी कर भी लेंगे तो क्या हो जायेगा, आपको एक थाने के अंदर तीन मिनट मिलेंगे। एक थाने को तीन मिनट के अंदर अगर वहांपर तीन मर्डर हो चुके हैं तो मर्डर का नंबर एक मिनट के लिये आयेगा, बाकि चीजें तो आ ही नहीं पायेंगी। तो थाना लेवल कमेटी, मुझे लगता है कि फिर से बनाने की आवश्यकता है और उसमें मेरा एक सुझाव ये भी था कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी थी, पहले शायद 2 महीने की थी तो मैंने कहा था कि हर महीने उसकी मीटिंग होंन चाहिये, दो-तीन छोटे-छोटे सुझाव थे, जो मुझे लगता है कि काफी ठीक थे। तो उसको दुबारा से रखा जायेगा नये उप राज्यपाल के सामने।

### प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

**अध्यक्ष महोदय :** धन्यवाद। श्री सोमनाथ भारती जी, श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, माननीय सदस्य विशेषाधिकार समिति के चौथे प्रतिवेदन को प्रस्तुत करेंगे।

**श्री सोमनाथ भारती :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विशेषाधिकार समिति के चौथे प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।<sup>4</sup>

4. पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर-16450-51

### प्रतिवेदन पर सहमति

**अध्यक्ष महोदय :** सुश्री राखी बिड़ला, श्री अमानतुल्लाह खान जी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन दिनांक 17 जनवरी, 2017 को प्रस्तुत प्रश्न एवं संदर्भ समिति के विशेष प्रतिवेदन से सहमत है।

**सुश्री राखी बिड़ला :** अध्यक्ष महोदय जी मैं आपके अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन दिनांक 17 जनवरी, 2017 को सदन में प्रस्तुत प्रश्न एवं संदर्भ समिति के विशेष प्रतिवेदन से सहमत है, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पास हुआ

अब सदन की कार्यवाही चाय काल के लिये सदन स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही चाय काल के लिये सदन स्थगित की गई)

(सदन अपराह्न 4.20 बजे पुनः समवेत हुआ।)

**अध्यक्ष महोदय ( श्री रामविलास गोयल ) पीठासीन हुए।**

**अल्पकालिक चर्चा (नियम-55)**

**अध्यक्ष महोदय :** श्री सोमनाथ भारती जी दिल्ली हैदराबाद तथा देश के विभिन्न भागों में रोहित वेमुला के लिए न्याय की मांग कर रहे विद्यार्थियों तथा युवाओं पर कथित राज्य प्रायोजित अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में अल्पकालिक चर्चा प्रारंभ करेंगे।

**श्री सोमनाथ भारती :** अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस टॉपिक को स्वीकार किया और मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय आज, अखबारों में इस तरह के फोटो आए हैं, जहां कि पुलिस महिलाओं को खींच-खींच कर मार रही है। अध्यक्ष महोदय, ये इस तरह का अत्याचार...

**अध्यक्ष महोदय :** सोमनाथ जी कौन से प्रदेश की फोटो है, ये कहां की फोटो है?

**श्री सोमनाथ भारती :** अध्यक्ष महोदय, ये हमारे यहां दिल्ली की फोटो है।

**अध्यक्ष महोदय :** हां, ये बोलकर बताइए ना जी।

**श्री सोमनाथ भारती :** अध्यक्ष महोदय, ये 17 जनवरी 2016 को जो रोहित वेमुला का, जो हमारे एक बड़े तेजस्वी छात्र ने हैदराबाद के अंदर आत्महत्या की थी। उसके विरोध में जो कल प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर शेड्यूल हुआ था और हैदराबाद के अंदर, उसमें पुलिस की जो बर्बरतापूर्ण कार्यवाही हुई है, जो सबने देखा है।

अध्यक्ष महोदय, आज टाइम्स ऑफ इंडिया की मेरा पास रिपोर्ट है, जिसकी हैड लाईन है "A year later, students fight on for Vemula." उसमें जो पिक्चर्स हैं अध्यक्ष महोदय, पुलिस महिलाओं को बाल पकड़ करके खींच रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास और भी अखबार हैं जिसमें कि बड़े डिटेल में बताया गया। अध्यक्ष महोदय, ये भी बड़ा साफ-साफ दिखाया गया है; ये महिला जिसका नाम दीक्षिता धर है, An activist from the student federation of India at protest, she is being dragged by the police.

अध्यक्ष महोदय जिस तरह का कार्रवाई हुई है, वो मानसिकता क्या है, वो दर्शाता क्या है? अध्यक्ष महोदय, कल का प्रोटैस्ट किन कारणों से हुआ, किसने किया और कहां-कहां पर हुआ; ये हर अखबार के अंदर आया है। साथ में, मैं यह बताना चाहता हूँ कि कल जो प्रोटैस्ट इस बात को हाई लाईट करने के लिए था कि रोहित वेमुला की जो आत्महत्या हुई थी हैदराबाद में, जो न्याय उनको मिलना था, वो आज तक न्याय नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय, 2016 में एक ऐसा माहौल पूरे देश में था कि छात्रों के ऊपर जो बर्बरता पूर्ण कार्रवाई हुई भाजपा और भाजपा के नेताओं के द्वारा और भाजपा सरकार के द्वारा, जिसमें कि हमने कई छात्रों को गंवाया। अध्यक्ष महोदय, दो बड़े साफ-साफ ये पिक्चर बड़े साफ-साफ आया है, जो देख सकते हैं। सारे हमारे एमएलए साथी देख लें कि किस तरह का माहौल दिल्ली में था और किस तरह का माहौल कल हैदराबाद में था।

अध्यक्ष महोदय, रोहित वेमुला की एक तरह से हत्या हुई, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। उन रिपोर्ट्स में बताया गया कि दत्तात्रेय जो भाजपा के मंत्री थे और भाजपा की उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर थीं, स्मृति रानी जी, उन दोनों का किस तरह से दखल अंदाजी था, जिसमें पूरे देश ने देखा कि रोहित वेमुला ने अपनी जान गंवाई और जो रोहित वेमुला की स्पिरिट थी, उस स्पिरिट को जिंदा

रखने के लिए पूरे देश में पिछले एक साल से स्ट्रगल चल रहा है। आज तक, एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि रोहित वेमुला के साथ नाइंसाफी हुई। जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें कुछ इस तरह की बातें निकल कर नहीं आईं। अध्यक्ष महोदय, और तो और जो जांच समिति बनी थी कि रोहित वेमुला के साथ जो नाइंसाफी हुई जो अन्याय हुआ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर उसके क्या कारण थे, वो तो नहीं आया लेकिन सारा का सारा जोर लग गया कि रोहित वेमुला एक दलित नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, ये बात पूरे देश के सामने आई। असल में अध्यक्ष महोदय, बात ये है कि भाजपा एजूकैटिड लोगों को पसंद ही नहीं करती और खास कर के तब जब वो कोई दलित हो। जो दलित को प्रताड़ित करने की मानसिकता है और दलित को डराने की मानसिकता है; मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये मधु मिश्रा हैं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रजीडेंट हैं उन्होंने कहा *People who are ruling over us with the help of the constitution used to clean our shoes in the past.* ऐसी मानसिकता के लोग हैं *There was a time when we did not even want to sit close to them but now in a few years time our children may have to call them hazaar.* अगर ऐसी मानसिकता के लोग शासन में रहेंगे तो रोहित वेमुला को तो न्याय नहीं मिल सकता।

अध्यक्ष महोदय, हमने दिल्ली के अंदर भी देखा। जैन्यू के अंदर इस तरह से नजीब अहमद के साथ किया गया। आज 5 महीने हो गए हैं, कहीं भी कोई ट्रेसेबल रिपोर्ट नहीं है। पूरे देश में हा-हाकार मच गया। सबने बातें कर ली लेकिन कोई भी आज तक नहीं जान पाया कि नजीब के साथ हुआ क्या! अध्यक्ष महोदय, एबीवीपी के लोगों ने जिस तरह से बरबरतापूर्ण व्यवहार नजीब

के साथ किया और ऑन रिकॉर्ड्स है, कई चैनलों ने दिखाने का प्रयास भी किया, उनको दबा दिया गया। आज ये देश जानना चाहता है माननीय मोदी जी से कि जो माहौल आपने देश में पिछले एक साल में पैदा किया, जिसमें कि रोहित वेमुल्ला हमसे छिन गया, नजीब अहमद हमसे छिन गया। आज दलित जितने भी हमारे लोग हैं, एक ऐसे भय के माहौल में जी रहे हैं जो माइनोंरिटीज के लोग हैं, ऐसे भय के माहौल में जी रहे हैं कि हम बता नहीं सकते अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कल रोहित वेमुल्ला की मदर हैं, उनकी खबर आई। बड़ा दुःख हुआ जानकार के कि हैदराबाद में जब वो प्रोटेस्ट करने गई अपने बेटे के साथ और वहां पे काफी सारे लोग गए प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको सुनना तो दूर, उनको अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करके उनको जेल भेज दिया गया। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से कि क्या इस देश के अंदर अपनी बात को शांतिपूर्वक रखना कोई अपराध है? क्या संविधान हमें इसकी परमिशन नहीं देता? अध्यक्ष महोदय, मुसीबत यह है कि जिन लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर दी गई है, उनकी मानसिकता ही दलित विरोधी मानसिकता है। अध्यक्ष महोदय, आज जो खबरें छपी हैं जिस तरह से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो जा रहे थे। मंडी हाउस में एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ। जब वो लोग जन्तरमन्तर के पास पहुंचे, उनको वहां रोक दिया गया और ये कहा गया कि भई, आप इससे आगे नहीं जा सकते, वो वहीं पे धरने पे बैठ गए। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सों ने मिलकर के उनको वहां पे मारा पीटा और जब कुछ लोग बचकर के पास के मैकडोन्ल्ड्स में जाके छिप गए तो वहां उनको मैकडोन्ल्ड्स के अंदर से लोगों को खींच-खींच के बाहर निकाला। अध्यक्ष महोदय, उसमें दो जर्नलिस्ट भी थी, एक तो इंडियन

एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट थी और एक ओर कोई ऑन लाहुन वेब पोर्टल की जर्नलिस्ट है। अध्यक्ष महोदय, इसमें बकायदा इस बात का उल्लेख है, लेकिन ये सरकार जिसके पास पुलिस है, ये सरकार जिसके पास आज पूरी पावर में, सत्ता में है, उसको तनिक सी भी चिंता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे साथी विजेन्द्र गुप्ता जी बैठे हैं, उसी पार्टी के हैं जिस पार्टी की आज केंद्र के अंदर सरकार है। क्या इस तरह का व्यवहार वो कभी मंजूर करते अगर कोई और सरकार पावर में होती? आज कोई बोलने वाला नहीं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज के एक अखबार में एक ओर न्यूज है जो हमारे सीआईसी हैं, इम्फोर्मेशन कमिश्नर उन्होंने, जो हमारी स्मृति इरानी जी हैं, पूरे देश को ये क्यूरेसिटी थी कि माननीय मोदी जी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, माननीय स्मृति इरानी जी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये बड़ा इन्ट्रेस्टिंग सा है कि जब उस इन्फोर्मेशन कमिश्नर ने ये आदेश दिया कि भाई माननीय मोदी जी की जो शैक्षिक योग्यता है, वह दिखायी जाए पूरे देश को, शैक्षिक योग्यता को दिखाया जाए पूरे देश को, तो उनसे वो डिपार्टमेंट छीन लिया गया, एचआरडी मिनिस्ट्री छीन ली गई, दिल्ली सरकार छीन ली गई। अध्यक्ष महोदय, कल उन्होंने फिर एक ऐसा चूँकि दिल्ली सरकार और एचआरडी मिनिस्ट्री जो उनके स्कोप ऑफ वर्क में आता था, पहले उसको छीन लिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, ये अध्यक्ष महोदय, खबर है 12 जवरी 2017 की इंडियन एक्सप्रेस के टॉप में आया था कि इनफोर्मेशन कमिश्नर Loses HRD after his D. U. order. अध्यक्ष महोदय, जब-जब इस देश की किसी भी संस्थान में, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने अपनी अपना रोल अदा करने का प्रयास किया, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो ईवन ज्यूडशरी हो, सबकी पावर को सटल करने के लिए भरपूर प्रयास किया गया था। अध्यक्ष महोदय, आज भारत के अंदर वो संस्थान जो अपने रोल को अदा करने का प्रयास कर रहे

हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है जिसके कारण से यहां के संस्थान की पावर्स को कर्टेल करके उन्हें पंगु बनाया जा रहा है। तो आज ये पूरा सदन आपके माध्यम से उसका विरोध जताना चाहता है।

अध्यक्ष महोदय, ये जो बात मैं पहले कह रहा था रोहित वेमुल्ला को जो न्याय मिलना था, नजीब अहमद को जो न्याय मिलना था, उसकी बात तो कोई कर ही नहीं रहा। आज की तारीख में जो प्रोटेस्ट्स भी हैं, जो अपनी बात को रखना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं कि जी, जिस तरह का माहौल देश में पिछे एक साल से है, जिसमें कि करीब-करीब हर संस्थान के अंदर चाहे आईआईटी हो, चाहे मद्रास यूनिवर्सिटी हो, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे जैनयू हो, हर जगह छात्रों की इंडेपेंडेंट वॉएस को कुचलने का जो प्रयास किया गया, अध्यक्ष महोदय, वो एक बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया मोदी सरकार द्वारा। अध्यक्ष महोदय, मैं और भी रिपोर्ट ढूँढ रहा था उसमें निकल के आया कि जो रोहित वेमुल्ला जी की मदर हैं राधिका आज इस फाइनेंशियली इतनी पूअर हो चुकी हैं कि उनको एक दर्जी का काम करना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। जो उनका भाई है वो काफी पढ़ा लिखा है, राजा विमुल्ला आज उनको ऑटो ड्राइवर का काम करना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय इस तरह की मानसिकता के लोग जब पॉवर में होते हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने संस्थानों की वॉएस को कुचलने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि आज इस तरह से डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा काला दिन साबित हो रहा है अध्यक्ष महोदय। मैं मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई थी, मैं ये बताना चाहता हूँ यूनियन मिनिस्टर दत्तात्रेय साहब ने एचआरडी मिनिस्टर स्मृति इरानी को लिखा था कि चूँकि University has become a den of castists, extremists and anti-national politics, अध्यक्ष महोदय, ये इस तरह



के एस्पर्सन यूनिवर्सिटी के ऊपर कॉस्ट किए गए थे और उसमें लिखा था उसके बाद "This would be visualized from the fact that when a dominant students union tried to have protest, it was to be opposed by ABVP President Sushil Kumar and that was not allowed." This was an aspersion cast, it was not taken to be in a ligher mode.

चूँकि पूरे देश के अंदर दलित के विरोध में जिस तरह की मानसिकता का एग्जीविशन किया गया भाजपा के अंदर भाजपा के नेताओं के द्वारा, इस दिल्ली के अंदर जो हम सब बैठे हैं, इस सदन का दायित्व है कि सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से इसको उजागर किया जाए और दलित विरोधी मानसिकता का जो परिपालन भाजपा कर रही है और भाजपा के नेता कर रहे हैं, उनको एक्सपोज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र पाल गौतम जी।

**श्री राजेंद्र पाल गौतम :** धन्यवाद अधया जी, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, भारत के संविधान के निर्माता डा. बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो भी इसको पिएगा, वो ही दहाड़ेगा, और बाबा साहब की इस बात को देश के दलितों ने अंगीकार किया और उन्होंने एजुकेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसका उनको कोई तरीके से डिस्क्रीमिनेशन भी झेलना पड़ा। चूँकि जो अज्ञानी होता है, अगर उसका शोषण हो रहा है, वो अज्ञानी है, उसे पता ही नहीं कि उसका शोषण हो रहा है, अगर उसका शोषण हो रहा है, वो अज्ञानी है, उसे पता ही नहीं कि उसका शोषण हो रहा है तो वो शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उस को जब यह एहसास होता है कि मेरे अधिकारों का हनन हो

रहा है और मुझे अपनी बात उठानी चाहिए और जब वो अपनी आवाज उठाते हैं तो उसको इस तरह का शोषण झेलना पड़ता है। रोहित वेमुल्ला का ये इंस्टिट्यूशनल मर्डर है। ये कोई सुसाइड नहीं है। हमने इंडियन पीनल कोड सेक्शन 306 में पड़ा है abetment to commit suicide अगर कोई महिला शादी के बाद सुसाइड कर लेती है और उसके पिता, भाई, बहन कोई परिवार वाले अगर पुलिस में यह बयान देते हैं कि हमारी लड़की को या हमारी सिस्टर को प्रताड़ित किया जाता था दहेज के लिए या किसी ओर कारण है जिसकी वजह से हमारी सिस्टर ने या हमारी बेटी ने सुसाइड किया तो तुरंत उनके खिलाफ 306 आईपीसी के अंदर abetment to commit suicide का केस दर्ज होता है। पूरा एक साल हो गया रोहित वेमुल्ला को ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि उनके पास कोई और चारा नहीं था। बहुत काबिल छात्र थे, बहुत बड़े राईटर बनना चाहते थे और उनके उनको लग रहा था कि उनके चारों तरफ से रास्ते बंद हो रहे हैं, जब उन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया और ये सब कहीं नहीं, एबीवीपी और वहां के प्रशासन की कार्य प्रणाली की वजह से, उनकी प्रताड़ना की वजह से हुआ। पुलिस ने वहां के प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 306 में कार्रवाई करने की बजाय, जांच तो ये होनी चाहिए थी कि रोहित वेमुल्ला ने सुसाइड क्यों किया, ये जांच नहीं की गई कि एक होनहार युवा ने सुसाइड क्यों किया, ये जांच नहीं की गई कि एक होनहार युवा ने सुसाइड क्यों किया, ये जांच नहीं हुई। क्या ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये किस जाति का है? ये जांच होनी चाहिए थी? जो की गई है, ये बेहद शर्मनाक है। उस समय की जो एचआरडी मिनिस्टर थीं, एक और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, जिन्होंने उनके खिलाफ चिट्ठियां लिखी और रोहित वेमुला और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेशर

यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाया। उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं और जांच इस बात की जा गई कि रोहित वेमुला दलित था या नहीं था। ये बेहत शमनाक है, निन्दनीय है।

माननीय अध्यक्ष जी, रोहित वेमुल्ला का कोई पहला केस नहीं है, हो सकता है बाकी लोग उस पर रिसर्च ना करते हों लेकिन मेरा अपना रिसर्च है कि हर साल इंजीनियरिंग कालेज में, मेडिकल कालेज में देश के अंदर सैकड़ों बच्चे; दलित बच्चे, पिछड़े बच्चे सुसाइड करते हैं और वो इसलिए करते हैं कि उनको होस्टल्स के अंदर और कालेज के अंदर कई प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। इसका ताजा उदाहरण कुछ साल पहले आपने देखा होगा जो सफदरजंग हास्पिटल है, उसके मेडिकल कालेज में 25 छात्रों को पहली बार फेल किया गया और दूसरे साल फिर फेल किया गया। उस पर शिकायत हुई, हमारी देश की संसद के अंदर वो मुद्दा उठा। उसके बाद 25 के 25 छात्रों का बाहर की यूनिवर्सिटी में पेपर चेक कराया गया और आपको जान के ताज्जुब होगा और दुःख भी होगा 25 के 25 बच्चे पास हुए! इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि केवल उनको इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो दलित बच्चे थे। अगर आप रिकार्ड उठाके देखें, मैंने यहां दिल्ली का भी रिकॉर्ड निकाला; मौलाना आजाद मेडिकल कालेज का, पिछले दिनों स्टार्ड क्वेश्चन्स में पूरा रिकार्ड आया, लगभग देश के हर मेडिकल कालेज में, इंजीनियरिंग कालेज के अंदर दलित छात्रों, पिछड़े छात्रों का इसी तरह शोषण हो रहा है, ये रूकना चाहिए। अगर ये नहीं रूका तो हमारा देश मजबूती से एकजुट नहीं रह पाएगा। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी मेडिकल कालेज को इंस्ट्रुक्शंस

दें जो हमारी अधीन हैं, कम से कम वो तो हम करें और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को इंस्ट्रक्शंस दे कि इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, एक और केस मैं आपको बताता हूँ, ये भी ताजा ही केस है, अभी दो-तीन साल के अंदर का। एम्स में एक एसटी छात्र को फेल कर दिया गया और फेल हो जाने के बाद उस छात्र ने, ब्रिलियंट छात्र था, उसने सुसाइड कर लिया एम्स में और जब प्रेशर बना, बड़ी आवाज उठी, उसका पेपर फिर से चेक हुआ। आपको जानकर ताज्जुब होगा शर्म से आंखें झुकेंगी, वो एसटी छात्र एम्स का टॉपर निकला। किस तरह के हालात हैं! हमारे देश में कैसे हालात बन गए हैं! क्या हमारा देश ऐसी मानसिकता के साथ तरक्की कर पाएगा और अभी कल रोहित वे मुला को सुसाइड जो करना पड़ा दबाव में, परिस्थितिवश, उसके खिलाफ जो सालभर से आंदोलन चल रहा है, उसी की कड़ी में कल जेएनयू के छात्रों ने और बाकी यूनिवर्सिटी के छात्र भी थे, उन्होंने एक शांतिपूर्ण तरीके से मंडी हाउस से टॉलस्टाय मार्ग तक एक मार्च निकाला, दिल्ली पुलिस ने उन छात्रों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और न केवल पैरा मिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस इन लोगों ने मिलकर उनको पीटा और केवल इतना ही नहीं, जो छात्र मेकडॉनल्ड के अंदर जाकर बैठ गए थे, छुप गए थे, उनको भी वहां से निकाल-निकालकर बुरी तरीके से पीटा गया और केवल इतना ही नहीं बल्कि जो छात्राएं, जो लड़कियां इस शांतिपूर्ण मार्च में शामिल थीं, उनको मेल पुलिस वालों ने पकड़-पकड़कर बुरी तरह मारा। आज के अखबारों में बाकायदा उसकी फोटो भी छपी है मैं चाहूंगा कि अलका जी, वो फोटो भी एक बार आप दिखा दीजिएगा या अभी दिखा दीजिए फोटो के अंदर दिख रहा है कि किस तरीके से एक मेल पुलिस वाला एक छात्रा को बुरी तरीके से पीट रहा है। इससे अलग बाकी भी अखबारों में इस तरह

की फोटो छपी हैं जिसमें महिला छात्रों को पुलिस के मेल अधिकारी पीट रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, अब समय आ गया है। हमें अपने सदन के माध्यम से एक रेजल्यूशन लाना चाहिए आज कि हम दिल्ली पुलिस के इस एक्ट को कंडेम करे और इसके कंडेम का एक रेजल्यूशन पास करके होम मिनिस्ट्री को भेजें ताकि दिल्ली पुलिस की हिदायत दी जा सके कि इस तरह की घटनाएं रूकनी चाहिए। ये तो संवैधानिक अधिकार है, इकट्ठा हो करके प्रोसेशन करना, गलत बात के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना, स्पीच एंड एक्सप्रेसन आर्टिकल 19 के अंदर पहला ही अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ये तो मौलिक अधिकार हैं एक नागरिक का। अगर अपने मौलिक अधिकार को लेकर अपनी आवाज को बुलंद करने पर इस तरह बर्बरतापूर्वक पुलिस पीटेगी तो फिर हमारे इस संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका मूल आधार जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसकी रक्षा कैसे होगी!

माननीय अध्यक्ष जी, मद्रास आईआईटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां एक अंबेडकर स्टडी सर्कल है जो छात्र, पहली बात को मैं क्लीयर करना चाहता हूं सबके सामने, सब सम्मनित सदस्यों के सामने कि जो डॉ. अंबेडकर को मानते हैं जो उनके फोलोअर्स हैं, वो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। क्योंकि भारत के संविधान के प्रति उनकी अटूट आस्था है वो कभी भी भारत के संविधान के विरुद्ध बोल नहीं सकते, अपने देश के विरुद्ध कभी बोल नहीं सकते। जो अंबेडकर स्टडी सर्कल जो केवल रिसर्च का काम करता है जो समय-समय पर चिंतन करता है और चिंतन में किसी भी सब्जेक्ट को लेकर एक आइडियोलॉजी पर डिस्कशन होता है, उनके ऊपर भी हमले किए गए। यहां तक कि एक आपको याद होगा, उसी यूनिवर्सिटी पर बेन लगा दिया गया था,

स्टडी सर्कल पर। बाद में कोर्ट से वो बेन हटा। तो इस तरह की शर्मनाक घटनाएं हैं और एक के बाद एक केस, हमतो चार हजार साल की गुलामी झेलते हुए यहां तक पहुंचे हैं और मैं समझता हूं बाबा साहब अंबेडकर ना होते और भारत के संविधान के माध्यम से हमें ये सब अधिकार न दिलाते तो आज भी हम किसी खेत में या किसी जमींदार के यहां बंधुआ मजदूरी कर रहे होते। तो मैं नमन करता हूं डाक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो वारदातें लगातार हो रही हैं इंस्टीट्यूशनल मर्डर तो हो ही रहे हैं साथ ही साथ...

**अध्यक्ष महोदय :** कनक्लूड करिए।

**श्री राजेंद्र पाल गौतम :** अध्यक्ष जी, बस थोड़ा सा, कनक्लूड ही करता हूं मैं। अभी आपने देखा होगा, साल भर भी नहीं हुआ; उना के अंदर जो दलित हजारों साल से जो पैतृक काम करते आ रहे थे, उन दलितों के मरे हुए गाय या भैंस या कोई भी जानवर मरता है, तो मैं समझता हूं सदन के सदस्यों की जानकारी में होगा कि जितनी भी म्यूनिसिपलटिज होती हैं, वहां पर हर साल का टेंडर होता है और टेंडर करोड़ों रुपये का होता है। जानवर मरने के बाद जिसको टेंडर मिलता है, उससे उठवाए जाते हैं। उसके बाद उसकी खाल, हड्डी, वो सारी चीजें निकाली जाती हैं तो जो वर्ग हजारों साल से अपने उस पैतृक काम को कर रहे थे, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, किसी प्रकार के कानून की अवहेलना नहीं की थी, किसी की धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई थी। वो सिर्फ अपना पैतृक काम कर रहे थे और जितनी बुरी तरीके से उना के उन दलितों को पीटा गया था, वो आपने टीवी पर सब जगह देखा होगा। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। चार-छह महीने के अंदर की बात है, गुजरात के अंदर, उना के अंदर तो इस तरह की जो घटनाएं...अब

मुझे एक बात बताइए अध्यक्ष जी, मैं सभी साथियों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि क्या उनको इसलिए पीटा गया कि वो खाल उतार रहे थे? उसके बाद कई घटनाएं लगातार हुईं। उनको इसलिए पीटा गया कि उन्होंने खाल उतारने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम इस काम को नहीं करेंगे। उना की उस घटना के बाद पूरे गुजरात के अंदर आंदोलन छिड़ गया कि अब हम ये खाल निकालने वाला, मरे हुए जानवर उठाने का कामन ही करेंगे। तो खाल निकालें तो पीटे और ना निकाले तो पिटे। आखिर इस देश के मूल निवासी दलित कहां जाएं, क्या करें, किससे न्याय मांगें, किससे न्याय की उम्मीद करें, ये हमारी पीड़ा है अध्यक्ष जी।

**अध्यक्ष महोदय :** कनक्लूडक करिए।

**श्री राजेंद्र पाल गौतम :** ये पूरे देश के लगभग 25 प्रतिशत लोगों के मन की पीड़ा है। मैं समझता हूँ कम से कम ये जो कल हमला हुआ छात्रों पर, सदन के माध्यम से इसका रेजल्यूशन तो पास किया जाना चाहिए और होम मिनिस्ट्री को भेजा जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंत में, जैसे अभी देखा होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूसीएमएस है कॉलेज, मैं एक-एक करके क्या बताऊं। जो पहले बताया। जो इस तरह की घटनाएं लगातार झेलनी पड़ती हैं अध्यक्ष जी, तो कोई न कोई संदेश हमारे सदन के माध्यम से जाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं रोकें, दलितों पर और पिछड़ों पर इस तरह के अत्याचार बंद होने चाहिए। हम भी पढ़-लिखके काबिल बनें, आगे बढ़ें तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

**अध्यक्ष महोदय :** धन्यवाद, अलका लाम्बा जी।

**सुश्री अलका लांबा :** धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मैं एक मां हूँ मेरा बेटा भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। कल रोहित वेमुला की मां को जिस तरीके से मैंने हैदराबाद विश्वविद्यालय के दरवाजे पर रोते और गिड़गिड़ाते हुए देखा। वो मां सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं अंदर जाकर जहां पर उसके बेटे ने फांसी ली है, अपना बलिदान दिया है। एक लड़ाई को लड़ते हुए, वहां जाके वो श्रद्धांजलि दे पाये, परंतु बहुत दुख की बात है कि वा मां एक साल के बाद भी अपने बेटे को अंदर जाकर श्रद्धांजलि नहीं दे पायी। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज है "A year without Rohit" ये आर्टिकल किसी और ने नहीं, रोहित के खुद के भाई राजा चेतन ने कुमार वेमुला ने आज के अखबार में लिखा है। मैं पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ूंगी। सिर्फ पहले की चार लाईनों में ही आपको पता लग जायेगा कि एक साल बाद भी उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो न्याय की उम्मीदें हैं, वो उसमें साफ लिखते हैं कि वे पूरी तरह से निराश-हताश हो चुके हैं। उनको एक साल कितना प्रताड़ित, परेशान किया गया और अभी तक ये सिर्फ साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये साबित कर दें कि किसी भी तरह से रोहित वेमुला या उसके परिवार का दलित परिवार या दलित से कोई संबंध नहीं है तो इसमें उनके ब्रदर लिखते हैं। सिर्फ चार लाईन हैं, "It has been a year since my brother Rohit Vamulla left us int this year we have gone through hardship and experienced many injustice. The fight for justice is very tough and long and we are prepared for it not only has my brother been denied justice now there is an effort to prone that we are not dalit and belong to a backward caste. ये प्रयास हुए पिछले एक साल में। अगर हम कहें कि इस परिवार को कहीं कोई न्याय मिलेगा। मेरे हाथ में एक साल पहले का इंडिया टुडे का मैगजीन है, जब रोहित वेमुला ने आत्महत्या...पर मैं उसको



कहूंगी कि नहीं, उसे मजबूर किया गया। रोहित ने एसोसिएशन बनाया। 'अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन।' अध्यक्ष जी, क्यों बनाना पड़ा रोहित को? रोहित एक दलित छात्र था, उसको क्यों बनाना पड़ा? अभी इसका जिक्र किया। मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि रोहित से पहले छात्र हैं जिन प्रतिभाओं की मौत हुई जो दलित थे। सितंबर, 2014 में आईआईटी मुंबई में दलित छात्र हैं। जिन प्रतिभाओं की मौत हुई है। जो दलित थे। सितंबर, 2014 में हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित पीएचडी छात्र एन. वेंकटेश ने कथित तौर पर भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या की। रोहित से पहले की ये आत्म हत्याएँ हैं। आईआईटी दिल्ली दलित जाति के राजबिंदर सिंह ने आत्महत्या की। मार्च, 2012 में एम्स नई दिल्ली में आदिवासी छात्र अनिल कुमार मीणा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फरवरी, 2011 में आईआईटी रूड़की में दलित छात्र मनीष कुमार ने उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मार्च, 2010 में एम्स, नई दिल्ली में फाइनल ईयर के छात्र मुकुंद भारती ने जातीय भेदभाव से आत्महत्या कर ली। जनवरी, 2009 में आईआईटी कापुर में एमटेक फाइनल ईयर की जी. मुमन ने आत्महत्या की। 2008 में यहां प्रशांत ने भी आत्महत्या की थी। फरवरी, 2008 में हैदराबाद विश्वविद्यालय में वहां पीएचडी छात्र सैन्थिल कुमार ने विश्वविद्यालय से फ़ैलोशिप बंद किये जाने के बाद आत्महत्या की। जनवरी, 2008 में आईआईटी दिल्ली में दलित अंजनि कुमार ने आत्महत्या की। अगस्त, 2007 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइन्स, बैंगलूरू शोध छात्रा अजय एस. चंद्रा ने आत्महत्या की। रोहित से पहले की ये आत्म हत्याएँ हैं। मुझे लगता है कि साबित करने के लिए और ऐसे सबूतों की जरूरत नहीं जो ये साबित करें कि हां, दलितों के साथ भेदभाव, आज भी उनको दबाया, उनको कुचला जा रहा है और रोहित वेमुला से पहले ही हैदराबाद विश्वविद्यालय अकेले में ही कम से कम 6 छात्र जिनमें

हम अपना भविष्य देखते हैं, उन्होंने आत्महत्या की। रोहित पहला केस नहीं था और अध्यक्ष जी, सबसे ज्यादा दुख की बात ये है कि रोहित और इन सब ने जो आत्महत्या की, उत्पीड़न और अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए, उन्होंने झंडा उठाया था पर किसी ने उम्मीद न की थी कि उसी झंडे से वो फांसी लगा लेगा और वही झंडा एक दिन उसका खुद का कफन बन जायेगा। ये हकीकत है अध्यक्ष जी। लेकिन इन सब चीजों के पीछे हम ये कहते हैं, आज मैंने अपने बेटे का जिक्र किया है और मैं कहती हूँ 21वीं सदी का भारत है हमारा, उनके दिलों में बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं पूछूं उससे कि अपने दोस्त का नाम बताओ और अब ये बता कि तुम्हारा दोस्त है या क्या है। वह उसको नहीं मालूम है। उसे सिर्फ उसका नाम मालूम है लेकिन उसकी जाति, उसका दलित होना, उसे नहीं मालूम है। ये सच्चाई आज के युवा पीढ़ी की है लेकिन कौन ताकतें हैं जो इस सोच को विश्वविद्यालय में पनपने दे रही हैं। कौन सी सोच है और वो सोच बिल्कुल इसी में खुलासा हुआ है कि एबीवीपी का जो छात्र नेता था, हैदराबाद विश्वविद्यालय का जिसका नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार रोहित वेमुला द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था, उससे वो खुश नहीं था। उससे उनका आपस में लड़ाई-झगड़ा हुआ लेकिन सुनील कुमार एबीवीपी का अध्यक्ष है वहां का। उसकी सरकार केंद्र में है। उसके नेता उसका अच्छी तरह समर्थन करते हैं। दो केंद्रीय नेताओं का उसने जाकर कहा कि रोहित के खिलाफ कार्रवाई करवाइए वरना हमारा सरकार में क्या फायदा। केंद्रीय मंत्री...मुझे मालूम नहीं, उनका नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहले केंद्रीय मंत्री आंध्रा से ही आते हैं, उनको पत्र लिखा। उस पत्र को लिखने के बाद उनकी तरफ से पूरा दबाव हैदराबाद वाईस चांसलर पर डाला कि तुरंत कमेटी बनाइए और रोहित वेमुला के ऊपर कार्रवाई करिए।

अध्यक्ष जी, 21 दिसंबर...ये पत्र लिखा गया 17 अगस्त, 2015 को। 17 अगस्त, 2015 को केंद्रीय एचआरडी मंत्री द्वारा पत्र लिखा गया और 21 दिसंबर, 2015 को ये फैसला आ गया कि रोहित को हॉस्टल से निकाला जा रहा है और उसे किसी तरह की भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं दिया जाना जायेगा। अध्यक्ष जी, ये बता दें कि एक सोच और मानसिकता किस तरीके से इसको बढ़ावा दे रही है। एक और जिक्र आता है कि रोहित चाहता क्या था। अध्यक्ष जी, रोहित को सात महीने से जूनियर रिसर्च फ़ैलोशिप के तहत बकाया पौने दो लाख रुपये का वजीफा नहीं मिल रहा था उसे। वह इसे अपने परिवार को दिये जाने की इच्छा जाहिर कर रहा था कि वो पैसा मेरी मां जो हैं, वो दिहाड़ी मजदूरी करती है और मेरा कम से कम पौने दो लाख रुपये का जो स्कॉलरशिप का पैसा मेरी मां को दे दीजिए। कम से कम उसकी दिहाड़ी मजदूरी जो कर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे थोड़ी मदद मिलेगी लेकिन इस सरकार ने रोहित वेमुला को उसका हक जो था पौने दो लाख रुपये का, उसकी जो स्कॉलरशिप थी, उसे नहीं दी और अंत तक नहीं दी जिसका खुलासा वो अपने 5 पन्नों के लेटर से करके गया। लेकिन सर, जब उसका देहांत हो जाता है, वो सुसाईड कर लेता है उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार जागती है। वो भी एक-दो दिन बाद नहीं, पूरा मंथन चलता है पांच दिन तक कि क्या करें। पूरा आंदोलन शुरू हो गया हैदराबाद से दिल्ली तक कि इस पर क्या करना चाहिए। ये मंथन पांच दिन तक हुआ। पांच दिन बाद दिल्ली की केंद्र की हमारी जो मानव संशोधन शिक्षा मंत्री रही, उन्होंने रोहित वेमुला की मां को फोन किया और मोदी जी, मेरे ख्याल से देश के प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ी रैली हो जहां पर वो रोहित के लिए कुछ बोलें और लक की बात है कि रोहित के देहांत के पांच दिन बाद

लखनऊ में एक रैली में भाषण देने का मौका मिल गया और भाषण में मोदी जी ने कहा, “मुझे बहुत दुख हुआ, एक मां भारती ने अपना बेटा खो दिया।” ये-ये बातें कहीं लेकिन उस समय दिया हुआ भाषण एक साल में रोहित वेमुला के भाई का ये आर्टिकल बयान करता है कि मोदी जी, आपने कुछ भी नहीं किया है और सबसे बड़ी बात है जो आठ लाख रूपये अब मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, रोहित वेमुला, उसकी मां और उसके पिता जी, उसकी बहन, उसके भाई ने उस मदद को लेने से इंकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा, शायद ये मदद लेने के बाद आप इस मामले पर सोचेंगे। अब खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आठ लाख की मदद नहीं चाहिए जो उन्होंने ठुकरा दिया। आज तक नहीं लीं। लेकिन वो एक उम्मीद आज भी कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले। रोहित की हत्या में जिन लोगों ने उकसाया, उनको सजा मिले।

अध्यक्ष जी, जो ये अखबार दिखा रहे हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का आज का अखबार है जिसमें दिखाया जा रहा है कि प्रोटेस्ट के दौरान एक महिला का गला किस तरह से एक पुलिस अधिकारी ने पकड़ा हुआ है। इसकी हिम्मत कैसे हो रही है अध्यक्ष जी कि एक पुलिस वाला होने के बावजूद प्रोटेस्ट में महिला पत्रकारों का इस तरह से गला पकड़ने हिम्मत क्यों होगी? उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। फरवरी, 2016 में अध्यक्ष जी भूलियेगा मत। मैं याद दिला रही हूँ लगभग साल हो गया है। रोहित वेमुला की डेथ के बाद हमें ये भूलना नहीं चाहिए दिल्ली की जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय और हैदराबाद की कुछ छात्राओं ने आरएसएस हैडक्वार्टर जो दिल्ली में है, उसके सामने प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनकी जो सोच और मानसिकता दलित विरोधी है, जो कहीं न कहीं रोहित और उनसे पहले होने वाली हत्याओं की

जिम्मेदार हैं। इन महिला छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया था और अध्यक्ष जी, उस समय की क्लेपिंग अगर सब को याद आती हो, उस समय भी आरएसएस के हैडक्वार्टर के बाहर सिविल डिफेंस में, मैं कहूंगी, गून्स कहें, सिविल यूनिफार्म में पुलिस वाले कहें, गुंडे कहे, बाकायदा महिलाओं को घसीटते, पीटते हुए देख गया। इसलिए इनकी आज भी हिम्मत हो रही है, क्योंकि उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो इन पर क्या कार्रवाई होगी? उसके बाद अध्यक्ष जी, 22 मार्च, 206 को हैदराबाद में भी प्रोटेस्ट के दौरान जो है, बाकायदा गिरेबान से पकड़ा गया, बालों से खींचा गया और वीडियो में आया कि बाकायदा पुलिस ने गाली ही नहीं दी है, उन महिला छात्राएं जो प्रोटेस्टर थी, रेप तक उनका कर देने की धमकी दी है। इसकी जो है स्वतंत्र जांच टीम बिठाई गई, इस स्वतंत्र जांच टीम ने वो सब वीडियो सुने और देखे और उसमें साफ आया कि पुलिस किस तरह से महिला प्रोटेस्टर्स को सिर्पु गाली-गलौज नहीं कर रही, हाथापाई नहीं, उन्हें रेप करने की भी धमकी दे रही है लेकिन यह 22 मार्च, 2016 और फरवरी, 2016 एक साल में अगर उन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, अध्यक्ष जी, हम कैसे उम्मीद कर लें कि इन पर कार्रवाई होगी। इन्हें तो शह दी जा रही है, इनके हौसले बढ़ाये जा रहे हैं कि आप किसी भी हद तक जाइये। इनकी आवाज को आप कुच लिए, दबाइये और खत्म कर डालिये।

अध्यक्ष जी, मैं यही कहूंगी, उसी तरह आज हमारे बीच में नजीब अहमद उन्हें भी नहीं बोलना चाहिए। जेएनयू में वही एक कहानी दोहराई गई। जिस तरह से हैदराबाद में रोहित के साथ हुआ, वैसे ही नजीब अहमद के साथ जेएनयू में, वहां पर भी एबीवीपी के छात्रों के साथ उसका झगड़ा हुआ विचारधारा को लेकर और वो दिन है और आज का दिन, तीन महीने से नजीब अहमद की मां दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। किसी को नहीं पता, वही रोहित

के साथ भी ऐसा हुआ था जैसे वो लापता होकर एक दिन उसका शरीर लटका हुआ मिला। उसके कमरे में, आज नजीब अहमद की मां दर-दर की ठोंकरे खा रही हैं। उसका शरीर लटका हुआ मिला। उसके कमरे में, आज नजीब अहमद की मां ठोंकरें खा रही हैं। कोई न्याय नहीं है। अध्यक्ष जी, यह पहली बार नहीं हो रहा है, जब से मोदी सरकार आई है मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों देश का छात्र, देश का भविष्य, देश का युवा आपके खिलाफ है। आप देखिये, नवंबर 2014 मोदी सरकार आने के बाद बीएचयू पंजाब, पटना, जयपुर समेत दिल्ली में व्यापक प्रदर्शन हुए, इनकी जो सोच-विचारधारा थोपने के जो प्रयास विश्वविद्यालय में किए जा रहे हैं, मई, 2015 में एपीएसटी पर बैन को लेकर अंबे मद्रास, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आंदोलन किया। जून, 2015 में एफटीआई में गजेन्द्र चौहान की नियुक्ति को लेकर वहां के छात्रों ने प्रदर्शन किया। अक्टूबर, 2015 में यूजीसी का घेराव छात्रों ने किया और हैदराबाद विश्वविद्यालय, 2016 का ताजा मामला है कि रोहित वेमुला की हत्या को लेकर किस तरीके से, अध्यक्ष जी, मैं आपसे यही कहूंगी।

**अध्यक्ष महोदय :** आप कन्क्लूड करिये।

**सुश्री अलका लाम्बा :** अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूं कि एक बहुत बड़ी सोच के तहत यह सब किया जा रहा है और आगे इसके बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं क्योंकि जो करने वाले लोग हैं, आज वो सत्ता में आ चुके हैं और वो यह मान चुके हैं कि उनका कोई भी, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए उनकी या तो विचारधारा में विश्वास करिए, अपना लीजिए, नहीं तो थोपा जाएगा और नहीं तो इसी तरह से रोहित की तरह कुचल दिया जायेगा। जयहिंद।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री जरनैल सिंह (ति. न.) : अध्यक्ष जी, सिर्फ दो मिनट का समय चाहिए। सिर्फ दो मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय पूरा हो जाये एक बार।

श्री जरनैल सिंह (ति. न.) : अध्यक्ष जी, इसी विषय पर बोलना है और जो पिछले तीन साल से पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नाम लिखकर भेज दीजिये।

श्री जरनैल सिंह (ति.न.) : अध्यक्ष जी, जरनैल सिंह।

अध्यक्ष महोदय : अपना नाम लिखकर भेजियेगा। स्लिप पर।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष जी, सिर्फ दो मिनट का समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज।

श्री जरनैल सिंह : अध्यक्ष जी, बहुत जरूरी बात है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जरनैल सिंह, एक बार लिखकर तो भेज दीजिए नाम। मैं समय दूंगा। विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं बहुत देर से यहां XXX<sup>5</sup> के रूप में कुछ अखबारों के आधार पर।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बात को ट्विस्ट कर लेते हो।

---

5. XXX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार ये शब्द सदन की कार्यवाही से निकाले गये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें क्या XXX बात है?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुझे अपनी बात कहने दी जाये, आप इसमें जो कहना है, वो कहो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिये, बैठिये प्लीज। आप कोई चीज है, उसको शालीनता से रखिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप बैठिये, मुझे अपनी बात कहने दीजिये। आप बैठिये।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, यह फिर झगड़ा हो जायेगा प्लीज। मनोज जी, बैठिये। यह जो XXX अगर यह भाषा बोलेंगे तो फिर...आप अपना वक्तव्य रखिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात जहां रुकी थी, वहीं से शुरू कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप सभ्य तरीके से शुरू करिए। अजय दत्त जी, बैठिए।

सुश्री अलका लांबा : अध्यक्ष जी, ये माफी मांगे और अपने शब्द वापस लेकर के अपनी बात को आगे रखें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, यहां आपने गलती की है। आप बैठिये। प्लीज बैठिये। विजेन्द्र जी, आप शुरू करिए।

---

5. XXX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार ये शब्द सदन की कार्यवाही से निकाले गये।



श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, अभी मैं देख रहा था कि बड़ी देर से इस सदन में XXX की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप गलत बोल रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक बात बताइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कौन सा...फिर वो बोलेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अपने भाषण में बोल लीजिएगा। मैं तो नहीं बोला ना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वो अपनी व्यथा व्यक्त नहीं करें!

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ ना।

अध्यक्ष महोदय : पुलिस जहां मर्जी आये पीटती रहेगी?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं सहमत नहीं हूँ।

अध्यक्ष महोदय : पुलिस जहां मर्जी आये पीटती रहेगी?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं सहमत नहीं हूँ, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : वो XXX भी न बहायें? आप उनको XXX बोलेंगे। आप

---

XXX चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

सदन की कार्यवाही को चलने देना नहीं चाहते ठीक से। मैंने आपको समय दिया, तो फिर वही बात।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात तो कहने दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका थोड़े ही है, बात करने का।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप उसको क्रिटिसाइज कर लीजिएगा अपने भाषण में। आपका नंबर आयेगा, आप अपनी बात कह लीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय : मानीय सदस्य बैठें जरा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं जो बोल रहा हूं, उस पर आप बोल लीजिएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, किसी के जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं क्या बोलूंगा, यह आप तो तय नहीं करेंगे ना। आपने समय दिया है।

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड, अलका जी, दो मिनट बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अगर मैंने कोई...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, दो मिनट बैठिये। मेरी बात सुनिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मेरे विचार हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी आज फोटो अखबारों में देखे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं किस बात को कह रहा हूँ?

अध्यक्ष महोदय : अगर एक लड़की का पुलिस वाला...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ। अभी तो बात शुरू ही नहीं की।

अध्यक्ष महोदय : किसी ने कोई शब्द उल्टा नहीं बोला।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप बताओ ना किस बात पर?

अध्यक्ष महोदय : सब के भाषण ठीक हुए हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं आपको बताऊंगा ना किस बात पर।

अध्यक्ष महोदय : आप वही बात कह रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं दलितों के लिए, जो यहां पर कहा जा रहा है, उसकी पोल खोल रहा हूँ ना। मैं आ रहा हूँ आगे।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी शुरूआत ठीक करिएना। आप अपनी शुरूआत तो ठीक करिये।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : प्लीज। सुनने का माद्दा रखिये। अभी आप सब बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, यह ठीक नहीं कर रहे, यह विषय गंभीर था।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मेरे विचार है, मैं प्रकट कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : विचार, आप प्रकट करिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अगर अनपार्लियामेंटरी है तो बताइये।

अध्यक्ष महोदय : XXX, ये चीजें, वो चीजें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मेरा अनपार्लियामेंटरी कुछ हो तो बताइये आप। मैं रोकूंगा उसको।

अध्यक्ष महोदय : आप वही जले पर नमक छिड़कने वाली बात कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : 2010 में...

...(व्यवधान)

सुश्री राखी बिड़ला : अध्यक्ष जी, कार्यवाही से निकलवाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह फोटो शायद विजेन्द्र जी ने देखा नहीं, उनको दे दीजिए एक बार। इनके पास पहुंचा दीजिए एक बार। फिर कहिए, ये XXX हैं क्या? आपने देखा नहीं है, इसको देख लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सब देखा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अलका जी, बैठिये प्लीज। अलका जी, बस दे दीजिए। बातचीत नहीं। प्लीज। हो गया बस। अब माननीय सदस्य बैठ जायें। देखिये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बात ही ऐसी करेंगे, मैं बोलने क्या दूँ?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुझे अपनी बात तो कहने दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप कभी XXX कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष जी, कार्यवाही से ये शब्द निकालो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा भला सदन चल रहा था, बहुत गंभीर विषय था। आप इसको विपरीत दिशा में ले गये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात कहने दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप शुरूआत ही गलत कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप शुरूआत ही गलत कर रहे हैं।

विजेन्द्र गुप्ता : आप आगे तो बढ़ने दीजिये। अगर आप आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये undemocratic है, ये पूरी तरह अनडेमोक्रेटिक है

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अरे! हम हर परिस्थिति में मुस्कराना जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं 15 मिनट के लिए सदन स्थगित कर देता हूँ। मैं 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूँ।

(सत्तापक्ष के कई सदस्य वैल में आकर नारेबाजी करने लगे  
और वैल में बैठ गये।)

(सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई) सदन अपराह्न  
5.22 बजे (अराह्न) पुनः समवेत हुआ।

**अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल)** पीठासीन हुए।

(सत्तापक्ष के कई सदस्य वैल में आकर नारे बाजी करने लगे)

**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपनी  
सीट पर बैठें।

(सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए वैल में अध्यक्ष  
महोदय के आसन तक आए)

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** बैठिए, सीटों पर बैठिये प्लीज। अलका जी, बैठिए  
प्लीज।...अजय जी, अब बैठिए, दो मिनट बैठ जाइए...

**श्री अजय दत्त :** अध्यक्ष जी, माफी मंगवाइये। पूरा सदन बहुत आहत  
महसूस कर रहा है और हम बहुत हर्ट हुए हैं, उनको सदन में बुलाकर माफी  
मंगवाइये।

**अध्यक्ष महोदय :** बहुत शांति पूर्वक चर्चा चल रही थी। सोमनाथ भारती  
जी ने, उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम जी ने तथ्यों के आधार पर विषय की  
चर्चा की और अलका लाम्बा जी ने उसको बहुत अच्छी धार दी। लेकिन  
नेता-विपक्ष ने जिस ढंग से उस विषय को हल्के में लेकर टिप्पणियों की हैं,

वो उचित नहीं है। सरकारें बदलती हैं, बदलती रहेंगी। पुलिस का रवैया जब भाजपा विपक्ष में था, तब भी यही था और आज ये सत्ता में है तो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कल की घटना सब अखबारों में छपी है। महिलाओं के साथ जिस ढंग का व्यवहार कल हुआ, उससे पूरे सदन की भावना भले वक्ता अभी तीन ही बोले हैं, उससे सदन की भावना का पता चलता है और मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, वे शब्द मैं यहां इस्तेमाल नहीं करूंगा। आम भाषा में बोला जाता है लेकिन विजेन्द्र गुप्ता जी ने जो XXX बोला, ये दोनों शब्द कार्यवाही से निकाल दिए जाएं और विजेन्द्र गुप्ता जी अगर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं शालीनता से, तरीक से, इस ढंग से टीका टिप्पणी न करें, वो आकर के बैठ सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं। नहीं, इसको अब छोड़ दीजिये।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मनोज जी, दो मिनट बैठिए...

(सत्तापक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

**श्री सही राम :** अध्यक्ष जी, दो में से एक काम होगा, या तो ये माफी मांगे या इन्हें सस्पेंड करो।

...(व्यवधान)

**श्री अजय दत्त :** अध्यक्ष जी, ये दलितों के खिलाफ इस तरह की बातें करेंगे तो इन्हें इस सदन में बैठने का कोई हक नहीं है।...

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, विजेन्द्र जी ये फिर आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, ना, मैं बिलकुल सहमत नहीं हूँ। दो मिनट रूक जाइये प्लीज। विजेन्द्र जी, आप ये बात कह रहे हैं कि जैसा व्यवहार विपक्ष के साथ हो रहा है, मेरे पास दोनों तरफ से सदस्यों की पर्ची आती है, मैंने कभी नहीं रोका, दोनों को बोलने दिया है, तीनों की आई हैं, तीनों को बोलने दिया है। भले बाकी सदस्यों में से चार के नाम काट दिए हों, लेकिन विपक्ष को कभी भी बोलने से नहीं रोका है। दो मिनट, आप फिर ये बात कह रहे हैं कि विपक्ष को दबाया जा रहा है। मैं पूरे मीडिया के सामने, सदन के सामने ये बोल रहा हूँ। आज भी दोनों की पर्ची आई, मैंने दोनों को बोलने का मौका दिया।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** आपने रूलिंग दे दी तो उसके बाद क्या रह गया?

**अध्यक्ष महोदय :** किसके बाद?

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** आपने अभी रूलिंग दी ना।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं खत्म कर रहा हूँ, फिर आप...

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** तो मैं यही तो कह रहा हूँ कंट्रोल, उसके बाद, आपकी रूलिंग के बाद अगर सत्तारूढ़ नेता अगर विधायक ये कर रहे हैं...

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** दो मिनट, मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।

**उप मुख्यमंत्री :** मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आपकी भावनाएं सही हैं, जिस चीज पर आवाज उठा रहे हों। ऐसी किसी, दो माएं हमारे सामने खड़ी हुई हैं...



**अध्यक्ष महोदय :** अजय जी, अपनी सीट पर जाएं प्लीज।

**उपमुख्यमंत्री :** उनके बारे में की गई बातों को XXX ...

**अध्यक्ष महोदय :** देखिए हमारे नेता जी खड़े हैं, कृपया सब लोग बैठ जाएं शांतिपूर्वक।

**उपमुख्यमंत्री :** उनके बारे में की गई बातों को XXX का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। ये बात सही है और माननीय अध्या महोदय ने पूरी तरह से संज्ञान में लेते हुए इसको कार्यवाही से हटवा दिया है। मैं, क्योंकि अब समय बचा नहीं है, आज दो दिन की बैठक थी ये, ज्यादा नहीं है कुछ इंपोर्टेंट चीजें क्योंकि और भी होनी हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यवाही को आगे चलने दिया जाए। माननीय नेता-प्रतिपक्ष अगर अपनी बात रखना चाह रहे हैं, संक्षेप में वो रख लें। बाकी जो भी वक्ता अभी इसमें बाकी रह गए हैं, वे रख लें और उसके बाद दूसरा मुद्दा भी है।

**अध्यक्ष महोदय :** बहुत-बहुत धन्यवाद। अब विजेन्द्र जी मेरी प्रार्थना है, आप संयम से बात को रखेंगे, संयमित तरीके से।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** अध्यक्ष जी, मैं ये चाहूंगा बात को पूरा होने दिया जाए...

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** एक सैकेंड, देखिए, अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आ गया है। उसके बाद हमको अपनी भावनाओं को कई बार दबाना पड़ता है और दबाना चाहिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं प्लीज, अब ये ठीक होगा, मनोज जी बैठिए, मनोज जी, मनोज जी... अब बैठिए प्लीज, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, कद्र करता हूँ बैठिए।

**सुश्री अलका लाम्बा** : सर, हाउस का समय इन्होंने बर्बाद किया है, बोलने का समय और दे रहे हैं आप...

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : दो मिनट में बात को पूरा कर लीजिए।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी, आप मुझे समय दे रहे हैं तो मुझे बोलने दिया जाए। बाकी सदस्यों को आपने आधा-आधा घंटा बुलवाया है, मुझे पांच मिनट तो बोलने दिया जाए।

**अध्यक्ष महोदय** : करिए, पूरा करिए, जल्दी करिए। मैंने सबको टोका है, मैंने पांच-पांच मिनट से ज्यादा किसी को नहीं दिया।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ना बोलू तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप बोलें।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : यहां पर सदन में, विपक्ष के साथ व्यवहार में शुद्धता होनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** बिल्कुल शुद्धता है लेकिन आप भी उन मर्यादाओं को पूरा करें जो सदन की मर्यादाएं हैं।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमन वैल्थ खेलों के दौरान 780 करोड़ रूपया, 780 करोड़ रूपया जो 'दलित कल्याण कोष' का था, उसको तत्कालीन सरकार ने...

**अध्यक्ष महोदय :** नाम लीजिए ना कौन सी सरकार थी, पूरा ठीक से बोलो।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** शीला दीक्षित सरकार ने...

**अध्यक्ष महोदय :** हां, ऐसे बोलो।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** उसको डायवर्ट किया और उसमें भ्रष्टाचार हुआ। आपकी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि 'दलित कोष' का जो पैसा खर्च किया गया है, वो वापस 'दलित कोष' में डाला जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दिल्ली की सरकार ने वो 780 करोड़ रूपया जो दलित बच्चों की पढ़ाई के लिए था, दलित परिवारों को मकान बनाने के लिए इंस्ट्रुमेंट फ्री लोन के रूप में था, दलित के कल्याण के लिए था, व्यक्तिगत कल्याण के लिए था, वो 5 लाख रूपए तक का मकान बनाने के लिए, 10 लाख रूपए तक अलग-अलग कैटेगरीज में वो पैसा था, एक रूपया वो आज तक वापस नहीं आया 'दलित कोष'- में। 'दलित कोष' 'कल्याण कोष' में आज भी सरकार से जब से ये पूछा जाता है कि आपने गत वर्ष में 'दलित कल्याण कोष' से क्या खर्च किया, क्या योजना लागू की, कितने दलितों का कल्याण किया। एक कल्याण कहीं दिखाई नहीं देता...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए एक सैकेंड, ये जो विषय आज का है...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, विजेन्द्र जी, मेरी बात सुनिए...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अधिकांश दलित रहते हैं...

अध्यक्ष महोदय : विषय पुलिस के अत्याचार हैं, उस पर आप बोल नहीं रहे हैं...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : उनको मकान देने की बात मैंने कल कही थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, नहीं, बैठिए, विजेन्द्र जी आप बैठ जाइये।...

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार के पास बिल्कुल इसके सबूत हैं कि पिछले 2 सालों में आम आदमी पार्टी सरकार ने दलितों के विकास में कितना खर्च किया है।

अध्यक्ष महोदय : उस पर तो पूर्व एलजी ने इन्क्वायरी नहीं होने दी।

सुश्री अलका लाम्बा : ये बिल्कुल झूठ है, ये गुमराह कर रहे हैं हाउस को।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** उस विषय में तो पूर्व एलजी ने उस पर तो कारवाई नहीं होने दी। मैं सदन में रिकार्ड पर बोल रहा हूँ

...(व्यवधान)

**श्री मदन लाल सर,** ये मैटर ही डिस्कशन का नहीं है।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** विजेन्द्र जी, आप विषय से फिर भटक रहे हैं प्लीज। आप बैठिए, आप बैठ जाइए। विजेन्द्र जी बैठिए।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर...

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, आप उस विषयपर बोल नहीं सकते, ना बोलना चाहेंगे मुझे लगता है।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** दिल्ली के अंदर जो कन्स्ट्रक्शन वर्कर हैं, उसमें 60 प्रतिशत दलित हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** अरे! विषय क्या है? विषय पर आप बोल नहीं रहे हैं। चलिए, बैठिए बैठिए। राखी बिड़ला जी।

**अध्यक्ष महोदय :** राखी बिड़ला जी। विजेन्द्र जी, आप बैठ जाइये।

**सुश्री राखी बिड़ला :** बैठ जाइए गुप्ता जी। आपको कोई नहीं सुन रहा। आपका ड्रामा, आप लोग दलित विरोधी थे, रहेंगे, बैठ जाइये।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपसे पूछूँ, पूर्व एलजी ने इजाजत क्यों नहीं दी? शीला दीक्षित पर मुकद्दमा चलाने की पूर्व एलजी ने क्यों इजाजत नहीं दी?

नहीं मुझे भी पीड़ा होती है। नहीं, जो वास्तविकता है, नहीं, कब तक ये तर्क-वितर्क चलेगा? बैठ जाइये आप, प्लीज।

**सुश्री राखी बिड़ला :** आप कल की बात का जवाब दीजिये गुप्ता जी। किस प्रकार दिल्ली पुलिस ने छात्राओं को मारा बर्बतापूर्ण... आप कल की बात का जवाब दीजिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** हां, राखी जी, बोलिये।

**सुश्री राखी बिड़ला :** अध्यक्ष जी, किस तरह से बीजेपी केंद्र सरकार का रवैया दलितों के प्रति है, बीजेपी के एक प्रतिनिधि ने अभी दिल्ली विधान सभा की ऐतिहासिक भूमि पर ये दिखाया कि एक मां को जो अपने बेटे के लिए तड़प रही है, जिसका बेटा चला गया, इन लोगों के अत्याचार की वजह से उसके आंसुओं को इन्होंने घड़ियाली करार दिया। किस प्रकार से एक भाई के दुःख को जो कि अलका लाम्बा जी ने एक न्यूजप पेपर के माध्यम से हमारे सामने पेश किया, उसे लच्छेदार भाषण कहा, ये दिखती है बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता। दिखती है और हर कदम पर दिखती है। ये पहली बार नहीं हुआ। ये आज 2016 से लेकर, 2014 तक ये वो आंकड़े हैं जो टीवी न्यूज पेपर की हैडलाइन बनी। चाहे वो रोहित वैमुला की हत्या का मामला था। चाहे वो उना गुजरात में मरे हुए पशुओं की खाल उतारते हुए चार दलित युवकों को बेरहमी से पीटने का मामला हो या मई, 2014 में केरल में एक दलित जो कि वकालत की स्टूडेंट थी, उसकी बेरहमी से हत्या और रेप का मामला हो या 22 वर्ष के युवक की हत्या का मामला हो, जो कि सामाजिक वर्चस्व पा चुका था या फिर कर्नाटक के स्कूल के

100 बच्चों के छोड़ने का मामला, क्योंकि वहां का जो भोजन सर्व करता था वो एक दलित समाज का लड़का था या 90 वर्षीय एक व्यक्ति की इसलिये हत्याकर दी जाती है क्योंकि वो यूपी में एक मंदिर में प्रवेश कर लेता है या फिर 17 वर्षीय दलित लड़की की इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने राजस्थान के बीकानेर शहर में एक उच्च जाति के कुएं से पानी भर लिया। ये टॉप टेन ऐसी घटनाएं हैं, जिनको मीडिया ने कवर किया, जिनको टीवी चैनल्स ने दिखाया। लेकिन अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं, असंख्य घटनाएं घटती हैं, जिनको न तो न्यूज पेपर कवर करता है और न ही वो मीडिया की हैडलाइन बन पाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि घटनाएं दलितों के ऊपर थमी हों और ये पिछले 2 वर्ष के आंकड़े नहीं हैं, 2007 से लेकर अब तक सिर्फ उत्तर भारत एवं हैदराबाद में 25 छात्रों ने आत्महत्या की जिसमें से सिर्फ 23 दलित समाज के छात्र थे, सिर्फ और सिर्फ 23 छात्र ऐसे थे जो दलित समाज के थे। इनमें से दो तो बहुत बड़े इन्स्टीट्यूट, एम्स के छात्र थे, जब कि बाकी हैदराबाद शहर के थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक 18 मिनट के अंदर भारतवर्ष में कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में, किसी ना किसी शहर के अंदर दलित समाज का उत्पीड़न होता है, शोषण होता है। आज भी 28 प्रतिशत भारतीय गांवों में दलित समाज के व्यक्तियों को एंट्री नहीं दी जाती, बड़े उच्च स्थानों पर चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो या और गवर्नमेंट के ऑफीसेज हों, 39 प्रतिशत सरकारी विद्यालयों में आज भी भोजन के दौरान दलित समाज के बच्चों की अलग से लाईन बनाई जाती है। 24 से 30 परसेंट गांवों के अंदर आज भी दलित समाजों के घर पर डाकिया पत्र नहीं पहुंचाता है। 49 परसेंट गांवों में आज

भी पीने के पानी के स्रोतों पर, पूजा स्थलों पर दलित समाज के लोगों को जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, हम सभी लोग अध्यक्ष जी, भले ही प्रजातंत्र में जी रहे हैं, भले ही आज हम 21वीं सैचुरी में जी रहे हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि आज भी दलितों के ऊपर अत्याचार लगातार हो रहे हैं, उनको आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है और आज भी उनके साथ दोगम दर्जे का व्यवहार किया जाता है।

अध्यक्ष जी, ये 'द हिंदू' की रिपोर्ट है कि किस प्रकार से 2012 से लेकर 2016 तक दलितों पर अत्याचार के आंकड़े दिन प्रति दिन बढ़े हैं। ये 'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट है। 2012 से लेकर 2016 तक राजस्थान के अंदर दलितों के खिलाफ जो अपराध सामने आये, उसमें 8 हजार 88 मामले दर्ज हुए और न्याय कितनों को मिला, सिर्फ 66 लोगों को! उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 8500 से 9000 दलितों के खिलाफ अपराध सामने आये। ये तो वो आंकड़े हैं जो सामने आये हैं और इसमें से न्याय कितनों को मिला, महज 20 लोगों को! उसी प्रकार से बिहार में तकरीबन 7 हजार से लेकर 9 हजार के बीच का आंकड़ा आया है। दलितों के प्रति अपराध बढ़ते हुए और उसमें से सिर्फ 45 लोगों को न्याय मिला। ये तमाम आंकड़े हैं मैंने नहीं बनाये हैं। ये तमाम आंकड़े हैं जो मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से बड़ी-बड़ी सर्वे एजेंसियों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहती हूँ कि ये अभी एक बीजेपी के प्रतिनिधि का हमने रवैया देखा कि किस तरह से वो इतनी अहम, आज जो चर्चा चल रही है, इतने दुख का विषय है कि एक तरफ तो दिल्ली पुलिस की जो टीम है, जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं, वो किस प्रकार से महिलाओं की छाती पर हाथ मारते हैं, उनको गर्दन से पकड़ते हैं, बर्बरतापूर्ण पीटते हैं और दूसरी तरफ दलित विरोधी नीतियों की आये दिन नई-नई जो ये लोग क्या कहते हैं, यूनीवर्सल



अपने आपको बनाना चाहते हैं, घटनाएं बीजेपी के माध्यम से सामने आ रही है। अध्यक्ष जी।

**अध्यक्ष महोदय :** कन्कलूड करिये राखी जी, प्लीज।

**सुश्री राखी बिड़ला :** अध्यक्ष जी, कैसे कन्कलूड कर दें? सारा टाईम तो ये खा जाते हैं। इतने मार्मिक विषय पर हम बोल रहे हैं, इतने दुख के विषय पर हम लोग बोल रहे हैं, दलितों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं और आप सोचते हैं हम शॉर्ट में कन्कलूड कर दें। ये एक रिपोर्ट है 20 दिसंबर का अखबार है, राजस्थान में जहां पर बीजेपी की सरकार है, राजस्थान के अंदर वर्ष 2013-15 के अंदर 23,861 मामले दर्ज हुए हैं, दलितों के खिलाफ। उसी प्रकार से यूपी के अंदर 25 हजार से ज्यादा, बिहार के अंदर 2 हजार से ज्यादा, मध्यप्रदेश जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर 18 से ज्यादा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अध्यक्ष जी, कहने का मतलब ये है कि देश का कौना-कौना, देश का हर राज्य जहां पर दलित आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां पर दलितों के बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तत्पर तैयार हैं, वहां पर किसी ना किसी कारणवश उनकी प्रतिभा को खत्म कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है।

अध्यक्ष जी, 5 मिनट के अंदर बात को खत्म करूंगी। पिछले दिनों वर्ष 26 मई, 2014 को केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार बनी और उसके 4-6 महीने के अंतराल के बाद 14 फरवरी, 2015 को दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनी। अब इन्होंने, विजेन्द्र गुप्ता जी ने बोला कि केजरीवाल की सरकार ने दलितों के लिये क्या किया? मैं बताती हूं केजरीवाल सरकार ने दलितों के लिये क्या किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार, जो कि दलित

विरोधी सरकार है, उसने रोहित वेमुल्ला जो कि एक स्कॉलर था, जो कि दलित समाज का एक भविष्य था, जो कि अपने समाज को आगे ले के जा सकता था, इनके सैंटर मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर के और एबीवीपी छात्र संघ हैं, उनकी प्रताड़ना के कारण 17 जनवरी, 2016 के अंदर हमारा एक होनहार भाई, दलित समाज का बेटा इनकी प्रताड़ना के कारण आत्महत्या कर लेता है और वहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार का ऐतिहासिक कदम कि वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर के पाठ्यक्रम को पढ़ाने की हरी झंडी देते हैं, उसको सरकारी किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाने के लिए हरी झंडी देते हैं, शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से कि डा. भीमराव अंबेडकर का किस तरह का व्यक्तित्व था और उसने समाज को बदलने के लिए, देश को बदलने के लिए किस तरह से योगदान किया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री<sup>6</sup> की बीजेपी की सरकार है...

**अध्यक्ष महोदय :** फिर आप प्रधानमंत्री बोलिए, प्रधान मंत्री।

**सुश्री राखी बिड़ला :** ठीक है प्रधान मंत्री बोल लेते हैं कोई बात नहीं। नहीं तो उनके और बहुत नाम हैं। 2000 के दंगों में किस के हाथ खून से रंगे हैं, सारी दुनिया जानती है। हम डरते नहीं हैं, सबसे बोलेंगे। कोई नहीं डरता। खूनी हैं, खूनी रहेंगे।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** राखी जी, विषय को...

...(व्यवधान)

---

<sup>6</sup> अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार यह शब्द बदला गया।

**सुश्री राखी बिड़ला :** आपके आब्जेक्शन को कौन सुनता है, बैठ जाइए, आप आराम से। अध्यक्ष जी, इनके ऑब्जेक्शन को मैं नहीं मानती।

**अध्यक्ष महोदय :** राखी जी, आप मुझसे बात करिए, उधर नहीं।

**सुश्री राखी बिड़ला :** आप रूलिंग दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय :** आप मुझे से बात करें। आप जो अपने विषय को...

**सुश्री राखी बिड़ला :** मैं बीजेपी सरकार की बात कर रही हूँ।

**अध्यक्ष महोदय :** विषय को खींच कर रखिए, अपने विषय को ठीक रखिए।

**सुश्री राखी बिड़ला :** इन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल...और आप किसी की मां के आंसुओं को घड़ियाली बोलें। आप किसी के भाई के दर्द को लच्छेदार भाषण बोलें। आप कुछ भी बोलें, आप टेबल पर चढ़ जाएं, एक आदरणीय सदस्या को आपका एक साथी, रात को घूमने वाली औरत बोले, आप कुछ भी बोलें, चलेगा। आप दलितों की खिलाफत करें। आप बोलें कुछ भी, चलेगा।

**अध्यक्ष महोदय :** राखी जी।

**सुश्री राखी बिड़ला :** और आप बोलें तो संवैधानिक है और हम कुछ भी बात करें तो असंवैधानिक है। आप बैठक जाइए, आप दलित विरोधी हैं। आप लोग महिला विरोधी हैं। आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं। आप लोग छात्र विरोधी हैं। ये बीजेपी सरकार देश का सत्यानाश करने के लिए उतारू हो चुकी

है। आज सिपाही दुखी है, आज किसान दुखी है, आज किसान दुखी है, आज छात्र दुखी है, आज महिला दुखी है, आज हिंदू दुखी है, आज मुस्लिम दुखी है। कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक हर भारतवासी दुखी है।

**अध्यक्ष महोदय :** राखी जी, अब कन्क्लूड करिए। प्लीज राखी जी।

**सुश्री राखी बिड़ला :** आप बैठिए आराम से।

**अध्यक्ष महोदय :** राखी जी आप उधर नहीं, कन्क्लूड करिए आप।

**सुश्री राखी बिड़ला :** अध्यक्ष जी, दो मिनट बोलने दीजिए। आप उनसे बोलिए कि चुप हों।

**अध्यक्ष महोदय :** आप उनसे मुखातिब मत होइए।

**सुश्री राखी बिड़ला :** आप इन्हें बैठाइए।

**अध्यक्ष महोदय :** रहने दीजिए उनको, बोलते रहेंगे आप कन्क्लूड करिए प्लीज। कन्क्लूड करिए।

**सुश्री राखी बिड़ला :** अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार...

**अध्यक्ष महोदय :** ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कन्क्लूड करिए।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** कौन सा? उन्होंने नाम लिया, मैंने हटवा दिया।

**सुश्री राखी बिड़ला :** मैंने झूठ नहीं बोला। 2002 की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। मैंने झूठ नहीं बोला। हम सदन में झूठ नहीं बोलते। सदन को गुमराह नहीं करते हैं। कोई अल्फाज अनपार्लियामेंट्री नहीं है। हां, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला।

**अध्यक्ष महोदय :** राखी जी, मैं आपसे कह चुका हूँ कि आप सीधे उनसे बात मत करिए, आप मुझसे बात करिए। मैं उनको कंट्रोल कर रहा हूँ।

**सुश्री राखी बिड़ला :** आप बैठिए।

**अध्यक्ष महोदय :** आप अपना वक्तव्य पूरा करिए। राखी जी, आप अपना वक्तव्य पूरा करिए।

**सुश्री राखी बिड़ला :** अध्यक्ष जी, जहाँ केंद्र सरकार आए दिन दलित...

**अध्यक्ष महोदय :** आप बोलते रहिए, आप कन्टीन्यू रखिए।

**सुश्री राखी बिड़ला :** अध्यक्ष जी, जहाँ केंद्र सरकार आए दिन दलितों पर अत्याचार करने के नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं पर अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी की सरकार ने इतिहास रचते हुए दलित समाज की एक बेटी को इसी विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया। न सिर्फ उपाध्यक्ष बनाया बल्कि इतिहास रचा कि वो लड़की विश्व में सबसे कम उम्र की डिप्टी स्पीकर बनीं। ये हैं अरविंद केजरीवाल! ये है आम आदमी पार्टी की सरकार! आज लोगों की बीजेपी की सरकार नहीं है जो उभरती हुई प्रतिभाओं को नोच कर, दबोचकर खत्म कर दे।

अध्यक्ष जी, जहाँ आज पंजाब में बीजेपी के दलित समाज के कुछ नेता इस्तीफा देने को मजबूर हैं, वहीं पंजाब में सरकार बनने से पहले आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि अगर...अगर क्या? आएगी ही पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो वहाँ पर मुख्य मंत्री होगा, वह दलित होगा। ये है अरविंद केजरीवाल की सोच। ये अरविंद केजरीवाल का...

**अध्यक्ष महोदय :** चलिए, अब कन्क्लूड करिए। राखी जी, अब कन्क्लूड करिए।

**सुश्री राखी बिड़ला :** गरीबों के उत्थान के लिए...

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, नहीं कन्क्लूड करिए।

**सुश्री राखी बिड़ला :** सर जी, आप बताइए ये दलित विरोधी बीजेपी..दो मिनट...आप बोलेंगे दो मिनट बढ़ते जाएंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** 15 मिनट हो गए हैं। कन्क्लूड करिए प्लीज।

**सुश्री राखी बिड़ला :** दलित विरोधी बीजेपी, अध्यक्ष जी, ईर्ष्या की वजह से गंदी राजनीति के तहत आए दिन सफाई कर्मचारियों की सैलरी रोकती है। इनके बीजेपी के नए नवेले प्रदेशाध्यक्ष जाकर दलितों के घर में खाना खाने का ड्रामा रचते हैं और वहीं पर बीजेपी की एमसीडी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह रोकती है। ये है बीजेपी का असली चेहरा। ड्रामे बाज बीजेपी! वहीं पर केजरीवाल सरकार जो है आए दिन इस प्लान को बनाकर कि किस प्रकार से दलित वर्ग के बच्चे डाक्टर इंजीनियर बनें, आगे बढ़ें। ये हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो है सोचने का तरीका कि किस प्रकार से दबे कुचले समाज को आगे लेकर आए। इतना ही नहीं सर...

**अध्यक्ष महोदय :** राखी जी, अब कन्क्लूड करिए।

**सुश्री राखी बिड़ला :** नवम्बर, 2015 के अंदर फरीदाबाद में दलित समाज के घर में आग लगी थी। एक दो साल का बच्चा और छः साल का बच्चा जलकर मरा था और इनके ही एक मंत्री विजय नाम है इनका, वी. के. सिंह जी क्या लिखते हैं? अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी गाड़ी के नीचे आ जाएगा

तो क्या तब भी क्या केंद्र सरकार पर आप आरोप मढ़ेंगे? ये दलितों के बच्चों को कुत्ता बिल्ली कहते हैं। ये दलितों की तुलना कुत्ते बिल्ली के साथ करते हैं और वहीं पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिसने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आज ऐसी कर दी है कि आज हमारे जैसे दबे कुचले समाज के बच्चे पढ़ें और अपने और अपने समाज का नाम रोशन करें।

**अध्यक्ष महोदय :** बहुत-बहुत धन्यवाद अब कन्क्लूड करें।

**सुश्री राखी बिड़ला :** अध्यक्ष जी, जिस तरह से केंद्र सरकार कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया है दलितों के प्रति, मुस्लिमों के प्रति ये आने वाले दिनों में इन्हें भुगतना पड़ेगा। जब हमारे प्रधानमंत्री जी की मां...

**अध्यक्ष महोदय :** राखी जी, अब कन्क्लूड करें प्लीज।

**सुश्री राखी बिड़ला :** अध्यक्ष जी, दो मिनट बस। दो लाइनें हैं।

अध्यक्ष जी, जब हमारे प्रधानमंत्री की माता जी डिमोनेटाईजेशन के दौरान बैंक की लाईन में लगती है, तो पूरी मीडिया कवर करती है, पूरी ब्रेकिंग न्यूज बनती है और वहीं जब नजीब की मां पिछले चार पांच महीनों से सड़कों पर न्याय मांग रही है, दर-दर की ठोकें खा रही है, तो उसे पीटा जाता है। उसे जेल में बंद किया जाता है। प्रधानमंत्री की मां मतलब मां हो गई, नजीब की मां नहीं है। रोहिता वेमुला की मां नहीं है। ये अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे। बहुत हो चुका, आज तक हम लोग चुप थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के लोग चुप नहीं रहेंगे। सिर्फ बीजेपी ही दलित विरोधी नहीं है, कांग्रेस भी दलित विरोधी है। इतने सालों के जो हमने आंकड़े दिये, इतने राज्यों के

जो हमने आंकड़े दिये। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की ही सरकारें हैं। इन्होंने दलितों और मुस्लिमों को वोट बैंक समझ के रखा है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है। सब पर झाड़ू चलने वाला है और आपका खेल खत्म होने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

**अध्यक्ष महोदय :** धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जरनैल जी।

**सुश्री राखी बिड़ला :** धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इतनी गहन चर्चा पर और विजेन्द्र जी को अभी भी शर्म नहीं आ रही है, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। चुप रहने वाले नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** राखी जी छोड़िए। जरनैल सिंह जी। फिर उसके बाद माननीय मंत्री जी।

**श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) :** धन्यवाद अध्यक्ष जी। बात तो बिल्कुल सही कही है हमारी साथी राखी बहन ने। धोखा तो देश की जनता के साथ हो गया अध्यक्ष जी। बहुत बड़ा धोखा हो गया। सरेआम हो गया। क्योंकि इन्होंने बोला था जी, गुजरात मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे और गुजरात मॉडल आज पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट हो गया। जहां दलितों का, जहां व्यापारियों का जहां मार्टिनॉरटीज का, जहां किसानों का, जहां छात्रों का, हर वर्ग का शोषण हुआ है, वो शोषण अब पूरे इंडिया में हो रहा है। नतीजे हम सारे देख रहे हैं। अध्यक्ष जी, पुलिस का जो दुरुपयोग पिछले तीन सालों से, जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, जो पुलिस का दुरुपयोग हम देख रहे हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण आप सब के सामने रख रहा हूं; क्योंकि मैं खुद उस चीज को भुगत चुका हूं। 28 अप्रैल, 2015 को मेरे क्षेत्र से फोन आता है कि एमसीडी वाले मेरा मकान तोड़ने आ रहे हैं, हमें किसी तरीके से बचा



लो। मैं वहां जाता हूं। जेई वहां का होता ही नहीं है। जेई वहां माफियां मांग रहा है कि भाई साहब, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं, मुझे छोड़ दो। जनता वहां इकट्ठी हो जाती है कि नहीं जी, रोज का तमाशा बना रहा है, बीजेपी की एमसीडी ने। आज इनको सबक सिखाएंगे। वहां से सारी जनता इकट्ठी होकर पुलिस स्टेशन में जाती है और सबकी ये मांग होती है कि ये जेई कोई दिल्ली में मकान बने, एमसीडी को और दिल्ली पुलिस को पैसे दिये बिना नहीं बनता। इनके ऊपर आज हमें कोई सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। पर एक्शन लेने वाली भी पुलिस भी है। एक्शन होता कहां से! शाम तक मालूम चलता है कि उस टाईम तो पुलिस में हमें तीन चार घंटे बिठा कर कार्रवाई का आश्वासन देकर भेज दिया। घर आकर मालूम चलता है, जी टीवी पर देखकर जी, आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर जेई को मारने का मुकद्दमा दर्ज। वह मुकद्दमा दर्ज होने के अगले ही दिन, तब के भीमसेन बस्सी जी कमिश्नर थे, वो स्टेटमेंट देते हैं कि जी, जो आप विधायक हैं, वो एक्सकोण्ड कर रहे हैं। आज जब उसकी जजमेंट आई है, बोलते हैं कि जी, वो भगौड़े हो गए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक जब कि मैं जनता के कहने पर, जनता के काम के लिए, जो शोषण हो रहा था, वो रोकने वहां पर गया था। आज जब जजमेंट आती है तो जजमेंट में क्या लिखा है? जी, क्लीयर में पढ़कर सबको बताना चाहता हूं : "No court shall take cognizance of any offences punishable under section 172 to 188 of IPC except on the complaint in writing of the public servant." कि जब तक पब्लिक सर्वेंट की कम्प्लेंट नहीं आती, तब तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती, कोई मुकद्दमा नहीं कर सकती इन धाराओं के अंदर। पर पब्लिक सर्वेंट से ज्यादा जल्दी मोदी जी की पुलिस को थी। वो रातों रात मुकद्दमा भी हो जाता है और अगले दिन मुझे भगौड़ा भी घोषित कर दिया जाता है। आगे कोर्ट लिखती है :

"It is clear that for the offence under section 186 the court cannot take cognizance on the basis of police report and case should have proceeded as coplaint case. It is not in dispute that instant case has been correlated on the police report after registration of FIR and filing chargesheet. So the mandatory provisions of Sections 195 has not been complined with. Sicne inthe instant case, Chargesheet has been filled under various sactions and the congnozance has been incorrectly taken therein. मतलब पुलिस को इतनी जल्दी थी कि न कोई तथ्य देखा, न कोई आधार देखा, सीधे सीधे उठा के मुकदमा दर्ज करके भगौड़ा घोषित कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी, क्या आज वो भीम सैन बस्सी जिम्मेवारी लेगा उस मानहानि की? क्या मोदी जी जिम्मेवारी लेंगे उस परेशानी की जो मुझे हुई? जो रातों को सारे न्यूज चैनल हैडलाइन चला रहे थे कि आम आदमी पार्टी के विधायक के ऊपर मुकदमा दर्ज! कौन लेगा इस चीज की जिम्मेवारी?

अध्यक्ष जी, आज दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, पुलिस कितना दुर्व्यवहार कर रही है; अभी कल का जो ये लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है, इस चीज की जिम्मेवारी कौन ले रहा है, कौन जिम्मेवारी ले रहा है उन सारे साथियों की परेशानियों की जिनको पुलिस थाने बुला बुला कर के घसीटा गया आज ओ जी, इन्क्वायरी करनी है, आ जाओ जी, इन्क्वायरी करनी है। आज उस भीम सैन बस्सी से पूछा जाना चाहिए कि तब तो तुमने मोदी जी के प्रैशर में आकर ये मुकदमें दर्ज कर लिए, पर अध्यक्ष जी, आज इस सदन के अंदर आप हमारे अभिभावक हो, मेरे अलावा भी 16 साथियों के ऊपर भी मुकदमें दर्ज हुए हैं, जो सारे तथ्यहीन थे। आज कौन जिम्मेवारी ले रहा है अध्यक्ष जी, सारी

चीज की जो डेली दिल्ली में, दिल्ली के लोगों के ऊपर और यहां तक कि दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए विधायकों के ऊपर मुकदमें दर्ज हो रहे हैं? कौन इस चीज का जवाबदार है अध्यक्ष जी? इस चीज के ऊपर, मैं विश्वास के साथ ये बात आपसे कह रहा हूं कि और ज्यादा ये बर्दाश्त होने वाली नहीं है। अध्यक्ष जी, रोज रोज नये नये कैसेज सामने आ रहे हैं। आपको इस चीज पर हमें कोई सख्त कार्रवाई का विश्वास दिलवाना पड़ेगा क्योंकि ये रोज रोज की चीजें बर्दाश्त होने वाली नहीं है और इसके अलावा मैं एक ऐसी कौम से संबंध रखता हूं जब भी देश को जरूरत पड़ी है, इस कौम ने...चाहे बात करेंगे जब तिलक और जैनियों पर संकट आया था तो गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना बलिदान देकर, जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है, अपना खून देकर इस देश को सींचा है। बात करें चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी की कि जब इस देश के ऊपर संकट आया तो अपना, अपने परिवार का बलिदान दिया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए चाहे देश की आजादी की बात कर लो, आज अंडमान निकोबार जा के देख लो। इस देश पर मर मिटने वाले देश की आजादी की बात कर लो, आज अंडमान निकोबार जा के देख लो। इस देश पर मर मिटने वाले देश के 90 परसेंट सबूत सिख मांओं की कोखों ने जन्में हैं। आज वहां पर ये चीज दर्ज है। अध्यक्ष जी, वो ही चीज आज तक कायम है। जब भी इस देश को जरूरत पड़ी है, सिख कौम हमेशा खड़ी हुई है। पर आज बात चाहे सिखों की करें, चाहे बात दलित भाइयों की करें, चाहे देश के किसानों की करें, चाहे आर्मी वालों की करें, चाहे देश के व्यापारियों की बात करें, आज हर आदमी शोषित है।

अध्यक्ष जी, आज इस विधान सभा से कोई मैसेज जाना चाहिए कि ये चीज अब और बर्दाश्त करने वाला नहीं है देश की जनता और जो गुर्गे इस

विधान सभा में उस हिटलर के, उस तुगलक के बैठे हैं, उनको दो लाइनों के माध्यम से आपने समय दिया आपका धन्यवाद करता हूँ, दो लाइनों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ।

जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे,  
किरायेदार हैं, जाती मकान थोड़े ही हैं  
सभी का खून है इस देश की मिट्टी में शामिल,  
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है।  
धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** अब और नहीं, और सारे विषय रखें।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आज दलाल जी को समय मिला है; जोश आ गया है।

**श्री सुखबीर सिंह दलाल :** जो उसको यूपीएससी का मेम्बर बनाकर एक ईनाम दिया गया है, वो वापिस लिया जाए इस माध्यम से क्योंकि बच्चे को ईनाम दिया गया है वो ऐसे ही यूपीएससी का एक मेंबर बना दिया गया। उसको छीनने के लिए हमारी मानहानि का यही होगा कि उसके माध्यम से सर, केंद्र सरकार को जागृत करें कि उसको वापस बुलाया जाए। ईनाम देने की बजाय उसको...

...(व्यवधान)

**श्री जरनैल सिंह (ति.न.) :** किसी की तो जिम्मेवारी फिक्स करनी पड़ेगी ना।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी।

**माननीय उप मुख्यमंत्री :** अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने साथी जरनैल सिंह को बधाई देता हूँ कि हम सब लोग जब भी कोई आदमी पार्टी का विधायक पकड़ा जाता है, हम भी टीवी देख रहे होते हैं, हमारे भी फोन आ रहे होते हैं, एसएमएस आ रहे होते हैं, चलो जी, एक और सच्चा निकल आया। वैसे तो सारे ही हैं परंतु क्योंकि थोड़े दिन बाद कोर्ट का आदेश आना ही होता है; चाहे अखिलेश त्रिपाठी के हों, नरेश के हों, हमारे कितने सारे साथी तो यहां बैठे हैं, कई सारे साथी यहां हैं नहीं अभी। 17 या 18 साथी ऐसे हो गए हैं जिनको पुलिस ने इसलिए उठाया कि आम आदमी पार्टी की छवि खराब कर सकें। जिसको पुलिस ने इसलिए उठाया कि ये नये-नये राजनीति में आये हैं, जरा सिखाते हैं सबक कि राजनीति होती क्या है! या तो हमारे समान हमारे हिसाब से चलो या एडजेस्ट करके चलो, नहीं तो हम तुम्हें एडजेस्ट कर देंगे। आज एडजेस्ट नहीं होने का जो ईनाम मिला है, वो कोर्ट के जजमेंट से मिल रहा है। मैं इस देश की न्यायपालिका को सलाम करता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय :** एक सैकेंड सदन का समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आधा घंटा बढ़ा लिया जाए। चलिए, फिर दोबारा बढ़ा लें।

(सदन की सहमति मिलने पर सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया गया)

**उप मुख्यमंत्री :** जरनैल सिंह जी की भी इस चीज के लिए बधाई कि जो सूत्र है प्रकृति का कि देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है। सच्चाई छिप

नहीं सकती। झूठे पुलिस वालों के पीछे। इनकी भी सच्चाई तो सामने आ ही गई। इनका भी सच्चा होना सामने आ गया।

विजेन्द्र जी ने अच्छा किया, आ गए। मैं एक दो चीजें इनसे कहना चाह रहा था आपके माध्यम से कि ये अभी कई साथियों ने जो मुद्दा रखा, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम देश की राजधानी में बैठे हैं और देश की राजधानी में देश के कौन-कौन से लोग आते हैं; विभिन्न मुद्दों से सुप्रीम कोर्ट से ले के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के ले के, सेंटर गवर्नमेंट में अपने प्रेजेटेशन से ले के तमाम चीजों के लिए और भी नौकरियों के लिए, रहने के लिए। वे इस देश को, इस देश की राजधानी को अपना हिस्सा समझ के आते हैं। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी देश की राजधानी में जा रहा हूँ और यहां देश के किसी कोने से छात्र आएँ और वो अपनी बात रखना चाहे; मीडिया के माध्यम से, एक प्रेजेटेशन के माध्यम से, एक प्रदर्शन के माध्यम से, शान्तिपूर्वक प्रदर्शन के माध्यम से और उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हो, उनके साथ में इतना बर्बर व्यवहार हो जिस तरह के फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं यहां सदन में, मैंने भी देखे सुबह अखबार में। इस तरह की उनको कुचलने की कोशिश हो मानो कि वो आतंकवादी आ गए हों। माना कि कहीं से बहुत हिंसक लोग निकल के आ गए हों। तो देश की राजधानी में ऐसा सलूक तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे छात्र हों या कोई और हों। अगर मोदी जी की पुलिस, अगर सेंटर की पुलिस देश की राजधानी में ऐसा सलूक करेगी तो जिसके इशारे पर भी करेगी, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। उसके पीछे पड़ेंगे हम और यहां बात करेंगे। दो चीजें हैं; एक तो छात्र ऊपर से एक दलित छात्र के मर्डर के सुनियोजित मर्डर के खिलाफ आवाज उठाने, उसके

लिए प्रेजेटेशन देने के लिए आए थे। उनके ऊपर इतना दमन, बर्बरतापूर्वक उनका शोषण कि उनको मारा-पीटा गया, लड़कियों तक को, जो लड़कियां छात्र थी और फिर इसमें कोई शक भी नहीं है कि क्यों हो रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है। क्योंकि सारा इतिहास इन्होंने बताया। मैं उस इतिहास में नहीं जा रहा है, रोहित वेमुल्ला कौन थे, क्या घटनाएं घटी, सारी सब को पता है कि पूरे देश में क्या हुआ। कैसे किस केंद्रीय मंत्री ने चिट्ठी लिखी, किस केंद्रीय मंत्री ने उसकी संस्तुति की और कैसे एक वाइस चांसलर को मतलब शब्दशः कोर्निस करते हुए उन्होंने उस छात्र को परेशान किया और बाद में इस बात के सबूत इससे ज्यादा हैरान करने वाले क्या होंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी उस दलित छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले, उस वाइस चांसलर को बाकयदा सम्मानित करते हैं, उनको सम्मानित किया। इसका मतलब किस चीज का सम्मान था वो? इस चीज का सम्मान था कि आप देश के शिक्षण संस्थानों को उस दिशा में ले जा रहे हो, जहां हम प्रधानमंत्री के लिए बैठकर ले जाना चाहते हैं। इसलिए उसका सम्मान किया गया। वरना क्या जरूरत थी इतनी कन्ट्रोवर्सी होने के बावजूद! आज आप बात करो हैदराबाद यूनिवर्सिटी की, तुरंत रोहित वेमुला का नाम आता है, आप आज बात करो रोहित वेमुल्ला, तुरंत हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम आता है, क्यों? क्योंकि ये घटना कुख्यात हो चुकी है पूरी दुनिया में, दलित छात्र, दलित प्रतिभाओं के उत्पीड़न के नाम पर और उस घटना से जुड़े हुए विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को देश के प्रधानमंत्री सम्मानित करते हैं। फिर तो सम्मान की व्याख्या ही बदल देनी चाहिए। आप दलितों का मर्डर करवाओ, आप दलितों पर अत्याचार करो, आई एम शयोर जिन पुलिसवालों ने कल उन लड़कियों को पीटा है, उनको भी प्रधानमंत्री एक

दिन सर आंखों पर उठाकर घूम रहे होंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। इन्हीं के बारे में किसी ने लिखा है :

‘ये अंधेरो के पुजारी हैं, इन्हें जुगनूओं से नफरत है।’

अभी यहां बात कर रहे थे कि इन्हें किसी भी उभरती हुई प्रतिभा से इन्हें प्रॉब्लम है। दलितों में न उभर जाए, महिलाओं में न उभर जाए, महिलाओं के लिए कहते रहते हैं, “क्या पहनो, क्या खाओ, कितने बजे निकलो।” दलितों के लिए कहते रहेंगे। इनके दिमाग में तो वहीं है। अभी किसी साथी ने बोला कि ये शू पालिश करने वाले होंगे, दिमाग में तो वहीं घुसा हुआ है ना, दिमाग में ये ही घुसा हुआ तो उसी को स्थापित करने में लगे हुए हैं;

ये अंधेरो के पुजारी है इन्हें जुगनूओं से नफरत है,  
ये नाथूराम के चले हैं इन्हें बापू से नफरत है।

अध्यक्ष महोदय, देश की राजधानी में अगर ऐसा होगा कि आप दलित छात्रों को पिटवायेंगे और हम चुप बैठ जायेंगे। ये तो आप उम्मीद मत रखिए हमसे। हम एडजेस्ट करने वाले लोग नहीं हैं। दलित छात्रों के खिलाफ कुछ करोगे और यही अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, देश के छात्रों से पंगा मत लेना, आप कुछ भी कर लेना, आप कुछ भी कर लेना। आपको पता नहीं है ये छात्र क्या होते हैं, इनसे पंगा लेके कोई बच नहीं पाया आज तक और ये छात्र इस देश का भविष्य हैं। आप इसको बर्बाद करने पे तुले हुए हो? आप देश की यूनिवर्सिटीज को बर्बाद करने पर तुले हुए हो तो कम से कम दिल्ली में तो हम इसके खिलाफ बोलेंगे। हम विधानसभा में भी बोलेंगे, हम सड़क पर



भी बोलेंगे, हम सजा में भी बोलेंगे। इनकी जरूरत है बोलने की और इसीलिए आज बोल रहे हैं। हम दिल्ली के चुने हुए लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि दिल्ली में अगर छात्रों के साथ कोई अत्याचार होगा और वो भी दलित छात्रों के साथ इस तरह से अत्याचार होगा तो हम यहां पर बैठकर भी बोलेंगे और जो एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी उसमें, सड़क पे एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी, उस एक्शन में भी आयेंगे।

अध्यक्ष महोदय, बड़ा अजीब सा तर्क दे रहे थे नेता प्रतिपक्ष, भले ही शीला दीक्षित जी ने 600 करोड़ का दलित फंड गायब कर दिया। अरे! शीला दीक्षित जी ने 600 करोड़ का दलित फंड गायब कर दिया, तो इसका मतलब आपको दलित छात्रों को पीटने का हथियार मिल गया? आपको लाइसेंस मिल गया कि आप दलित छात्रों को पिटवाओगे दिल्ली में? आप जंतर-मंतर पर मारोगे उनकी लड़कियों को, दलित छात्रों की लड़कियों को! शीला दीक्षित ने कर दिया तो आपके पास सीबीआई है, एसीबी आपके पास है तो उठा लो उनको, बुलाओ आप। कभी तलब नहीं करते। लेकिन शीला दीक्षित जी ने अगर 600 करोड़ रूपये का दलितों का फंड गायब कर दिया था, तो आपको लाइसेंस किसने दे दिया दलित छात्रों को पीटने का और ये कहां सार्थक है?

तो अध्यक्ष महोदय ये तर्क-कृतर्क इन सब में बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार वैसे भी एजुकेशन की बहुत प्रायोरिटी पे लेकर के चलती है दिल्ली की सरकार सामाजिक ताने-बाने को लेके बहुत संवेदनशील है। अगर इन दोनों चीजों से छेड़ोगे, तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। हम इसके खिलाफ बोलेंगे, विधानसभा में भी बोलेंगे, बाहर भी बोलेंगे। मैं ये जो चिंता ये है ना, जो अभी हमारी राखी बहन कह रही थी, इनका

क्या होगा, इनको जनता नहीं छोड़ेगी। हमें इनकी चिंता नहीं है, इनकी चिंता है किसको? जनता तो इनको वैसे ही नहीं छोड़ेगी। चिंता तो ये है कि जब तक जनता इनको ठिकाने लगाए, तब तक ये देश को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। प्रॉब्लम तो हमें ये है। आपको तो नहीं छोड़ेगी। अभी तो दो महीने बाद चुनाव आ जायेंगे नगर निगम के, वो देख लेंगे, पंजाब में देख लेंगे, गोवा भी देख ही रहे हैं। आपको कहां-कहां जनता छोड़ेगी, वो तो वक्त बतायेगा। आपको छोड़े ना छोड़े, हमें इस बातकी चिंता नहीं है। चिंता हमें इस बात की है कि आपके हाथों में इस वक्त देश की ड्राइविंग सीट है और आप इस देश का जिस मानसिकता के साथ लेके चल रहे हो और देश की राजधानी में जिस तरह के कुकर्म कर रहे हैं आप, उसमें कहीं न कहीं आपका ड्राइविंग फोर्स ये थॉट दिखता है कि कुछ खास जातियां इस देश की मालिक हैं और बाकी चाहो दलित हों, माइनोरिटीज हों, महिलाएं हों, वो इस देश में किरायेदार की तरह रहे, किरायेदार की तरह रह सकते हैं तो रहे वरना औकात बता देंगे। ये घटिया मानसिकता जो है, देश में रोजाना इनका कुछ ना कुछ ऐसा शर्मनाक वाक्या सामने आ जाता है और दिल्ली में भी आ जाता है जिससे पता चलता है कि ये जो संविधान में लिखा हुआ है ना, वहां संविधान की बात करते हैं रोज संविधान लेके बैठे रहते हैं चारों तरफ। संविधान के पहले तीन शब्द हैं, “वी द पीपुल” वो “वी द पीपुल” को ठीक से पढ़ लीजिए, “वी द पीपुल” में कुछ खास जातियां नहीं हैं। “वी द पीपुल” में इस देश के हर उम्र, हर वर्ग, हर जाति-धर्म के लोग हैं। तब “वी द पीपुल” बनता है। “वी द पीपुल” की परिभाषा बहुत संकुचित हो गई है। उसको थोड़ा ब्रॉडन करिए। जब जिस परिभाषा की अंबेडकर साहब ने परिकल्पना की थी, उस परिभाषा को उस रूप में समझाए। ये कुछ जातियों के लोगों को देश का मालिक

बना के, बाकी को किरायेदार की तरह रखना चाहोगे, तो सबसे पहली चिंगारी क्रांति की इसी विधानसभा से निकलेगी, हम बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में धर्म और जाति के झगड़े बहुत कड़वी सच्चाई रहे हैं। राखी ने भी जिक्र किया। बाकी सभी साथियों ने भी रखा कि किस तरह से मंदिरों से दूर रखा जाता था, स्कूल से दूर रखा जाता था। सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उस कुएं से पानी ले लिया, इसलिए सजा अभी भी दी जाती रही है, देते हैं ये लोग, जहां-जहां मौका लग जाता है इनको। लेकिन फिर भी संतोष इस बात का है कि ऐसे लोगों की जमात थोड़ी छोटी होती चली जा रही है। आज देश में एजुकेशन की वजह से, टैक्नोलॉजी के इवोल्यूशन की वजह से, ये देश बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत से सब चीजों से ऊपर उठ रहा है। इसमें बाबा साहब का भी योगदान है और तमाम मनीषियों का योगदान है, उन सबके योगदान, आज टैक्नोलॉजी का योगदान है, आज मेरे हाथ में मोबाइल है; ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस धर्म जाति से आता हूं। आज यहां सब साथियों के हाथ में यहां से बाहर भी सब जिस-जिस के हाथ में मोबाइल इंटरनेट होता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, आप किस धर्म से हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये टैक्नोलॉजी और एजुकेशन की वजह से संभव हुआ है। देश आगे बढ़ेगा। ये देश को 100 साल पीछे घसीटना चाहते हैं। आप किस जाति से हो, आप दिल्ली में प्रदर्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अरे! आपके नेता तो यहां विधानसभा में, विधानसभा के सामने कितना प्रदर्शन करके, कुछ भी करते रहें, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायकों

के घर के सामने आप कुछ भी करते रहो, रोज किसी को भेज देते हो प्रदर्शन करने। आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो चर्चा करो आपको प्रॉब्लम इस पर होती है कि कोई दलित छात्र के साथ कैसे खड़ा हो गया! उन लड़कियों की हिम्मत कैसे हो गई कि वो देश के दलित छात्रों के समर्थन में खड़ी हो गई! आपको इससे क्यों प्रॉब्लम हो रही है सर जी? अगर आप दिल्ली में ऐसा करोगे तो हम तो बोलेंगे और इसी विधानसभा में भी बोलेंगे और हर प्लेटफार्म पर बोलेंगे जो-जो अवेलेबल प्लेटफार्म हैं, जो-जो भी पौसिबल प्लेटफार्म हैं, उस पर बोलेंगे। मैं इस कदम की घोर निंदा करता हूँ, जो कल दिल्ली पुलिस ने किया है और जिन आकाओं के इशारे पे किया है, उन आकाओं की सोच की कड़ी निंदा करता हूँ। उनकी घोर भर्त्सना करता हूँ कि ऐसी सोच इस देश को नरक में ले जाएगी भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। जब तक जनता को दूसरा मौका मिले, इन्हें उखाड़ के फेंकने का, भगवान इनको सद्बुद्धि दें। थोड़े दिन, ये देश को जहां है, वहीं रहने दें तो भी बहुत अहसान होगा।

**अध्यक्ष महोदय :** अब क्या रह गया सोमनाथ जी?

**श्री सोमनाथ भारती :** एक हमने पास करना है मोशन। There is a motion to be passed....

...(व्यवधान)

**श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** मैं बहुत क्षमा के साथ एक बात करना चाह रहा हूँ। क्षमा एडवांस में मांग रहा हूँ आपसे कि आपको मैं बीच में...मेरा नंबर नहीं है। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। मुझे आप इजाजत दे दें, तो बहुत आभारी रहूंगा बहुत जनहित का मामला है।

**अध्यक्ष महोदय :** तोमर जी, आप सब्जेक्ट से अलग हम बात करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।

**श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने नियम 54 और 55 दोनों के तहत मैंने प्रार्थना की थी आपसे कि मुझे या तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से या अल्पकालिक चर्चा के माध्यम से दो मिनट का समय दे दें प्लीज। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है।

**अध्यक्ष महोदय :** आप संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में रख दीजिए एक सेकेंड में जो भी कुछ मुद्दा है।

**श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** मैं बहुत संक्षेप में आपको बोलना चाहता हूँ कि...

**अध्यक्ष महोदय :** मैं कर रहा हूँ एक बार, अभी कर रहा हूँ इसके बाद, जल्दी करिए प्लीज।

**श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में रामपुरा एक जगह है जहां पर एक रेलवे अंडर ब्रिज बन रहा है और वो सन् 2010 में जब बनना शुरू हुआ था, दिल्ली सरकार ने पैसे देने शुरू किए थे और अभी तक 7 करोड़ 98 लाख रुपये उनके पास जा चुके हैं। एमसीडी के पास तो वो जो...

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, ये पुल कौन बना रहा है?

**श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** एमसीडी बना रही है साहब।

**अध्यक्ष महोदय :** तो संक्षेप में रखिए, कितने पैसे जा चुके हैं, विषय क्या है उसका।

**श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** अध्यक्ष महोदय, 7 करोड़ 98 लाख रूपये अभी तक इस अंडर ब्रिज को बनवाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम को दिए जा चुके हैं। रेलवे विभाग द्वारा ट्रैक के नीचे बनाए गए पुल, जो बाक्सेज बनते हैं, वो रेलवे विभाग ने बना दिए सन् 2012-13 में और ऊपर से मिट्टी से ढक दी है। जब हमारी सरकार बनी थी, जब मैं विधायक बना वहां से तो मैंने, तब तक वहां 15 परसेंट काम हुआ था एमसीडी का। मैंने हर फ्राईडे को अधिकारियों को बुलाना शुरू किया वहां पर थोड़ा गति देने के लिए, तो काम हुआ वहां सत्तर-अस्सी परसेंट काम हो गया लेकिन जब वो मिट्टी हटायी, बाक्सेज के वहां से। जो बाक्सेज में मिट्टी भर देते हैं रेलवे के लोग, वो हटायी तो जो एप्रोच थी, रामपुरा की तरफ से, उसमें एक बॉक्स जो एलानमेंट में था और दूसरा जो लेन्थ का बॉक्स है, रामपुरा से जाते हुए, उसमें तेरह फुट एलाइनमेंट गड़बड़ है। तेरह फुट तक अलग है। मतलब बॉक्स सामने है उससे तेरह फुट अंदर आके दीवार आ रही है जो पुल की जाते हुए एप्रोच की दीवार है। मैंने पीछे इसी विधान सभा में 31 मार्च को ये मुद्दा उठाया था कि लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ नहीं हुआ जबकि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी निर्देश दिया था। यहां से भी कहा था कि भई, इसे अधिकारियों को ठीक करना चाहिए। जब कुछ नहीं किया तो मैंने तीन अगस्त को माननीय उपमुख्यमंत्री जी से वहां जाने के लिए आग्रह किया और ये निरीक्षण के लिए वहां पर गये। जो एमसीडी के कमिश्नर हैं, उनको साथ लेके गये और वहां जाने के बाद जब उन्होंने इसका देखा तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया, निर्देश दिया वहां पर एमसीडी के कमिश्नर को कि इस एलाइनमेंट को ठीक करिये आप। दीवार को यहां से हटाइये। दीवार को पीछे करिए। क्योंकि अगर मेरे कार्यकाल में कम से कम अगर वो पुल इस तरीके से चालू

हो जाये तो डूब मरने की बात है मेरे लिए। मतलब इससे आज शर्मनाक कुछ नहीं होगा कि आज तक पूरे दुनिया में, पूरे देश में कहीं ऐसा रेलवे पुल नहीं बना होगा जिसमें 13 फुट की एलाइनमेंट आउट हो। तो ये निर्देश माननीय उप मुख्यमंत्री जी तत्काल उसी स्थान पर, वहां पर दे के आये। ऑन द स्पॉट म्यूनिसिपल कमिश्नर को कहा, कि आप इस दीवार को तोड़ के इसको सेमेट्री में लाइए बिल्कुल। आज तक मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूँ...

**अध्यक्ष महोदय :** तोमर जी, कन्क्लूड करिये प्लीज।

**श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर...

**अध्यक्ष महोदय :** वो हो गया, समझ में आ गया।

**श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया उसमें। काम शुरू कर दिया। उन्होंने कि स्टेयर्स बनानी शुरू कर दी ऊपर के लिए कि हम ऐसे ही छोड़ देंगे उसको। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस मामले को क्वेश्चन एंड रिफ्रेंस कमेटी को रेफर कर दें और कमेटी उसको सम्मन करे, एमसीडी का कन्सेंस मांगे। आप आदेश दें। मैं निवेदन करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि वो भी इसमें अपना निर्देश कुछ दें, कुछ इसमें अपना वक्तव्य दें और आप क्वेश्चन एंड रिफ्रेंस कमेटी को इसको दें।

**अध्यक्ष महोदय :** आप इसको मुझे लिखके दे दें।

**श्री जितेंद्र सिंह तोमर :** सर, मैंने दिया हुआ है। दो बार लिख के दिया हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय :** देख लेता हूँ। हां सोमनाथ भारती जी।

**श्री सोमनाथ भारती :** अध्यक्ष महोदय, आज जिस मुद्दे पर पूरे सदन ने चर्चा की। इतना सेन्सेटिव मामला, जिसमें दलित छात्रों के राईट्स की चर्चा की हमने। उसके विषय में, अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं एक रिजोल्यूशन मूव कर रहा हूँ:

"The Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi having its sitting on 18 of January 2017; Strongly condemns the brutal assault by Delhi Police personnel and paramilitary personnel on the students and youth who took a peaceful protest march in New Delhi on 17<sup>th</sup> of January 2017 seeking justice for Rohit Vemula,

Demands that the Minister of Home Affairs, Govt. of India initiate immediate action against the officers responsible for such inhuman attack on innocent protestors from JNU and other institutions.

xxx

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** ये जो भाषा मेरे लिए प्रयोग की जा रही है, ये पूरी तरह से अनजस्टिफाईड है। उसके बारे में इस तरह मुझे रेजल्यूशन का पार्ट बनाना, ये बिल्कुल अनजस्टिफाईड है। मैं इसका खुले रूप से विरोध करता हूँ। मुझे सदन में अपनी भावना प्रकट करने से अगर रोका जाता है, तो ये असंसदीय है।

**अध्यक्ष महोदय :** इसमें संकल्प में विजेन्द्र गुप्ता जी को इस रेजल्यूशन के पार्ट से डिलीट कर दिया है। चलिए।

अल्पकालिक चर्चा के दौरान सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी

---

xxx चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से हटाया गया।



भावनाओं के दृष्टिगत श्री सोमनाथ भारती जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन के सामने है;

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें,  
जो इसके विरोध में हैं, वो न कहें,  
(सदस्यों के हां कहने पर)  
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।  
संकल्प स्वीकार हुआ।

एक विषय और है। हां, दस मिनट और लगेंगे। ये बड़ा मुश्किल से नितिन जी ने तैयार किया है प्लीज। बहुत मेहनत की है। चलिए।

माननीय सदस्यगण, गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिनांक 25 जनवरी और 26 जनवरी, 2017 को विधानसभा भवन को प्रकाश व्यवस्था से सुसज्जित किया जायेगा और सीआरपीएफ के बैंड की भी व्यवस्था की जायेगी। पिछले वर्ष भी हमने ये कार्यक्रम किया था। दोनों दिन विधानसभा परिसर सायं 5.30 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक आम जनता के अवलोकन के लिए खुला रहेगा।

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र की जनता को इस संबंध में जानकारी दें ताकि आम जन गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर विधानसभा के ऐतिहासिक भवन का अवलोकन कर सकें और आप सब भी उक्त तिथियों को विधानसभा का अवलोकन करने के लिए सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।

**श्री नितिन त्यागी :** सर, एक तो हम सब लोग यहां पर होंगे नहीं बाइचान्स, तो आप बाद में इसको प्लीज कर दीजियेगा अरेंज। दूसरी चीज मैं

विजेन्द्र गुप्ता जी को आपके माध्यम से ओर उनकी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस्युलेट करना चाहूंगा कि पहली बार ऐसा दिखा जबसे लोग जीते हैं, उसके बाद से कि ये लोग जो कहते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ साक्षी महाराज, साध्वी और बहुत सारे नेता कहते हैं आठ बच्चे करो, दस बच्चे करो। मोदी जी से तो हुए नहीं, अटल जी से भी नहीं हुए। अब इनके जो युवा नेता है, बहुत निराश हो रहे थे। उनकी निराशा को दूर करने के लिए आज एन. डी. तिवारी जी को इन्होंने जोड़ा है। आशा करता हूँ कि आप लोग जिस मकसद से जोड़ा है, वो पूरा हो आपका।

**अध्यक्ष महोदय :** चलिए, इससे पहले कि मैं सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करूँ। स्वस्थ संसदीय परंपराओं का निर्वाह करते हुए सदन के नेता एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिंसौदिया, सभी मंत्रीगण, श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

इसके अलावा विधान सभा के सचिव तथा सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव व उनके समस्त अधिकारियों, दिल्ली पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सीआरपीए बटालियन-55 तथा लोक निर्माण विभाग के सिविल, इलैक्ट्रिकल व हार्दिकल्चर डिवीजन, अग्निशमन विभाग आदि द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ।

विधान सभा की कार्यवाही को मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी पत्रकार साथियों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।

(राष्ट्रगान : जन-गण-मन)

अब सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए  
स्थगित की गयी।)

### विषय सूची

सत्र-4 भाग ( 6 ) बुधवार, 18 जनवरी, 2017/28 पौष, 1938 ( शक ) अंक-43

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2	अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3-5
3	माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा (उपराज्यपाल का संदेश)	
4	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	5-68
5	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	68-291
6	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	292-454
7	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	454-455
8	विशेष उल्लेख (नियम - 280)	455-479
9	प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	479
10	प्रतिवेदन पर सहमति	480
11	अल्पकालिक चर्चा (नियम - 55)	481-545